सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

# कार्यक्रम अंदाजपत्रक

## २०२१-२०२२

## महसूल व वन विभाग

**१**

**(महसूल प्रशासन व पुनर्वसन)**

*

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर

२०२१

# कार्यक्रम अंदाजपत्रक

# २०२१-२०२२

## महसूल व वन विभाग

## १

## (महसूल प्रशासन व पुनर्वसन)

महसूल व वन विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकांची यादी

| कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचा क्रमांक | कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचे नाव |
|---|---|
| १ | महसूल प्रशासन व पुनर्वसन |
| २ | वने |
| ३ | नोंदणी व मुद्रांक विभाग |
| ४ | भूमी अभिलेख विभाग |

## अनुक्रमणिका


| अ.क्र. (१) | विवरण (२) | पृष्ठांक (३) |
|---|---|---|
| | **प्रास्ताविक** | (१) |
| | समग्र कार्यक्रम | (१) - (१०) |
| | **कार्यक्रम— एकूण अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२** | |
| | प्रपत्र-अ | १ - २ |
| **१.** | **विभागीय आयुक्त** | ३ |
| | वित्तीय आवश्यकता (तक्ता-१) | ४ - ७ |
| | कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतेचे स्पष्टीकरण (तक्ता-२) | ८ - ९ |
| | प्रकरणे व अपिलांची सुनावणी (तक्ता-३) | १० |
| | कर्मचारीविषयक गोषवारा (तक्ता-४) | ११ - १२ |
| **२.** | **जिल्हाधिकारी** | १३ - १४ |
| | वित्तीय आवश्यकता (तक्ता-१) | १५ - २४ |
| | जमीन महसुलाची वसुली (तक्ता-२) | २५ - २८ |
| | शिक्षण/रोजगार हमी योजना उपकराची वसुली (तक्ता-३) | २९ - ३४ |
| | इतर शासकीय देयकांची वसुली (तक्ता-४) | ३५ - ३८ |
| | मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम, १९२३ | ३९ |
| | चुकविलेला व वसूल केलेला करमणूक कर (तक्ता-५) | ४० - ४५ |
| | जाहिरात कर वसुली (तक्ता-६) | ४६ - ४८ |
| | महसुली प्रकरणांची कामे | ४९ |
| | निकाली काढलेली प्रकरणे (तक्ता-७) | ५० - ५३ |
| | फेरफाराच्या नोंदी (तक्ता-८) | ५४ - ५६ |
| | सीमा चिन्हांची दुरुस्ती | ५७ |
| | ७/१२ उता-यांच्या वाटपाची प्रगती [तक्ता-९(अ)] | ५७ - ५८ |
| | [तक्ता-९(ब)] | ५९ - ६० |
| | **कुळ कायदे** | ६१ |
| | निकाली काढलेली प्रकरणे (तक्ता-१०) | ६२ - ६७ |
| | कमाल जमीन धारणा अधिनियमाची अंमलबजावणी (तक्ता-११) | ६८ - ७३ |
| | अतिरिक्त जमिनीचे वाटप (तक्ता-१२) | ७४ - ७९ |
| | भू-धारणा निरासा अधिनियम आणि देवस्थानांचे व्यवस्थापन | ८० |
| | पालक/पाल्य कायद्याखालील मिळकतीचे व्यवस्थापन अधिनियम | ८० |
| | भारतीय गुप्तधन अधिनियम | ८० |
| | **जमीन सुधारणा** | ८१ |
| | गौण खनिजाचे उत्खनन (तक्ता-१३) | ८२ - ८५ |
| | कोर्ट फी अधिनियम, १९५९ | ८६ |
| | भू-संपादन | ८६ |
| | भूसंपादनाबाबतची माहिती (तक्ता-१४) | ८७ - ८८ |
| | शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे (तक्ता-१५) | ८९ - ९२ |
| | शासकीय जमिनीचे वाटप (तक्ता-१६) | ९३ - ९६ |
| | गावठाण विस्तार योजना (तक्ता-१७) | ९७ - १०० |
| | नझूल जमिनीचे व्यवस्थापन | १०१ |
| | नझूल जमिनीवरील अतिक्रमणे (तक्ता १८) | १०१ - १०२ |
| | नझूल जमीन वाटपापासून मिळालेली प्राप्ती (तक्ता १९) | १०३ - १०६ |
| | न्यायालयांकडून आलेल्या आज्ञाप्तीची अंमलबजावणी | १०७ |
| | निर्वासित मालमत्ता अधिनियम | १०७ |
| | कर्मचारीविषयक गोषवारा (तक्ता क्रमांक-२०) | १०८ - ११० |

## **अनुक्रमणिका**—चालू


| अ.क्र. (१) | विवरण (२) | पृष्ठांक (३) |
|---|---|---|
| ३. | **आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण** | १११ - ११२ |
| | कर्मचारीविषयक गोषवारा (मंत्रालय स्तर) | ११२ |
| | नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना सहाय्य करण्याची योजना | ११३ - १२१ |
| | वित्तीय आवश्यकता (तक्ता-१) | १२२ - १२३ |
| | वित्तीय आवश्यकतेचे स्पष्टीकरण (तक्ता-२) | १२४ - १२८ |
| | टंचाई | १२९ |
| | पुनर्वसनासाठी केलेल्या कार्याचा तपशील (तक्ता-३) | १३० - १३१ |
| | टंचाई परिस्थितीची माहिती (तक्ता-४) | १३२ - १३५ |
| | आपदग्रस्तांना मदत (तक्ता-५) | १३६ - १३९ |
| ४. | **जिल्हाधिकारी, मुंबई** | १४० |
| | वित्तीय आवश्यकता (तक्ता-१) | १४१ - १४२ |
| | बॅक-बे पुनःप्रापण महसुलाची वसुली (तक्ता-२) | १४३ |
| | शहर भूमी अभिलेख (तक्ता-३ ते १०) | १४४ - १४७ |
| | मुंबई शहर इनामे व विशेष निर्मूलन आणि जमीन महसूल संहिता सुधारणा अधिनियम (तक्ता-११) | १४८ - १४९ |
| ५. | **महसूल व वन विभाग (मंत्रालय विभाग)** | १५० |
| | वित्तीय आवश्यकता (तक्ता-१) | १५१ |
| | कर्मचारीवर्ग विषयक गोषवारा (तक्ता-२) | १५२ - १५३ |
| ६. | **पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन** | १५५ |
| | वित्तीय आवश्यकता (तक्ता-१) | १५६ - १५७ |
| | (अ) पश्चिम पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित (तक्ता-२) | १५८ - १६० |
| | (ब) उल्हासनगर वसाहत सर्व्हे कामाची माहिती (तक्ता-३) | १६१ |
| | (क) कर्मचारी विषयक गोषवारा (तक्ता-४) | १६२ |
| ७. | **प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन** | १६३ |
| | वित्तीय आवश्यकता (तक्ता-१) | १६५ - १६८ |
| | प्रकल्पग्रस्तांना नवीन गावठाण वाटप (तक्ता-२) | १६९ - १७० |
| | प्रकल्पग्रस्तांना वाटण्यात आलेले शेतजमीन (तक्ता-३) | १७१ - १७३ |
| | लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या संपादनाबाबत माहिती (तक्ता-४) | १७४ - १७५ |
| | प्रकल्पग्रस्तांना नविन गावठाणात पुरविण्यात आलेल्या नागरी सुविधा (तक्ता-५) | १७६ - १७७ |
| | कर्मचारी वर्ग विषयक गोषवारा (तक्ता-६ व ७) | १७८ - १८० |
| ८. | **महालेखापालांचा लेखापरीक्षा अहवाल/लोकलेखा समिती व उपक्रम समिती अहवाल** | १८१ - १८२ |

# प्रास्ताविक

महसूल व वन विभाग हा मंत्रालयाचा एक प्रशासकीय विभाग आहे. हा विभाग पुढील चार उपविभागात विभागला आहे :—

(अ) महसूल

(ब) वन

(क) पुनर्वसन व मदत कार्य

(ड) आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग

२. सुरुवातीच्या काळात प्रामुख्याने जमीन महसूल कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्याशीच महसूल प्रशासनाचा संबंध होता. त्यानंतर क्रमशः झालेल्या प्रगतीमुळे महसूल विभागाच्या कार्यक्षेत्रात आमुलाग्र बदल झाला आहे.

जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचे प्रमुख असून ते जिल्हादंडाधिकारी असतात. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून समजले जातात. जिल्ह्यातील सर्व महसूल यंत्रणा विविध प्रकारची कामे करण्यास त्यांना साहाय्य करते.

३. महसूल विभागाची विविध कर्तव्ये नमूद करणे आणि त्या सर्वांचा परामर्श घेणे हे या पुस्तिकेच्या मर्यादेपलिकडील आहे. तथापि, महसूल विभागाची महत्त्वाची कर्तव्ये व योजना परामर्श घेण्याचा प्रयत्न येथे करण्यात आला आहे. कार्यक्रम अंदाजपत्रक तयार करण्याचा मुख्य हेतू असा आहे की, शासनास असे साधन द्यावयाचे की, ज्या आधारे या विभागाकडून काय काम करण्यात येत आहे, कशा प्रकारे करण्यात येते आणि त्याची किंमत काय, हे समजावे. या विभागातर्फे ज्या उद्दिष्टांसाठी निधीची मागणी करण्यात येते ती उद्दिष्टे, ती प्राप्त होण्यासाठी येणारा खर्च, केलेल्या कामाच्या मूल्यमापनार्थ परिणामात्मक आधारसामुग्री ही माहिती सदर कार्यक्रम अंदाजपत्रक पुरविते.

४. महसूल व पुनर्वसन कक्षा संबंधीची माहिती खालील प्रकरणांमध्ये देण्यात येत आहेः—

(१) विभागीय आयुक्त.

(२) जिल्हाधिकारी.

(३) नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना सहाय्य करण्याची योजना.

(४) जिल्हाधिकारी, मुंबई.

(५) महसूल व वन विभाग (मंत्रालय विभाग).

(६) पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन.

(७) भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन.

(८) प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन.

(९) महसूल व वन विभाग महालेखापालांचा लेखापरीक्षा अहवाल/लोकलेखा समिती/उपक्रम समिती अहवाल.

५. कार्यक्रम अंदाजपत्रकाच्या तंत्रात अंतर्निहित असल्याप्रमाणे प्रत्येक कार्यक्रम पुढील चार भागांमध्ये सादर केला आहेः—

(१) प्रास्ताविक, (२) वित्तीय आवश्यकता, (३) कार्यक्रमाचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण, आणि (४) कर्मचारीवर्ग विषयक गोषवारा, दुस-या भागाचे आणखी तीन उपविभाग पाडले आहेत, ते असे-(अ) कार्यवार, (ब) उद्दीष्टवार, (क) साधनवार.

६. कार्यक्रम अंदाजपत्रक म्हणजे मूल्यांकन अहवाल नव्हे, हे सर्वांना मान्य होईल. तथापि, महसूल विभाग पार पाडीत असलेल्या कार्याचे स्वरुप लक्षात घेऊन उपलब्ध असलेल्या अगदी अलिकडच्या माहितीच्या आधारे विविध कार्याच्या संबंधात त्या विभागाने बजाविलेली कामगिरी दाखविण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला आहे.

## समग्र कार्यक्रम

प्रास्ताविकात नमूद केल्याप्रमाणे महसूल विभागाच्या सर्व कार्याचा परामर्श घेणे कठीण आहे. परंतु या विभागातर्फे राबविण्यात येणा-या काही महत्त्वाच्या योजनाखाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत. त्यावरुन या विभागातर्फे हाती घेतलेल्या अथवा पुढील वर्षात हाती घेण्यात येणा-या कार्याची योग्य कल्पना यावी, अशी अपेक्षा आहेः—

(१) भू-सुधार योजना,

(२) गावठाण विस्तार योजना,

(३) महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१.

(४) भूसंपादन,

(५) सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन,

(६) महसूल व वन विभागाचे महालेखापालांचा लेखापरीक्षा अहवाल/ लोकलेखा/ उपक्रम समिती अहवाल.

(७) महसूल अधिका-यांनी करावयाची तपासणीची कामे,—

(८) महसूल कार्यालयाची पुनर्रचना,

(९) महाराजस्व अभियान.

(१०) ग्रामदान चळवळ.

उपरोक्त प्रत्येक योजनेबाबतची तपशीलवार माहिती खाली दिली आहे :–

## (१) भू-सुधार योजना

भू-सुधार योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पुढील प्रमुख भू-सुधार योजना येतात. (१) कुळांना मालकीहक्क देणे, (२) शेतजमिनीच्या धारणेतील विषमता कमी करून अतिरिक्त जमिनीचे वाटप करणे, (३) हस्तांतरित जमिनी आदिवासींना परत करणे.

### कमाल जमीन धारणा अधिनियमाची अंमलबजावणी

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली मार्गदर्शक तत्वे प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने समाजातील कृषी विषयक साधन सामुग्रीच्या मालकीचे व त्यावरील नियंत्रणाचे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने वितरण होईल व कृषी विषयक अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण होऊ नये या दृष्टीने भूमीहिन शेतमजुरांना शेतीची जमीन उपलब्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ दिनांक २६-१-१९६२ पासून राज्यामध्ये अंमलात आला आहे. या कायद्यानुसार व्यक्तिगत शेतजमीन धारणेवर कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे.

**२.** या कायद्यानुसार बागायत जमिनीकरीता पाण्याच्या पुरवठ्यानुरूप १८ ते ३६ एकरांची कमाल मर्यादा क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. कोरडवाहू जमिनीच्या बाबतीत खात्रीलायक पावसाच्या क्षेत्रातील भाताच्या लागवडीखालील जमिनीकरीता ३६ एकर व इतर सर्व जमिनीकरीता ५४ एकराची कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. कमाल मर्यादेसाठी कुटुंब (पती, पत्नी व अज्ञान मुले) हा घटक समजला जातो.

**३.** अतिरिक्त म्हणून संपादन केलेल्या जमिनीची नुकसान भरपाई मूळ मालकाला देण्याबाबत या कायद्यात तरतूद आहे. भरपाईची रक्कम हस्तांतरणयोग्य रोख्यात ३ टक्के व्याजाच्या दराने द्यावयाची आहे.

**४.** उक्त अधिनियमाखाली आतापर्यंत १६४६९८.१८५ हे. आर एवढे क्षेत्र अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आले असून १५२९०९.५८५ हे. आर एवढ्या क्षेत्राचा ताबा घेण्यात आला आहे. उर्वरित क्षेत्र न्यायालयीन प्रकरणांमुळे ताब्यात घेता आले नाही.

**५.** उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार आतापर्यंत वाटप केलेल्या जमिनीबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

| प्रवर्ग | | लाभार्थ्यांची संख्या | वाटप केलेले क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| (१) | | (२) | (३) |
| अनुसूचित जाती | . . | ३४,०६७ | ४६,३९६.३२ हे. आर |
| अनुसूचित जमाती | . . | २८,६०६ | २९,२१२.२५ हे. आर |
| इतर | . . | ५६,४९४ | ७०,४६२.३५ हे. आर |

## (२) गावठाण विस्तार योजना

गावठाण विस्तार योजना पुढील ३ कारणांसाठी प्रामुख्याने राबविली जाते :–

(१) लोकसंख्या वाढीमुळे गावठाण विस्तार योजना (ग्रामीण भागापुरती मर्यादित),

(२) भटक्या जाती, विमुक्त जाती व मागासवर्गीयांचे पुनर्वसन करून त्यांना कायमस्वरुपी घरकुलासाठी जागा देण्यासाठी (ग्रामीण भागापुरती मर्यादित),

(३) पूरग्रस्त किंवा पुराचा धोका निर्माण झालेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे.

पहिल्या दोन उपाययोजना राज्य योजनांतर्गत योजना असून तिसरी योजनेत्तर योजना आहे.

गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे भूखंड देण्यात येतात :–

| वर्ग | क्षेत्र |
|---|---|
| (१) | (२) |
| (१) शेतकरी | ३,००० ते ६,००० चौ. फूट |
| (२) बिगरशेती (मजूर, ग्रामीण कामगार, मच्छिमार) | १,५०० चौ. फूट |
| (३) मागासवर्गीय | १,५०० चौ. फूट (मोफत वाटप करण्यात येते) |

सर्वसाधारणपणे गावठाण विस्तार योजनेसाठी गावात उपलब्ध असलेल्या सरकारी/गायरान जमिनी गावठाण विस्तारासाठी निवडण्यात येतात. परंतु ज्या ठिकाणी सरकारी जमिनी उपलब्ध नसतात तेथे गावलगतच्या योग्य जमिनी गावठाण वाढीसाठी निवडण्यात येतात. जर जमीन मालकांनी स्वेच्छेने जमीन दिली नाही तर भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदीनुसार सदरहू जमिनी संपादन करून तेथे गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात येते.

## (३) महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१

महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ हा २६ जानेवारी १९६१ रोजी लागू झाला असून, या अधिनियमाच्या कलम २१ अन्वये (i) कमाल मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त जमीन धारणा करणा-या जमीन मालकाकडून तसेच (ii) तत्कालीन औद्योगिक उपक्रमाचे ताब्यातील त्यांच्या स्वतःच्या व त्यांनी खंडाने घेतलेल्या अशा स्वरुपाच्या एकूण मिळून ८५,६३७ एकर एवढी जमीन अतिरिक्त ठरविण्यात आली. या सर्व जमिनीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी व औद्योगिक उपक्रमास ऊस उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शेती महामंडळ मर्यादित या उपक्रमाची कंपनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार सन १९६३ मध्ये स्थापना करण्यात आली.

उक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार खंडक-यांच्या आणि औद्योगिक उपक्रमाच्या ताब्यात असलेल्या अतिरिक्त जमिनी काढून घेतल्यानंतर, ज्या खंडक-यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ४,००० पर्यंत आहे, अशा माजी खंडक-यांना ४.५० ते ९.०० एकरापर्यंत जमीन वाटप करण्याची तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम २८-१अअ मध्ये सन १९७० मध्ये करण्यात आली. त्यानुसार सन १९७१ पासून सन १९८५ पर्यंत एकूण १४,२६१ एकर जमिनीचे वाटप माजी खंडक-यांना करण्यात आले. त्यानंतर देखील मूळ खंडक-यांनी त्यांच्या उर्वरित जमिनी त्यांना परत मिळाव्यात म्हणून शासनाकडे मागणी केली. सदर मागणीचा विचार करून, माजी खंडक-यांनी धारण केलेली व औद्योगिक उपक्रमांना खंडाने दिलेले क्षेत्र किंवा उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार कमाल मर्यादेपर्यंत क्षेत्र, यापैकी जे कमी असेल तेवढे क्षेत्र वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व उक्त अधिनियमाच्या कलम २८-१अअ च्या उपकलम ३ मध्ये मा. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने सुधारणा करण्यात आली. सदर सुधारणेच्या विरोधात श्रीगोंदा तालुका साखर कामगार युनियन व इतर कामगार संघटनांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एसएलपी क्र. ५५९३/२००६ सुनावणीसाठी दाखल करून घेतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशान्वये “जैसे थे” स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्यामुळे उक्त सुधारणेची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नव्हते, आता उक्त एसएलपी क्र. ५५९३/२००६ ची अंतिम सुनावणी होवून या प्रकरणाचा अंतिम निकाल दिनांक ३०-८-२०११ रोजी शासनाच्या बाजूने लागला आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने उक्त अधिनियमात दिनांक २-२-२०१२ रोजी सुधारणा करून माजी खंडक-यांना जमीन परत मिळण्यासाठी अर्ज करण्यास ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली व जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी दिनांक ४-५-२०१२ रोजी सर्व संबंधीतांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या.

२. राज्यात पुणे, नाशिक व औरंगाबाद विभागात एकूण १४ मळे असून त्यापैकी औरंगाबाद विभागातील गंगापूर मळ्यातील जमीन माजी खंडक-यांना वाटपासाठी उपलब्ध नाही. उर्वरित १३ मळ्यातील जमीन पात्र माजी खंडकरी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यासाठी उपलब्ध आहे.

शासनाच्या दिनांक ४-५-२०१२ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या अनुषंगाने, माजी खंडक-यांच्या अर्जाची तपासणी करुन, पात्र खंडक-यांची संख्या व त्यांना देय होणारे क्षेत्र निश्चित करण्याकरिता, प्रशासकीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे, जिल्हाधिकारी, महामंडळ व समित्या यांनी परस्पर समन्वयाने वाटप करावयाचे क्षेत्र निश्चित केले असून त्याआधारे पुणे विभागातील सातारा, पुणे, सोलापूर व कोल्हापूर या चार जिल्ह्यातील सहा मळ्यांतील जमीन तसेच नाशिक विभागातील अहमदनगर व नाशिक या दोन जिल्ह्यातील सात मळ्यांतील जमीन अशा एकूण १३ मळ्यांतील जमीन वाटपाचे शासन निर्णय दिनांक ९-१०-२०१२ ते ३१-१०-२०१३ या कालावधीत निर्गमित करण्यात आले असून जमीन वाटपाची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावरून करण्यात येत आहे.

## (४) भूसंपादन

राज्यात विविध प्रकल्पांसाठी शेतक-यांच्या खाजगी जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या तरतुदीनुसार संपादित करण्यात येत होत्या. सदर कायदा व्यपगत होऊन भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ हा दिनांक १-०१-२०१४ पासून राज्यात अंमलात आलेला आहे व सद्यःस्थितीत या नवीन भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीन्वये भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली जात आहे. सदर कायदा भूसंपादन व पुनर्वसन यासाठी एकत्रितरित्या तयार केला आहे.

नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम २६ ते ३० मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला परिगणित करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शासनाने गुणांकाबाबतची अधिसूचना दिनांक २६-०५-२०१५ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे व या अधिसूचनेमध्ये दिनांक ७-१०-२०१५ रोजी सुधारणा करण्यात आलेली आहे. यानुसार ग्रामीण भागातील भूधारकांना ४ पट मोबदला प्राप्त होणार आहे. नवीन कायद्यात सामाजिक परिणाम निर्धारण (Social Impact Assessment) तरतुदीचा समावेश आलेला आहे. यानुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी अशा प्रकल्पाबाबतचे सामाजिक परिणाम निर्धारण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम १०९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासनाने भूसंपादनाचे नियम दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केले आहेत. नवीन भूसंपादन कायद्यात सामाजिक परिणाम निर्धारण व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करणे, अन्न सुरक्षेसाठी संरक्षक उपाययोजना, पुनर्वसन विषयक तरतुदी, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याबाबतची कार्यपद्धती, राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीची स्थापना करणे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण अशा प्रकारच्या अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे.

नवीन भूसंपादन कायद्यास अनुसरून शासनाने विविध अधिसूचना प्रसिद्ध/निर्गमित केलेल्या आहेत. दिनांक ११-०९-२०१५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिका-यांना १०,००० हेक्टर पर्यंतच्या भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. तसेच राज्यात सार्वजनिक प्रयोजनाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनी खाजगी वाटाघाटीने खरेदी करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक १२-०५-२०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे व सदर निर्णयात दिनांक ३०-०९-२०१५ रोजी सुधारणा करण्यात आलेली आहे. यानुसार ग्रामीण भागात भूधारकांना ५ पट मोबदला प्राप्त होणार आहे.

## (५) सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन

सरदार सरोवर प्रकल्प हा आंतरराज्यीय बहुउद्देशीय प्रकल्प असून यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. गुजरात राज्यात नर्मदा नदीवर नवेगांव जिल्हा नर्मदा येथे हे धरण बांधले जात असून या प्रकल्पामुळे निर्माण होणा-या एकूण १,४५० मे. वॅ. जलविद्युत निर्मितीपैकी (२७%) म्हणजेच ३९२ मे. वॅ. वीज महाराष्ट्र राज्याला मिळणार आहे. सरदार सरोवर धरणाचे १३८.६८ मीटर उंचीपर्यंतचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पामुळे सद्यास्थितीत महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व अक्राणी तालुक्यातील एकूण ३३ गांवे बाधित होत असून बाधित होणा-या कुटुंबांची संख्या ४१७९ एवढी आहे. या कुटुंबांचे शेतजमीन व रहिवासी भूखंड देऊन पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यात, नर्मदा नगर, सरदार नगर, रेवा नगर, रोझवा पुनर्वसन, गोपालपूर व त-हावद आणि अक्कलकुवा तालुक्यात देवमोगरा नगर तसेच शहादा तालुक्यातील बडछील व वाडी काथर्दे दिगर व चिखली अशी ११ गावठाणे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या गावठाणात नागरी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत. सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने धरणाचे दरवाजे बंद करण्यास दिनांक १६ जून, २०१७ रोजी मंजुरी दिली आहे. दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी मा. पंतप्रधान यांच्या हस्ते सरदार सरोवर प्रकल्प राष्ट्रास अर्पण करण्यात आला आहे.

## (६) महसूल व वन विभागाचे महालेखापालांचा लेखापरीक्षा अहवाल/लोकलेखा समिती/ उपक्रम समिती अहवाल

महसूल व वन विभाग हा मंत्रालयाचा एक प्रशासकीय विभाग आहे. या विभागाचे महसूल, वने आणि पुनर्वसन व मदतकार्य असे तीन उपविभाग आहेत. त्यापैकी " महसूल " उपविभागाचे अधिनस्त (१) विभागीय आयुक्त, (२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, (३) जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख, इ. विभाग प्रमुखांची कार्यालये आहेत.

उपरोक्त विभागप्रमुख कार्यालये व त्यांचे अधिनस्त सर्व कार्यालयांचे महसुली जमा/खर्च विषयक, करमणूक कर विषयक तसेच शिक्षण कर व रोजगार हमी कर या विषयांतर्गत निरीक्षण महालेखापाल-१, मुंबई व महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडून करण्यात येते. संबंधित कार्यालयास त्यांचेकडील अनियमितता/उणीवा, कमी आकारणी, कमी वसुली कर व शुल्कांबाबतची चुकीची सवलत इत्यादी स्वतंत्र निरीक्षण अहवाल परिच्छेदाद्वारे कळविले जातात आणि त्यांचा अनुपालन अहवाल त्यांचेकडून मागविला जातो.

महालेखापालांकडून दरवर्षी अशा सर्व कार्यालयांकडील प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/परिच्छेद यांची संख्या शासनास कळविली जाते. अशा प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/ परिच्छेद मधील आवश्यक त्या बाबतीत करांची वसुली शासकीय आदेश प्राप्त करून तसा अनुपालन अहवाल पाठवून जास्तीत जास्त परिच्छेदाचा निपटारा करवून घेण्याबाबत शासन स्तरावरून परिपत्रके, अ. शा. पत्रे, स्मरणपत्रे इत्यादीद्वारा सतत पाठपुरावा करण्यात येतो.

प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/परिच्छेदांचा जलद निपटारा होण्याचे दृष्टीने आणि त्यातील फार पूर्वीपासून प्रलंबित असलेले परिच्छेदांचा निपटारा प्रथम प्राधान्याने व्हावा यासाठी या विभागात मा. उप सचिवांचे अध्यक्षतेखाली लेखापरीक्षा समिती स्थापन केलेली आहे. या समितीच्या बैठका विभागीय स्तरावर घेण्यात येतात. बैठकीचे वेळी वरिष्ठ उप महालेखापाल उपस्थित राहतात. त्यांचेसमोर संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडून त्यांचेकडील प्रलंबित परिच्छेदांचे अनुपालन सादरीकरण विचारात घेऊन परिच्छेद वगळण्यात येतो. अशा पाहणीमुळे परिच्छेदांचा निपटारा जलदगतीने होण्यास फार मदत होते. प्रलंबित परिच्छेदांचा निपटारा या कामी संबंधित कार्यालयांना मासिक उद्दिष्ट ठरवून देण्यासंबंधी व त्याचा मासिक बैठकीत आढावा घेण्याच्या सूचना शासन स्तरावरून सर्व विभाग प्रमुखांना दिलेल्या आहेत व त्यांना त्यांचे विभागांचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनास वेळीच पाठवून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.

या विभागात विशेष निरीक्षण पथक कार्यरत असून त्यात सहा. संचालक वर्ग-१ व सहाय्यक लेखा अधिकारी अशी प्रत्येकी दोन पदांची नेमणूक केलेली आहे. हे पथक प्रत्येक जिल्ह्यांतील अंतर्गत लेखापरीक्षा पथकाचे कामाचे पुनर्विलोकनासाठी जिल्हा दौरा आयोजित करतात. त्यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यातील महालेखापालांकडील प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/परिच्छेदांच्या निपटा-याबाबत प्रगतीचा आढावा घेतात. तसेच दौ-याचे वेळी विभागीय आयुक्तांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी/निवासी उप-जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली महसूल अधिकारी यांच्या बैठका घेवून त्यात प्रलंबित परिच्छेदांचा आढावा घेतला जातो. तसेच निपटा-यांसंबंधी आवश्यक त्या सूचना व मार्गदर्शन करण्यात येते.

महालेखापाल-१, मुंबई आणि महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडून दिनांक १-०७-२०१४ रोजी निर्गमित केलेले परंतु दिनांक ३०-६-२०१५ रोजी प्रलंबित असलेले निरीक्षण अहवाल/परिच्छेद यांची विभाग प्रमुखनिहाय संख्या विहित तक्त्यात देण्यात येत आहे.

## (७) महसूल अधिका-यांनी करावयाचे तपासणीचे काम

दरवर्षी महसूल अधिका-यांनी त्यांच्या हाताखालील कार्यालयाची तपासणी करणे जरूरीचे आहे. त्यांच्या हाताखालील अधिकारी त्यांची सर्वसाधारण कर्तव्ये पार पाडीत आहेत किंवा कसे, तसेच विविध अधिनियम व आदेश यांचे पालन योग्यप्रकारे होत आहे यासाठी अशी तपासणी करण्यात येते.

## (८) महसूल कार्यालयाची पुनर्रचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ हा अधिनियम दिनांक १५ ऑगस्ट, १९६७ पासून राज्यात अंमलात आलेला आहे. या अधिनियमाच्या कलम ४, पोट-कलम (१) खंड (एक) ते (सहा) यामध्ये महसूल विभाग, जिल्हे, महसुली उप विभाग, तालुके, महसुली गांवे या महसुली क्षेत्रांचे रचना करण्याची तरतूद आहे. तसेच या महसुली क्षेत्रांच्या हद्दीमध्ये विभागणी/पुनर्रचना याद्वारे फेरबदल करण्याची आणि नवीन महसुली क्षेत्र निर्माण करण्याची तरतूद आहे.

**२.** भौगोलिक सलगता, प्रशासकीय सोय आणि जनतेकडून लोकप्रतिनिधीमार्फत करण्यात येणा-या मागण्या विचारात घेऊन शासनाने वेळोवेळी या महसुली क्षेत्रांची पुनर्रचना/विभागणी करून नवीन महसुली क्षेत्र निर्माण केलेली आहेत. राज्यात सध्या ६ महसुली विभाग, ३६ जिल्हे, १८३ महसुली उपविभाग आणि ३५८ तालुके आहेत.

**३.** राज्यातील महसुली गावांच्या गावठाणांच्या हद्दीबाहेरील किमान ३०० किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वाड्या/तांडे/वस्त्या यांना स्वतंत्र महसुली गावांचा दर्जा अनुज्ञेय आहे. हे काम विनाविलंब व्हावे म्हणून या संदर्भातील शासनाचे अधिकार शासन अधिसूचना क्र. टिएलसी/१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये सर्व जिल्हाधिका-यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तसेच लगतच्या महसुली गावांच्या हद्दीत बदल करण्याचे अधिकार संबंधित महसुली विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

**४.** जिल्ह्यातील तालुका अंतर्गत तलाठी साझे आणि महसूल मंडळे यांच्या हद्दी बदलण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिका-यांना आहेत. तथापि, नवीन तलाठी साझे आणि महसूल मंडळ निर्माण करण्याचे अधिकार फक्त राज्य शासनास आहेत.

## (९) महाराजस्व अभियान

सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी व शेतमजूर यांचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाज व विविध प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांशी नियमित संबंध येतो. शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतीमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने राज्यात गेल्या ४ वर्षात सुवर्णजयंती राजस्व अभियान यशस्वीरित्या राबविण्यात आला आहे. सदर अभियानात काही लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांचा समावेश करून महाराजस्व अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराजस्व अभियान अंतर्गत १२ लोकाभिमुख व १२ प्रशासकीय अशा एकूण २४ घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर अभियान दिनांक १ ऑगस्ट, २०१५ पासून राबविण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.

## (१०) ग्रामदान चळवळ

आचार्य विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळ ही प्रथमतः १९५१ मध्ये सुरू केली. भूदानात मिळालेली जमीन भूमीहीनांना वाटून संपूर्ण गावाची सर्व प्रकारची शक्ती एकवटून ग्रामविकासाच्या कार्याला लागावे या उदात्त हेतूने भूदानाचे पुढचे पाऊल ग्रामदान मोहिमेच्या रुपाने सन १९६० पासून सुरू झाले. या ग्रामदान चळवळीच्या अनुषंगाने काही जिल्ह्यात जवळ-जवळ ५००० गावांनी ग्रामदानाचा संकल्प जाहीर केला होता. ग्रामदान चळवळीस कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९६६ साली महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, १९६४ हा कायदा पारीत केला व तो दिनांक १५-८-१९६६ पासून अंमलात आला. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुढील १९ गावे सन १९६७ ते सन १९७८ या कालावधीत ग्रामदान गावे म्हणून जाहीर करण्यात आली :-

**जिल्हा ठाणे :-**(१) चरी, (२) अंदाड, (३) जामसर, (४) वाकी, (५) नागझरी, (६) माण, (७) मेंडवन, (८) काजळी, (९) वरवडवाडा. **जिल्हा रायगड :-**(१०) गागोद (बु.), **जिल्हा कोल्हापूर :-**(११) वर्की, **जिल्हा अकोला :-**(१२) तुळजापूर, (१३) केळीवेळी, (१४) सराव, (१५) आळंदा, **जिल्हा भंडारा :-**(१६) कुलरभट्टी, (१७) नवेझरी, (१८) कुलपा, (१९) पांगरा.

गावातील ७५ टक्के लोकांनी ज्यांची जमीन गावातील एकूण जमिनीच्या ६० टक्क्याहून कमी नाही. मागणी केल्यानंतर ते गाव ग्रामदान गाव म्हणून जाहीर करता येते. अशाप्रकारे गावातील ७५ टक्के लोकांनी मागणी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी ग्रामसभा बोलवून ग्रामसभेतील निर्णयानुसार सदर गाव ग्रामदानी गाव म्हणून घोषित करतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये सहकारी संस्था म्हणून ग्राममंडळाची नोंदणी होते. पंचायत अधिनियमाद्वारे किंवा त्या-त्या वेळी राज्यात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये पंचायतीस संलग्न असलेल्या सर्व शक्ती, कर्तव्ये व कृत्ये ग्राममंडळ पार पाडते. ग्राम समितीत गावातील प्रत्येक कुटुंबातील एक प्रतिनिधी तसेच गावात न राहणा-या परंतु जमिनीचे दान करणा-या कुटुंबातील एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. ग्रामदानी गावातील जमिनीचे व्यवस्थापन ग्राममंडळामार्फत करण्यात येते. दान केलेली जमीन शेतकरी ग्रामदान किसान म्हणून धारण करू शकतो. ग्राममंडळाने सदस्यास ग्राममंडळ कर्ज मंजूर करून शकते. ग्रामदानी गावात शेतीच्या विकासाबरोबरच पशुधन व गृहउद्योग याबाबतही योजना आहेत. जेणेकरून शेतामध्ये काम नसेल तेव्हा उपजिवेकीची काळजी घेतली जाते. ग्राममंडळ त्या गावासाठी इतर समाजोपयोगी कामे देखील करते. उदा. गावामध्ये औद्योगिक विकासाला चालना देणे, बेकारी नष्ट करणे, स्वयंसहायता गट निर्मितीतून महिलांचा नेतृत्व व विकास व स्वाभिमानी जीवनामध्ये वाटचाल, कुपोषण रोखणे इत्यादी.

महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, १९६४ च्या कलम २२ नुसार वरील कार्य पार पाडण्यासाठी व गावातील ग्राममंडळाना मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य स्तरावर अध्यक्ष व सचिव यांच्यासह ९ सदस्य असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाची चार वर्षाच्या कालावधीसाठी स्थापना करण्यात येते. त्यानुसार दिनांक ५-९-२००८ च्या अधिसूचनान्वये निवृत्त न्यायमुर्ती श्री. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार वर्षाच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. तद्नंतर शासन राजपत्रातील अधिसूचना क्र. जीडीएन ०८/२०१२/प्र.क्र. २९/ज-१, दिनांक १७-११-२०१२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये श्री. आबा कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार वर्षाच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. सद्यःस्थितीत, शासन राजपत्रातील अधिसूचना क्र. ग्रामदान-२०१९/प्र.क्र. ६३/ज१अ, दिनांक ९-८-२०१९ अन्वये श्री. जयवंत गंगाराम मढकर जिल्हा पुणे, यांच्या अध्यक्षतेखाली चार वर्षाच्या कालावधीसाठी ग्रामदान मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

(६)

ग्रामदान कायद्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळास शासनाकडून अनुदान देण्याची तरतूद नाही. तथापि, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाच्या विनंतीनुसार पुरवणी मागणीद्वारे वेळोवेळी महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळास शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. त्यानुसार मागील तीन वर्षात महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाला सहायक अनुदान या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी व प्रत्यक्षात वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला व वितरीत करण्यात आलेल्या निधीची माहीती पुढील तक्त्यात नमूद करण्यात आली आहे.

| अ. क्र. | आर्थिक वर्ष | अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला निधी (रुपये लाखात) | प्रत्यक्ष वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी व वितरीत करण्यात आलेला निधी (रुपये लाखात) |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| १ | २००९-२०१० | ५.०० | ५.०० |
| २ | २०१०-२०११ | ५.०० | ५.०० |
| ३ | २०११-२०१२ | ५.०० | १०.०० |
| ४ | २०१२-२०१३ | ५.०० | ५.०० |
| ५ | २०१३-२०१४ | ५.०० | ४.५ |
| ६ | २०१४-२०१५ | ५.०० | सुमारे ४.५ |
| ७ | २०१५-२०१६ | ५.०० | सुमारे ४.५ |
| ८ | २०१६-२०१७ | ५.०० | ४.५ |
| ९ | २०१७-२०१८ | ५.०० | ४.०० |
| १० | २०१८-२०१९ | ६.०० | ४.१७ |
| ११ | २०१९-२०२० | ६.०० | ३.६० |
| १२ | २०२०-२०२१ | १०.०० | २.०० |

## महसूल विभागाचा रचनात्मक तक्ता
## ORGANISATIONAL CHART OF REVENUE DEPARTMENT
### महसूल व वन विभाग
### Revenue and Forests Department
(महसूल प्रशासन)
(Revenue Administration)

| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | | आयुक्त, कोकण Commis-sioner, Konkan (2) | आयुक्त, नाशिक Commis-sioner, Nashik (3) | आयुक्त, पुणे Commis-sioner, Pune (4) | आयुक्त, नागपूर Commis-sioner, Nagpur (5) | आयुक्त, अमरावती Commis-sioner, Amravati (6) | आयुक्त, औरंगाबाद Commis-sioner, Aurangabad (7) | एकूण Total (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिल्हाधिकारी Collector . . . . . . | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 36 |
| 2 | अप्पर जिल्हाधिकारी Addl. Collector . . . . . . | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 39 |
| 3 | सहाय्यक जिल्हाधिकारी १ Asst. Collector . . . . . . | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | उप जिल्हाधिकारी Dy. Collector . . . . . . | 38 | 32 | 41 | 24 | 0 | 63 | 198 |
| 5 | उप-विभागीय अधिकारी S. D. O. . . . . . . | 25 | 24 | 32 | 37 | 27 | 0 | 145 |
| 6 | तहसीलदार Tahsildar . . . . . . | 95 | 88 | 116 | 72 | 56 | 98 | 525 |
| 7 | अपर तहसिलदार Addl. Tahsildar . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | मंडळ अधिकारी Circle Officer . . . . . . | 266 | 368 | 492 | 292 | 406 | 435 | 2259 |
| 9 | तलाठी Talathi . . . . . . | 1450 | 2130 | 2569 | 1664 | 2333 | 2527 | 12,673 |
| | Total (एकूण) . . | 1891 | 2657 | 3260 | 2105 | 2832 | 3140 | 15885 |

## महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागाचा प्रशासकीय रचनेचा तक्ता
## Administrative Organisation Chart of Revenue Department, Government of Maharashtra

| | | आयुक्त, कोंकण विभाग, नवी मुंबई Commissioner, Konkan Dn., New Mumbai | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | क्षेत्र Area (2) | मुंबई शहर Mumbai City (3) | मुंबई उपनगर Mumbai Suburban (4) | ठाणे Thane (5) | पालघर Palghar (6) | रायगड Raigad (7) | रत्नागिरी Ratnagiri (8) | सिंधुदुर्ग Sindhudurg (9) | एकूण Total (10) |
| 1 | उप-विभाग Sub-Division . . . . | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | | 27 |
| 2 | तहसील Tahsil . . . . | 3 | 8 | 8 | 15 | 9 | 8 | | 51 |
| 3 | महसुली मंडळ Revenue Circle . . . . | 9 | 33 | 29 | 82 | 83 | 57 | | 293 |
| 4 | साझे Sazas . . . . | 41 | 186 | 183 | 491 | 497 | 335 | | 1733 |
| 5 | गावे Villages . . . . | 87 | 1001 | 1008 | 2010 | 1538 | 757 | | 6401 |

**तक्ता**–चालू

TABLE—*contd.*

| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | क्षेत्र Area (2) | आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक / Commissioner, Nashik Dn., Nashik | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नाशिक Nashik (3) | धुळे Dhule (4) | नंदुरबार Nandurbar (5) | जळगाव Jalgaon (6) | अहमदनगर Ahmednagar (7) | एकूण Total (8) |
| 1 | उप-विभाग Sub-Division .. .. .. .. | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 28 |
| 2 | तहसील Tahsil .. .. .. .. | 15 | 7 | 6 | 15 | 14 | 57 |
| 3 | महसुली मंडळ Revenue Circle .. .. .. .. | 121 | 39 | 36 | 86 | 97 | 379 |
| 4 | साझे Sazas .. .. .. .. | 707 | 225 | 222 | 501 | 583 | 2238 |
| 5 | गावे Villages .. .. .. .. | 1961 | 676 | 952 | 1502 | 1603 | 6694 |

| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | क्षेत्र Area (2) | आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे / Commissioner, Pune Dn., Pune | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुणे Pune (3) | सोलापूर Solapur (4) | सातारा Satara (5) | सांगली Sangli (6) | कोल्हापूर Kolhapur (7) | एकूण Total (8) |
| 1 | उप-विभाग Sub-Division .. .. .. .. | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 32 |
| 2 | तहसील Tahsil .. .. .. .. | 15 | 12 | 11 | 13 | 13 | 64 |
| 3 | महसुली मंडळ Revenue Circle .. .. .. .. | 155 | 110 | 103 | 69 | 81 | 518 |
| 4 | साझे Sazas .. .. .. .. | 919 | 646 | 623 | 406 | 494 | 3088 |
| 5 | गावे Villages .. .. .. .. | 1911 | 1139 | 1715 | 729 | 1234 | 6728 |

**तक्ता**–चालू
TABLE—*contd.*

| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | क्षेत्र Area (2) | नागपूर Nagpur (3) | वर्धा Wardha (4) | चंद्रपूर Chandrapur (5) | गडचिरोली Gadchiroli (6) | भंडारा Bhandara (7) | गोंदिया Gondia (8) | एकूण Total (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर Commissioner, Nagpur Dn., Nagpur | | | | | | |
| 1 | उप-विभाग Sub-Division . . . . . . | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 31 |
| 2 | तहसील Tahsil . . . . . . | 14 | 8 | 15 | 12 | 7 | 8 | 64 |
| 3 | अपर तहसील Addl.Tahsil . . . . . . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | महसुली मंडळ Revenue Circle . . . . . . | 86 | 56 | 50 | 40 | 40 | 41 | 313 |
| 5 | साझे Sazas . . . . . . | 520 | 327 | 299 | 233 | 234 | 252 | 1865 |
| 6 | गावे Villages . . . . . . | 1956 | 1387 | 1836 | 1688 | 898 | 955 | 8720 |

| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | क्षेत्र Area (2) | अमरावती Amravati (3) | अकोला Akola (4) | वाशिम Washim (5) | यवतमाळ Yeotmal (6) | बुलढाणा Buldana (7) | एकूण Total (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती Commissioner, Amravati Dn., Amravati | | | | | |
| 1 | उप-विभाग Sub-Division . . . . . . . . | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 27 |
| 2 | तहसील Tahsil . . . . . . . . | 14 | 7 | 6 | 16 | 13 | 56 |
| 3 | महसुली मंडळ Revenue Circle . . . . . . . . | 95 | 52 | 46 | 101 | 90 | 380 |
| 4 | साझे Sazas . . . . . . . . | 558 | 318 | 280 | 628 | 525 | 2319 |
| 5 | गावे Villages . . . . . . . . | 1985 | 1012 | 793 | 2135 | 1419 | 7345 |

**तक्ता**—चालू

TABLE—*contd.*

| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | क्षेत्र Area (2) | आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद Commissioner, Aurangabad Dn., Aurangabad | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | औरंगाबाद Aurangabad (3) | बीड Beed (4) | नांदेड Nanded (5) | उस्मानाबाद Osmanabad (6) | परभणी Parbhani (7) | हिंगोली Hingoli (8) | जालना Jalna (9) | लातूर Latur (10) | एकूण Total (11) |
| 1 | उप-विभाग Sub-Division . . | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 |
| 2 | तहसील Tahsil . . | 10 | 11 | 16 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 77 |
| 3 | महसुली मंडळ Revenue Circle | 84 | 86 | 93 | 57 | 39 | 30 | 49 | 60 | 498 |
| 4 | साझे Sazas . . | 500 | 509 | 541 | 335 | 237 | 174 | 297 | 356 | 2949 |
| 5 | गावे Villages . . | 1355 | 1402 | 1575 | 738 | 848 | 707 | 971 | 951 | 8547 |

# प्रपत्र 'अ'

# STATEMENT 'A'

प्रपत्र ‘ अ ’

**STATEMENT ‘A’**

**महसूल व वन विभाग**

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT

**कार्यक्रम- अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२**

**Programme—Total Budget Estimates, 2021-2022**

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousands)

| अनुक्रमांक<br>Serial No. | कार्यक्रमाचे नाव<br>Name of Programme | | प्रत्यक्ष खर्च, २०१९-२०२०<br>Actual Expenditure, 2019-2020 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२०-२०२१<br>Budget Estimates, 2020-2021 | सुधारित अंदाज, २०२०-२०२१<br>Revised Estimates, 2020-2021 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२<br>Budget Estimates, 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| विभागीय आयुक्त<br>1 Divisional Commissioner | एकूण स्थूल/निव्वळ<br>. . | (भारीत)<br>(Charged) | . . | 15 | 15 | 15 |
| (2053) | Total Gross/Net | (दत्तमत)<br>(Voted) | 467545 | 531000 | 483255 | 565336 |
| जिल्हाधिकारी<br>2 Collector | एकूण स्थूल<br>Total Gross | (भारीत)<br>(Charged) | . . | 300 | 300 | 300 |
| (2053) | | (दत्तमत)<br>(Voted) | 3079166 | 4168037 | 3304464 | 4432601 |
| नैसर्गिक आपत्ती<br>3 Natural Calamities | | (भारीत)<br>(Charged) | . . | 4 | 4 | 4 |
| (2245) | एकूण स्थूल/निव्वळ | (दत्तमत)<br>(Voted) | 109584757 | 64483834 | 83338271 | 66865041 |
| | Total Gross | | . . | | . . | . . |

**प्रपत्र ' अ '**—पुढे चालू

STATEMENT 'A'—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| महसूल व वन विभाग (मंत्रालय विभाग) | (भारीत) | | | | |
| 4 Revenue and Forest Department (Mantralaya Proper) (2052) | (Charged) | . . | 2001 | 1001 | 2001 |
| | एकूण स्थूल/निव्वळ (दत्तमत) | | | | |
| | Total Gross/Net (Voted) | 438361 | 657675 | 477534 | 681937 |

## १. विभागीय आयुक्त

**(एक) प्रास्ताविक :**

महसूल प्रशासनाच्या संदर्भात शासनातर्फे नियंत्रक म्हणून विभागीय आयुक्त हे सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी आहेत. विभागीय आयुक्तांची विकास कार्याबाबतची कामे लक्षात घेऊन १९८१ साली (१) अमरावती व (२) नाशिक हे विभाग नव्याने निर्माण करण्यात आले. राज्य शासनातर्फे हाताळण्यात येणा-या जवळजवळ सर्व कार्यालयाचे ते समन्वय अधिकारी असून त्यांना अतिरिक्त आयुक्त, उप-आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त इत्यादी सहकार्य करतात.

विभागीय सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी म्हणून ते जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा इत्यादिंना निर्देशन करतात. इतर विभागीय अधिका-यांची कामे सुरळीतपणे होण्याच्या दृष्टीने समन्वयाचे कार्य देखील त्यांना करावे लागते. विभागीय आयुक्तांची काही महत्वाची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :—

(१) विभागीय व जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांना निर्देशन करणे, त्यांना नेतृत्व उपलब्ध करून देणे,

(२) जिल्हा कार्यालये, उप-विभागीय कार्यालये, तहसील कार्यालये, इ. ची तपासणी,

(३) जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर परिषदा इ. तपासणी,

(४) जिल्हाधिका-यांनी निर्णित केलेल्या प्रकरणाबाबत अपील प्राधिकरणे,

(५) विभागीय परिवहन प्राधिकरण,

(६) नगरपालिका प्रशासनाचे विभागीय संचालक,

(७) भू-संपादन अधिनियमाखाली निवाडा.

(८) राष्ट्रीयकृत बँकांची मार्गदर्शन समिती.

(९) विभागीय विकास महामंडळ,

(१०) विभागीय महानगर विकास मंडळ,

(११) अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम,

(१२) लघु कृषक विकास एजन्सी,

(१३) विभागीय गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

(१४) महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण,

(१५) जनजाती क्षेत्रविकास महामंडळ,

(१६) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,

(१७) जिल्हा नियोजन व विकास परिषद,

(१८) खरीप व रब्बी मोहीम,

(१९) उच्च पदस्थांच्या व अति उच्च पदस्थांच्या भेटी,

(२०) उप-जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी व तहसीलदार इत्यादींची निवड.

(दोन) वित्तीय आवश्यकता : तक्ता–१ (रुपये हजारात)

**(II) Financial Requirements :** **TABLE-1** (Rs. in thousands)

| | | प्रत्यक्ष खर्च, २०१९-२०२० Actual Expenditure, 2019-2020 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२०-२०२१ Budget Estimates, 2020-2021 | सुधारित अंदाज, २०२०-२०२१ Revised Estimates, 2020-2021 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२ Budget Estimates, 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **(अ) कार्यभार वर्गीकरण—** | | | | | |
| *(A) Activitywise Classification—* | | | | | |
| आयुक्त | | | | | |
| (1) Commissioners— | | | | | |
| | (भारीत) (Charged) | . . | 15 | 15 | 15 |
| एकूण स्थूल-निव्वळ Total Gross-Net | (दत्तमत) (Voted) | 467545 | 531000 | 483255 | 565336 |
| **(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण—** | | | | | |
| *(B) Objectwise Classification—* | | | | | |
| आयुक्त, कोंकण विभाग– | | | | | |
| (1) Commissioner, Konkan Division | | | | | |
| वेतन Salaries (20530378) | (भारीत) (Charged) | . . | 3 | 3 | 3 |
| (20530387) | (दत्तमत) (Voted) | 72362 | 92124 | 92124 | 96270 |
| वेतनेतर बाबी Non-Salary Items | (दत्तमत) (Voted) | 12683 | 9195 | 4584 | 15737 |
| | (भारीत) (Charged) | . . | 3 | 3 | 3 |
| एकूण स्थूल/निव्वळ Total—(1) Gross-Net | (दत्तमत) (Voted) | 85045 | 101319 | 96708 | 112007 |

(२) आयुक्त, पुणे विभाग—

(2) Commissioner, Pune Division---

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन (20530411) | (भारीत) (Charged) | . . | 4 | 4 | 4 |
| Salaries (20530422) | (दत्तमत) (Voted) | 78543 | 85653 | 85653 | 91649 |
| वेतनेतर बाबी Non-Salary Items | (दत्तमत) (Voted) | 5866 | 10112 | 5479 | 10128 |
| एकूण (२) स्थूल निव्वळ Total—(2) Gross-Net | (भारीत) (Charged) | . . | 4 | 4 | 4 |
| | (दत्तमत) (Voted) | 84409 | 95765 | 91132 | 101777 |

(३) आयुक्त, नाशिक विभाग–

(3) Commissioner, Nashik Division

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन (20530396) | (भारीत) (Charged) | . . | 2 | 2 | 2 |
| Salaries (20530402) | (दत्तमत) (Voted) | 74183 | 85000 | 85000 | 90950 |
| वेतनेतर बाबी Non-Salary Items | (दत्तमत) (Voted) | 3087 | 4147 | 2076 | 4662 |
| एकूण (३) स्थूल निव्वळ Total—(3) Gross-Net | (भारीत) (Charged) | . . | 2 | 2 | 2 |
| | (दत्तमत) (Voted) | 77270 | 89147 | 87076 | 95612 |

(४) आयुक्त, अमरावती विभाग–

(4) Commissioner, Amravati Division

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन (20530431) | (भारीत) (Charged) | . . | 2 | 2 | 2 |
| Salaries (20530449) | (दत्तमत) (Voted) | 61347 | 72483 | 62483 | 77557 |
| वेतनेतर बाबी Non-Salary Items | (दत्तमत) (Voted) | 11645 | 9445 | 7641 | 11709 |
| एकूण (४) स्थूल निव्वळ Total—(4) Gross-Net | (भारीत) (Charged) | . . | 2 | 2 | 2 |
| (दत्तमत) | (Voted) | 72992 | 81928 | 70124 | 89266 |

**तक्ता-१**—चालू

**TABLE-1**---*Contd.*

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousands)

| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| (५) आयुक्त, नागपूर विभाग— | | | | | |
| (5) Commissioner, Nagpur Division— | | | | | |
| वेतन (20530458) | (भारीत) | | | | |
| | (Charged) | . . | 2 | 2 | 2 |
| | (दत्तमत) | | | | |
| Salaries (20530467) | (Voted) | 65492 | 68739 | 61865 | 69936 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत) | | | | |
| Non-Salary Items | (Voted) | 5151 | 7043 | 3628 | 7052 |
| एकूण (५) स्थूल निव्वळ | (भारीत) | | | | |
| Total—(5) Gross-Net | (Charged) | . . | 2 | 2 | 2 |
| | (दत्तमत) | | | | |
| | (Voted) | 70643 | 75782 | 65493 | 76988 |
| (६) आयुक्त, औरंगाबाद विभाग– | | | | | |
| (6) Commissioner, Aurangabad Division— | | | | | |
| वेतन (20530476) | (भारीत) | | | | |
| | (Charged) | . . | 2 | 2 | 2 |
| | (दत्तमत) | | | | |
| Salaries (20530485) | (Voted) | 69079 | 77675 | 67675 | 79746 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत) | | | | |
| Non-Salary Items | (Voted) | 7772 | 9384 | 5047 | 9940 |
| एकूण (६) स्थूल निव्वळ | (भारीत) | | | | |
| Total—(6) Gross-Net | (Charged) | . . | 2 | 2 | 2 |
| | (दत्तमत) | | | | |
| | (Voted) | 76851 | 87059 | 72722 | 89686 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (७) आयुक्त, औरंगाबाद विभाग—<br>महाराष्ट्र आपत्कालीन भूकंप पुनर्वसन प्रकल्प<br>(7) Commissioner, Aurangabad<br>Maharashtra Disaster Earthquake<br>Rehabilitation Project | | | | | |
| (20531187) | (भारीत)<br>(Charged) | . . | . . | . . | . . |
| वेतन<br>Salaries | (दत्तमत)<br>(Voted) | 285 | . . | . . | . . |
| Non-Salary Items | (Voted) | 50 | . . | . . | . . |
| एकूण (८) स्थूल-निव्वळ | (भारीत)<br>(Charged) | . . | . . | . . | . . |
| Total (8) Gross-Net | (दत्तमत)<br>(Voted) | 335 | . . | . . | . . |
| (८) आयुक्त, औरंगाबाद विभाग—<br>(10) Commissioner, Aurangabad | | | | | |
| योजनांतर्गत (Plan) | | . . | . . | . . | . . |
| वेतन Salaries | | . . | . . | . . | . . |
| वेतनेतर बाबी Non-Salary Items | | . . | . . | . . | . . |
| एकूण (१०) स्थूल-निव्वळ<br>Total—(10) Gross-Net | | | | | |
| एकूण (ब) स्थूल निव्वळ<br>Total—(B) Gross-Net | (भारीत)<br>(Charged) | . . | 15 | 15 | 15 |
| | (दत्तमत)<br>(Voted) | 467545 | 531000 | 483255 | 565336 |
| (क) वित्त व्यवस्थेची साधने—<br>(C) Sources of Finance—<br>सी-७ (२०५३)- १०१-आयुक्त<br>C-7 (2053)—101 Commissioner | | | | | |
| एकूण (क) स्थूल निव्वळ<br>Total—(B) Gross-Net | (भारीत)<br>(Charged) | . . | 15 | 15 | 15 |
| | (दत्तमत)<br>(Voted) | 467545 | 531000 | 483255 | 565336 |

## (तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतेचे स्पष्टीकरण

आपल्या नियंत्रणाखालील अधिकारी, अधिनियमान्वये व शासनाच्या विविध आदेशान्वये सर्वसाधारण कामे व्यवस्थितरित्या पार पाडतात किंवा कसे याची खात्री करून घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना तपासणी कार्य करावे लागते. ह्या तपासणी कार्याचे उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे आहे :–

(१) दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये सर्व जिल्हाधिका-यांची कार्यालये, (२) एका वर्षात विभागातील सर्व जिल्हा परिषदा, (३) एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये दोन उपविभागीय कार्यालये व दोन तहसील कार्यालये, (४) सर्व पंचायत समित्या पाच वर्षांच्या कालावधीत, (५) एका वर्षात सोळा नगर परिषदा, (६) एका वर्षाच्या कालावधीत विभागातील सहा विभागीय कार्यालये.

खालील तक्ता २०२०-२०२१, २०२१-२०२२ या वर्षातील तपासणी व २०२२ ते २०२३ या वर्षातील संभाव्य तपासणी दर्शवितो.

**तक्ता-२**

**TABLE-II**

| अनुक्रमांक<br>Serial No.<br>(1) | विभाग<br>Division<br>(2) | | वर्ष<br>year<br>(3) | उद्दिष्टानुसार करावयाची तपासणी<br>No. of Inspections as per Norms<br>(4) | तपासलेली कार्यालये | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | जिल्हाधिकारी कार्यालये<br>Collector Offices<br>(5) | उप-विभागीय कार्यालये<br>S. D. O.<br>(6) | तहसील<br>Tahsil<br>(7) | जिल्हा परिषद<br>Z. P.<br>(8) | पंचायत समिती<br>P. S.<br>(9) | नगर परिषद<br>Municipal Council<br>(10) | विभागीय कार्यालये<br>Regional Offices<br>(11) | एकूण<br>Total<br>(12) |
| | कोंकण विभाग | | | | | | | | | | | |
| 1 | Konkan Division | . . | 2019-2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| | | | 2020-2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| | | | 2021-2022 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| | नाशिक विभाग | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nashik Division | . . | 2019-2020 | 33 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 0 | 27 |
| | | | 2020-2021 | 33 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 23 |
| | | | 2021-2022 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | पुणे विभाग | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pune Division | . . | 2019-2020 | 32 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 11 | 0 | 35 |
| | | | 2020-2021 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 0 | 37 |
| | | | 2021-2022 | 32 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 0 | 38 |
| | नागपूर विभाग | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nagpur Division | . . | 2019-2020 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 |
| | | | 2020-2021 | 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 3 | 33 |
| | | | 2021-2022 | 71 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 3 | 27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अमरावती विभाग | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Amravati Division | . . | 2019-2020 | 41 | 02 | 01 | 02 | 5 | 9 | 10 | 0 | 29 |
| | | | 2020-2021 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद विभाग | | | | | | | | | | | |
| 6 | Aurangabad Division | . . | 2019-2020 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 0 | 37 |
| | | | 2020-2021 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 14 | 0 | 38 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

खाली निर्देश केलेल्या अधिनियमाखाली व नियमावलीखाली येणारी प्रकरणे/अपीले व रिवीजन अपीले, इत्यादींची सुनावणी व निर्णय करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत :–
(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, (२) महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल जमीन धारणा) अधिनियम, १९६१, (३) महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७, (४) अत्यावश्यक वस्तूंच्या अधिनियमाखाली विविध आदेश, (५) मुंबई विशेष हक्क रजा व प्रतिज्ञेवर सोडणे अधिनियम, १९५९, (६) भू-संपादन अधिनियम, १९५९, (७) महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्तभंगाची कारवाई, नियम आणि इतर अनेक अधिनियम ही वरील कामे अर्ध न्यायीक स्वरुपाची असल्याने या कामाचे स्पष्ट असे उद्दिष्ट ठरवून दिलेले नाही. खालील तक्ता आयुक्तांनी याबाबत केलेले काम दर्शवितो.––

**तक्ता-३**

**TABLE-III**

| अनु-क्रमांक Serial No. | विभाग Division | वर्ष Year | वर्षाच्या सुरुवातीस प्रलंबीत असलेली प्रकरणे No. of cases pending at begining of the year | वर्षात आलेली प्रकरणे No.of cases received during the year | एकूण प्रकरणे Total No. of cases | वर्षात निकाली काढलेली प्रकरणे No. of cases disposed off during the year | शिल्लक प्रकरणे Balance cases | वर्ष अखेरीस शिल्लक राहिलेली प्रकरणे No. of cases pending at the end of the Year | | | | स्थगिती आदेशामुळे प्रलंबीत असलेली प्रकरणे No. of cases pending due to stay order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | एक वर्षापर्यंत Up to 1 year | एक वर्षां-पेक्षा जास्त Over 1 year | दोन वर्षां-पेक्षा जास्त Over 2 years | तीन वर्षां-पेक्षा जास्त Over 3 years | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | कोंकण विभाग Konkan Division . . . . | 2019-2020 . . | 1156 | 800 | 1956 | 1267 | 689 | 589 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 . . | 689 | 495 | 1184 | 407 | 700 | 408 | 355 | 11 | 3 | 0 |
| | | 2021-2022 . . | 777 | 1100 | 1877 | 750 | 1127 | 550 | 350 | 227 | 0 | 0 |
| 2 | नाशिक विभाग Nashik Division . . . . | 2019-2020 . . | 369 | 722 | 1091 | 334 | 757 | 396 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 . . | 757 | 253 | 1010 | 98 | 912 | 858 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 . . | 912 | 748 | 1660 | 480 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | पुणे विभाग Pune Division . . . . | 2019-2020 . . | 16012 | 16754 | 92766 | 16899 | 15873 | 13388 | 2485 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 . . | 15823 | 11852 | 27725 | 11857 | 15868 | 11698 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 . . | 15868 | 8405 | 24273 | 10763 | 13510 | 11541 | 1240 | 729 | 0 | 0 |
| 4 | अमरावती विभाग Amravati Division. . . . | 2019-2020 . . | 3707 | 1800 | 5507 | 865 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 . . | 4642 | 1512 | 6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | नागपूर विभाग Nagpur Division . . . . | 2019-2020 . . | 1645 | 1245 | 2890 | 783 | 2107 | 833 | 762 | 469 | 48 | 0 |
| | | 2020-2021 . . | 2107 | 1436 | 3543 | 752 | 2791 | 1254 | 919 | 534 | 80 | 0 |
| | | 2021-2022 . . | 2819 | 1368 | 4457 | 807 | 3650 | 1449 | 1410 | 713 | 75 | |
| 6 | औरंगाबाद विभाग Aurangabad Division. . . . | 2019-2020 . . | 2150 | 1660 | 3810 | 1345 | 2465 | 545 | 773 | 720 | 427 | 0 |
| | | 2020-2021 . . | 2255 | 1357 | 3612 | 1452 | 2164 | 635 | 429 | 857 | 243 | 0 |
| | | 2021-2022 . . | 618 | 518 | 1136 | 390 | 746 | 355 | 231 | 79 | 81 | 0 |
| | एकूण . . | 2019-2020 . . | 25039 | 22981 | 48020 | 21487 | 26533 | 15751 | 4481 | 1189 | 475 | 0 |
| | | 2020-2021 . . | 24680 | 16905 | 43228 | 14566 | 22435 | 14803 | 5977 | 1402 | 326 | 0 |
| | | 2021-2022 . . | 20994 | 12139 | 33403 | 13190 | 20213 | 13895 | 3231 | 1748 | 156 | 0 |

(चार)

(iv) Personnel Summary

**तक्ता क्रमांक-४**

**कर्मचारी विषयक गोषवारा**

| अ.क्र. | पदनाम | वेतनस्तर | एकूण पदे | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आयुक्त कोकण | | आयुक्त नाशिक | | आयुक्त पुणे | | आयुक्त अमरावती | | आयुक्त नागपूर | | आयुक्त औरंगाबाद | | एकूण | |
| | | | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ |
| (१) | (२) | (३) | (४) | | (५) | | (६) | | (७) | | (८) | | (९) | | (१०) | |
| | **राजपत्रित (वर्ग-१)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | विभागीय आयुक्त | संवर्ग पद | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ६ | ६ |
| २ | अप्पर आयुक्त | S-२७ (११८५००-२१४१००) | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | ७ | ७ |
| ३ | उप आयुक्त (नि.श्रे.) | S-२७ (११८५००-२१४१००) | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ |
| ४ | उप आयुक्त//प्रा.वि.धौ. अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी | S-२५ (७८८००-२०९२००) | ३ | ३ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | १३ | १३ |
| ५ | सहाय्यक आयुक्त/उप जिल्हाधिकारी | S-२५ (७८८००-२०९२००) | २ | २ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | १ | १ | ८ | ८ |
| ६ | उप जिल्हाधिकारी (नि.श्रे.) | S-२३ (६७७००-२०८७००) | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| ७ | सहाय्यक आयुक्त / विशेष कार्य अधिकारी प्रादेशिक उपसंचालक | S-२० (५६१००-१७७५००) | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| ८ | नगर रचनाकार | S-२० (५६१००-१७७५००) | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ३ | ३ |
| ९ | सहायक संचाकल लेखा/ सहाय्यक संचालक गट-अ (नपाप्र) | S-२० (५६१००-१७७५००) | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | १ | १ | ७ | ७ |
| १० | तहसिलदार/चिटणीस /मुख्य लिपिक/अधीक्षक | S-१९ (५५१००-१७५१००) | ३ | ३ | ३ | ३ | ४ | ४ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | १९ | १९ |
| ११ | स्वीय सहायक | S-१६ (४४९००-१४२४००) | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| १२ | प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी | S-२५ (७८८००-२०९२००) | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| | | एकूण | १४ | १४ | ९ | ९ | १४ | १४ | १० | १० | ११ | ११ | ११ | ११ | ६९ | ६९ |
| | **राजपत्रित (वर्ग-२)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | लेखाधिकारी/मुख्य लेखापाल | S-१६ (४४९००-१४२४००) | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ५ | ५ |
| २ | सहाय्यक चिटणीस/नायब तहसीलदार | S-१४ (३८६००-१२२८००) | ७ | ७ | ५ | ५ | ७ | ७ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ३४ | ३४ |
| ३ | स्वीय सहाय्यक | S-१६ (४४९००-१४२४००) | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २ | २ |
| ४ | रचना सहाय्यक/लेखाधिकारी सहाय्यक नगर रचनाकार | S-१५ (४१८००-१३२३००) | १ | १ | ० | ० | २ | २ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ६ | ६ |
| ५ | सहाय्यक लेखाधिकारी | S-१५ (४१८००-१३२३००) | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| | | एकूण | ९ | ९ | ७ | ७ | ११ | ११ | ६ | ६ | ७ | ७ | ८ | ८ | ४८ | ४८ |

**तक्ता क्रमांक-४—चालू**

| (१) | (२) | (३) | (४) | | (५) | | (६) | | (७) | | (८) | | (९) | | (१०) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अराजपत्रित (वर्ग-३)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | सहाय्यक लेखाधिकारी . . . . | S-१५ (४१८००-१३२३००) | १ | १ | ० | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ५ | ५ |
| २ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी)/निरीक्षक नपाप्र . . | S-१६ (४४९००-१४२४००) | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | १ | १ | ७ | ७ |
| ३ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) . . . . | S-१४ (३८६००-१२२८००) | ३ | ३ | २ | २ | ३ | ३ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | १४ | १४ |
| ४ | उप लेखापाल . . . . | S-१३ (३५४००-११२४००) | २ | २ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ७ | ७ |
| ५ | लघुलेखक निवडश्रेणी . . . . | S-१६ (४४९००-१४२४००) | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| ६ | मुख्यलेखापाल/उप संचालक लेखा . . | S-१९ (५५१००-१७५१००) | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ७ | प्रथमश्रेणी लिपिक/अव्वल कारकून/वरिष्ठ लिपिक/निरीक्षक म. न. पा. प्रशासक . . . . | S-१२ (३२०००-१०१६००) | २९ | २९ | २२ | २२ | २७ | २७ | २२ | २२ | २२ | २२ | ३३ | ३३ | १५५ | १५५ |
| ८ | लघुटंकलेखक . . . . | S-८ (२५५००-८११००) | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ३ | ३ |
| ९ | कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक . . . . | S-६ (१९९००-६३२००) | २१ | २१ | १९ | १९ | २५ | २५ | १९ | १९ | १९ | १९ | २३ | २३ | १२६ | १२६ |
| १० | स्वच्छता निरीक्षक भांडारपाल/अधीक्षक . . | S-८ (२५५००-८११००) | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| ११ | टेलिफोन ऑपरेटर/सहायक . . . . | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १२ | वाहन चालक . . . . | S-६ (१९९००-६३२००) | ४ | ४ | ४ | ४ | ७ | ७ | ४ | ४ | ४ | ४ | ५ | ५ | २८ | २८ |
| | | एकूण . . | ६२ | ६२ | ५० | ५० | ६७ | ६७ | ५० | ५० | ५१ | ५१ | ६७ | ६७ | ३४७ | ३४७ |
| | **अराजपत्रित (वर्ग-४)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | हवालदार/नायक/ दप्तरी/बस्ता/ . . . . | S-३ (१६६००-५२४००) | २ | २ | २० | २० | २५ | २५ | २ | २ | १९ | १९ | ४ | ४ | ७२ | ७२ |
| | वरदार/मुकादम/ . . . . | | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० |
| | लिफ्टमॅन . . . . | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | .० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २ | शिपाई/चौकीदार/ . . . . | S-१ (१५०००-४७६००) | २० | २० | ४ | ४ | १ | १ | २२ | २२ | ३ | ३ | २६ | २६ | ७६ | ७६ |
| | फरशि/कुली/झाडूवाला/स्वच्छक | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ० | ० | २ | २ |
| | | एकूण . . | २२ | २२ | २४ | २४ | २९ | २९ | २४ | २४ | २४ | २४ | ३० | ३० | १५३ | १५३ |
| | | राज्याची एकूण . . | १०७ | १०७ | ९० | ९० | १२१ | १२१ | ९० | ९० | ९३ | ९३ | ११६ | ११६ | ६१७ | ६१७ |

# २. जिल्हाधिकारी

**(एक) प्रास्ताविक :**

जिल्हाधिकारी हे महसूल विभागाचे जिल्हा पातळीवरील प्रमुख व बहुविध कार्यकारी समन्वय अधिकारी असतात. अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार इ. अधिकारी हे त्यांना कामात सहाय्य करतात.

उपविभागीय अधिकारी हे त्या विभागाचे मुख्य अधिकारी असतात व ते तहसीलदारांच्या मदतीने काम पाहतात. जिल्हाधिका-यांनी जमीन महसूल संहितेतील स्वतःकडे राखून ठेवलेल्या अधिकाराखेरीज जिल्हाधिका-यांच्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर उपविभागीय अधिकारी आपल्या विभागात करतात. ते जिल्हाधिका-यांच्या नियंत्रणाखाली व त्यांच्या निर्देशानुसार काम करतात.

राज्यात दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून पालघर हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात एकूण ३६ जिल्हे अस्तित्वात आहेत.

राज्यातील महसुली उपविभागाची पुनर्रचना दिनांक २६-०७-२०१३ च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १५-०८-२०१३ पासून २ तालुक्यांसाठी १ उपविभाग निर्माण करण्यात आला आहे. राज्यात सध्या १८३ उपविभाग आणि ३५८ तालुके आहेत.

राज्यात एकूण १२३२७ तलाठी साझे व २३६० महसुली मंडळे अस्तित्वात आहेत. प्रत्येक साझ्यांसाठी एक तलाठी नेमलेला असतो.

**महसूल कार्यालयाची पुनर्रचना**

राज्यात सन १९९९-२००० या वित्तीय वर्षात भूतपूर्व परभणी जिल्ह्याचे विभाजन करून हिंगोली आणि भूतपूर्व भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन करून गोंदिया हे दोन नवीन जिल्हे दिनांक १ मे, १९९९ पासून निर्माण करण्यात आले आहेत.

**२.** वेळोवेळी हाती घेण्यात आलेल्या महसूल कार्यालयाच्या पुनर्रचनेमुळे राज्यात सध्या महसूल विभाग ६, जिल्हे ३६, महसूल उपविभाग १८३, तालुके ३५८ आणि १२,३२७ तलाठी साझे व २,३६० महसूल मंडळे कार्यरत आहेत. तसेच महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक २५-५-२०१७ व दिनांक २४-७-२०१८ अन्वये राज्यात ३११० तलाठी साझे व ५१८ नवीन महसूल मंडळ निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

जिल्हाधिका-यांची काही महत्त्वाची कर्तव्ये खाली दिल्याप्रमाणे आहेत :—

**महसुली कर्तव्ये**

(१) जमीन महसूल आणि इतर शासकीय वसुली करणे.

(२) हक्क नोंदणी पत्रक ठेवणे.

(३) पिकांची पैसेवारी ठरविणे.

(४) शेतजमिनीचा बिगर शेतीकडे उपयोग करण्याची परवानगी देणे.

(५) टंचाई व टंचाईसदृश्य परिस्थितीत तसेच पूर, आग, भूकंप इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपत्तीग्रस्तांना मदत देणे.

(६) प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे.

(७) निरनिराळ्या जमीन सुधारणा अधिनियमांची अंमलबजावणी करणे.

(८) उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषदा इत्यादी कार्यालयांची तपासणी करणे.

(९) गुप्त धन अधिनियमाखालील प्रकरणे.

(१०) मुंबई तुकडे बंदी व तुकडे जोड अधिनियमाखालील प्रकरणे.

(११) किरकोळ खनिज पदार्थ काढण्याबाबतची प्रकरणे.

(१२) न्यायालयीन शुल्क नोंदणी अधिनियमाखालील प्रकरणे.

(१३) कर्जमुक्ती अधिनियमाखालील प्रकरणे.

(१४) महाराष्ट्र राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमाखालील प्रकरणे.

(१५) निर्वासितांच्या मालमत्तेची व्यवस्थाविषयक अधिनियमाखालील प्रकरणे.

(१६) मुंबई करमणूक कर कायदा, १९२३ खालील प्रकरणे.

(१७) महाराष्ट्र जाहिरात कर कायदा, १९६७ खालील प्रकरणे.

(१८) मुंबई जुगार कर कायदा, १९२५ खालील प्रकरणे (मुंबई आणि पुणे जिल्हाधिकारी फक्त).

(१९) बेघर ग्रामीण कुटुंबांना घरासाठी जागा देणे.

### खालील कायदे व अधिनियमानुसार दंडाधिका-यांची कर्तव्ये

(२०) भारतीय शस्त्र अधिनियम.

(२१) भारतीय विस्फोटक (द्रव्य) अधिनियम.

(२२) तुरुंग (मुंबई विशेष हक्क रजा आणि प्रतिज्ञेवर सोडणे) अधिनियम, १९५९.

(२३) फौजदारी कार्यप्रणाली संहिता.

(२४) वृत्तपत्रे आणि नोंदणी अधिनियम.

(२५) महाराष्ट्र चित्रपटगृह अधिनियम.

(२६) मुंबई पोलीस अधिनियम.

(२७) मुंबई अभ्यस्त अपराधी अधिनियम.

(२८) मुंबई नशाबंदी अधिनियम.

(२९) औषधी व प्रसाधने (अबकारी) अधिनियम.

### महसूल कामाव्यतिरिक्त कर्तव्ये

(३०) जनगणना.

(३१) कृषी गणना.

(३२) पशू गणना.

(३३) रोगराई निवारण.

(३४) किटकांचा बंदोबस्त.

(३५) लोकसभा/विधानसभा/विधानपरिषद, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर परिषदा, निर्दिष्ट सहकारी सोसायट्या यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका.

(३६) अल्पबचत.

(३७) कुटुंब कल्याण योजना.

(३८) अन्न व नागरी पुरवठा.

(३९) रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी.

(४०) संजय गांधी स्वावलंबन व निराधार योजना.

(४१) मोफत चित्रपटासाठी देण्यात येणारी परवानगी व मराठी चित्रपटासाठी पात्रता प्रमाणपत्र.

### समन्वय कर्तव्ये

(४२) उच्च पदस्थ आणि उच्च पदस्थांच्या भेटी.

(४३) जिल्हा नियोजन व विकास परिषद.

(४४) जिल्ह्यामधील औद्योगिकीकरणाचा वेग.

(४५) बँक सल्लागार समिती.

(४६) जिल्हा सैनिक मंडळ.

(४७) आदिवासी कल्याण.

(४८) नागरी हक्काचे संरक्षण.

## तक्ता-१

## Table-1

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

**(II) Financial Requirements :**

तक्ता-१

**TABLE-I**

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousands)

| (1) | | प्रत्यक्ष खर्च, २०१९-२०२० Actual Expenditure, 2019-2020 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२०-२०२१ Budget Estimates, 2020-2021 | सुधारित अंदाज, २०२०-२०२१ Revised Estimates, 2020-2021 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२ Budget Estimates, 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (अ)-कार्यवार वर्गीकरण– A—Activity Classification— | | | | | |
| जिल्हाधिकारी (2053) Collector | | | | | |
| एकूण–(अ) स्थूल Total—(A) Gross | (भारीत) (Charged) | . . | 3,00 | 300 | 300 |
| एकूण (२०५३) | (दत्तमत्त) (Voted) | 3079166 | 4168037 | 3304464 | 4432601 |
| (ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण– B—Objectwise Classification— | | | | | |
| (अ) (१) कोकण विभागातील जिल्हा कार्यालये– (a) (1) Collectorates in Konkan Division— | | | | | |
| वेतन (20530028) Salaries | (भारीत) (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| | (दत्तमत्त) (Voted) | 1016701 | 1450000 | 1127959 | 1551500 |
| वेतनेतर बाबी Non-salary items | (भारीत) (Charged) | . . | . . | . . | . . |
| | (दत्तमत्त) (Voted) | 64319 | 102083 | 56892 | 102834 |
| एकूण–(अ) स्थूल Total—(A) Gross | (भारीत) (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| एकूण–(१) Total—(1) | (दत्तमत्त) (Voted) | 1081020 | 1552083 | 1184851 | 1654334 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (२) पुणे विभागातील जिल्हा कार्यालये– | | | | | |
| (2) Collectorates in Pune Division— | | | | | |
| वेतन Salaries (2053 0064) | (भारित) (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| | (दत्तमत्त) (Voted) | 424244 | 540000 | 435489 | 577800 |
| वेतनेतर बाबी Non-Salary items | (दत्तमत्त) (Voted) | 33360 | 48966 | 26164 | 46891 |
| एकूण–(२) Total—(2) | (भारीत) (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| | (दत्तमत्त) (Voted) | 457604 | 588966 | 461653 | 624691 |
| (३) नाशिक विभागातील जिल्हा कार्यालये– | | | | | |
| (3) Collectorates in Nashik Division— | | | | | |
| वेतन Salaries (2053 0046) | (भारित) (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| | (दत्तमत्त) (Voted) | 301346 | 400000 | 340000 | 428000 |
| वेतनेतर बाबी Non-Salary items | (दत्तमत्त) (Voted) | 22185 | 44020 | 21195 | 38798 |
| एकूण–(३) | (भारीत) (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| Total—(3) | (दत्तमत्त) (Voted) | 323531 | 444020 | 361195 | 466798 |
| (४) अमरावती विभागातील जिल्हा कार्यालये– | | | | | |
| (4) Collectorates in Amravati Division— | | | | | |
| वेतन Salaries (2053 0082) | (भारित) (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| | (दत्तमत्त) (Voted) | 337200 | 484627 | 404627 | 518551 |
| वेतनेतर बाबी Non-Salary items | (दत्तमत्त) (Voted) | 31237 | 57451 | 26398 | 60027 |
| एकूण–(४) | (भारीत) (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| Total—(4) | (दत्तमत्त) (Voted) | 368437 | 542078 | 431025 | 578578 |

तक्ता १—चालू (रुपये हजारात)

**TABLE 1**—*Contd.* (Rs. in thousands)

| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| (५) नागपूर विभागातील जिल्हा कार्यालये– | | | | | |
| (5) Collectorates in Nagpur Division— | | | | | |
| वेतन | (भारित) | | | | |
| Salaries | (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| (2053 0108) | (दत्तमत्त) | | | | |
| | (Voted) | 317578 | 388268 | 334629 | 415447 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 31081 | 54573 | 25656 | 57047 |
| एकूण–(५) | (भारित) | | | | |
| | (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(5) | (Voted) | 348659 | 442841 | 360285 | 472494 |
| (६) औरंगाबाद विभागातील जिल्हा कार्यालये– | | | | | |
| (6) Collectorates in Aurangabad Division— | | | | | |
| वेतन | (भारित) | | | | |
| Salaries | (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| (2053 0126) | (दत्तमत्त) | | | | |
| | (Voted) | 454169 | 518467 | 466620 | 554760 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 45746 | 79582 | 38835 | 80946 |
| एकूण–(६) | (भारित) | | | | |
| | (Charged) | . . | 50 | 50 | 50 |
| | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(6) | (Voted) | 499915 | 598049 | 505455 | 635706 |

(ब) तगाई

(b) Tagai

(१) आयुक्त, कोंकण विभाग— (2029 0262)

(1) Commissioner, Konkan Division—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 9680 | 12000 | 9776 | 12840 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 300 | 593 | 286 | 609 |
| एकूण–(१) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(1) | (Voted) | 9980 | 12593 | 10062 | 13449 |

(२) आयुक्त, पुणे विभाग—(2029 0298)

(2) Commissioner, Pune Division—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 7616 | 9654 | 8567 | 10330 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | . . | 6 | 6 | 123 |
| एकूण–(२) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(2) | (Voted) | 7616 | 9660 | 8573 | 10453 |

(३) आयुक्त, नाशिक विभाग—(2029 0271)

(3) Commissioner, Nashik Division—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 17233 | 25000 | 23800 | 26750 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 487 | 677 | 335 | 716 |
| एकूण–(३) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(3) | (Voted) | 17720 | 25677 | 24135 | 27466 |

तक्ता १—चालू (रुपये हजारात)

**TABLE 1**—*Contd.* (Rs. in thousands)

| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| (४) आयुक्त, अमरावती विभाग—(2029 0304) | | | | | |
| (4) Commissioner, Amravati Division— | | | | | |
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 56733 | 63578 | 63578 | 68028 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 188 | 499 | 250 | 422 |
| एकूण–(४) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(4) | (Voted) | 56921 | 64077 | 63828 | 68450 |
| (५) आयुक्त, नागपूर विभाग—(2029 0313) | | | | | |
| (5) Commissioner, Nagpur Division— | | | | | |
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 20156 | 22652 | 20698 | 24238 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 174 | 452 | 230 | 482 |
| एकूण–(५) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(5) | (Voted) | 20330 | 23104 | 20928 | 24720 |
| (६) आयुक्त, औरंगाबाद विभाग—(2029 0322) | | | | | |
| (6) Commissioner, Aurangabad Division— | | | | | |
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | . . | . . | . . | . . |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | . . | . . | . . | . . |
| एकूण–(६) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(6) | (Voted) | . . | . . | . . | . . |

(क) करमणूक कर व जाहिरात कर— (वसुलीचा खर्च) (2045 0091)

(c) Entertainment Tax and Advertisement Tax (Collection Charges)

(१) आयुक्त, कोंकण विभाग—

(1) Commissioner, Konkan Division—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 49659 | 72937 | 72457 | 78043 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary Items | (Voted) | 596 | 2227 | 1085 | 2244 |
| एकूण–(१) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(1) | (Voted) | 50255 | 75164 | 73542 | 80287 |

(२) आयुक्त, पुणे विभाग—(2045 0117)

(2) Commissioner, Pune Division—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 56985 | 63102 | 58526 | 67519 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 721 | 1933 | 891 | 1939 |
| एकूण–(२) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(2) | (Voted) | 57706 | 65035 | 59417 | 69458 |

(३) आयुक्त, नाशिक विभाग—(2045 0108)

(3) Commissioner, Nashik Division—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 29110 | 44089 | 34326 | 47175 |
| | (भारीत) | | | | |
| | (Charged) | . . | . . | . . | . . |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary Items | (Voted) | 516 | 1276 | 481 | 1281 |
| एकूण–(३) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(3) | (Voted) | 29626 | 45365 | 34807 | 48456 |

**तक्ता १**—चालू

**TABLE 1**—*contd.*

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousands)

| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| (४) आयुक्त, अमरावती विभाग—(2045 0126) | | | | | |
| (4) Commissioner, Amravati Division— | | | | | |
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 22552 | 30712 | 30712 | 32862 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 468 | 1195 | 550 | 1202 |
| एकूण–(४) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(4) | (Voted) | 23020 | 31907 | 31262 | 34064 |
| (५) आयुक्त, नागपूर विभाग— (2045 0135) | | | | | |
| (5) Commissioner, Nagpur Division— | | | | | |
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 14002 | 21441 | 20162 | 22942 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 376 | 885 | 419 | 885 |
| एकूण–(५) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(5) | (Voted) | 14378 | 22326 | 20581 | 23827 |
| (६) आयुक्त, औरंगाबाद विभाग—(2045 0144) | | | | | |
| (6) Commissioner, Aurangabad Division— | | | | | |
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 35173 | 41455 | 35740 | 44357 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 449 | 1672 | 558 | 1675 |
| एकूण–(६) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(6) | (Voted) | 35622 | 43127 | 36298 | 46032 |

(ड) जुगार कर (वसुलीचा खर्च) (2045 0162)

(d) Betting Tax (Collection Charges)

(१) जिल्हाधिकारी, मुंबई

(1) Collector, Mumbai

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 320 | 2378 | 1200 | 2544 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | 82 | 152 | 76 | 152 |
| एकूण–(१) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(1) | (Voted) | 402 | 2530 | 1276 | 2696 |
| (२) आयुक्त, पुणे— | | | | | |
| (2) Commissioner, Pune—(2045 0171) | | | | | |
| वेतन | (दत्तमत्त) | | | | |
| Salaries | (Voted) | 985 | 1246 | 1246 | 1686 |
| वेतनेतर बाबी | (दत्तमत्त) | | | | |
| Non-Salary items | (Voted) | . . | . . | . . | . . |
| एकूण–(२) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(2) | (Voted) | 985 | 1246 | 1246 | 1686 |
| एकूण–(ड) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(d) | (Voted) | 1387 | 3776 | 2522 | 4382 |
| (इ) शिक्षण उपकर (20450182) ते | | | | | |
| (e) Education Cess (2045 0224) | | | | | |
| एकूण (इ) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(e) | (Voted) | 602 | 2680 | 1866 | 2341 |
| (फ) एकूण रोजगार हमी उपकर (दत्तमत्त) (2045 0262) ते | | | | | |
| (f) Total Employment Guarantee Cess | (Voted) (2045 0485) | 60 | 2649 | 1943 | 2546 |
| (ग) विशेष भूसंपादन अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरण— (2029 0162) | | | | | |
| (g) Land Acquisition Establishment | | | | | |
| एकूण— | (भारीत) | | | | |
| Total— | (Charged) | . . | 2,00 | 200 | 200 |
| | (दत्तमत्त) | | | | |
| | (Voted) | 228844 | 348546 | 289575 | 368858 |

तक्ता १—चालू (रुपये हजारात)

TABLE 1—*contd.* (Rs. in thousands)

| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| (ह) शहर भूमि अभिलेख–(2029 0402) | | | | | |
| (h) City Land Records— | | | | | |
| (१) आयुक्त, नागपूर एकूण– | (दत्तमत) | | | | |
| (1) Commissioner, Nagpur Total —<br>(2029 0752) | (Voted) | 8257 | 9244 | 8218 | 9541 |
| (२) जिल्हाधिकारी, मुंबई एकूण– | (दत्तमत) | | | | |
| (2) Collector, Mumbai Total— | (Voted) | 21607 | 40156 | 30799 | 43310 |
| (आय) गावठाण विस्तार योजना— | | | | | |
| (i) Schemes of extension of village Gaothan | | | | | |
| एकूण— | (भारीत) | | | | |
| Total— | (Charged) | . . | . . | . . | . . |
| | (दत्तमत) | | | | |
| | (Voted) | . . | . . | . . | . . |
| (ज) धर्मदाय प्रयोजनासाठी देणग्या– | | | | | |
| (j) Donations for Charitable purposes— | | | | | |
| अनुदान (2250 0139) | (दत्तमत) | | | | |
| Grant-in-aid (2250 0148) | (Voted). . | | | | |
| आयुक्त,नागपूर विभाग– | (दत्तमत) | | | | |
| Commissioner, Nagpur Division— | (Voted) | . . | 5 | 3 | 5 |
| आयुक्त, अमरावती विभाग– | (दत्तमत) | | | | |
| Commissioner, Amravati Division— | (Voted) | 4 | 18 | 9 | 18 |
| आयुक्त,कोल्हापूर विभाग–(2050 0291) | (दत्तमत) | | | | |
| Commissioner, Kolhapur Division— | (Voted) | 129 | 213 | 213 | 210 |
| एकूण (ज) . . | (दत्तमत) | | | | |
| Total—(j) . . | (Voted) | 133 | 236 | 225 | 233 |
| (के) नझुल उत्पन्नाचा भाग स्वायत्त संस्थांना देण्याबाबत— | | | | | |
| (K) Grant of share of Nazul income to local bodies— | | | | | |
| अनुदान | | | | | |
| Grant-in-aid | | | | | |
| आयुक्त, नागपूर विभाग–(2217 0029) | (दत्तमत्त) | | | | |
| Commissioner, Nagpur | (Voted) | 12 | 148 | 74 | 147 |
| आयुक्त, अमरावती– | (दत्तमत्त) | | | | |
| Commissioner, Amravati—<br>(2217 0038) | (Voted) | 40 | 50 | 25 | 50 |
| एकूण (के) . . | (दत्तमत्त) | | | | |
| Total—(K) . . | (Voted) | 52 | 198 | 99 | 197 |
| (ल) मुक्त वेठबिगारांचे पुनर्वसन–(2235 0329) | (दत्तमत्त) | | | | |
| (l) Rehabilitation Released/<br>Bonded Labours– | (Voted) | . . | 10 | 10 | 1000 |

## तक्ता—२

## TABLE—2

(१) जमीन महसूल वसुली
Recovery of Land Revenue :

**खालील तक्ता जमीन महसूल (अकृषिक शेतसा-यासह) वसुली दर्शवितो**
The following table shows the Land Revenue Collected (including) non-agricultural assessment

(रुपये लाखामध्ये)
(Rs. in Lakh)

| अनुक्रमांक Serial No. | जिल्हा District | वर्ष Year | १ ऑगस्ट रोजी महसूल बाकी Arrears of Land Revenue as on 1st August | वर्षाची मागणी Demand for the year | एकूण मागणी Total Demand | वर्षभरात सूट दिलेली जमीन महसुलाची रक्कम Amount of Land Revenue remitted year | वर्षभरात तहकूब केलेली जमीन महसुलाची रक्कम Amount of Land Revenue Suspend year | स्तंभ (७) व (८) एकूण Total of Cols. (7) + (8) | वर्षाची निव्वळ मागणी [स्तंभ (६) वजा स्तंभ (९)] Net demand of the year [Col. (6) (–) Col. (9)] | वर्षात जमा झालेली रक्कम Amount Collected during the year | बाकी Arrears | वसुलीची टक्केवारी Percentage of Collection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | मुंबई Mumbai | 2019-2020 | 11116.87 | 1057.99 | 12174.86 | 216.39 | 0 | 216.39 | 11958.47 | 30616.28 | 0 | 256.02 |
| | | 2020-2021 | 11617.74 | 3252.44 | 14870.18 | 213.87 | 0 | 213.87 | 14656.31 | 814.73 | 13841.58 | 5.56 |
| 2 | मुंबई उपनगर M. S. D. | 2019-2020 | 31795.12 | 6729.96 | 38525.08 | 1.38 | 22858.14 | 22859.52 | 15665.56 | 11373.58 | 4291.98 | 72.60 |
| | | 2020-2021 | 15045.11 | 8820.66 | 23865.77 | 487.44 | 5724.48 | 6211.92 | 17653.85 | 1206.20 | 16447.65 | 6.83 |
| 3 | ठाणे Thane | 2019-2020 | 17338.77 | 11421.03 | 28759.80 | 0 | 0 | 0 | 11421.03 | 41026.26 | 29605.23 | 359.21 |
| | | 2020-2021 | 29605.23 | 1142.03 | 41026.26 | 0 | 0 | 0 | 41026.26 | 2024.00 | 6053.46 | 4.93 |
| 4 | पालघर Palghar | 2019-2020 | 0 | 10805.39 | 10805.39 | 13.53 | 0 | 13.53 | 10791.86 | 10896.65 | 0 | 100.97 |
| | | 2020-2021 | . . | 12239.22 | 12239.22 | 13.48 | 0 | 13.48 | 12225.14 | 2003.73 | 10222.01 | 16.39 |
| 5 | रायगड Raigad | 2019-2020 | 904.59 | 1901.54 | 2806.13 | 0 | 0 | 0 | 2806.13 | 10552.72 | 0 | 376.06 |
| | | 2020-2021 | 1093.81 | 2527.68 | 3621.49 | 0 | 0 | 0 | 3621.49 | 10034.83 | 0 | 277.09 |
| 6 | रत्नागिरी Ratnagiri | 2019-2020 | 0 | 1172.50 | 1172.50 | 0 | 0 | 0 | 1172.50 | 4938.59 | 0 | 421.20 |
| | | 2020-2021 | . . | 1317.81 | 1317.81 | 0 | 0 | 0 | 1317.81 | 1317.81 | 0 | 100 |
| 7 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg | 2019-2020 | 0 | 2800.00 | 2800.00 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 279.33 | 2520.67 | 9.98 |
| | | 2020-2021 | . . | 2830.00 | 2830.00 | . . | 0 | 0 | 2830.00 | 162.64 | 2667.36 | 5.75 |
| 8 | नाशिक Nashik | 2019-2020 | 3191.00 | 241747.00 | 244937.00 | 3018.00 | 0 | 3018.00 | 241919.00 | 231017.00 | 10903.00 | 95.49 |
| | | 2020-2021 | 10903.00 | 252649.00 | 263552.00 | 3093.00 | 00 | 3093.00 | 260458.00 | 236792.00 | 23666.00 | 90.91 |

तक्ता २—चालू

**TABLE 2**—*contd.*

(रुपये लाखामध्ये)

(Rs. in Lakh)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | धुळे | | | | | | | | | | | |
| 9 | Dhule | 2019-2020 | 3931.461 | 75184561.870 | 78333128.870 | 1839625.00 | 7136.00 | 1846767.00 | 76486369.260 | 3935367.250 | 37133001.010 | 51.45 |
| | | 2020-2021 | 14776.24 | 79695308.87 | 83091543.87 | 1559008.00 | 7022.00 | 1566030.00 | 81525514.32 | 53126621.52 | 26398892.80 | 65.17 |
| | नंदुरबार | | | | | | | | | | | |
| 10 | Nandurbar | 2019-2020 | 820855.00 | 33831913.00 | 34652768.00 | 0 | 0 | 0 | 47837502.00 | 20545496.00 | 31958970.00 | 42.95 |
| | | 2020-2021 | 4585282.00 | 38117581.00 | 42702863.00 | 0 | 0 | 0 | 70203100.00 | 6050100.00 | 64159719.00 | 8.52 |
| | जळगाव | | | | | | | | | | | |
| 11 | Jalgaon | 2019-2020 | 0 | 8006.00 | 8006.00 | 0 | 0 | 0 | 8006.00 | 1271.91 | 6734.09 | 15.89 |
| | | 2020-2021 | 0 | 8006.00 | 8006.00 | 0 | 0 | 0 | 8006.00 | 0 | 0 | 0 |
| | अहमदनगर | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ahmadnagar | 2019-2020 | 400.08 | 5129.00 | 5529.08 | 0 | 0 | 0 | 5529.08 | 5529.08 | 0 | 100.00 |
| | | 2020-2021 | . . | 5805.53 | 5805.53 | 0 | 0 | 0 | 5805.53 | 5605.53 | 0 | 100.00 |
| | पुणे | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pune | 2019-2020 | 0 | 7498.62 | 7498.62 | 26.19 | 0 | 26.19 | 7472.73 | 7472.73 | 0 | 100.00 |
| | | 2020-2021 | 0 | 7746.81 | 7746.81 | 0 | 0 | 0 | 7746.81 | 7746.81 | 0 | 100.00 |
| | सोलापूर | | | | | | | | | | | |
| 14 | Solapur | 2019-2020 | 1210.11 | 1451.68 | 2661.69 | 0 | 0 | 0 | 2661.71 | 2347.74 | 313.95 | 88.20 |
| | | 2020-2021 | 313.95 | 2747.10 | 3061.05 | 0 | 0 | 0 | 3061.05 | 2918.5 | 142.55 | 95.34 |
| | सातारा | | | | | | | | | | | |
| 15 | Satara | 2019-2020 | 450.4 | 1399 | 1849.40 | 113 | 0 | 113 | 1736.40 | 1736.40 | 0 | 100.00 |
| | | 2020-2021 | 0 | 2137.86 | 2137.86 | 102.89 | 0 | 102.89 | 2034.97 | 2034.97 | 0 | 100.00 |
| | सांगली | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sangli | 2019-2020 | 0 | 946.90 | 946.9 | 79.79 | 0 | 79.79 | 867.11 | 867.11 | 0 | 100 |
| | | 2020-2021 | . . | 1041.60 | 1041.60 | 87.76 | 0 | 87.76 | 953.84 | 953.84 | 0 | 100 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | | | | |
| 17 | Kolhapur | 2019-2020 | 0 | 1583.61 | 1583.61 | 0 | 0 | 0 | 1583.61 | 2005.91 | 0 | 126.67 |
| | | 2020-2021 | . . | 1601.34 | 1601.34 | 0 | 0 | 0 | 1601.34 | 1728.64 | 0 | 107.95 |
| | नागपूर | | | | | | | | | | | |
| 18 | Nagpur | 2019-2020 | 323.40 | 1670.91 | 1994.31 | 0 | 0 | 0 | 1994.31 | 1647.06 | 347.25 | 82.59 |
| | | 2020-2021 | 825.75 | 1398.74 | 2224.49 | 0 | 0 | 0 | 2224.49 | 478.34 | 1745.55 | 21.53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्धा | | | | | | | | | | | |
| 19 | Wardha | 2019-2020 | 0 | 744.53 | 744.53 | 0 | 0 | 0 | 744.53 | 1648.62 | 0 | 221.43 |
| | | 2020-2021 | 176.27 | 471.75 | 648.02 | 16.40 | 0 | 16.40 | 631.62 | 262.39 | 369.23 | 41.54 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | | | |
| 20 | Chandrapur | 2019-2020 | 601.78 | 1193.61 | 1795. 39 | 0 | 0 | 0 | 1795. 39 | 1795. 39 | 0 | 100 |
| | | 2020-2021 | 754.04 | 1171.01 | 1925.05 | 0 | 0 | 0 | 1925.05 | 1925.05 | 0 | 100 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | | | |
| 21 | Gadchiroli | 2019-2020 | 9.6 | 18.38 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 17.72 | 10.26 | 63.331 |
| | | 2020-2021 | 10.26 | 19.29 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 29.55 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | | | | |
| 22 | Bhandara | 2019-2020 | 0 | 334.19 | 334.19 | 0 | 0 | 0 | 334.19 | 334.19 | 0 | 100 |
| | | 2020-2021 | 0 | 143.28 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 143.28 | 121.50 | 21.78 | 84.80 |
| | गोंदिया | | | | | | | | | | | |
| 23 | Gondia | 2019-2020 | 153.74 | 159.03 | 312.77 | 0 | 0 | 0 | 312.77 | 201.26 | 111.51 | 64.35 |
| | | 2020-2021 | 111.51 | 139.32 | 250.83 | 0 | 0 | 0 | 250.83 | 221.11 | 29.72 | 88.15 |
| | अमरावती | | | | | | | | | | | |
| 24 | Amravati | 2019-2020 | 1630.81 | 3045.00 | 4675.81 | 0 | 0 | 0 | 4675.81 | 1169.72 | 3506.09 | 25.06 |
| | | 2020-2021 | 3506.09 | 3590 | 7096.09 | 0 | 0 | 0 | 7096.09 | 671.25 | 6424.84 | 9.45 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | |
| 25 | Akola | 2019-2020 | 160.16 | 38.14 | 198.30 | 0 | 0 | 0 | 198.30 | 198.30 | 0 | 100.00 |
| | | 2020-2021 | 198.30 | 38.14 | 136.44 | 0 | 0 | 0 | 236.44 | 236.44 | 0 | 100 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | |
| 26 | Yavatmal | 2019-2020 | 0 | 2303.25 | 2303.25 | 0 | 0 | 0 | 2303.25 | 2559.07 | 0 | 111.13 |
| | | 2020-2021 | . . | 2550 | 2550 | . . | . . | . . | 2550 | 2630 | 0 | 103 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | | | | |
| 27 | Buldhana | 2019-2020 | 98.70 | 2110.00 | 2208.70 | 0 | 0 | 0 | 2208.70 | 2097 | 111.70 | 94.94 |
| | | 2020-2021 | 111.70 | 1203.48 | 1315.18 | . . | . . | . . | 1315.18 | 1315.18 | 0 | 100 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | | |
| 28 | Washim | 2019-2020 | 23.65 | 124.33 | 147.88 | 0 | 0 | 0 | 147.88 | 132.76 | 0 | 89.77 |
| | | 2020-2021 | 40.07 | 133.07 | 173.14 | 0 | 0 | 0 | 173.14 | 24.27 | 0 | 13.90 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad | 2019-2020 | 176.14 | 2589.83 | 2765.97 | 8.92 | 0 | 8.92 | 2765.97 | 471.00 | 2295.04 | 17.03 |
| | | 2020-2021 | 194.95 | 2660.78 | 2855.73 | 0 | 0 | 0 | 2855.73 | 214.00 | 2641.73 | 7.49 |
| | बीड | | | | | | | | | | | |
| 30 | Beed | 2019-2020 | 0 | 312.00 | 312.00 | 0 | 0 | 0 | 312.00 | 209.00 | 0 | 3.00 |
| | | 2020-2021 | 0 | 350.00 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 350.00 | 300.00 | 50 | 85.71 |

**तक्ता २**—चालू

**TABLE 2**—*contd.*

(रुपये लाखामध्ये)

(Rs. in Lakh)

| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नांदेड | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Nanded | 2019-2020 | 119.81 | 418.08 | 537.90 | 0 | | 0 | 0 | 537.90 | 174.31 | 363.59 | 32.40 |
| | | 2020-2021 | 91.91 | 670.92 | 762.83 | 0 | | 0 | 0 | 762.83 | 189.86 | 572.97 | 39.39 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Osmanabad | 2019-2020 | 0 | 1150.25 | 1150.25 | 0 | | 0 | 0 | 1150.25 | 332.58 | 817.67 | 28.91 |
| | | 2020-2021 | 0 | 1536.81 | 1536.81 | 0 | | 0 | 0 | 1536.81 | 134.71 | 1402.10 | 8.77 |
| | परभणी | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Parbhani | 2019-2020 | 0 | 249.61 | 249.61 | 0 | | 0 | 0 | 249.61 | 660.26 | 0 | 264.51 |
| | | 2020-2021 | 0 | 249.61 | 249.61 | 0 | | 0 | 0 | 149.61 | 75.67 | 173.94 | 30.31 |
| | हिंगोली | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Hingoli | 2019-2020 | 0 | 661.17 | 661.17 | 0 | | 0 | 0 | 661.17 | 561.44 | 99.73 | 84.31 |
| | | 2020-2021 | 0 | 761.37 | 761.37 | 0 | | 0 | 0 | 761.37 | 105.84 | 655.53 | 13.90 |
| | जालना | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Jalna | 2019-2020 | 0 | 1219.87 | 1219.87 | 0 | | 0 | 0 | 1219.87 | 953.42 | 266.95 | 78.15 |
| | | 2020-2021 | . . | 1404.74 | 1404.74 | 0 | | 0 | 0 | 1404.74 | 200.48 | 1204.26 | 14.27 |
| | लातूर | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Latur | 2019-2020 | 0 | 1037.70 | 1037.70 | 0 | | 0 | 0 | 1037.70 | 1037.70 | 0 | 100.00 |
| | | 2020-2021 | 0 | 1141.58 | 1141.58 | 0 | | 0 | 0 | 1141.58 | 1141.58 | 0 | 100 |

**शिक्षण उपकराची आणि रोजगार हमी योजनेच्या उपकराची वसूली :**

शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकर हे महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ अन्वये आकारले जातात.

(१) शिक्षण उपकर हा शिक्षणाच्या अभिवृद्धीसाठी नगरपालिका क्षेत्रातील जमिनीवर व इमारतीवर तसेच ज्या शेती जमिनीवर व्यापारी पिके घेतली जातात अशा सर्व जमिनीवर उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची "अ" व "ब" मध्ये विहित केलेल्या दराने वसूल केला जातो.

(२) रोजगार हमी उपकर हा रोजगार हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नगरपालिका क्षेत्रातील जमिनीवर व इमारतीवर उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची "क" मध्ये विहित केलेल्या दराप्रमाणे व ज्या जमिनीवर ओलीताची पिके काढण्यात येतात त्या जमिनीवर प्रति हेक्टरी रुपये २५ या दराने वसूल केला जातो.

खालील तक्ता या उपकरांची मागणी व वसुली दर्शवितो :—

## तक्ता—३
## TABLE—3

(रुपये हजारात)
(Rs. in Thousand)

| अनु-क्रमांक Serial No. | जिल्हा District | वर्ष Year | थकबाकीसह मागणी Demand including Arrears | | वसूल झालेली रक्कम Amount Recovered | | बाकी Balance | | वसुली खर्च म्हणून स्थानिक संस्थांना देय रक्कम Rebate Charged by local bodies | | दिलेली रक्कम Rebate Paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | शिक्षण कर Education Cess | रोजगार हमी कर Employment Guarantee Cess | शिक्षण कर Education Cess | रोजगार हमी कर Employment Guarantee Cess | शिक्षण कर Education Cess | रोजगार हमी कर Employment Guarantee Cess | शिक्षण कर Education Cess | रोजगार हमी Employment Guarantee Cess | शिक्षण कर Education Cess | रोजगार हमी कर Employment Guarantee Cess |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | मुंबई शहर Mumbai City | 2019-2020 | 4814258 | 901238 | 21478121 | 37752 | 16663863 | 863486 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2020-2021 | 5054970 | 946299 | 884465 | 151083 | 4170505 | 795216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 5307718 | 993613 | 0 | 0 | 5307718 | 993613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | मुंबई उपनगर M. S. D. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ठाणे Thane | 2019-2020 | 2031138 | 318526 | 300579 | 38676 | 1730559 | 279830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 376197 | 538376 | 3829 | 490 | 372368 | 597886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 2031138 | 318526 | 0 | 0 | 2031138 | 318526 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | पालघर Palghar | 2019-2020 | 284425.90 | 51194.82 | 258425 | 31610.00 | 25000.900 | 19584.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 25000.900 | 19584.82 | 39701.640 | 7720.460 | 14700.740 | 11864.360 | | | | |
| | | 2021-2022 | 25000.900 | 19584.82 | 0 | 0 | 25000.940 | 19584.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता ३—चालू**

TABLE 3—*contd.*

(रुपये हजारात)

(Rs. in thousand)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रायगड | | | | | | | | | | | |
| 5 | Raigad | 2019-2020 | 128823005 | 15790976 | 69406575 | 7849856 | 59416430 | 7941120 | 2612861 | 1316781 | 199298 | 20507 |
| | | 2020-2021 | 212846 | 19719974 | 24871066 | 2998736 | 137341780 | 16731238 | 2332386 | 295720 | 61066 | 7208 |
| | | 2021-2022 | 167089300 | 19703611 | 116284091 | 14255192 | 50805209 | 5448419 | 4148433 | 196743 | 0.00 | 0.00 |
| | रत्नागिरी | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ratnagiri | 2019-2020 | 74815372 | 12209322 | 42295732 | 5291469 | 32519640 | 6917853 | 116252 | 148191 | 41133680 | 5143278 |
| | | 2020-2021 | 70747219 | 9790648 | 14361425 | 1611684 | 56385794 | 8178964 | 434559 | 46858 | 18823936 | 2101262 |
| | | 2021-2022 | 74103652 | 10195347 | 0.00 | 0.00 | 74103652 | 10195347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | सिंधुदुर्ग | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sindhudurg | 2019-2020 | 6043 | 276 | 6043 | 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-2021 | 6043 | 276 | 0.00 | 0.00 | 6043 | 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2021-2022 | 6043 | 276 | 5016 | 0.00 | 1027 | 276 | 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकूण कोकण विभाग | | | | | | | | | | | |
| | Total Konkan Dvn. | 2019-2020 | 210774241 | 29271532.820 | 133746475 | 13249639 | 77027766.900 | 16021893.820 | 3774913 | 1464972 | 41332978 | 5163785 |
| | | 2020-2021 | 238422275.900 | 31085157.820 | 40160486.640 | 4769713 | 198261789.260 | 26315444.360 | 2766945 | 342578 | 18885002 | 2108470 |
| | | 2021-2022 | 248562851.900 | 31230957.820 | 116289107 | 14255192 | 132273744.900 | 16975765.820 | 4148709 | 196743 | 0.00 | 0.00 |
| | नाशिक | | | | | | | | | | | |
| 8 | Nashik | 2019-2020 | 490190 | 94256 | 246283 | 38348 | 243907 | 55908 | 100 | 300 | 100 | 300 |
| | | 2020-2021 | 559007 | 111406 | 258597 | 40266 | 300410 | 71142 | 100 | 300 | 100 | 300 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | धुळे | | | | | | | | | | | |
| 9 | Dhule | 2019-2020 | 635004.100 | 268153.100 | 433954.500 | 177993.680 | 199744 | 90618 | 0 | 0 | 8270 | 23113 |
| | | 2020-2021 | 762346.200 | 336812.100 | 161036.100 | 91038.040 | 334413.100 | 151930.100 | 0 | 0 | 456 | 14093 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नंदुरबार | | | | | | | | | | | |
| 10 | Nandurbar | 2019-2020 | 14032544 | 6469985 | 6545506 | 1678194 | 11400632 | 4839607 | 21974 | 1253 | 21970 | 1253 |
| | | 2020-2021 | 14271180 | 1314308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जळगाव | | | | | | | | | | | |
| 11 | Jalgaon | 2019-2020 | 0 | 0 | 492.54 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अहमदनगर | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ahmednagar | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण नाशिक विभाग | | | | | | | | | | | |
| | Total Nashik Dvn. | 2019-2020 | 15157738.100 | 6832394.100 | 7226236.040 | 1894535.680 | 11844283 | 4988133 | 22074 | 1553 | 30340 | 24666 |
| | | 2020-2021 | 15592533.200 | 1762526.100 | 419633.100 | 131304.040 | 634823.100 | 223072.100 | 100 | 300 | 556 | 14393 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पुणे | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pune | 2019-2020 | 7933.56 | 2489.82 | 7933.56 | 2489.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 7998.12 | 2512.58 | 7998.12 | 2512.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 8078.10 | 2537.71 | 8078.10 | 2537.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सोलापूर | | | | | | | | | | | |
| 14 | Solapur | 2019-2020 | 3254.72 | 924.09 | 1576.33 | 13.41 | 1678.39 | 910.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 3742.92 | 48770.00 | 67501.00 | 54304.00 | 306791.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 397612.00 | 51556.00 | 397612.00 | 51556.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सातारा | | | | | | | | | | | |
| 15 | Satara | 2019-2020 | 112886 | 18788 | 112886 | 18788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 25692 | 4230 | 25692 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 26205 | 4314 | 26205 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सांगली | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sangli | 2019-2020 | 39682 | 4124 | 39682 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 43651 | 4537 | 43651 | 4537 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 44524.00 | 5410.00 | 44524.00 | 5410.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | | | | |
| 17 | Kolhapur | 2019-2020 | 160640 | 23375 | 147192 | 21519 | 13448 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 177300 | 29906 | 65778 | 14950 | 111522 | 14956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 180846 | 89718 | 180846 | 89718 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण पुणे विभाग | | | | | | | | | | | |
| | Total Pune Dvn. | 2019-2020 | 334396.28 | 49700.91 | 319269.89 | 46933.79 | 15126.39 | 2766.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 628933.12 | 89955.58 | 210620.12 | 80533.58 | 418313.00 | 14956.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 657265.10 | 153535.71 | 657265.10 | 153535.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | | | | |
| 18 | Nagpur | 2019-2020 | 477674.00 | 79074.00 | 16734.00 | 4324.00 | 460945.00 | 74750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 706252.00 | 116238.00 | 1392.00 | 106.00 | 704860.00 | 116132.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 776877.00 | 127862.00 | 0.00 | 0.00 | 776877.00 | 127862.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता ३**—चालू

TABLE 3—*contd.*

(रुपये हजारात)

(Rs. in thousands)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्धा | | | | | | | | | | | |
| 19 | Wardha | 2019-2020 | 152610.00 | 72040.00 | 75900.00 | 14730.00 | 76710.00 | 57310.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 252110.00 | 14730.00 | 252110.00 | 14730.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 277321 | 16203 | 277321 | 16203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | | | |
| 20 | Chandrapur | 2019-2020 | 55.00 | 150.00 | 55.00 | 150.00 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 71.00 | 193.00 | 71.00 | 193.00 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 2268.00 | 495.00 | 2268.00 | 495.00 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | | | |
| 21 | Gadchiroli | 2019-2020 | 9869.00 | 1426.00 | 4594.00 | 489.00 | 5275.00 | 937.00 | 179.00 | 180.00 | 69.00 | 0 |
| | | 2020-2021 | 5275.00 | 937.00 | 3335.00 | 384 | 1940.00 | 553.00 | 115.00 | 13.00 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 10565 | 1598.00 | 0 | 0 | 10565.00 | 1598.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | | | | |
| 22 | Bhandara | 2019-2020 | 12325.00 | 1347.00 | 11188.00 | 1251.00 | 1137.00 | 96.00 | 115.00 | 7.00 | 65.00 | 10.00 |
| | | 2020-2021 | 12415.00 | 1362.00 | 11193.00 | 1306.00 | 1222.00 | 560.00 | 120.00 | 6.00 | 71.00 | 10.00 |
| | | 2021-2022 | 12418.00 | 1372.00 | 11198.00 | 1310.00 | 1220.00 | 62.00 | 122.0 | 5.00 | 75.00 | 10.00 |
| | गोंदिया | | | | | | | | | | | |
| 23 | Gondia | 2019-2020 | 22362.25 | 3942.33 | 3346.95 | 321.40 | 19015.30 | 3620.93 | 66.94 | 6.43 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 25648.32 | 4380.068 | 2901.51 | 346.208 | 22746.82 | 4033.86 | 58.03 | 6.324 | 58.3 | 6.924 |
| | | 2021-2022 | 26930.74 | 4599.071 | 0 | 0 | 26830.74 | 4599.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण नागपूर विभाग | | | | | | | | | | | |
| | Total Nagpur Dvn. | 2019-2020 | 674900.25 | 157379.33 | 111917.95 | 21265.40 | 563082.30 | 136713.93 | 361.94 | 34.43 | 134.00 | 10.00 |
| | | 2020-2021 | 1001771.32 | 137840.07 | 271002.51 | 17065.21 | 730768.82 | 120774.86 | 294.03 | 28.92 | 129.30 | 16.92 |
| | | 2021-2022 | 1106379.74 | 152129.07 | 290787.00 | 18008.00 | 815592.74 | 134121.07 | 123.00 | 8.00 | 75.00 | 10.00 |
| | अमरावती | | | | | | | | | | | |
| 24 | Amravati | 2019-2020 | 1514.17 | 563.24 | 189.78 | 24.83 | 1324.39 | 538.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1324.39 | 538.41 | 91.830 | 18.78 | 1232.56 | 519.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 1232.56 | 519.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | |
| 25 | Akola | 2019-2020 | 546.00 | 94.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 570.45 | 79.87 | 0 | 0 | 570.45 | 79.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 847.61 | 119.12 | 0 | 0 | 847.61 | 119.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | |
| 26 | Yavatmal | 2019-2020 | 322.61 | 52.50 | 122.06 | 26.31 | 200.55 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 416.62 | 63.14 | 160.32 | 34.65 | 256.32 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 434.74 | 70.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | | | | |
| 27 | Buldhana | 2019-2020 | 58830.00 | 15020.00 | 27601 | 6350.00 | 5883.00 | 1502.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 37424.68 | 48370.44 | 26761.43 | 2896.64 | 10663.26 | 1940.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 38172.68 | 4934.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | | |
| 28 | Washim | 2019-2020 | 89.59 | 27.05 | 77.22 | 21.59 | 12.37 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 74.03 | 21.31 | 0.45 | 0.69 | 73.58 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण अमरावती विभाग | | | | | | | | | | | |
| | Total Amravati Dvn. | 2019-2020 | 61302.67 | 15756.47 | 27990.06 | 6422.73 | 7420.31 | 2072.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 39810.17 | 5540.17 | 27014.03 | 2950.76 | 12796.17 | 2589.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 40687.59 | 5643.56 | 0 | 0 | 847.61 | 119.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad | 2019-2020 | 440 | 370 | 440 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 445 | 420 | 445 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 450 | 470 | 450 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | | | | |
| 30 | Beed | 2019-2020 | 2635 | 620 | 2330 | 340 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 2635 | 500 | 2100 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 2650 | 600 | 2021 | 320 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | | | | | |
| 31 | Nanded | 2019-2020 | 8206 | 11541 | 773 | 161 | 7433 | 11380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 39999 | 13134 | 26243 | 6632 | 13571 | 6502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 39994 | 13134 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | | | | |
| 32 | Osmanabad | 2019-2020 | 32.69 | 11.15 | 1.37 | 0.47 | 31.32 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 45.80 | 15.20 | 41.36 | 3.61 | 3.84 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 46 | 16.25 | 2.93 | 0.07 | 43.07 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता ३—चालू**

TABLE 3—*contd.*

(रुपये हजारात)

(Rs. in thousands)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परभणी | | | | | | | | | | | |
| 33 | Parbhani | 2019-2020 | 80.23 | 21.04 | 35.10 | 4.89 | 45.13 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 80.23 | 21.04 | 105.88 | 10.37 | 25.65 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 80.23 | 21.04 | 56.16 | 4.03 | 30.07 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | | | | | |
| 34 | Hingoli | 2019-2020 | 25297 | 3113 | 1106 | 150 | 24191 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 31249 | 501 | 15.09 | 180 | 29740 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | | | | |
| 35 | Jalna | 2019-2020 | 350 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 320 | 420 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | | | | |
| 36 | Latur | 2019-2020 | 2381 | 267 | 424 | 112 | 1957 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 3143 | 299 | 424 | 112 | 2719 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 3300 | 314 | 427 | 126 | 2873 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण औरंगाबाद विभाग | | | | | | | | | | | |
| | Total | 2019-2020 | 39421.92 | 15983.19 | 5109.47 | 1138.36 | 33977.45 | 14524.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aurangabad Dvn. | 2020-2021 | 77912.03 | 15310.24 | 29486.93 | 7672.98 | 46374.49 | 15541.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 46520.23 | 14555.29 | 2957.09 | 920.10 | 3236.14 | 201.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## इतर शासकीय देयाची वसुली

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमान्वये मुलकी खात्यामार्फत इतर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांची कर व येणे वसुली ही जमीन महसुली थकबाकी म्हणून वसूल केली जाते. जमीन महसूल थकबाकी म्हणून करावयाच्या खालील बाबी ठळक आहेत; (१) मोटार वाहन कर, (२) अबकारी वसुली, (३) विक्री कर, (४) आयकर इत्यादी. खालील तक्ता मागणी आणि वसुलीची माहिती दर्शवितो.

**तक्ता ४** (रुपये हजारात)

TABLE 4 (Rupees in thousands)

| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | जिल्हा District (2) | वर्ष Year (3) | १ एप्रिल रोजीची इतर शासकीय देण्याची बाकी Arrears of other Govt. dues as on 1st April (4) | वर्षाची मागणी Demand of the year (5) | एकूण मागणी Total Demand (6) | वर्षात वसूल केलेली रक्कम Amount recovered during the year (7) | बाकी राहिलेली रक्कम Amount to be recovered (8) | वसुलीची टक्केवारी Percentage of recovery (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई Mumbai .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | मुंबई उपनगर जिल्हा M. S. D. .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ठाणे Thane .. | 2019-2020 | 3442094 | 80050 | 3522144 | 5016 | 3517128 | 0.14 |
| | | 2020-2021 | 3517128 | 957000 | 4474128 | 1990000 | 2484128 | 44.48 |
| | | 2021-2022 | 2484128 | 1227996 | 3712124 | 1742000 | 1970124 | 46.93 |
| 4 | पालघर Palghar .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | रायगड Raigad .. | 2019-2020 | 440395.00 | 62371 | 502766 | 4394 | 438372 | 0.87 |
| | | 2020-2021 | 498372 | 11114 | 509486 | 4550 | 504936 | 0.89 |
| | | 2021-2022 | 504936 | 11336.28 | 516272.280 | 4641 | 511631.280 | 0.90 |
| 6 | रत्नागिरी Ratnagiri .. | 2019-2020 | 0 | 2880 | 2880 | 2880 | 0.00 | 100.00 |
| | | 2020-2021 | 0 | 3024 | 3024 | 3024 | 0.00 | 100.00 |
| | | 2021-2022 | 0 | 3175.20 | 3175.200 | 3175.20 | 0 | 100.00 |
| 7 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg .. | 2019-2020 | 0 | 4150 | 4150 | 0 | 4150 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 4940 | 4940 | 0 | 4940 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 4350 | 4350 | 0 | 4350 | 0 |
| | एकूण कोकण विभाग Total Konkan Dvn. | 2019-2020 | 3882489 | 149451 | 403194 | 12290 | 4019650 | 101.0 |
| | | 2020-2021 | 4015500 | 976078 | 4991578 | 1997574 | 2994004 | 145.3 |
| | | 2021-2022 | 2989064 | 1246857.430 | 4235921.480 | 1749816.200 | 2486105.280 | 149.8 |
| 8 | नाशिक Nashik .. | 2019-2020 | 24088.00 | 803270.00 | 1044158.00 | 46161.00 | 997997.00 | 4.4 |
| | | 2020-2021 | 997997.00 | 110000.00 | 1107997.00 | 47315.00 | 1060682.00 | 4.2 |
| | | 2021-2022 | 1060682.00 | 112750.00 | 1173432.00 | 47344.00 | 1126088.00 | 4.0 |
| 9 | धुळे Dhule .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | नंदुरबार Nandurbar .. | 2019-2020 | 284161.00 | 0 | 0 | 36355.00 | 247306.00 | 12.7 |
| | | 2020-2021 | 241806.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता ४**—चालू

TABLE 4—*Contd.*

(रुपये हजारात)

(Rupees in thousands)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जळगाव | | | | | | | |
| 11 | Jalgaon . . | 2019-2020 | 176209.10 | 306387.71 | 482596.81 | 61816.88 | 420779.93 | 12.80 |
| | | 2020-2021 | 420779.93 | 60764.56 | 481544.49 | 248.65 | 481295.84 | 0.05 |
| | | 2021-2022 | 481295.84 | 66841.02 | 548136.86 | 0 | 548136.86 | 0 |
| | अहमदनगर | | | | | | | |
| 12 | Ahmednagar . . | 2019-2020 | 373670.240 | 1087460.994 | 1461131.234 | 252525.796 | 1208605.438 | 17.28 |
| | | 2020-2021 | 1208605.438 | 25000.000 | 1233605.438 | 252000.00 | 981605.438 | 20.43 |
| | | 2021-2022 | 1383015.730 | 27440.000 | 1410455.730 | 240821.043 | 1169634.687 | 17.07 |
| | एकूण नाशिक विभाग | | | | | | | |
| | Total Nashik Dvn. | 2019-2020 | 858128.340 | 2197118.704 | 2987886.044 | 396858.676 | 2875188.368 | 47.300 |
| | | 2020-2021 | 2875188.368 | 195764.560 | 2823146.928 | 299563.650 | 2523583.278 | 24.750 |
| | | 2021-2022 | 2924993.570 | 207031.020 | 3132024.590 | 288165.043 | 2843859.547 | 21.100 |
| | पुणे | | | | | | | |
| 13 | Pune . . | 2019-2020 | 101081.00 | 72.91 | 101153.91 | 198594.83 | 2559.08 | 99.28 |
| | | 2020-2021 | 2559.08 | 97979.20 | 100538.28 | 2257.00 | 98281.28 | 2.30 |
| | | 2021-2022 | 98281.28 | 129120.32 | 227401.60 | 172.22 | 227229.38 | 0.07 |
| | सोलापूर | | | | | | | |
| 14 | Solapur . . | 2019-2020 | 479641.83 | 4013588.82 | 4493220.65 | 1530626.00 | 2962604.65 | 34.06 |
| | | 2020-2021 | 2962604.65 | 1898644.24 | 4861248.89 | 2132263.37 | 2728985.52 | 43.86 |
| | | 2021-2022 | 2728985.52 | 1064492.76 | 3793478.28 | 0.00 | 3793478.28 | 0.00 |
| | सातारा | | | | | | | |
| 15 | Satara . . | 2019-2020 | 685570.29 | 0 | 685570.29 | 685570.29 | 0 | 100.00 |
| | | 2020-2021 | 0.00 | 338243.00 | 338243.00 | 0.00 | 338243.00 | 0.00 |
| | | 2021-2022 | 338243.00 | 0.00 | 338243.00 | 0.00 | 338243.00 | 0.00 |
| | सांगली | | | | | | | |
| 16 | Sangli . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | |
| 17 | Kolhapur . . | 2019-2020 | 296271571 | 1125960.71 | 4088676.006 | 2531.850 | 4086144.156 | 0.06 |
| | | 2020-2021 | 4086144.18 | 6975429.25 | 11061573.41 | 214162.51 | 10847410.896 | 1.93 |
| | | 2021-2022 | 10847410.896 | 2660119.00 | 13507529.896 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | एकूण पुणे विभाग | | | | | | | |
| | Total Pune Dvn. | 2019-2020 | 4229008.83 | 5139622.45 | 9368630.86 | 2317322.57 | 7051307.89 | 233.40 |
| | | 2020-2021 | 7051307.89 | 9310285.70 | 16361603.59 | 2348682.89 | 14012920.70 | 48.09 |
| | | 2021-2022 | 14012920.70 | 3863732.08 | 17866652.18 | 172.22 | 4358950.66 | 007 |
| | नागपूर | | | | | | | |
| 18 | Nagpur . . | 2019-2020 | 325475.00 | 1380000.00 | 1705475.00 | 1398428.00 | 307047.00 | 82.00 |
| | | 2020-2021 | 307047.00 | 2070000.00 | 2377047.00 | 747799.00 | 1629248.00 | 31046 |
| | | 2021-2022 | 1629248.00 | 0 | 1629248.00 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | |
| 19 | Wardha . . | 2019-2020 | 38531.52 | 0 | 38531.52 | 20345.00 | 18186.52 | 52.80 |
| | | 2020-2021 | 18186.52 | 0 | 18186.52 | 4883.43 | 13303.09 | 26.85 |
| | | 2021-2022 | 13303.09 | 0 | 13303.09 | 5372.00 | 7931.09 | 40.38 |

**तक्ता ४**—चालू

TABLE 4—*Contd.*

(रुपये हजारात)

(Rupees in thousands)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चंद्रपूर | | | | | | | |
| 20 | Chandrapur . . | 2019-2020 | 8747.00 | 5037.00 | 13784.00 | 1137.00 | 12647.00 | 8.248 |
| | | 2020-2021 | 12647.00 | 0.00 | 12647.00 | 0.00 | 12647.00 | 0 |
| | | 2021-2022 | 12647.00 | 30560.00 | 43207.00 | 240.00 | 42967.00 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | |
| 21 | Gadchiroli . . | 2019-2020 | 0.00 | 4700.00 | 4700.00 | 4745.19 | 42967.00 | 0.5 |
| | | 2020-2021 | 0.00 | 7050.00 | 7050.00 | 693.55 | -45.19 | 100 |
| | | 2021-2022 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 6356.45 | 9.8 |
| | भंडारा | | | | | | | |
| 22 | Bhandara . . | 2019-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2021-2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | गोंदिया | | | | | | | |
| 23 | Gondia . . | 2019-2020 | 187.52 | 413.87 | 601.39 | 505.39 | 96.00 | 84.04 |
| | | 2020-2021 | 96.00 | 393.41 | 489.41 | 432.18 | 57.23 | 88.30 |
| | | 2021-2022 | 57.23 | 432.44 | 489.67 | 0.00 | 489.67 | 0.00 |
| | एकूण नागपूर विभाग | | | | | | | |
| | Total Nagpur Dvn. | 2019-2020 | 372941.04 | 1390150.87 | 1763091.91 | 1425160.58 | 337931.33 | 0 |
| | | 2020-2021 | 337976.52 | 2077443.41 | 241549.93 | 753808.16 | 1661671.77 | 0 |
| | | 2021-2022 | 1655255.32 | 34992.44 | 1690247.76 | 5612.00 | 55387.76 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | |
| 24 | Amravati . . | 2019-2020 | 2530.971 | 2703 | 5233.971 | 1351.66 | 3882.311 | 0 |
| | | 2020-2021 | 3882.311 | 4669 | 8551.311 | 874 | 7677.311 | 0 |
| | | 2021-2022 | 7677.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | |
| 25 | Akola . . | 2019-2020 | 11197.23 | 2409.649 | 13606.879 | 1275.434 | 12331.445 | 9.37 |
| | | 2020-2021 | 11713.479 | 2418.410 | 12770.124 | 142.748 | 12627.376 | 9.00 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | |
| 26 | Yavatmal . . | 2019-2020 | 1527.79 | 1527.79 | 1527.89 | 27.41 | 1500.38 | 1.79 |
| | | 2020-2021 | 1500.38 | 1500.38 | 1500.38 | 0 | 1500.38 | 0 |
| | | 2021-2022 | 1500.38 | 1500.38 | 1500.38 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | |
| 27 | Buldhana . . | 2019-2020 | 0 | 1810.0 | 1810.0 | 1810 | 0 | 100 |
| | | 2020-2021 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 100 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता ४—चालू**

TABLE 4—*Contd.*

(रुपये हजारात)
(Rupees in thousands)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वाशिम | | | | | | | |
| 28 | Washim . . | 2019-2020 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 91.40 | 0 | 91.40 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 93.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण अमरावती विभाग | | | | | | | |
| | Total Amravati | 2019-2020 | 15345.990 | 8450.439 | 22268.64 | 4464.504 | 17714.14 | 12 |
| | Dvn. | 2020-2021 | 17187.57 | 11087.79 | 25413.22 | 3516.748 | 21805.07 | 10 |
| | | 2021-2022 | 9270.691 | 1500.38 | 1500.38 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad . . | 2019-2020 | 3411 | 0 | 3411 | 405 | 3816 | 11 |
| | | 2020-2021 | 3816 | 0 | 3816 | 446 | 3370 | 11 |
| | | 2021-2022 | 3370 | 0 | 3370 | 487 | 2883 | 12 |
| | बीड | | | | | | | |
| 30 | Beed . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | |
| 31 | Nanded . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | |
| 32 | Osmanabad . . | 2019-2020 | 195 | 1563 | 1758 | 1568 | 190 | 89% |
| | | 2020-2021 | 190 | 1630 | 1820 | 1650 | 170 | 90% |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | |
| 33 | Parbhani . . | 2019-2020 | 1894 | 0 | 1894 | 1894 | 1894 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1894 | 0 | 1894 | 1894 | 1894 | 0 |
| | | 2021-2022 | 1894 | 0 | 1894 | 1894 | 1894 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | |
| 34 | Hingoli . . | 2019-2020 | 295 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 |
| | | 2020-2021 | 295 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 |
| | | 2021-2022 | 295 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 |
| | जालना | | | | | | | |
| 35 | Jalna . . | 2019-2020 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 100% |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | |
| 36 | Latur . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण औरंगाबाद विभाग | 2019-2020 | 5807 | 1564 | 7371 | 3867 | 6195 | 52.46% |
| | Total Aurangabad | 2020-2021 | 6232 | 1667 | 7862 | 4227 | 5729 | 51.22% |
| | Dvn. | 2021-2022 | 5559 | 0 | 5559 | 2381 | 5072 | 42.83% |

# मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम, १९२३

केंद्र शासनाने शासन अधिसूचना क्र. ११/२०१७ केंद्रीय कर (दर), दि. २८-०६-२०१७ मधील नोंद क्र. ३४ अन्वये व महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र. एमजीएसटी.१०१७/प्र.क्र. १०३/(१०), दि. २९-०६-२०१७ मधील नोंद क्र. ३४ नुसार मनोरंजन, संस्कृती आणि खेळ विषयक सेवावर महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम, १९९३ नुसारी बसविण्यात येणा-या करमणूक शुल्काऐवजी दि. ०१-०७-२०१७ पासून वस्तू व सेवा कर वसूल करण्यात येत आहे.    तसेच कार्यालयीन आदेश दि. १८-०६-२०१८ अन्वये टी-१ कार्यासन बंद करण्यात आलेले आहे.

**तक्ता**

**TABLE**

**खालील तक्ता चुकविलेला व**

**The following table indicates the Information regarding**

| अनुक्रमांक Serial No. | जिल्ह्याचे नाव Name of the District | वर्ष Year | चित्रपटगृहांची/ व्ही.डी.ओ. सेंटर्स/ केबल/पूल पार्लर जल क्रीडा, इ. संख्या No. of Theatres/ Video Centers/ Cable/Pool Parlour Water Sport etc. | तपासणी अधिका-यांची संख्या No. of Inspection staff | शुल्क वसुली करावयाची रक्कम Amount of awty recoverable | वसूल शुल्क Amount of awty recovered | बाकी Arrears | चित्रपटगृहाला दिलेल्या भेटीची संख्या No. of visits paid cinema theatres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | मुंबई शहर Mumbai . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 3148.00 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | मुंबई उपनगर जिल्हा Mumbai S. D. . . . . | 2019-2020 | 2003 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 2003 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 2003 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ठाणे Thane . . . . | 2019-2020 | 1815 | 14 | 2015130 | 10203 | 191310 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1815 | 14 | 184232 | 1290 | 182842 | 0 |
| | | 2021-2022 | 1815 | 14 | 182842 | 0 | 182842 | 0 |
| 4 | पालघर Palghar . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | रायगड Raigad . . . . | 2019-2020 | 680 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 680 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 680 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | रत्नागिरी Ratnagiri . . . . | 2019-2020 | 174 | 0 | 620.542 | 0 | 620.542 | 0 |
| | | 2020-2021 | 175 | 0 | 620.542 | 94.512 | 526.030 | 0 |
| | | 2021-2022 | 175 | 0 | 520.030 | 0 | 526.030 | 0 |
| 7 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg . . . . | 2019-2020 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण कोकण विभाग Total Kokan Dvn. . . | 2019-2020 | 4832 | 37 | 2015750.542 | 13351 | 191930.54 | 0 |
| | | 2020-2021 | 4833 | 37 | 184852.542 | 1469.512 | 183368.030 | 0 |
| | | 2021-2022 | 4833 | 37 | 183368.03 | 0 | 183368.030 | 0 |
| 8 | नाशिक Nashik . . . . | 2019-2020 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | धुळे Dhule . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | नंदुरबार Nandurbar . . . . | 2019-2020 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | जळगाव Jalgaon . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

५
5

**वसूल केलेला करमणूक कर दाखवितो** (रुपये हजारात)

**detection of Evasion and Collection of Entertainment Tax** (Rs. in thousand)

| चुकविलेला कर शोधून काढलेली प्रकरणे<br>No. of cases of Tax evasion detected | चुकविलेल्या कराची रक्कम<br>Amount of Tax evaded | स्तंभ (११) पैकी वसूल केलेली रक्कम<br>Amount recovered out of Col. (11) | शिल्लक रक्कम<br>Balance Amount | भरलेल्या खटल्यांची संख्या<br>No. of prosecutions launched | ज्यामध्ये शिक्षा झाली आहे अशा प्रकरणांची संख्या<br>No. of cases ending in conviction | कलम ९-अ खाली आपस मेळ रक्कम यातून वसूल केल्यावर जी प्रकरणे मागे घेतली त्यांची संख्या<br>No. of cases withdrawn after recovery of composition sum u/s. 9-A | दोषमुक्ती मिळालेल्या प्रकरणांची संख्या<br>No. of cases ending in acquittance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

तक्ता
**TABLE**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | अहमदनगर Ahmadnagar . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 105.398 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण नाशिक विभाग | 2019-2020 | 35 | 0 | 0 | 105.398 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 35 | 0 | 0 | 45.500 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | पुणे Pune . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | सोलापूर Solapur . . . . | 2019-2020 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | सातारा Satara . . . . | 2019-2020 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | सांगली Sangli . . . . | 2019-2020 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | कोल्हापूर Kolhapur . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण पुणे विभाग | 2019-2020 | 137 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 137 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 138 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागपूर Nagpur . . . . | 2019-2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 2020-2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | वर्धा Wardha . . . . | 2019-2020 | 270 | 1 | 0 | 594.70 | 594.70 | 15 |
| | | 2020-2021 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 270 | 1 | 405 | 405 | 0 | 0 |
| 20 | चंद्रपूर Chandrapur . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | गडचिरोली Gadchiroli . . . . | 2019-2020 | 67 | 2 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| | | 2020-2021 | 67 | 2 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| | | 2021-2022 | 67 | 2 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| 22 | भंडारा Bhandara . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | गोंदिया Gondia . . . . | 2019-2020 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण नागपूर विभाग Total Nagpur Dvn. . . | 2019-2020 | 407 | 6 | 15.00 | 594.70 | 609.70 | 21 |
| | | 2020-2021 | 407 | 7 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| | | 2021-2022 | 407 | 4 | 420.00 | 405.00 | 15.00 | 0 |

५—चालू
**5---**_Contd._

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2914.32 | 34.08 | 2880.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2880.24 | 0 | 2880.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2914.32 | 34.08 | 2880.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2880.00 | 0 | 2880.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

तक्ता
**TABLE**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अमरावती | | | | | | | |
| 24 | Amravati . . . . | 2019-2020 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | |
| 25 | Akola . . . . | 2019-2020 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | |
| 26 | Yavatmal . . . . | 2019-2020 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | |
| 27 | Buldhana . . . . | 2019-2020 | 53148 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 53148 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 53148 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | |
| 28 | Washim . . . . | 2019-2020 | 15116 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 15116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 15116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण अमरावती विभाग | 2019-2020 | 68546 | 37 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Amravati Dvn. | 2020-2021 | 68546 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 68527 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad . . . . | 2019-2020 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | |
| 30 | Beed . . . . | 2019-2020 | 0 | 4 | 37.21 | 0 | 37.21 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 4 | 33.88 | 0 | 33.88 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 4 | 32.63 | 0 | 32.63 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | |
| 31 | Nanded . . . . | 2019-2020 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| | | 2020-2021 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| | | 2021-2022 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | |
| 32 | Osmanabad . . . . | 2019-2020 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | |
| 33 | Parbhani . . . . | 2019-2020 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| | | 2020-2021 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| | | 2021-2022 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| | हिंगोली | | | | | | | |
| 34 | Hingoli . . . . | 2019-2020 | 2 | 2 | 27.08 | 0 | 27.08 | 0 |
| | | 2020-2021 | 2 | 2 | 27.08 | 0 | 27.08 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | |
| 35 | Jalna . . . . | 2019-2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | |
| 36 | Latur . . . . | 2019-2020 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | | 2020-2021 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण औरंगाबाद विभाग | 2019-2020 | 220 | 35 | 64.29 | 0 | 64.29 | 1398 |
| | Total Aurangabad Dvn. | 2020-2021 | 197 | 30 | 60.96 | 0 | 60.96 | 728 |
| | | 2021-2022 | 173 | 19 | 32.63 | 0 | 32.63 | 501 |

५—चालू
**5---***Contd.*

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

खालील तक्ता जाहिरात कर वसुली दर्शवितो.––

The following table indicates receipt of Advertising Tax.—

**तक्ता-६**

**TABLE-6**

(रक्कम रुपयांमध्ये)
(Amount in Rs.)

| अनुक्रमांक Sr. No. (1) | जिल्हा District (2) | वर्ष Year (3) | वसुलीची रक्कम Amount Recoverable (4) | वसूल केलेली रक्कम Amount Recovered (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई Mumbai .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 2 | मुंबई उपनगर Mumbai S.D. .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 3 | ठाणे Thane .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 4 | पालघर Palghar .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 5 | रायगड Raigad .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 6 | रत्नागिरी Ratnagiri .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 7 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 8 | नाशिक Nasik .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 9 | धुळे Dhule .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 10 | नंदुरबार Nandurbar. .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 11 | जळगाव Jalgaon .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 12 | अहमदनगर Ahmednagar .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 13 | पुणे Pune .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |

**तक्ता-६—चालू**
**TABLE-6---***Contd.*

(रक्कम रुपयांमध्ये)
(Amount in Rs.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | सोलापूर Solapur . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 15 | सातारा Satara . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 16 | सांगली Sangli . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 17 | कोल्हापूर Kolhapur . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 18 | नागपूर Nagpur . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 19 | वर्धा Wardha . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 20 | चंद्रपूर Chandrapur . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 21 | गडचिरोली Gadchiroli . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 22 | भंडारा Bhandara . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 23 | गोंदिया Gondia . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 24 | अमरावती Amravati . . . . . . | 2019-2020 | 4527 | 0 |
| | | 2020-2021 | 4527 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 25 | अकोला Akola . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 26 | यवतमाळ Yavatmal . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| 27 | बुलडाणा Buldana . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |

**तक्ता-६**—चालू

**TABLE-6---***Contd.*

(रक्कम रुपयांमध्ये)
(Amount in Rs.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | वाशीम | | | |
| 28 | Washim . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | |
| 29 | Aurangabad . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| | बीड | | | |
| 30 | Beed . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| | नांदेड | | | |
| 31 | Nanded . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | . . | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | |
| 32 | Osmanabad . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | |
| 33 | Parbhani . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | |
| 34 | Hingoli . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| | जालना | | | |
| 35 | Jalna . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | |
| 36 | Latur . . . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 |

**महसुली प्रकरणांची कामे**

जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उप-जिल्हाधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी, अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी, उप-विभागीय अधिकारी, उप-विभागीय दंडाधिकारी, इतर उप-जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, नायब-तहसिलदार, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना निरनिराळ्या कायद्यांतर्गत मूळ प्रकरणे ऐकणे व निकाल देणेचे अधिकार तसेच अपिलाची व फेरअर्जाची सुनावणी करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत :—

(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६. प्रकरण १५, कलमे ३०८ ते ३२६.

(२) किरकोळ खनिजे नियम.

(३) महाराष्ट्र झाडे तोड (नियमन) अधिनियम, १९६४.

(४) मुंबई कुळ वहिवाट शेत जमीन अधिनियम, १९४८.

(५) हैद्राबाद कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५०.

(६) महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१.

(७) आदिवासींना जमिनी परत करणे.

(८) फौजदारी कार्यप्रणाली संहिता आणि भारतीय दंड संहिता.

(९) भारतीय सुरक्षा नियम.

(१०) मुंबई चित्रपटगृहे (विनियमन) अधिनियम, १९५३.

(११) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम, १९६६.

(१२) मुंबई करमणूक कर व नियम अधिनियम, १९२३.

(१३) निर्वासित मालमत्तेचा नियंत्रण कायदा, १९५०.

(१४) महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५.

(१५) महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापितांचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६.

(१६) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६.

(१७) महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, १९७५.

(१८) मुंबई कुळ व शेत जमीन (विदर्भ विभाग कायदा, १९५८).

(१९) मुंबई कनिष्ठ ग्राम वेतन निरसन कायदा, १९५८.

(२०) साष्टी ईस्टेट (जमीन महसूल सूट) निरसन कायदा, १९५१.

(२१) मुंबई भिल्लू नाईक इनाम कायदा, १९५५.

(२२) मुंबई शेटजी वतन हक्क रत्नागिरी निरसन कायदा, १९५६.

(२३) महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीन प्रत्यार्पित करणेचा कायदा, १९७४.

खालील तक्ता निरनिराळ्या अधिनियमाखाली जिल्हाधिका-यांनी निकाली काढलेल्या प्रकरणांची माहिती दर्शवितो :—

The following table indicates the disposal of cases under various Acts by Collectors :---

जिल्हाधिकारी

Collectors

तक्ता-७

TABLE-7

| अनु- क्रमांक Serial No. | जिल्हा District | | वर्ष Year | वर्षाच्या प्रारंभी प्रलंबित असलेली प्रकरणे No. of cases pending at the beginning of the year | वर्षात दाखल झालेली प्रकरणे Cases instituted during the year | एकूण (स्तंभ ४ + ५) Total (Col. 4 + 5) | वर्षात निकाली काढावयाची प्रकरणे Disposal during the year | वर्षाच्या शेवटी प्रलंबित असलेली प्रकरणे No. of cases pending at the end of the year | स्तंभ (८) मध्ये दर्शविलेल्या प्रलंबित प्रकरणांची विल्हेवाट Break-up of pending cases in Col. (8) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | एक वर्षाच्या आत Up to One year | एक वर्षाच्या वर Over One year | दोन वर्षाच्या वर Over Two years | तीन वर्षाच्या वर Over Three years |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | मुंबई शहर | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mumbai City | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मुंबई उपनगर जिल्हा | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mumbai S. D. | . . | 2019-2020 | 27 | 22 | 49 | 14 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 35 | 7 | 42 | 12 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| | ठाणे | | | | | | | | | | | |
| 3 | Thane | . . | 2019-2020 | 3047 | 1467 | 4514 | 1507 | 3007 | 2315 | 692 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 3007 | 712 | 3719 | 910 | 2809 | 2199 | 610 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 2809 | 595 | 3404 | 251 | 3153 | 2642 | 511 | 0 | 0 |
| | पालघर | | | | | | | | | | | |
| 4 | Palghar | . . | 2019-2020 | 1702 | 31570 | 33272 | 31568 | 1704 | 1637 | 67 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 1704 | 15907 | 17611 | 16150 | 1461 | 1371 | 90 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 1461 | 28246 | 29707 | 28495 | 1212 | 1212 | 0 | 0 | 0 |
| | रायगड | | | | | | | | | | | |
| 5 | Raigad | . . | 2019-2020 | 1991 | 58 | 2049 | 21 | 2028 | 58 | 35 | 149 | 1786 |
| | | | 2020-2021 | 2028 | 104 | 2132 | 22 | 2110 | 101 | 29 | 136 | 1844 |
| | | | 2021-2022 | 2110 | 85 | 2195 | 0 | 2195 | 2195 | 0 | 0 | 0 |
| | रत्नागिरी | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ratnagiri | . . | 2019-2020 | 1614 | 915 | 2529 | 1346 | 1183 | 886 | 297 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 1183 | 1053 | 2236 | 1161 | 1075 | 691 | 384 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 1075 | 258 | 1333 | 671 | 662 | 278 | 384 | 0 | 0 |
| | सिंधुदुर्ग | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sindhudurg | . . | 2019-2020 | 3485 | 1852 | 5337 | 2700 | 2637 | 2097 | 324 | 208 | 8 |
| | | | 2020-2021 | 2637 | 2222 | 4859 | 3240 | 1619 | 971 | 389 | 249 | 10 |
| | | | 2021-2022 | 1619 | 2099 | 3718 | 2131 | 1587 | 636 | 545 | 301 | 105 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | नाशिक<br>Nashik | . . | 2019-2020 | 1960 | 3252 | 5212 | 3840 | 1372 | 825 | 440 | 107 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 1372 | 3474 | 4846 | 3635 | 1211 | 740 | 370 | 101 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 1211 | 3612 | 4823 | 3430 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | धुळे<br>Dhule | . . | 2019-2020 | 70 | 40 | 110 | 110 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 55 | 22 | 77 | 19 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 58 | 40 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | नंदुरबार<br>Nandurbar | . . | 2019-2020 | 41 | 64 | 105 | 67 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 38 | 80 | 118 | 121 | 68 | 40 | 28 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 35 | 40 | 75 | 100 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | जळगांव<br>Jalgaon | . . | 2019-2020 | 36 | 20 | 56 | 19 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 37 | 37 | 74 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 55 | 68 | 123 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | अहमदनगर<br>Ahmednagar | . . | 2019-2020 | 41 | 59 | 100 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 20 | 13 | 33 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | पुणे<br>Pune | . . | 2019-2020 | 3365 | 1050 | 4415 | 640 | 3775 | 1840 | 1224 | 585 | 126 |
| | | | 2020-2021 | 3775 | 525 | 4300 | 960 | 3340 | 1260 | 955 | 742 | 383 |
| | | | 2021-2022 | 3340 | 810 | 4150 | 1250 | 2900 | 1020 | 880 | 650 | 350 |
| 14 | सोलापूर<br>Solapur | . . | 2019-2020 | 1126 | 670 | 1796 | 1280 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 516 | 737 | 1253 | 952 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 301 | 810 | 1111 | 750 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | सातारा<br>Satara | . . | 2019-2020 | 635 | 535 | 1170 | 480 | 690 | 530 | 160 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 690 | 525 | 1215 | 580 | 635 | 312 | 323 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 635 | 34 | 669 | 460 | 209 | 103 | 106 | 0 | 0 |
| 16 | सांगली<br>Sangli | . . | 2019-2020 | 289 | 470 | 795 | 529 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 230 | 490 | 720 | 470 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 250 | 499 | 749 | 577 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | कोल्हापूर<br>Kolhapur | . . | 2019-2020 | 849 | 1130 | 1979 | 1100 | 879 | 715 | 133 | 31 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 879 | 1110 | 1989 | 1099 | 890 | 450 | 350 | 90 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 890 | 775 | 1665 | 825 | 840 | 450 | 190 | 200 | 0 |

**तक्ता ७**—चालू

**TABLE 7**.—*Contd.*

| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अमरावती | | | | | | | | | | | |
| 18 | Amravati | . . | 2019-2020 | 3826 | 1767 | 5593 | 1378 | 4215 | 3951 | 218 | 46 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 4215 | 588 | 4803 | 1437 | 3866 | 3047 | 267 | 52 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | |
| 19 | Akola | . . | 2019-2020 | 994 | 1326 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 704 | 900 | 1604 | 1397 | 207 | 412 | 212 | 61 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 772 | 897 | 1669 | 1412 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | |
| 20 | Yavatmal | . . | 2019-2020 | 1124 | 3990 | 5114 | 2650 | 2464 | 2410 | 54 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 2464 | 1196 | 3660 | 2181 | 1479 | 1284 | 195 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलडाणा | | | | | | | | | | | |
| 21 | Buldana | . . | 2019-2020 | 2523 | 1499 | 4022 | 1762 | 2260 | 1737 | 523 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 2260 | 2109 | 4369 | 2534 | 1835 | 1209 | 626 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | | |
| 22 | Washim | | 2019-2020 | 378 | 1222 | 1600 | 1152 | 448 | 258 | 190 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 448 | 1100 | 1548 | 1250 | 298 | 210 | 88 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 298 | 740 | 1038 | 830 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | | | | |
| 23 | Nagpur | . . | 2019-2020 | 625 | 148 | 773 | 121 | 652 | 312 | 219 | 121 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 652 | 151 | 803 | 197 | 606 | 275 | 214 | 117 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 606 | 144 | 750 | 119 | 631 | 290 | 227 | 114 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | | | | |
| 24 | Wardha | . . | 2019-2020 | 246 | 279 | 525 | 372 | 153 | 120 | 33 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 153 | 205 | 358 | 305 | 53 | 44 | 9 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 53 | 273 | 326 | 264 | 62 | 46 | 16 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | | | |
| 25 | Chandrapur | . . | 2019-2020 | 2232 | 2090 | 4322 | 2995 | 1327 | 1210 | 117 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 1327 | 3750 | 5077 | 3200 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 1877 |
| | | | 2021-2022 | 1877 | 4500 | 6377 | 4200 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 2177 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | | | |
| 26 | Gadchiroli | . . | 2019-2020 | 361 | 257 | 618 | 362 | 256 | 119 | 27 | 110 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 256 | 201 | 457 | 166 | 291 | 163 | 26 | 102 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 291 | 0 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| | भंडारा | | | | | | | | | | | |
| 27 | Bhandara | . . | 2019-2020 | 82 | 405 | 487 | 395 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 92 | 126 | 218 | 125 | 93 | 15 | 0 | 0 | 78 |
| | | | 2021-2022 | 125 | 107 | 232 | 163 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गोंदिया | | | | | | | | | | | |
| 28 | Gondia | . . | 2019-2020 | 629 | 1946 | 2575 | 1967 | 608 | 211 | 107 | 42 | 248 |
| | | . . | 2020-2021 | 479 | 1583 | 2062 | 1174 | 888 | 131 | 51 | 21 | 685 |
| | | . . | 2021-2022 | 505 | 1194 | 1699 | 909 | 780 | 108 | 10 | 23 | 649 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad | . . | 2019-2020 | 1127 | 240 | 1367 | 210 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2020-2021 | 1157 | 320 | 1477 | 400 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2021-2022 | 1077 | 128 | 1205 | 1058 | 147 | 69 | 78 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | | | | |
| 30 | Beed | . . | 2019-2020 | 259 | 131 | 390 | 308 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2020-2021 | 82 | 210 | 292 | 205 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2021-2022 | 199 | 479 | 678 | 616 | 255 | 171 | 75 | 8 | 1 |
| | नांदेड | | | | | | | | | | | |
| 31 | Nanded | . . | 2019-2020 | 248 | 1224 | 1472 | 1220 | 251 | 215 | 36 | 0 | 0 |
| | | . . | 2020-2021 | 230 | 1140 | 1370 | 1125 | 245 | 217 | 28 | 0 | 0 |
| | | . . | 2021-2022 | 255 | 1254 | 1509 | 1280 | 229 | 197 | 32 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | | | | |
| 32 | Osmanabad | . . | 2019-2020 | 143 | 350 | 493 | 260 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2020-2021 | 233 | 152 | 385 | 244 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2021-2022 | 213 | 150 | 363 | 213 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | | | | | |
| 33 | Parbhani | . . | 2019-2020 | 69 | 295 | 364 | 260 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2020-2021 | 104 | 240 | 344 | 242 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2021-2022 | 102 | 190 | 292 | 180 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | | | | | |
| 34 | Hingoli | . . | 2019-2020 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2020-2021 | 40 | 80 | 120 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2021-2022 | 20 | 95 | 115 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | | | | |
| 35 | Jalna | . . | 2019-2020 | 210 | 216 | 426 | 217 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2020-2021 | 204 | 135 | 339 | 11 | 328 | 153 | 175 | 0 | 0 |
| | | . . | 2021-2022 | 328 | 60 | 388 | 173 | 215 | 105 | 110 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | | | | |
| 36 | Latur | . . | 2019-2020 | 536 | 830 | 1366 | 720 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2020-2021 | 646 | 960 | 1606 | 850 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 |
| | | . . | 2021-2022 | 756 | 910 | 1666 | 1020 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 |

## फेरफाराच्या नोंदी

## MUTATION ENTRIES

ज्यावेळी जमिनीच्या कब्जेदाराच्या नावात बदल होतो त्यावेळी जमीन धारण करणारा कब्जेदार अशा बदलाबाबतची जरूर ती दुरूस्ती गावचे दफ्तरी नोंद करण्यासाठी तलाठ्यास कळवितो. त्याप्रमाणे तलाठी हक्क-नोंदणी बुकात नोंद घेतो. अशा प्रकारचा बदल मंजूर करण्याचा अधिकार फक्त मंडळ निरीक्षकापेक्षा दर्जाने कमी नाहीत अशा महसुली अधिका-यांना आहे आणि नंतर हक्क नोंद दुरूस्ती प्रमाणित केली जाते.

खालील तक्ता या मुद्यांचा कार्यभार दर्शवितो.

The following table gives work-load of this item :—

### तक्ता-८

### TABLE-8

| अनु.-क्रमांक Serial No. (1) | जिल्हा District (2) | वर्ष Year (3) | वर्षारंभी शिल्लक असलेल्या फेरफाराच्या नोंदी No. of Mutation Entries pending at the beginning of the year (4) | वर्षातील आवक Receipt during the year (5) | एकूण Total (6) | वर्षात निकाली काढलेल्या फेरफाराच्या नोंदी No. of Mutation Entries disposed off during the year (7) | शिल्लक Balance (8) | तीन महिन्यां-पर्यंत Up to three Months (9) | तीन महिन्यां-हून अधिक Above three Months (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुंबई | | | | | | | | |
| 1 | Mumbai . . . . | 2019-2020 | 0 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 416 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 300 | 300 | 298 | 2 | 2 | 0 |
| | मुंबई उपनगर जिल्हा | | | | | | | | |
| 2 | M. S. D. . . . . | 2019-2020 | 79 | 331 | 410 | 325 | 85 | 61 | 24 |
| | | 2020-2021 | 85 | 87 | 172 | 91 | 81 | 36 | 45 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ठाणे | | | | | | | | |
| 3 | Thane . . . . | 2019-2020 | 3062 | 23484 | 26546 | 19500 | 7046 | 5781 | 1265 |
| | | 2020-2021 | 7046 | 24468 | 31514 | 24695 | 6819 | 5965 | 85 |
| | | 2021-2022 | 6819 | 26597 | 33416 | 0 | 33416 | 33416 | 0 |
| | पालघर | | | | | | | | |
| 4 | Palghar . . . . | 2019-2020 | 3280 | 18570 | 21850 | 18231 | 3619 | 3158 | 461 |
| | | 2020-2021 | 3619 | 52046 | 55665 | 46111 | 9554 | 8889 | 665 |
| | | 2021-2022 | 9554 | 35431 | 44985 | 42818 | 2467 | 1757 | 710 |
| | रायगड | | | | | | | | |
| 5 | Raigad . . | 2019-2020 | 4209 | 31931 | 36140 | 31275 | 4865 | 4374 | 491 |
| | | 2020-2021 | 4865 | 5813 | 20678 | 16043 | 4635 | 4635 | 0 |
| | | 2021-2022 | 4635 | 23874 | 28507 | 0 | 28507 | 0 | 28507 |
| | रत्नागिरी | | | | | | | | |
| 6 | Ratnagiri . . . . | 2019-2020 | 8429 | 43158 | 51587 | 41767 | 9820 | 8825 | 995 |
| | | 2020-2021 | 9820 | 45144 | 54964 | 44563 | 10401 | 9392 | 1009 |
| | | 2021-2022 | 10401 | 34082 | 44483 | 31153 | 13330 | 11445 | 1885 |
| | सिंधुदुर्ग | | | | | | | | |
| 7 | Sindhudurg. . . . | 2019-2020 | 1248 | 1895 | 3143 | 2468 | 675 | 659 | 16 |
| | | 2020-2021 | 675 | 5716 | 6391 | 2436 | 3955 | 2526 | 1429 |
| | | 2021-2022 | 3955 | 107124 | 111079 | 99312 | 11767 | 7649 | 4118 |
| | नाशिक | | | | | | | | |
| 8 | Nashik . . . . | 2019-2020 | 9330 | 38981 | 48911 | 39953 | 8348 | 4133 | 4215 |
| | | 2020-2021 | 6910 | 41948 | 48858 | 44045 | 6426 | 3128 | 4068 |
| | | 2021-2022 | 6423 | 52467 | 58893 | 11208 | 5237 | 4059 | 1176 |
| | धुळे | | | | | | | | |
| 9 | Dhule . . . . | 2019-2020 | 1652 | 16121 | 17773 | 16595 | 1178 | 623 | 485 |
| | | 2020-2021 | 454 | 9365 | 9819 | 9528 | 291 | 0 | 291 |
| | | 2021-2022 | 1053 | 12743 | 13796 | 13796 | 0 | 0 | 0 |
| | नंदुरबार | | | | | | | | |
| 10 | Nandurbar . . | 2019-2020 | 2713 | 43935 | 46813 | 42022 | 4809 | 2083 | 2708 |
| | | 2020-2021 | 2465 | 46753 | 49333 | 44471 | 4862 | 2167 | 2596 |
| | | 2021-2022 | 2234 | 44620 | 46864 | 41845 | 4874 | 2028 | 2846 |

**तक्ता-८**—चालू

**TABLE-8**—*contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जळगांव | | | | | | | | |
| 11 | Jalgaon . . . . | 2019-2020 | 3214 | 26258 | 29472 | 23877 | 5595 | 1200 | 4395 |
| | | 2020-2021 | 3060 | 56731 | 59791 | 55196 | 4595 | 719 | 3876 |
| | | 2021-2022 | 4595 | 47425 | 52020 | 37036 | 4492 | 1498 | 2994 |
| | अहमदनगर | | | | | | | | |
| 12 | Ahmednagar. . . . | 2019-2020 | 6850 | 183348 | 189798 | 178415 | 6790 | 3095 | 3095 |
| | | 2020-2021 | 7580 | 209408 | 216988 | 205178 | 7925 | 3944 | 3961 |
| | | 2021-2022 | 10891 | 196077 | 216968 | 205774 | 11153 | 6392 | 2955 |
| | पुणे | | | | | | | | |
| 13 | Pune . . . . | 2019-2020 | 61411 | 190455 | 251866 | 220924 | 30942 | 12144 | 18798 |
| | | 2020-2021 | 30942 | 132994 | 163936 | 137413 | 26523 | 9102 | 17421 |
| | | 2021-2022 | 26523 | 176224 | 202747 | 188242 | 14505 | 5798 | 8707 |
| | सोलापूर | | | | | | | | |
| 14 | Solapur . . | 2019-2020 | 3854 | 115241 | 119095 | 112810 | 6285 | 2514 | 3771 |
| | | 2020-2021 | 6285 | 129531 | 135816 | 129722 | 6094 | 1019 | 5075 |
| | | 2021-2022 | 6094 | 167892 | 173986 | 168030 | 5956 | 3782 | 2174 |
| | सातारा | | | | | | | | |
| 15 | Satara . . . . | 2019-2020 | 4703 | 42185 | 46888 | 42349 | 4539 | 2988 | 1551 |
| | | 2020-2021 | 3254 | 62348 | 65602 | 61843 | 3759 | 3432 | 327 |
| | | 2021-2022 | 3759 | 101179 | 104938 | 100157 | 4781 | 3954 | 827 |
| | सांगली | | | | | | | | |
| 16 | Sangli . . . . | 2019-2020 | 9002 | 25760 | 34762 | 28275 | 6487 | 4098 | 2389 |
| | | 2020-2021 | 6487 | 27674 | 34161 | 25231 | 8930 | 5368 | 3562 |
| | | 2021-2022 | 4687 | 24578 | 29265 | 26875 | 2390 | 1154 | 1236 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | |
| 17 | Kolhapur . . . . | 2019-2020 | 7759 | 776 | 8535 | 1979 | 6556 | 6556 | 0 |
| | | 2020-2021 | 6556 | 101372 | 107928 | 98204 | 9724 | 8224 | 1500 |
| | | 2021-2022 | 9724 | 998 | 10722 | 8537 | 2185 | 2185 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | |
| 18 | Amravati . . . . | 2019-2020 | 33057 | 17000 | 50057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 50057 | 161424 | 211481 | 169170 | 42311 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | |
| 19 | Akola . . | 2019-2020 | 1025 | 62076 | 63101 | 62630 | 471 | 366 | 105 |
| | | 2020-2021 | 471 | 60771 | 61242 | 61155 | 87 | 71 | 16 |
| | | 2021-2022 | 87 | 61659 | 61746 | 61746 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | |
| 20 | Washim . . . . | 2019-2020 | 500 | 4594 | 5094 | 4268 | 826 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 826 | 7855 | 8681 | 7865 | 816 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | |
| 21 | Yavatmal . . | 2019-2020 | 1290 | 5000 | 6290 | 5300 | 990 | 990 | 0 |
| | | 2020-2021 | 990 | 3900 | 4890 | 3400 | 1490 | 1490 | 0 |
| | | 2021-2022 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलडाणा | | | | | | | | |
| 22 | Buldana . . . . | 2019-2020 | 1353 | 4355 | 5708 | 4284 | 1424 | 731 | 693 |
| | | 2020-2021 | 1424 | 10510 | 11934 | 9970 | 1964 | 1921 | 43 |
| | | 2021-2022 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | |
| 23 | Nagpur . . . . | 2019-2020 | 30836 | 228982 | 259818 | 166714 | 93104 | 37242 | 55862 |
| | | 2020-2021 | 93104 | 262187 | 355291 | 342971 | 12320 | 7407 | 4913 |
| | | 2021-2022 | 12320 | 0.00 | 12320 | 0.00 | 12320 | 0.00 | 12320 |

**तक्ता-८**—चालू

**TABLE-8**—*contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्धा | | | | | | | | |
| 24 | Wardha . . . . | 2019-2020 | 306 | 28672 | 28978 | 28978 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0.0 | 28978 | 28978 | 28927 | 51 | 51 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0.0 | 28996 | 28996 | 28966 | 30 | 30 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | | |
| 25 | Gondia . . . . | 2019-2020 | 686 | 22000 | 22686 | 22014 | 672 | 626 | 46 |
| | | 2020-2021 | 669 | 15026 | 15695 | 14092 | 1603 | 927 | 676 |
| | | 2021-2022 | 448 | 11574 | 12022 | 0.0 | 12022 | 0 | 12022 |
| | भंडारा | | | | | | | | |
| 26 | Bhandara . . | 2019-2020 | 484 | 27131 | 27615 | 26918 | 697 | 372 | 325 |
| | | 2020-2021 | 697 | 27532 | 28229 | 27205 | 1024 | 327 | 687 |
| | | 2021-2022 | 1024 | 32442 | 33466 | 31811 | 1655 | 483 | 1172 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | |
| 27 | Chandrapur. . . . | 2019-2020 | 205 | 38625 | 38830 | 38680 | 150 | 150 | 0 |
| | | 2020-2021 | 150 | 38820 | 38970 | 38680 | 290 | 150 | 140 |
| | | 2021-2022 | 248 | 39220 | 39468 | 38852 | 616 | 616 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | |
| 28 | Gadchiroli . . . . | 2019-2020 | 800 | 11023 | 11823 | 9833 | 1990 | 1904 | 86 |
| | | 2020-2021 | 1990 | 11249 | 13239 | 8509 | 4730 | 3927 | 803 |
| | | 2021-2022 | 4730 | 11937 | 16667 | 7550 | 9117 | 7114 | 2003 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad. . . . | 2019-2020 | 575 | 24329 | 23257 | 22559 | 698 | 24298 | 0 |
| | | 2020-2021 | 756 | 26545 | 27301 | 26892 | 409 | 26483 | 0 |
| | | 2021-2022 | 889 | 27235 | 28124 | 27600 | 524 | 524 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | |
| 30 | Beed . . . . | 2019-2020 | 1040 | 2510 | 3550 | 2980 | 570 | 387 | 183 |
| | | 2020-2021 | 570 | 2910 | 3480 | 2871 | 609 | 393 | 216 |
| | | 2021-2022 | 570 | 3233 | 3803 | 3074 | 729 | 573 | 156 |
| | नांदेड | | | | | | | | |
| 31 | Nanded . . | 2019-2020 | 502 | 7248 | 7750 | 7338 | 812 | 412 | 0 |
| | | 2020-2021 | 412 | 7540 | 7952 | 7484 | 468 | 468 | 0 |
| | | 2021-2022 | 468 | 7840 | 8308 | 7860 | 448 | 448 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | |
| 32 | Osmanabad . . | 2019-2020 | 226 | 89447 | 88677 | 87681 | 996 | 78 | 918 |
| | | 2020-2021 | 996 | 75264 | 76260 | 73703 | 2557 | 178 | 769 |
| | | 2021-2022 | 2257 | 199930 | 202187 | 191454 | 10733 | 10324 | 409 |
| | परभणी | | | | | | | | |
| 33 | Parbhani . . | 2019-2020 | 2150 | 38757 | 40907 | 32849 | 8058 | 7608 | 450 |
| | | 2020-2021 | 8058 | 39543 | 47601 | 42539 | 5062 | 4592 | 470 |
| | | 2021-2022 | 5062 | 38422 | 48546 | 44372 | 4174 | 3581 | 593 |
| | हिंगोली | | | | | | | | |
| 34 | Hingoli . . . . | 2019-2020 | 995 | 700 | 1695 | 1240 | 455 | 403 | 52 |
| | | 2020-2021 | 455 | 1824 | 2279 | 1937 | 342 | 307 | 35 |
| | | 2021-2022 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | |
| 35 | Jalna . . . . | 2019-2020 | 1645 | 40500 | 42145 | 40000 | 2145 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 839 | 40541 | 41380 | 40300 | 1080 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 1080 | 47848 | 48928 | 35044 | 13884 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | |
| 36 | Latur . . . . | 2019-2020 | 1140 | 24385 | 24525 | 23318 | 2207 | 1140 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1023 | 25758 | 26781 | 25556 | 1225 | 927 | 0 |
| | | 2021-2022 | 904 | 26421 | 27325 | 25622 | 1703 | 1703 | 0 |

## सीमा चिन्हांची दुरूस्ती

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १४० व जमीन महसूल (सीमा व सीमा चिन्हे) नियम, १९६९ अन्वये प्रत्येक जमीनधारकास हद्दीच्या निशाण्या सुव्यवस्थित ठेवाव्या लागतात. एखादा जमीनधारक १ फेब्रुवारीपर्यंत जमिनीच्या चिन्हाच्या दुरूस्ती करण्याचे कामी कसूर करीत असेल तर त्या चिन्हाची दुरूस्ती शासनाचे खर्चाने करण्यात येते व याकरिता येणारा खर्च संबंधित जमीनधारकांकडून जमीन महसुलांची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येते.

## दरवर्षी खातेदारास गाव नमुना नं. ७/१२ उता-याचे वितरण

शेतक-यांना त्यांच्या जमिनीचे अधिकार अभिलेख सहजपणे व दरवर्षी उपलब्ध व्हावेत या दृष्टीने दिनांक १ मार्च, १९९६ पासून दरवर्षी खातेदाराला गाव नमुना नं. ७/१२ उता-याचे वितरण ही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत वितरण करावयाच्या ७/१२ उता-याचे वाटप, गाव, सज्जा, तालुका, जिल्हा मुख्यालये या ठिकाणी शक्यतो सार्वजनिकरित्या लोकप्रतिनिधी किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या उपस्थितीत पूर्वनियोजन करून करण्यात येते. याशिवाय तलाठी ७/१२ वाटपाचे काम त्यांची नित्त्याची कामे सांभाळून करीत असतात. उता-याचे नमुनेही त्यांनी स्वतःच उपलब्ध करून घ्यावयाचे आहेत. प्रत्येक उता-यासाठी रुपये २ इतकी नमुना फी घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

### तक्ता ९ (अ)

खालील तक्ता ७/१२ उता-यांच्या वाटपाची प्रगती दर्शवितो.

The following table indicates the progress made in the distribution of 7/12 extracts.

**"दरवर्षी खातेदारांना गाव नमुना नंबर ७/१२ उता-याचे वितरण" या योजनेचा**
**खरीप हंगामातील माहे सप्टेंबर, २०२० अखेरचा प्रगती अहवाल**

| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | खरीप हंगामातील एकूण खातेदार | खरीप हंगामातील खातेदारांना वितरीत करावयाच्या ७/१२ उता-यांची एकूण संख्या | माहे ऑगस्ट, २०२० अखेर वितरीत केलेल्या ७/१२ ची संख्या | | माहे सप्टेंबर, २०२० अखेर वितरीत केलेल्या ७/१२ ची संख्या | | माहे सप्टेंबर, २०२० अखेर प्रत्यक्ष वितरीत केलेल्या ७/१२ ची संख्या | झालेल्या कामाची एकूण टक्केवारी (रकाना क्र. ४ च्या तुलनेत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | खातेदार | ७/१२ उता-यांची संख्या | खातेदार | ७/१२ उता-यांची संख्या | | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५अ) | (५ब) | (६अ) | (६ब) | (७) | (८) |
| १. | मुंबई शहर .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| २. | मुंबई उपनगर .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ३. | ठाणे .. .. | 253432 | 301606 | 59674 | 86522 | 25555 | 48246 | 134768 | 44.68 |
| ४. | पालघर .. .. | 210816 | 361083 | 167328 | 302702 | 15185 | 28483 | 331185 | 91.72 |
| ५. | रायगड .. .. | 338129 | 589099 | 114112 | 150789 | 68132 | 107798 | 258587 | 43.90 |
| ६. | रत्नागिरी .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ७. | सिंधुदुर्ग .. .. | 227053 | 1627174 | 77110 | 651762 | 85666 | 770993 | 1422755 | 87.44 |
| | **कोकण विभाग एकूण** .. | 1029130 | 2878962 | 418224 | 1191775 | 194538 | 955520 | 2147295 | 74.59 |
| ८. | पुणे .. .. | 829000 | 780901 | 323552 | 241245 | 275209 | 228141 | 469386 | 60.10 |
| ९. | सातारा .. .. | 737893 | 862125 | 208597 | 257348 | 178238 | 213698 | 471046 | 54.64 |
| १०. | सांगली .. .. | 600621 | 576891 | 356652 | 204007 | 98472 | 122084 | 326091 | 56.52 |
| ११. | सोलापूर .. .. | 689312 | 596115 | 248685 | 212577 | 195718 | 183604 | 396181 | 66.46 |
| १२. | कोल्हापूर .. .. | 585594 | 602835 | 84042 | 384711 | 59935 | 163613 | 537065 | 89.08 |
| | **पुणे विभाग एकूण** .. | 3442420 | 3418867 | 1221528 | 1299888 | 807572 | 911140 | 2199769 | 64.34 |

**तक्ता ९(अ) — चालू**

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५अ) | (५ब) | (६अ) | (६ब) | (७) | (८) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १३ | नाशिक .. | 881011 | 902817 | 174856 | 200748 | 178282 | 190334 | 424428 | 79.57 |
| १४ | धुळे .. .. | 287071 | 350733 | 128549 | 82170 | 105674 | 55099 | 137269 | 39.14 |
| १५ | नंदुरबार .. .. | 236707 | 201554 | 52900 | 100732 | 59251 | 122487 | 244046 | 121.08 |
| १६ | जळगाव .. .. | 1291224 | 1001557 | 1032980 | 801245 | 129122 | 10015 | 811260 | 90.00 |
| १७ | अहमदनगर .. .. | 870712 | 826359 | 114071 | 145561 | 99734 | 121806 | 299302 | 47.83 |
| | **नाशिक विभाग एकूण ..** | 3566725 | 3283020 | 1503356 | 1330456 | 572063 | 499741 | 1916305 | 377.62 |
| १८ | अमरावती .. .. | 456431 | 461360 | 189430 | 222990 | 139460 | 178573 | 172745 | 37.44 |
| १९ | अकोला .. .. | 334503 | 335828 | 245987 | 190923 | 227773 | 109028 | 299951 | 89.32 |
| २० | वाशिम .. .. | 282791 | 342567 | 163487 | 187213 | 21641 | 37891 | 324879 | 94.83 |
| २१ | बुलडाणा .. .. | 342284 | 304611 | 117522 | 126940 | 86284 | 98038 | 229818 | 75 |
| २२ | यवतमाळ .. .. | 523500 | 556000 | 457000 | 517500 | 13500 | 15700 | 533200 | 96 |
| | **अमरावती विभाग एकूण ..** | 1939509 | 2000363 | 1173426 | 1245566 | 488658 | 439230 | 1560593 | 78.01 |
| २३ | नागपूर .. .. | 346037 | 467673 | 42144 | 59823 | 30844 | 49019 | 108842 | 23.27 |
| २४ | वर्धा .. .. | 204752 | 246596 | 110970 | 123890 | 57013 | 53573 | 183461 | 74.40 |
| २५ | भंडारा .. .. | 251136 | 573758 | 97115 | 113213 | 83131 | 94113 | 45312 | 7.90 |
| २६ | गोंदिया .. .. | 309345 | 590486 | 77573 | 155909 | 34385 | 72775 | 72775 | 12.32 |
| २७ | चंद्रपूर .. .. | 234885 | 387000 | 177426 | 277128 | 57459 | 109872 | 387000 | 100.00 |
| २८ | गडचिरोली .. .. | 177352 | 286218 | 22009 | 40480 | 20925 | 35981 | 76461 | 26.71 |
| | **नागपूर विभाग एकूण ..** | 1523507 | 2551731 | 527237 | 770443 | 283757 | 415333 | 873851 | 34.25 |
| २९ | औरंगाबाद .. .. | 620248 | 620248 | 512225 | 512225 | 620248 | 620248 | 620248 | 100 |
| ३० | जालना .. .. | 546891 | 546891 | 365976 | 365976 | 180915 | 181235 | 3841111 | 100 |
| ३१ | परभणी .. .. | 257513 | 257513 | 233595 | 233595 | 23918 | 23918 | 257513 | 100 |
| ३२ | हिंगोली .. .. | 274550 | 274550 | 164560 | 164560 | 109990 | 109990 | 274550 | 100 |
| ३३ | नांदेड .. .. | 294348 | 294348 | 198523 | 198523 | 95825 | 95825 | 294348 | 100 |
| ३४ | बीड .. .. | 679666 | 679666 | 90557 | 90557 | 20358 | 20358 | 281706 | 41.44 |
| ३५ | उस्मानाबाद .. .. | 416600 | 416600 | 381000 | 381000 | 35600 | 35600 | 416600 | 100 |
| ३६ | लातूर .. .. | 224425 | 224425 | 214002 | 214002 | 29955 | 29955 | 224425 | 100 |
| | **औरंगाबाद विभाग एकूण** | 3314241 | 3314241 | 2160438 | 2160438 | 1116809 | 1117129 | 6210501 | 100 |

**“दरवर्षी खातेदारांना गाव नमुना नंबर ७/१२ उता-याचे वितरण” या योजनेचा**

**रब्बी हंगामातील माहे एप्रिल, २०२० अखेरचा प्रगती अहवाल**

**तक्ता ९ (ब)**

| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | रब्बी हंगामातील एकूण खातेदार | रब्बी हंगामातील खातेदारांना वितरीत करावयाच्या ७/१२ उता-यांची एकूण संख्या | माहे मार्च, २०२० प्रत्यक्ष वितरीत केलेल्या ७/१२ ची संख्या | | माहे एप्रिल, २०२० मध्ये प्रत्यक्ष वितरीत केलेल्या ७/१२ ची संख्या | | माहे एप्रिल, २०२० अखेर प्रत्यक्ष वितरीत केलेल्या ७/१२ ची संख्या | झालेल्या कामाची एकूण टक्केवारी (रकाना क्र. ४ च्या तुलनेत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | खातेदार | ७/१२ उता-यांची संख्या | खातेदार | ७/१२ उता-यांची संख्या | | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५अ) | (५ब) | (६अ) | (६ब) | (७) | (८) |
| १ | मुंबई शहर . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| २ | मुंबई उपनगर . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ३ | ठाणे . . . . | 80041 | 39358 | 7467 | 13351 | 3021 | 4557 | 17908 | 45.50 |
| ४ | पालघर . . . . | 54719 | 68117 | 190618 | 17416 | 3271 | 6517 | 23933 | 35.14 |
| ५ | रायगड . . . . | 71708 | 89630 | 28986 | 42705 | 26084 | 34432 | 77137 | 86.06 |
| ६ | रत्नागिरी . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ७ | सिंधुदुर्ग . . . . | 227053 | 1627174 | 59509 | 534509 | 31980 | 287812 | 822321 | 50.54 |
| | **कोकण विभाग एकूण** . | 433521 | 1824279 | 286580 | 607981 | 64356 | 333318 | 941299 | 51.60 |
| ८ | पुणे . . . . | 723213 | 654321 | 321252 | 203142 | 215172 | 178251 | 381393 | 58.28 |
| ९ | सातारा . . . . | 474020 | 571645 | 149028 | 162392 | 39621 | 47693 | 210085 | 36.75 |
| १० | सांगली . . . . | 421658 | 436211 | 235638 | 80265 | 112543 | 90140 | 170405 | 39.06 |
| ११ | सोलापूर . . . . | 972517 | 821452 | 398214 | 324254 | 449255 | 404512 | 728766 | 88.72 |
| १२ | कोल्हापूर . . . . | 112799 | 11255 | 2060 | 3942 | 3319 | 6374 | 10316 | 91.66 |
| | **पुणे विभाग एकूण** . . | 2704207 | 2494884 | 1106192 | 773995 | 819910 | 726970 | 1500965 | 314 |
| १३ | नाशिक . . . . | 569420 | 631721 | 72911 | 92065 | 81312 | 89887 | 204864 | 61.41 |
| १४ | धुळे . . . . . . | 97888 | 135292 | 895113 | 35216 | 83011 | 27326 | 62542 | 46.23 |
| १५ | जळगाव . . . . | 469216 | 332432 | 187687 | 132973 | 140765 | 99730 | 232703 | 70.00 |
| १६ | अहमदनगर . . . . | 798721 | 605765 | 230227 | 189238 | 155163 | 147554 | 517955 | 24.23 |
| १७ | नंदुरबार . . . . | 37638 | 32009 | 7015 | 8426 | 8599 | 10092 | 21102 | 65.92 |
| | **नाशिक विभाग एकूण** . . | 1972883 | 1737219 | 1392953 | 457918 | 468850 | 374589 | 1039166 | 267.79 |

## तक्ता ९(ब)—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५अ) | (५ब) | (६अ) | (६ब) | (७) | (८) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १८ | अमरावती . . . . | 144890 | 154570 | 65680 | 125341 | 53960 | 27583 | 27583 | 17.84 |
| १९ | अकोला . . . . | 75632 | 56029 | 57518 | 27092 | 57741 | 27860 | 54952 | 98.08 |
| २० | वाशिम . . . . | 70934 | 70934 | 48165 | 48165 | 9039 | 9039 | 67704 | 95.44 |
| २१ | बुलढाणा . . . . | 187095 | 106648 | 36888 | 37064 | 26253 | 25564 | 60023 | 56 |
| २२ | यवतमाळ . . . . | 26300 | 31200 | 24200 | 28200 | 1320 | 2330 | 30530 | 98.00 |
| | **अमरावती विभाग एकूण. .** | 504851 | 419381 | 232451 | 265862 | 148313 | 92376 | 240792 | 57.41 |
| २३ | नागपूर . . . . | 239117 | 329776 | 26698 | 29314 | 17009 | 19642 | 48956 | 14.85 |
| २४ | वर्धा . . . . | 58030 | 65216 | 27541 | 30582 | 17600 | 20993 | 51575 | 79.08 |
| २५ | भंडारा . . . . | 251136 | 573758 | 97115 | 113213 | 83131 | 94113 | 45312 | 7.90 |
| २६ | गोंदिया . . . . | 309345 | 590486 | 120000 | 1215800 | 151100 | 289800 | 129800 | 21.98 |
| २७ | चंद्रपूर . . . . | 3639 | 10427 | 1850 | 5238 | 1789 | 5189 | 10427 | 100.00 |
| २८ | गडचिरोली . . . . | 51925 | 77625 | 13401 | 19316 | 13682 | 20160 | 39476 | 50.85 |
| | **नागपूर विभाग एकूण . .** | 913192 | 1647288 | 286605 | 1413463 | 284311 | 449897 | 325546 | 19.76 |
| २९ | औरंगाबाद . . . . | 222024 | 222024 | 218412 | 218412 | 222024 | 222024 | 222024 | 100% |
| ३० | जालना . . . . | 265095 | 266139 | 257128 | 257220 | 7967 | 8919 | 266139 | 100% |
| ३१ | परभणी . . . . | 397294 | 397294 | 356875 | 356875 | 40419 | 40419 | 397294 | 100% |
| ३२ | हिंगोली . . . . | 68395 | 68395 | 35315 | 35315 | 33080 | 33080 | 68395 | 100% |
| ३३ | नांदेड . . . . | 911321 | 911321 | 537057 | 537057 | 374264 | 374268 | 911321 | 100% |
| ३४ | बीड . . . . | 427879 | 427879 | 940000 | 940000 | 848370 | 848370 | 297830 | 69.60% |
| ३५ | उस्मानाबाद . . . . | 354110 | 354110 | 319220 | 319220 | 34890 | 34890 | 354110 | 100% |
| ३६ | लातूर . . . . | 264339 | 264339 | 222792 | 222792 | 422100 | 422100 | 264339 | 100% |
| | **औरंगाबाद विभाग एकूण . .** | 2910457 | 2911501 | 2886799 | 2886891 | 1983114 | 1984066 | 2781452 | 95.53 |

## कुळ कायदे

### कुळ कायद्याची अंमलबजावणी

पश्चिम महाराष्ट्रात मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम, १९४८, विदर्भात मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन (विदर्भ विभाग) अधिनियम, १९५८ व मराठवाड्यात आणि विदर्भातील राजुरा तालुक्यात हैद्राबाद कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम, १९५० हे तीन कायदे अंमलात आहेत.

वरील तिन्ही कायद्यातील तरतुदी जवळजवळ सारख्याच आहेत. सुरुवातीस कुळाकडे असलेल्या जमिनीच्या कुळ वहिवाटीची शाश्वती व कुळाने द्यावयाची खंडाची मर्यादा ठरविणे एवढेच या कायद्याचे मर्यादित स्वरूप होते. नंतर "कसेल त्याची जमीन" या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्यात १९५४ व १९५६ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणानुसार कुळांना काही निर्धारित दिनांकांना त्यांनी कुळ म्हणून धारणा केलेल्या जमिनीचे (जेथे कुळ अथवा जमीन मालक अज्ञान, विधवा, अपंग अगर सशस्त्र दलातील व्यक्ती आहे अशी प्रकरणे वगळून) मालकी हक्क प्राप्त करून देण्यात आले. या तरतुदीनुसार ३१ मार्च, २००४ पर्यंत १४.९२ लाख कुळांना १७.३६ लाख हेक्टर एवढ्या जमिनीचे मालकी हक्क प्राप्त करून देण्यात आले.

कुळ म्हणून धारण केलेल्या जमिनीचे कुळ कायद्यानुसार ज्या कुळांना मालकी हक्क प्राप्त झाले आहेत, त्यांनी जमीन मालकांना अशा जमिनीची खरेदीची किंमत शेतजमीन न्यायाधिकरणामार्फत द्यावयाची आहे. ही खरेदीची किंमत जमिनीच्या शेतक-याच्या काही पट एवढी असते व ती कुळ खरेदीदाराने जास्तीत जास्त बारा वार्षिक हप्त्यात द्यावयाची असते. शेत जमीन न्यायाधिकरणांनी कुळ खरेदीदारांनी द्यावयाची खरेदीची किंमत ६२.०० कोटी रुपये ठरविली आहे. त्यापैकी ३१ मार्च, २००४ पर्यंत ५६.३७ कोटी रुपये एवढी रक्कम कुळ खरेदीदारांकडून वसूल करण्यात आली आहे.

खरेदीच्या किंमतीची उर्वरित रक्कम वसूल करण्याची तसेच ज्या कुळ खरेदीदारांनी खरेदीची सर्व रक्कम भरलेली आहे, त्यांना जमीन खरेदीचे प्रमाणपत्र देऊन जमिनीचे संपूर्ण हक्क मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

**आदिवासींना जमिनी प्रत्यार्पित करण्याबाबतच्या उपाययोजना :**

आदिवासींनी धारण केलेल्या जमिनी हस्तांतरित करण्यावर शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये निर्बंध घातले होते. तथापि, असे निर्बंध असतानासुद्धा आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी त्यांचेकडून हिरावून घेतल्या जावू नयेत, तसेच बिगर आदिवासींकडे गेलेल्या जमिनी आदिवासींना परत करण्यासाठी खालील दोन कायदे करून उपाययोजना केली आहे.

(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि कुळ वहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम, १९७४ (सन १९७४ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक ३५).

(२) महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, १९७४ (सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४).

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि कुळ वहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम, १९७४, दिनांक ६ जुलै, १९७४ पासून अंमलात आलेला आहे. या अधिनियमामध्ये आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस ५ वर्षांपर्यंत भाडेपट्ट्याने देण्यापूर्वी, गहाण देण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांची व इतर सर्व बाबतीत म्हणजेच विक्री करून (दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याची किंवा प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेली विक्री धरुन), देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहाण ठेवून किंवा अन्य प्रकारे बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरित करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी घेण्याची तरतूद विहित करण्यात आलेली आहे. सदर निर्बंध पाहता यापुढे जिल्हाधिकारी व शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणीही आदिवासी व्यक्ती त्याची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करू शकणार नाही.

दुसरी उपायोजना म्हणजे महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, १९७४. यात दिनांक १ एप्रिल, १९५७ ते दिनांक ६ जुलै, १९७४ या कालावधीत आदिवासी व्यक्तींच्या ज्या जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्तींना हस्तांतरित (अदलाबदलीच्या व्यवहारासह) झालेल्या आहेत, त्याबाबत चौकशी करून सदर जमिनी मूळ आदिवासी खातेदारांना परत करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर अधिनियम दिनांक ६ जुलै, १९७४ पासून अंमलात आलेला आहे. या अधिनियमामध्ये आदिवासींच्या जमिनी उपरोक्त दिनांक १-४-१९५७ ते दिनांक ६-७-१९७४ या कालावधीत हस्तांतरित झालेल्या असल्यास त्या प्रत्यार्पित करण्यासाठी आदिवासी खातेदारांनी जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज करण्याची मुदत ३० वर्षे इतकी विहित करण्यात आली होती. सदर मुदत सन २००४ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर आदिवासी व्यक्तींचे हित विचारात घेता ती मुदत दिनांक ६ जुलै, २००४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आणखी ३० वर्षांसाठी वाढविण्यात आलेली आहे.

**खाली नमूद केलेला तक्ता मुंबई कुळवहिवाट आणि शेत जमीन अधिनियम/हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम आणि शेत जमीन**

The following Table indicates the cases decided by the Agricultural Land Tribunals under the provisions of Bombay Tenancy

**तक्ता**

TABLE

| अनु-क्रमांक Serial No. | जिल्हा District | वर्ष Year | निकाली काढावयाच्या प्रकरणांची संख्या No. of cases to be decided | निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases decided | प्रलंबित प्रकरणांची संख्या No. of cases Pending | ज्यात खरेदीची किंमत ठरवावयाची आहे अशा प्रकरणांची संख्या रकाना (५) पैकी No. of cases in which P. P. is fixed out of Col. (5) | वर्षारंभीच्या सुरुवातीला खरेदीची किंमत ठरविली आहे त्यांची थकबाकी Arrears of P. P. at the beginning of the year | वर्षाची मागणी Demand for the year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | **मुंबई उपनगर जिल्हा** | | | | | | | |
| 1 | M. S. D. . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ठाणे | | | | | | | |
| 2 | Thane . . | 2019-2020 | 1277 | 902 | 375 | 375 | 24.60 | 25.00 |
| | | 2020-2021 | 1289 | 1032 | 257 | 257 | 25.00 | 26.30 |
| | पालघर | | | | | | | |
| 3 | Palghar . . | 2019-2020 | 423 | 194 | 229 | 117 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 295 | 89 | 206 | 55 | 0 | 0 |
| | रायगड | | | | | | | |
| 4 | Raigad . . . . | 2019-2020 | 406 | 191 | 215 | 106 | 3697.19 | 9680.56 |
| | | 2020-2021 | 516 | 216 | 300 | 134 | 3538.04 | 17317.80 |
| | रत्नागिरी | | | | | | | |
| 5 | Ratnagiri . . . . | 2019-2020 | 3660 | 1585 | 2075 | 778 | 0 | 50.86 |
| | | 2020-2021 | 3631 | 1603 | 2028 | 721 | 0 | 43.38 |
| | सिंधुदुर्ग | | | | | | | |
| 6 | Sindhudurg. . . . | 2019-2020 | 2823 | 1571 | 1252 | 1571 | 3.90 | 3.20 |
| | | 2020-2021 | 2027 | 742 | 1285 | 273 | 1.98 | 2.78 |
| | नाशिक | | | | | | | |
| 7 | Nasik . . . . | 2019-2020 | 49 | 12 | 37 | 16 | 2.58 | 0.30 |
| | | 2020-2021 | 56 | 14 | 42 | 37 | 25.01 | 2.05 |
| | धुळे | | | | | | | |
| 8 | Dhule . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नंदुरबार | | | | | | | |
| 9 | Nandurbar . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जळगाव | | | | | | | |
| 10 | Jalgaon . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अहमदनगर | | | | | | | |
| 11 | Ahmednagar . . | 2019-2020 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10462 |

**अधिनियम (विदर्भ विभाग) कायदा, १९५८ याखाली जमीन न्यायाधिकरण यांनी काढलेली प्रकरणे दाखवितो.**

Agricultural Lands Act/Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act and Agricultural Lands (Vidarbha Region) Act, 1958

**१०** (रुपये हजारात)

10 (Rs. in thousand)

| वर्षातील वसुली<br>Recovery during the year<br>(10) | वसूल करावयाची बाकी<br>Balance to be recovered<br>(11) | जमीन मालकांस जमीन खरेदीची दिलेली रक्कम<br>Amount of P. P. paid to the landlords<br>(12) | जमीन मालकांना अदा करावयाची खरेदी किंमतीची रक्कम म्हणजेच ३१ मार्च रोजी असलेली पी.एल.ए. मधील शिल्लक<br>Amount of P. P. to be paid to L.L.*i.e.*P.L.A. balance as on 31st March<br>(13) | ज्या प्रकरणांमध्ये कुळांनी खरेदी किंमतीची रक्कम पूर्णपणे फेड केली आहे अशांची संख्या<br>No. of cases in which full payment of P.P. is made by the tenant<br>(14) | खरेदीचे दाखले दिलेले आहेत अशा प्रकरणांची संख्या<br>No. of cases which purchase certificates are issued<br>(15) | खरेदीचे दाखले ज्या प्रकरणामध्ये द्यावयाचे राहिले आहेत अशा प्रकरणांची संख्या<br>No. of cases which purchase certificates to be issued<br>(16) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.30 | 19.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.60 | 20.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359985 | 0 | 0 | 5550005 | 143 | 139 | 26 |
| 222098 | 0 | 4624 | 3494395 | 58 | 58 | 17 |
| 4124.57 | 9253.18 | 1065.76 | 21686.11 | 812 | 470 | 1189 |
| 9223.96 | 11631.58 | 456.85 | 20608.41 | 487 | 440 | 121 |
| 50.86 | 0 | 356.06 | 1495.23 | 686 | 676 | 10 |
| 43.38 | 0 | 52.40 | 1340.05 | 670 | 662 | 8 |
| 2.80 | 2.52 | 0.75 | 5.35 | 870 | 790 | 310 |
| 1.02 | 1.76 | 0.45 | 22.81 | 295 | 201 | 94 |
| 15.31 | 0 | 0 | 164.428 | 7 | 6 | 6 |
| 11.27 | 0 | 0 | 249.733 | 10 | 6 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |

**तक्ता**
TABLE

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुणे | | | | | | | |
| 12 | Pune . . . . | 2019-2020 | 184 | 2 | 182 | 18 | 1344 | 81344 |
| | | 2020-2021 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0.00 | 95000 |
| | सोलापूर | | | | | | | |
| 13 | Solapur . . . . | 2019-2020 | 42 | 15 | 27 | 1 | 202440 | 0.00 |
| | | 2020-2021 | 18 | 0 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| | सातारा | | | | | | | |
| 14 | Satara . . . . | 2019-2020 | 206 | 23 | 183 | 1 | 0.00 | 163.95 |
| | | 2020-2021 | 189 | 14 | 175 | 3 | 10.022 | 105.01 |
| | सांगली | | | | | | | |
| 15 | Sangli . . . . | 2019-2020 | 138 | 87 | 51 | 19 | 45731 | 940757 |
| | | 2020-2021 | 143 | 74 | 69 | 26 | 23890 | 1034833 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | |
| 16 | Kolhapur . . . . | 2019-2020 | 87 | 42 | 45 | 50 | 11200 | 280319 |
| | | 2020-2021 | 78 | 20 | 58 | 35 | 1200 | 281519 |
| | अमरावती | | | | | | | |
| 17 | Amravati . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | |
| 18 | Akola . . . . | 2019-2020 | 39 | 13 | 22 | 10 | 10030 | 10030 |
| | | 2020-2021 | 27 | 3 | 24 | 3 | 0 | 16090 |
| | यवतमाळ | | | | | | | |
| 19 | Yavatmal . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलडाणा | | | | | | | |
| 20 | Buldhana . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | |
| 21 | Washim . . | 2019-2020 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | |
| 22 | Nagpur . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | |
| 23 | Wardha . . | 2019-2020 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | |
| 24 | Chandrapur . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | |
| 25 | Gadchiroli . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**१०—चालू** (रुपये हजारात)
10—*contd.* (Rs. in thousand)

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | 81344 | 560874 | 1292322 | 3 | 3 | 2 |
| 0 | 95000 | 203737 | 203737 | 19 | 19 | 0 |
| 615 | 201825 | 0.00 | 329789 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 329789 | 0 | 0 | 0 |
| 102.43 | 61.52 | 0 | 3488.09 | 18 | 18 | 0 |
| 43.06 | 61.948 | 0 | 3531.15 | 6 | 6 | 0 |
| 35982 | 940757 | 39560 | 17641 | 3 | 3 | 3 |
| 24390 | 1010443 | 27890 | 28890 | 5 | 5 | 5 |
| 11200 | 75000 | 0 | 518125 | 55 | 27 | 6 |
| 1200 | 280319 | 0 | 518125 | 55 | 27 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10030 | 0 | 0 | 450000 | 2 | 3 | 5 |
| 16090 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता**
TABLE

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भंडारा | | | | | | | |
| 26 | Bhandara . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | |
| 27 | Gondia . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | |
| 28 | Aurangabad. . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | |
| 29 | Beed . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | |
| 30 | Nanded . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 1653 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 1653 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | |
| 31 | Osmanabad. . . . | 2019-2020 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | |
| 32 | Parbhani . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | |
| 33 | Hingoli . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | |
| 34 | Jalna . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | |
| 35 | Latur . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**१०—**चालू
10—*contd.*

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousand)

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1653 | 0 | 787 | 10 | 10 | 0 |
| 0 | 1653 | 0 | 787 | 10 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**कमाल जमीन धारणा**

**IMPLEMENTATION OF**

भूमिहीन शेतमजुरांना शेतीची जमीन उपलब्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१, दिनांक २६-१-१९६२ पासून अंमलात आला. या कायद्यानुसार व्यक्तिगत शेतजमीन धारणेवर कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली होती. जलसिंचनाखालील जमिनीकरिता पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कमाल मर्यादा क्षेत्र १८ एकर पर्यंत करण्यात आले होते. कोरडवाहू जमिनीकरिता राज्याची एकूण सात प्रकारच्या स्थानिक क्षेत्रात विभागणी करण्यात आली होती व त्या प्रत्येक क्षेत्राकरिता ६६ ते १२६ एकर पर्यंत कमाल मर्यादा क्षेत्र ठरविण्यात आले होते.

कमाल जमीन धारणा अधिनियम, १९६१ अन्वये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेता असे दिसून आले की, सदरहू अधिनियमाखाली ठरविण्यात आलेली कमाल मर्यादा आणि सर्वसाधारण धारण क्षेत्र यामधील तफावत फार मोठी आहे. तसेच बहुसंख्य भूमिहीन मजुरांना जमीन द्यावयाची आहे. म्हणून कमाल जमीन धारणेची मर्यादा सुधारित कायद्यान्वये कमी करण्यात आली. हा सुधारित कायदा दिनांक २-१०-१९७५ पासून अंमलात आला.

२. या कायद्यानुसार बागायत जमिनीकरिता पाण्याच्या पुरवठ्यानुरूप १८ ते ३६ एकरांची कमाल मर्यादा क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. कोरडवाहू जमिनीच्या बाबतीत खात्रीलायक पावसाच्या क्षेत्रातील भाताच्या लागवडीखालील जमिनीकरिता ३६ एकर व इतर सर्व जमिनीकरिता ५४ एकराची कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. सुधारित कमाल मर्यादेसाठी कुटुंब (पती, पत्नी व अज्ञान मुले) हा घटक समजला जातो.

**अतिरिक्त म्हणून ठरविलेली जमीन**

The Table showing the land declared

**तक्ता**

TABLE

| अनु-क्रमांक Serial No. | जिल्हा District | वर्ष Year | निकाली काढलेली प्रकरणे Cases decided | शिल्लक प्रकरणे Cases pending | अतिरिक्त म्हणून ठरविलेल्या जमिनीचे क्षेत्र Area declared surplus | वाटप केलेले क्षेत्र Area Distributed: जमीन दिलेल्यांची संख्या No. of allottees | वाटप केलेले क्षेत्र Area Distributed: क्षेत्र Area | स्तंभ (७) मधील Break-up of allottees: अनुसूचित जाती S. C. | स्तंभ (७) मधील Break-up of allottees: अनुसूचित जमाती S. T. | स्तंभ (७) मधील Break-up of allottees: भटक्या जमाती N. T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | ठाणे Thane | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | पालघर Palghar | 2019-2020 | 703 | 0 | 7304.04.80 | 6568 | 6504.50.77 | 210 | 6000 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | रायगड Raigad | 2019-2020 | 0 | 0 | 2698.07.08 | 1688 | 1779.58.59 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 2698.07.08 | 1688 | 1779.58.59 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | रत्नागिरी Ratnagiri | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg | 2019-2020 | 0 | 0 | 3079.00.00 | 1564 | 2572.00.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 3079.00.00 | 1564 | 2572.00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | नाशिक Nasik | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**अधिनियमाची अंमलबजावणी**

**CEILING ACT**

३. अतिरिक्त म्हणून संपादन केलेल्या जमिनीची नुकसान भरपाई मूळ मालकाला देण्याबाबत या कायद्यात तरतूद आहे. भरपाईची रक्कम हस्तांतरण योग्य रोख्यात ३ टक्के व्याजाच्या दराने द्यायचे आहे.

४. दोन्ही अधिनियमाखाली मार्च, २००९ अखेरपर्यंत २,९३,७६८.२१ हेक्टर जमीन अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यापैकी २,७१,५८१.६४ हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात घेण्यात आली असून १,३९,७५३ लाभार्थ्यांना २,५६,७४०.१३ हेक्टर जमीन वाटप करण्यात आली. याशिवाय खाजगी साखर कारखान्यांच्या ऊस मळ्यातील ३४.५१५ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित, पुणे या उपक्रमाकडे देण्यात आली आहे.

५. सन २००७-०८ या वर्षापर्यंत या अधिनियमान्वये अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनीचे भूमिहीनांना वाटप हा मुद्दा केंद्र शासनाच्या २० कलमी कार्यक्रमात अंतर्भूत होता. तथापि, १ एप्रिल, २००८ पासून सदरहू मुद्दा २० कलमी कार्यक्रमातून वगळण्यात आलेला आहे.

६. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये अतिरिक्त घोषित जमिनीचे वाटप समाजातील दुर्बल घटक, दलित, मागासवर्गीय व भूमिहीन शेतमजूर यांना प्राधान्याने करण्यात येते. अतिरिक्त जमीन मिळालेल्या लाभार्थ्यांना या जमिनी कसण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने "अतिरिक्त भूमिच्या लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य" ही योजना राज्यात १९७५-७६ पासून राबविण्यात येत होती. या योजनेखालील अर्थसहाय्य विहीर बांधणी (अधिक अनुदान म्हणून) कृषि अवजाराची खरेदी भूविकास अथवा वनीकरणासाठी दिले जात होते. सदर योजनेचा खर्च केंद्र व राज्य सरकार ५० : ५० या प्रमाणात करत होते. तथापि, सन १९९३- ९४ पासून केंद्र शासनाने ५० टक्के खर्च देण्याचे बंद केले. त्यानंतर सन २०००-२००१ पासून "अतिरिक्त भूमिच्या अभिहस्तांकितांना अर्थसहाय्य " ही योजना राज्य योजना म्हणून यापुढे राज्यात राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. सन २००७-२००८ आणि २००८-२००९ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेली तरतूद लाभार्थ्यांना वितरीत करण्याबाबतचे प्रस्ताव कोणत्याही जिल्हाधिका-याकडून प्राप्त न झाल्याने खर्च होऊ शकले नाही, तसेच सन २००९-१० पासून लाभार्थ्यांना रक्कम वितरीत करण्याबाबतचे प्रस्ताव कोणत्याही जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त न झाल्याने तरतूद करण्यात येत नाही.

**व त्याचे वाटप दर्शविणारा तक्ता**

surplus and distributed

**११**

11

(क्षेत्र हेक्टरमध्ये) (Area in Hectares) (रुपये हजारात) (Rs. in thousands)

| जमीनधारकांचे विवरण / Shown in Column (7) | | | | | वाटप करण्याचे राहिलेले शिल्लक क्षेत्र / Area to be distributed | नुकसानभरपाई ठरविलेल्या निर्णित प्रकरणांची संख्या व रक्कम / Compensation fixed in decided cases | | नुकसान-भरपाई ठरवावयाची प्रकरणे / No. of cases in which compensation is yet to be fixed | अदा केलेली नुकसानभरपाई / Compensation paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विमुक्त जमाती / V. Js. | नवबौद्ध / Nav-Buddhist | माजी सैनिक / Ex-servicemen | इतर / Others | एकूण / Total | | प्रकरणे / No. of cases | रक्कम / Amounts | | रोख्यामध्ये / In bonds | रोख रक्कम द्यावयाच्या आदेशांची संख्या / In cash payment orders |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 348 | 6558 | 799.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.48.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.48.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 568 | 0 | 996 | 1564 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 568 | 0 | 996 | 1564 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता**

TABLE

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | धुळे | | | | | | | | | |
| 7 | Dhule | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नंदुरबार | | | | | | | | | |
| 8 | Nandurbar | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जळगाव | | | | | | | | | |
| 9 | Jalgaon | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अहमदनगर | | | | | | | | | |
| 10 | Ahmednagar | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पुणे | | | | | | | | | |
| 11 | Pune | 2019-2020 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | सोलापूर | | | | | | | | | |
| 12 | Solapur | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सातारा | | | | | | | | | |
| 13 | Satara | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सांगली | | | | | | | | | |
| 14 | Sangli | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | | |
| 15 | Kolhapur | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | | |
| 16 | Nagpur | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | | |
| 17 | Wardha | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | |
| 18 | Chandrapur | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | |
| 19 | Gadchiroli | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | | |
| 20 | Bhandara | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**११—चालू**

11—*Contd.*

| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता**

TABLE

| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गोंदिया | | | | | | | | | | |
| 21 | Gondia . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | | | |
| 22 | Amravati . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | |
| 23 | Akola . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | |
| 24 | Yavatmal | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलडाणा | | | | | | | | | | |
| 25 | Buldana . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | |
| 26 | Washim . . | 2019-2020 | . . | 0 | 1 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 1 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | | | |
| 27 | Aurangabad | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | | | |
| 28 | Beed . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | | | | |
| 29 | Nanded | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | | | |
| 30 | Osmanabad | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | | | | |
| 31 | Parbhani . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | | | | |
| 32 | Hingoli . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | | | |
| 33 | Jalana . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | | | |
| 34 | Latur . . | 2019-2020 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**११—चालू**

11—*Contd.*

| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता**

TABLE

**जमीन धारणा कायदा, १९६१ खाली अतिरिक्त जमिनीचे वाटप केलेल्या वाटपग्रहींना अर्थसहाय्य**

The Table Indicates the financial assistance given to allottees of surplus land upon

| अनु.-क्रमांक Serial No. | जिल्हा District | | वर्ष Year | वाटपासाठी उपलब्ध झालेली अतिरिक्त जमीन Surplus land available for distribution | अतिरिक्त जमिनीच्या वाटपासाठी निश्चित केलेले उद्दिष्ट Target fixed for distribution of surplus land | स्तंभ (४) पैकी वाटप केलेली अतिरिक्त जमीन व वाटप-ग्रहींची संख्या Surplus and distribution to allottees out of Col. (4) | | अतिरिक्त जमिनीच्या वाटपग्रहींना दिलेल्या अर्थसहाय्याची बेरीज Total Financial Assistance given | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | वाटप केलेले क्षेत्र (हे.) Surplus land distributed (in hectare) | वाटपग्रहींची संख्या No. of allottees | अर्थ सहाय्य (रुपयांत) Assistance (in Rs.) | वाटपग्रहींची संख्या No. of allottees | अर्थसहाय्य दिलेले क्षेत्र (हे.) Area for which assistance given Area (in hectares) |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | 6-(a) | 6-(b) | 7-(a) | 7-(b) | 7-(c) |
| 1 | पालघर | . . | 2019-2020 | 6504.50.77 | . . | 6504.50.77 | 6558 | 0 | 0 | 0 |
| | Palghar | | 2020-2021 | 6504.50.77 | . . | 6504.50.77 | 6558 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 6504.50.77 | . . | 6504.50.77 | 6558 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ठाणे | . . | 2019-2020 | 430.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Thane | | 2020-2021 | 430.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 430.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | रायगड . . | . . | 2019-2020 | 918.48.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Raigad | | 2020-2021 | 918.48.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 918.48.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | रत्नागिरी . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ratnagiri | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | सिंधुदुर्ग | . . | 2019-2020 | 3079.00.02 | 3073.00.00 | 3073.00.00 | 1564 | . . | . . | . . |
| | Sindhudurg | | 2020-2021 | 3079.00.02 | 3073.00.00 | 3073.00.00 | 1564 | . . | . . | . . |
| | | | 2021-2022 | 3079.00.02 | 3073.00.00 | 3073.00.00 | 1564 | . . | . . | . . |
| 6 | नाशिक . . | . . | 2019-2020 | 121.91 | 121.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nasik | | 2020-2021 | 121.91 | 121.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 121.91 | 121.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | धुळे . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dhule | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | नंदुरबार . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nandurbar | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | जळगाव . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jalgaon | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | अहमदनगर | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ahmednagar | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

१२

12

**देण्यासंबंधीच्या योजनेची माहिती तक्त्यात दिली आहे**

Agricultural Land Ceiling Act, 1961

स्तंभ (७) मधील वाटपग्रहींची व अर्थसहाय्याची कारणासहीत वर्गवारी

Break up of financial assistance and allottees out of Col. (7) with reasons

| विहिरी बांधण्यासाठी / Construction of Wells | | जमीन सुधारण्यासाठी / Development of land | | वनीकरण करण्यासाठी / Afforestation | | शेतीची अवजारे घेण्यासाठी / Agricultural implements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्थसहाय्य (रुपयात) / Assistance (in Rs.) | वाटपग्रहींची संख्या / No. of allottees | अर्थसहाय्य (रुपयात) / Assistance (in Rs.) | वाटपग्रहींची संख्या / No. of allottees | अर्थसहाय्य (रुपयात) / Assistance (in Rs.) | वाटपग्रहींची संख्या / No. of allottees | अर्थसहाय्य (रुपयात) / Assistance (in Rs.) | वाटपग्रहींची संख्या / No. of allottees |
| 8-(a) | 8-(b) | 8-(c) | 8-(d) | 8-(e) | 8-(f) | 8-(g) | 8-(h) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता**
TABLE

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6-(a) | 6-(b) | 7-(a) | 7-(b) | 7-(c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुणे | | | | | | | | |
| 11 | Pune . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सोलापूर | | | | | | | | |
| 12 | Solapur . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सातारा | | | | | | | | |
| 13 | Satara . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सांगली | | | | | | | | |
| 14 | Sangli . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | |
| 15 | Kolhapur . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | |
| 16 | Amravati . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | |
| 17 | Akola . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | |
| 18 | Yavatmal . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | |
| 19 | Buldana . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | |
| 20 | Washim . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | |
| 21 | Nagpur . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | |
| 22 | Wardha . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | |
| 23 | Bhandara . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | |
| 24 | Chandrapur . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**१२—चालू**
12—*Contd.*

| 8-(a) | 8-(b) | 8-(c) | 8-(d) | 8-(e) | 8-(f) | 8-(g) | 8-(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता**
TABLE

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6-(a) | 6-(b) | 7-(a) | 7-(b) | 7-(c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गडचिरोली | | | | | | | | |
| 25 | Gadchiroli . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | | |
| 26 | Gondia . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | |
| 27 | Aurangabad . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | |
| 28 | Beed . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | | |
| 29 | Nanded . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | | |
| 30 | Hingoli . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | |
| 31 | Osmanabad . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | | |
| 32 | Parbhani . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | |
| 33 | Jalna . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | |
| 34 | Latur . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**१२**—चालू
12—*Contd.*

| 8-(a) | 8-(b) | 8-(c) | 8-(d) | 8-(e) | 8-(f) | 8-(g) | 8-(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### ल-४ भू-धारणा निरासा अधिनियम आणि देवस्थानाचे व्यवस्थापन

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर निरनिराळ्या भू-धारणा नष्ट करणारे कायदे (मुंबई कुळवहीवाट आणि शेत जमीन कायदा, १९४८ चे परिशिष्ट-३ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे) कायदे मंडळाने संमत केले व निरनिराळ्या वतनदार व इनामदारांनी धारण केलेल्या जहागिरी, इनामे, वतने व खोती जमिनी इ. शासनाने ताब्यात घेतल्या. काही भू-धारणा निरासा अधिनियमात विहित केलेल्या जमिनी पूर्वीचे इनामदार, वहिवाटदार, इत्यादिंना किंवा संबंधित भूमि-धारकांना नवीन अटीवर कब्जा हक्क घेऊन परत देण्याची तरतूद आहे. पुनर्दान न झालेली उर्वरित जमीन प्रत्यक्ष कसणा-यास कब्जा हक्काची किंमत घेऊन वाटप करावी लागते. सार्वजनिक कामासाठी वापरात असलेल्या जमिनी, रस्ते, तळी, वगैरे शासनाकडे विहित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी जी नुकसानभरपाई ठरवतील ती देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. वतने नष्ट करण्याच्या कायद्यामधील तरतुदीनुसार माजी इनामदार, वहिवाटदार यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाईची रक्कम रोख्याच्या स्वरुपात किंवा नगदीने दिली जाते.

राज्यातील अनेक देवस्थानांची देखभाल वहिवाटदार, विश्वस्त किंवा समित्यांमार्फत केली जाते व देवस्थानाच्या सेवेसाठी त्यांना वार्षिक नक्त नेमणूक अदा केली जाते. राज्यात रोख भत्ता देण्यात येणारी एकूण देवस्थाने आहेत.

| | | |
|---|---|---|
| **औरंगाबाद विभागात** | - | १३ |
| **कोकण विभागात** | - | ९५५ |
| **अमरावती विभाग** | - | २० |
| **नागपूर विभाग** | - | ६ |
| **नाशिक विभाग** | - | २५७ |
| **पुणे विभाग** | - | ६९ |

### ल-४ पालक/पाल्य कायद्याखालील मिळकतीचे व्यवस्थापन

कोर्ट-ऑफ-वॉर्डस् अधिनियमाची सर्वसाधारण रूपरेखा पुढीलप्रमाणे आहे.—जेव्हा एखाद्या कुटुंबाची मिळकत अज्ञान व्यक्तींच्या मालमत्ता आसामुळे किंवा मिळकतीवर कर्जाचा बोजा झाल्यामुळे किंवा मिळकतीचे व्यवस्थापन योग्यरितीने होत नसल्यामुळे आणि योग्य व्यवस्थापनाचे समर्थ अशी कोणीही व्यक्ती नसल्यामुळे अशा मिळकतीचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे असे शासनास प्रतीत होते तेव्हा अशी मिळकत दिवाळखोरीपासून वाचवून सुस्थितीत ठेवण्याच्या उद्देशाने आणि आवश्यक वाटल्यास मिळकतीचा मालक किंवा त्यांची मुले यांना योग्य शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन स्वतः उपरोक्त मिळकतीचे व्यवस्थापन आपल्या हातात घेते. संपूर्ण मिळकत कर्जमुक्त झाल्यावर आणि कुटुंबातील व्यक्ती पात्र झाल्यावर शासकीय व्यवस्थापन काढून घेतले जाते. जिल्हाधिकारी हे अशा प्रकारच्या मिळकतीचे व्यवस्थापन महसूल अधिका-यांमार्फत पाहतात. व्यवस्थापनाचा खर्च मिळकतीच्या उत्पन्नातून वसूल केला जातो आणि या खर्चानंतर जी रक्कम राहते ती मिळकत धारकाला दिली जाते. वार्ड ईस्टेटचा निधी हा सर्वसाधारणपणे इंडियन ट्रस्ट ॲक्ट नुसार रोख्यात गुंतविण्यात येतो.

अज्ञान पालक आणि वॉर्डस् ॲक्ट हा अज्ञानाच्या मिळकतीच्या संबंधित आहे. ह्या अधिनियमान्वये जिल्हा न्यायालय अज्ञान पालकाची नेमणूक करते. सदरील अज्ञान पालक हा न्यायालयीन अधिकारी, वॉर्डस् नातेवाईक किंवा जिल्हाधिकारी असू शकतो. जेव्हा न्यायालयाच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी अज्ञान पालकांच्या मिळकतीचा पालक म्हणून नेमला जातो आणि जेव्हा पालक म्हणून अधिकार संपतात तेव्हा न्यायालयीन आदेशानुसार जिल्हाधिकारी मिळकतीचे पालक म्हणून असलेल्या जबाबदारीतून मुक्त होतात.

आतापर्यंत फक्त दहा जिल्हे याबाबतीत संबंधित आहेत. याबाबत येणा-या प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :—

| वि. आयुक्त | कोकण | नाशिक | पुणे | नागपूर | अमरावती | औरंगाबाद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) व्यवस्थापनेखाली असलेल्या मिळकतीची संख्या. | ० | ० | १४ | ० | ० | ० |
| (२) व्यवस्थापनेतून सोडण्यासारख्या मिळकतीची संख्या. | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| (३) व्यवस्थापनेखालील मिळकतींचे वार्षिक उत्पन्न. | २१५२२६० | ० | ० | ० | ० | ० |
| (४) पाल्य/मिळकत यावरील वार्षिक खर्च. | ० | ० | ० | ० | ० | ० |

### टी-१ भारतीय गुप्तधन अधिनियम

गुप्तधनाची विल्हेवाट लावणे, शासनाकडून योग्य ते मार्गदर्शन घेणे, त्यावर मालकी जाहीर करणे किंवा सरकार जमा करणे या बाबतची कामे जिल्हाधिका-यांना हाताळावी लागतात. यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करावी लागते.

जिल्हाधिका-यांनी सन २०१८-१९ साली हाताळलेल्या गुप्तधन प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :—

| वि. आयुक्त | आयुक्त कोकण | आयुक्त नाशिक | आयुक्त पुणे | आयुक्त नागपूर | आयुक्त अमरावती | आयुक्त औरंगाबाद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) एकंदर प्रकरणांची संख्या. | ० | २१ | ५ | १ | १ | ४७ |
| (२) निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या. | ० | १ | ० | ० | ० | ० |
| (३) शिल्लक राहिलेल्या प्रकरणांची संख्या. | ० | २० | ५ | १ | १ | ४७ |

## जमीन सुधारणा

### अतिरिक्त जमिनी दिलेल्या अभिहस्तांकितांना अर्थसहाय्य

**(अ)** "अतिरिक्त जमिनीच्या अभिहस्तांकितांना अर्थसहाय्य" देण्याच्या योजनेखाली लाभार्थ्यांना भूविकासासाठी अथवा इतर भांडवली खर्चासाठी प्रति हेक्टर २,५०० रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. ह्या योजनेच्या सुरुवातीपासून (१९७५-७६) ते मार्च, १९९८ अखेरपर्यंत १.३७ लाख लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला व त्यांना सुमारे १९.१४ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. भारत सरकारने या योजनेवरील स्वतःचा ५० टक्के वाटा देणे थांबविले आहे. त्यामुळे ही योजना केंद्र पुरस्कृत राहिलेली नाही. आता राज्य शासनाने ही योजना २०००-२००१ पासून राज्य क्षेत्रातील योजना म्हणून पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. " या योजनेखाली मागणी क्र. सी-५-२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण " अंतर्गत सन २००५-२००६ करिता रु. ४.४३ लक्ष, सन २००६-२००७ करिता रु. २.७७ लक्ष व सन २००७-२००८ करिता रु. १.१० लक्ष आणि २००८-२००९ करिता रुपये ०.६० लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. सन २००७-२००८ आणि सन २००८-२००९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेली तरतूद लाभार्थ्यांनी मागणी न केल्यामुळे खर्च झाली नाही. परिणामी सन २००९-२०१० या आर्थिक वर्षापासून तरतूद करण्यात आलेली नाही.

**(ब) आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याबाबत व अवैधरित्या हस्तांतरित झालेल्या जमिनी प्रत्यार्पित करण्याबाबतच्या उपाययोजना**

आदिवासी व्यक्तींनी धारण केलेल्या जमिनी हस्तांतरित करण्यावर शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये निर्बंध घातले होते. आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी त्यांच्याकडून हिरावून घेतल्या जावू नयेत, तसेच बिगर आदिवासी व्यक्तींकडे अवैधरित्या हस्तांतरित केल्या गेलेल्या जमिनी मूळ आदिवासींना परत करण्यासाठी खालील दोन कायदे करून शासनाने उपाययोजना केलेली आहे :–

(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम, १९७४ (सन १९७४ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३५)

(२) महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, १९७४ (सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १४)

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम,१९७४ हा दिनांक ६ जुलै, १९७४ पासून अंमलात आलेला आहे. या अधिनियमामध्ये आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस ५ वर्षांपर्यंत भाडेपट्ट्याने देण्यापूर्वी, गहाण देण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांची व इतर सर्व बाबतीत म्हणजेच विक्री करून (दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याची किंवा प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेली विक्री धरुन), देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहाण ठेवून किंवा अन्यप्रकारे बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरित करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी घेण्याची तरतूद विहित करण्यात आलेली आहे. सदर निर्बंध पाहता यापुढे जिल्हाधिकारी व शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणीही आदिवासी व्यक्ती त्याची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करू शकणार नाही.

दुसरी उपाययोजना म्हणजे महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, १९७४. यात दिनांक १ एप्रिल, १९५७ ते दिनांक ६ जुलै, १९७४ या कालावधीत आदिवासी व्यक्तींच्या ज्या जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्तींना हस्तांतरित (अदलाबदलीच्या व्यवहारासह) झालेल्या आहेत, त्याबाबत चौकशी करून सदर जमिनी मूळ आदिवासी खातेदारांना परत करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर अधिनियम दिनांक ६ जुलै, १९७४ पासून अंमलात आलेला आहे. या अधिनियमामध्ये आदिवासींच्या जमिनी उपरोक्त दिनांक १-४-१९५७ ते दिनांक ६-७-१९७४ या कालावधीत हस्तांतरित झालेल्या असल्यास त्या प्रत्यार्पित करण्यासाठी आदिवासी खातेदारांनी जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज करण्याची मुदत ३० वर्षे इतकी विहित करण्यात आली होती. सदर मुदत सन २००४ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर आदिवासी व्यक्तींचे हित विचारात घेता ती मुदत दिनांक ६ जुलै, २००४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आणखी ३० वर्षांसाठी वाढविण्यात आलेली आहे.

## गौण खनिजाचे उत्खनन

गौण खनिज (दगड, रेती, मुरुम, वाळू, माती वगैरे) उत्खननाची परवानगी देणे, स्वामित्वधनाची व दंडाची वसुली करणे, तसेच तत्संबंधी संचालक, भू-विज्ञान व खनिकर्म, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडे मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक अहवाल सादर करणे इत्यादीबाबत माहिती खालील तक्त्यात दिलेली आहे :—

**तक्ता-१३**

**TABLE**--13

(रुपये हजारात)

| अनु-क्रमांक Serial No. | जिल्हा District | वर्ष Year | वर्षारंभी शिल्लक असलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases outstanding at the beginning of the year | वर्षात प्राप्त प्रकरणांची संख्या No. of cases during the year | एकूण Total | वर्षभरात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of Applications decided during the year | वर्षाअखेर शिल्लक Balance at the end of the year | वसूल केलेली रक्कम रॉयल्टी, भाडे/दंड इत्यादी Amount collected by way of the royalty surface rent/deed rent and penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | मुंबई शहर | | | | | | | |
| 1 | Mumbai City. . . . | 2019-2020 | 0 | 120 | 120 | 120 | . . | 40101.00 |
| | | 2020-2021 | 0 | 95 | 95 | 95 | . . | 25225.00 |
| | मुंबई उपनगर जिल्हा | | | | | | | |
| 2 | M.S.D. . . . . | 2019-2020 | 19 | 1718 | 1737 | 1721 | 16 | 46021172.00 |
| | | 2020-2021 | 16 | 1494 | 1510 | 1486 | 24 | 480111.00 |
| | ठाणे | | | | | | | |
| 3 | Thane . . . . | 2019-2020 | 0 | 595 | 595 | 595 | 0 | 180825.52 |
| | | 2020-2021 | 0 | 292 | 292 | 292 | 0 | 175495.00 |
| | पालघर | | | | | | | |
| 4 | Palghar . . . . | 2019-2020 | 0 | 2024 | 2024 | 1952 | 72 | 4611.07 |
| | | 2020-2021 | 72 | 1377 | 1449 | 1342 | 107 | 3733.46 |
| | रायगड | | | | | | | |
| 5 | Raigad . . . . | 2019-2020 | 25 | 500 | 525 | 475 | 50 | 1330000.00 |
| | | 2020-2021 | 50 | 550 | 600 | 550 | 50 | 140000.00 |
| | रत्नागिरी | | | | | | | |
| 6 | Ratnagiri . . . . | 2019-2020 | 0 | 627 | 627 | 627 | 0 | 26212700.00 |
| | | 2020-2021 | 0 | 721 | 721 | 721 | 0 | 301500.00 |
| | सिंधुदुर्ग | | | | | | | |
| 7 | Sindhudurg . . | 2019-2020 | 19 | 185 | 204 | 182 | 22 | 180.67 |
| | | 2020-2021 | 22 | 117 | 139 | 130 | 9 | 454.95 |
| | नाशिक | | | | | | | |
| 8 | Nashik . . . . | 2019-2020 | 30 | 170 | 200 | 170 | 30 | 28500000 |
| | | 2020-2021 | 30 | 200 | 230 | 185 | 35 | 301500000 |
| | धुळे | | | | | | | |
| 9 | Dhule . . . . | 2019-2020 | 27 | 820 | 847 | 832 | 15 | 20110 |
| | | 2020-2021 | 15 | 560 | 575 | 563 | 12 | 18350 |

**तक्ता १३**—चालू
**TABLE 13**—*contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नंदुरबार | | | | | | | |
| 10 | Nandurbar . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 724 | 724 | 694 | 30 | 231530.35 |
| | जळगाव | | | | | | | |
| 11 | Jalgaon . . . . | 2019-2020 | 28 | 1159 | 1187 | 1187 | 0 | 662400000 |
| | | 2020-2021 | 0 | 1369 | 1369 | 605 | 763 | 512001934 |
| | अहमदनगर | | | | | | | |
| 12 | Ahmednagar . . | 2019-2020 | 321 | 2703 | 3024 | 2739 | 285 | 9321.74 |
| | | 2020-2021 | 285 | 2795 | 3080 | 2806 | 274 | 13800 |
| | पुणे | | | | | | | |
| 13 | Pune . . . . | 2019-2020 | 7 | 293 | 300 | 292 | 8 | 1683915 |
| | | 2020-2021 | 8 | 261 | 269 | 239 | 30 | 1712282 |
| | सोलापूर | | | | | | | |
| 14 | Solapur . . . . | 2019-2020 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 637763000 |
| | | 2020-2021 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 138882000 |
| | सातारा | | | | | | | |
| 15 | Satara . . . . | 2019-2020 | 92 | 2768 | 2860 | 2762 | 98 | 829835 |
| | | 2020-2021 | 98 | 2894 | 2992 | 2888 | 104 | 898674 |
| | सांगली | | | | | | | |
| 16 | Sangli . . . . | 2019-2020 | 3 | 660 | 663 | 663 | 0 | 559500 |
| | | 2020-2021 | 0 | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | 650000 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | |
| 17 | Kolhapur . . | 2019-2020 | 10 | 2470 | 2480 | 2470 | 10 | 407400000 |
| | | 2020-2021 | 10 | 1950 | 1960 | 1946 | 14 | 626500000 |
| | नागपूर | | | | | | | |
| 18 | Nagpur . . . . | 2019-2020 | 60 | 60 | 120 | 40 | 80 | 14500.00 |
| | | 2020-2021 | 80 | 68 | 148 | 90 | 58 | 12640.00 |
| | वर्धा | | | | | | | |
| 19 | Wardha . . . . | 2019-2020 | 0 | 499 | 499 | 499 | 0 | 732349.49 |
| | | 2020-2021 | 0 | 277 | 277 | 277 | 0 | 329598.55 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | |
| 20 | Chandrapur. . . . | 2019-2020 | 30 | 525 | 555 | 526 | 29 | 7100.00 |
| | | 2020-2021 | 29 | 525 | 554 | 526 | 28 | 7100.00 |
| | गडचिरोली | | | | | | | |
| 21 | Gadchiroli . . . . | 2019-2020 | 4 | 186 | 190 | 162 | 28 | 474500.00 |
| | | 2020-2021 | 28 | 180 | 208 | 180 | 28 | 400000.00 |

**तक्ता १३**—चालू

**TABLE 13**—*contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भंडारा | | | | | | | |
| 22 | Bhandara . . . . | 2019-2020 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 463.68 |
| | | 2020-2021 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 595.34 |
| | गोंदिया | | | | | | | |
| 23 | Gondia . . . . | 2019-2020 | 25 | 1120 | 1145 | 1125 | 20 | 247176.50 |
| | | 2020-2021 | 20 | 1410 | 1430 | 1414 | 16 | 315000.00 |
| | अमरावती | | | | | | | |
| 24 | Amravati . . . . | 2019-2020 | 40 | 690 | 730 | 645 | 85 | 6727.92 |
| | | 2020-2021 | 85 | 525 | 610 | 545 | 65 | 3109.46 |
| | अकोला | | | | | | | |
| 25 | Akola . . . . | 2019-2020 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 9715.07 |
| | | 2020-2021 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 58800 |
| | यवतमाळ | | | | | | | |
| 26 | Yavatmal . . . . | 2019-2020 | 07 | 43 | 50 | 45 | 05 | 6000 |
| | | 2020-2021 | 05 | 52 | 57 | 51 | 06 | 8500 |
| | बुलढाणा | | | | | | | |
| 27 | Buldhana . . . . | 2019-2020 | 710 | 177 | 887 | 862 | 25 | 23055 |
| | | 2020-2021 | 25 | 337 | 362 | 337 | 25 | 21673 |
| | वाशिम | | | | | | | |
| 28 | Washim . . . . | 2019-2020 | 0 | 674 | 674 | 674 | 0 | 39000 |
| | | 2020-2021 | 0 | 638 | 638 | 638 | 0 | 36000 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad. . . . | 2019-2020 | 0 | 68 | 68 | 30 | 38 | 49412 |
| | | 2020-2021 | 38 | 20 | 58 | 52 | 6 | 208000 |
| | बीड | | | | | | | |
| 30 | Beed . . . . | 2019-2020 | 73 | 1839 | 1912 | 1902 | 10 | 353988 |
| | | 2020-2021 | 10 | 1404 | 1414 | 1410 | 4 | 391149 |
| | नांदेड | | | | | | | |
| 31 | Nanded . . . . | 2019-2020 | 0 | 744 | 744 | 744 | 0 | 17198.5 |
| | | 2020-2021 | 0 | 814 | 814 | 814 | 0 | 18135 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | |
| 32 | Osmanabad. . . . | 2019-2020 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 52357 |
| | | 2020-2021 | 0 | 36 | 36 | 443 | 0 | 46267 |

**तक्ता–१३**—चालू

**TABLE 13**—*contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परभणी | | | | | | | |
| 33 | Parbhani . . . . | 2019-2020 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | |
| 34 | Hingoli . . . . | 2019-2020 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 5766 |
| | | 2020-2021 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 4495 |
| | जालना | | | | | | | |
| 35 | Jalna . . . . | 2019-2020 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 14652 |
| | | 2020-2021 | 0 | 199 | 199 | 56 | 143 | 621716 |
| | लातूर | | | | | | | |
| 36 | Latur . . . . | 2019-2020 | 0 | 775 | 775 | 775 | 0 | 14001 |
| | | 2020-2021 | 0 | 614 | 614 | 614 | 0 | 12825 |

**कोर्ट फी अधिनियम, १९५९ खालील प्रकरणे**

**Cases under the Court Fees Act, 1959**

मुंबई कोर्ट फी अधिनियम, १९५९ चे नियम १३ व १७ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना फी वसूल करणे, रिफंड इत्यादी कामे दिवाणी न्यायालयाच्या आज्ञाप्तीनुसार करावी लागतात. त्याबाबत जिल्हाधिका-यांनी सन २०२०-२०२१ मध्ये हाताळलेल्या प्रकरणांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :–

| वि. आयुक्त | | कोंकण | नाशिक | पुणे | अमरावती | नागपूर | औरंगाबाद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) एकंदर प्रकरणांची संख्या | . . | २१८ | २१० | ४२७ | ८७२ | ३८८ | ३५ |
| (२) निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या | . . | १७२ | २१० | ४२१ | ५४९ | ३८८ | २६ |
| (३) शिल्लक राहिलेल्या प्रकरणांची संख्या | . . | ४६ | ० | ६ | ३२३ | ० | ९ |

**भू-संपादन**

भूमि संपादन अधिनियम, १८९४ खाली सार्वजनिक प्रयोजनासाठी खाजगी जमीन संपादन केली जाते. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभाग, निम-शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था व कंपन्या इत्यादींकडून झालेल्या मागण्यांची छाननी करून भूसंपादनाचे काम हाती घेतले जाते. हे काम निम-न्यायालयीन स्वरूपाचे असून भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रत्येक स्तरावरील कारवाई करण्यासाठी कमाल कालावधी ठरवून दिलेला आहे. मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यासाठी प्रारूप निवाडा तयार करण्याचे काम संबंधित भू-संपादन अधिका-यामार्फत केले जाते व ठराविक रकमेपर्यंतच्या अशा निवाड्यांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार भूसंपादन अधिका-यापासून ते शासनापर्यंत वेगवेगळ्या स्तरावरील प्रशासकीय अधिका-यांना प्रदान केले आहेत. प्रशासकीय मंजुरीनंतर भूसंपादन अधिकारी निवाडा जाहीर करतात. राज्य शासनाच्या विभागाकरिता भूमि संपादन करावयाची झाल्यास त्याकरिता, प्रधान लेखाशीर्ष "२०५९, सार्वजनिक बांधकामे" या खाली एकत्रित तरतूद केली जाते व नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित मंत्रालयीन विभागाकडून प्रथमतः महसूल व वन विभागाच्या सुपूर्द केली जाते. ज्या विभागाकरिता भूमि संपादन करावयाची असेल त्या विभागाच्या अंदाजपत्रकातील संबंधित लेखाशीर्षामध्ये तेवढ्या रकमेची तरतूद अंतिम स्वीकृतीसाठी केली जाते. भूसंपादनाचा मोबदला देण्याकरिता लागणा-या रकमा वितरीत करण्यासाठी व वितरीत केलेल्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था आणि खाजगी कंपन्याकरिता संपादित करण्यात येणा-या जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम त्यांच्याकडून परस्पर भूमि संपादन अधिका-याकडे सुपूर्द केली जाते.

**तक्ता-१४**
TABLE-14

**खालील तक्त्यात भू-संपादनाबाबत माहिती दिलेली आहे**
**The following table indicates the information regarding Land Acquisition**

| अनुक्रमांक Serial No. | जिल्हा District | विशेष भू-संपादन अधिका-यांची संख्या No. of SLAO's | भू-संपादित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) Area acquired (in Hectares) शासनासाठी For Government २०१९-२०२० 2019-2020 | शासनासाठी For Government २०२०-२०२१ 2020-2021 | स्वायत्त संस्थासाठी For Autonomous Bodies २०१९-२०२० 2019-2020 | स्वायत्त संस्थासाठी For Autonomous Bodies २०२०-२०२१ 2020-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | मुंबई शहर Mumbai City . . . . . . | 2 | 00.05.77 | 0.00 | 03.65.59 | 0 |
| 2 | मुंबई उपनगर जिल्हा M. S. D. . . . . . . | 4 | 0 | 0 | 7.08 | 53.91 |
| 3 | ठाणे Thane . . . . . . | 8 | 211.13.98 | 1006.80.78 | 34.15.68 | 52.67.46 |
| 4 | पालघर Palghar . . . . . . | 6 | 173.040 | 181.74.48 | 413.78.26 | 4934.55.44 |
| 5 | रायगड Raigad . . . . . . | 13 | 355.34.66 | 1625.13.21 | 4206.32.10 | 8879.49.84 |
| 6 | रत्नागिरी Ratnagiri . . . . . . | 7 | 249.69.18 | 250.53.96 | 0 | 0 |
| 7 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg . . . . . . | 6 | 765.45.89 | 353.58.59 | 0 | 0 |
| 8 | नाशिक Nashik . . . . . . | 14 | 85.82 | 491.34 | 443.63 | 369.13 |
| 9 | धुळे Dhule . . . . . . | 5 | 0 | 40.190 | 0 | 0 |
| 10 | नंदुरबार Nandurbar . . . . . . | 3 | 515.07 | 261.10 | 8.34 | 0 |
| 11 | जळगाव Jalgaon . . . . . . | 9 | 101.20 | 75 | 25 | 27 |
| 12 | अहमदनगर Ahmednagar . . . . . . | 13 | 181.78 | 333.65 | 239.36 | 453.23 |
| 13 | पुणे Pune . . . . . . | 22 | 169.410 | 487.659 | 106.230 | 22.43 |
| 14 | सोलापूर Solapur . . . . . . | 11 | 773.14 | 629.01 | 44.74 | 150.00 |
| 15 | सातारा Satara . . . . . . | 12 | 5045.24 | 1597.33 | 0.00 | 1.32 |
| 16 | सांगली Sangli . . . . . . | 10 | 76.20 | 274.44 | 0 | 0 |
| 17 | कोल्हापूर Kolhapur . . . . . . | 9 | 682.57 | 743.12 | 0.52 | 5.04 |

**तक्ता-१४**–चालू

TABLE 14—*contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | अमरावती<br>Amravati .. .. .. | 3 | 215.19 | 555.54 | 0.46 | 0 |
| 19 | अकोला<br>Akola .. .. .. | 2 | 173.14 | 152.04 | 0 | 0 |
| 20 | वाशिम<br>Washim .. .. .. | 2 | 556.87 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | यवतमाळ<br>Yavatmal .. .. .. | 4 | 0 | 0 | 22.50 | 0 |
| 22 | बुलडाणा<br>Buldana .. .. .. | 3 | 1067.58 | 8.77 | 0 | 0 |
| 23 | नागपूर<br>Nagpur .. .. .. | 7 | 197.75 | 136.37 | 69.04 | 92.20 |
| 24 | वर्धा<br>Wardha .. .. .. | 4 | 443.43 | 430.00 | 200.40 | 350.00 |
| 25 | चंद्रपूर<br>Chandrapur .. .. .. | 1 | 140.16 | 541.82 | 41.62 | 81.69 |
| 26 | गडचिरोली<br>Gadchiroli .. .. .. | 0 | 102.29 | 422.68 | 0 | 0.78 |
| 27 | भंडारा<br>Bhandara .. .. .. | 4 | 1378.56 | 696.45 | 0 | 0 |
| 28 | गोंदिया<br>Gondia .. .. .. | 1 | 31.56 | 329.44 | 197.80 | 190.42 |
| 29 | औरंगाबाद<br>Aurangabad .. .. .. | 8 | 321.85 | 215.35 | 227.87 | 190.52 |
| 30 | बीड<br>Beed .. .. .. | 8 | 244.02 | 2697 | 0 | 0 |
| 31 | नांदेड<br>Nanded .. .. .. | 10 | 339.23 | 618.39 | 407.36 | 183 |
| 32 | उस्मानाबाद<br>Osmanabad .. .. .. | 2 | 1840.06 | 2024.6 | 1789.73 | 19670.73 |
| 33 | परभणी<br>Parbhani .. .. .. | 1 | 66.72 | 446.31 | 17.97 | 1.54 |
| 34 | हिंगोली<br>Hingoli .. .. .. | 1 | 312.75 | 5.08 | 45.48 | 0 |
| 35 | जालना<br>Jalna .. .. .. | 1 | 638.54 | 638.54 | 560.03 | 560.03 |
| 36 | लातूर<br>Latur .. .. .. | 6 | 308.16 | 135.34 | 1639.47 | 697.45 |

## शासकीय जमिनीवरील बिनशेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमणाची नोंदलेली व नियमित करण्यात आलेली प्रकरणे व दंडाच्या वसुलीची रक्कम याची माहिती दर्शविणारा तक्ता

The following table shows the number of encroachment on Government land for non-Agricultural purpose registered and regularised and the amount of fine realised.

### तक्ता क्रमांक-१५
### TABLE No. 15

(क्षेत्र चौ. मी.)
(Area in sq. meter)
(रुपये हजारात)
(Rs. in thousand)

| अ.क्र. Sr. No. | जिल्हा District | वर्ष Year | बिनशेती प्रयोजनासाठी सरकारी जमिनीचे अतिक्रमण क्षेत्र (चौ.मी.) Area of land encroached for non-Agril. purpose (in sq. mtr.) | नोंदलेल्या प्रकरणाची संख्या No. of cases registered | नियमित केलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases regularised | मिळालेल्या वसुलीची रक्कम Amount realised: दंडनीय किंमतीच्या स्वरूपात By way of Penal occupancy | मिळालेल्या वसुलीची रक्कम Amount realised: दंडनीय सा-याच्या स्वरूपात By way of non-agricultural assessment | शिलकी दंड Balance of fine | शिलकी प्रकरणे Balance cases | करावयाची वसुली Amount likely to be realised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | मुंबई | | | | | | | | | |
| 1. | Mumbai . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मुंबई उपनगर जिल्हा | | | | | | | | | |
| 2. | Mumbai S. D. . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ठाणे | | | | | | | | | |
| 3. | Thane . . . . | 2019-2020 | 3726211.00 | 12482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1246311.00 | 12362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पालघर | | | | | | | | | |
| 4. | Palghar . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रायगड | | | | | | | | | |
| 5. | Raigad . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता क्रमांक १५**—चालू

TABLE No. 15—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रत्नागिरी | | | | | | | | | |
| 6. | Ratnagiri . . . . | 2019-2020 | 61115 | 857 | 0 | 0 | 0 | 355 | 857 | 355.00 |
| | | 2020-2021 | 148274 | 689 | 1 | 0 | 0 | 475 | 688 | 475.00 |
| | सिंधुदुर्ग | | | | | | | | | |
| 7. | Sindhudurg . . . . | 2019-2020 | 24.67.39 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| | | 2020-2021 | 24.67.39 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| | नाशिक | | | | | | | | | |
| 8. | Nashik . . . . | 2019-2020 | 33915.00 | 456 | 0 | 0 | 31941 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 35610.75 | 479 | 0 | 0 | 33539 | 0 | 0 | 0 |
| | धुळे | | | | | | | | | |
| 9. | Dhule . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नंदुरबार | | | | | | | | | |
| 10. | Nandurbar . . . . | 2019-2020 | 595.45 | 8 | 3 | 653.70 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 2020-2021 | 455.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | जळगांव | | | | | | | | | |
| 11. | Jalgaon . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अहमदनगर | | | | | | | | | |
| 12. | Ahmednagar . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पुणे | | | | | | | | | |
| 13. | Pune . . . . | 2019-2020 | 924302.00 | 957 | 0 | 0 | 923405 | 923405 | 957 | 923405 |
| | | 2020-2021 | 942788.04 | 976 | 0 | 0 | 951107 | 951107 | 976 | 951107 |
| | सोलापूर | | | | | | | | | |
| 14. | Solapur . . . . | 2019-2020 | 37128.45 | 508 | 50 | 186055 | 0 | 0 | 503 | 0 |
| | | 2020-2021 | 36133.28 | 503 | 2 | 369542 | 0 | 0 | 501 | 0 |
| | सातारा | | | | | | | | | |
| 15. | Satara . . . . | 2019-2020 | 114700.00 | 622 | 20 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 |
| | | 2020-2021 | 114700.00 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 |
| | सांगली | | | | | | | | | |
| 16. | Sangli . . . . | 2019-2020 | 78536.00 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 78536.00 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कोल्हापूर | | | | | | | | | | | |
| 17. | Kolhapur | . . | . . | 2019-2020 | 1368770.0 | 19137 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19112 | 0 |
| | | | | 2020-2021 | 1368770.0 | 19113 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19112 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | | | | |
| 18. | Amravati | . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | |
| 19. | Akola | . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | |
| 20. | Yavatmal | . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलडाणा | | | | | | | | | | | |
| 21. | Buldana | . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | | |
| 22. | Washim | . . | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | | | | |
| 23. | Nagpur | . . | . . | 2019-2020 | 60540 | 2042 | 2018 | 0 | 5.75 | 0 | 24 | 115330 |
| | | | | 2020-2021 | 6054 | 255 | 202 | 0 | 5.75 | 0 | 53 | 1155 |
| | वर्धा | | | | | | | | | | | |
| 24. | Wardha | . . | . . | 2019-2020 | 23348 | 171 | 20 | 200 | 20 | 20 | 151 | 20 |
| | | | | 2020-2021 | 23564 | 66 | 56 | 500 | 50 | 50 | 10 | 50 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | | | |
| 25. | Chandrapur | . . | . . | 2019-2020 | 37266.10 | 554 | 2 | 1.31 | 0.08 | 0 | 552 | 0 |
| | | | | 2020-2021 | 36120.10 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | | | |
| 26. | Gadchiroli | . . | . . | 2019-2020 | 91554 | 194 | 5 | 349.34 | 0 | 45 | 189 | 45 |
| | | | | 2020-2021 | 96682 | 206 | 0 | 49.10 | 0 | 10 | 206 | 10 |

**तक्ता क्रमांक १५**—चालू

TABLE No. 15—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भंडारा | | | | | | | | | |
| 27. | Bhandara . . . . | 2019-2020 | 5469 | 79 | 36 | 473 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| | | 2020-2021 | 5558 | 87 | 40 | 494 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | | | |
| 28. | Gondia . . . . | 2019-2020 | 134580 | 824 | 0 | 191528 | 526002 | 38004 | 824 | 468500 |
| | | 2020-2021 | 265000 | 405 | 0 | 128040 | 32 | 8 | 405 | 819500 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | | |
| 29. | Aurangabad . . . . | 2019-2020 | 437760 | 27 | 0 | 3714563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 123559 | 11 | 0 | 412287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | | |
| 30. | Beed . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | | | |
| 31. | Nanded . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | | |
| 32. | Osmanabad . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | | | |
| 33. | Parbhani . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | | | |
| 34. | Hingoli . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | | |
| 35. | Jalna . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | | |
| 36. | Latur . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## शासकीय जमिनीचे वाटप

## Distribution of Government Land

### महाराष्ट्र जमीन महसूल (शासकीय जमिनीचे वाटप) नियम, १९७१ अन्वये वाटप केलेल्या जमिनीचा तपशील दाखविणारा तक्ता

### The following table indicates the details of land granted under the provisions of the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Lands) Rules, 1971

**तक्ता १६**

TABLE 16

(क्षेत्र हेक्टरमध्ये)

(Area in hectares)

| अ.क्र. Sr. No. | जिल्हा District | वर्ष Year | १ एप्रिल रोजी वाटपासाठी उपलब्ध असलेले क्षेत्र Area available for distribution on 1st April | वर्षातील वाटप Distribution during the year: क्षेत्र Area | वाटप केलेल्या व्यक्तिंची संख्या No. of Persons to whom allotted | वाटपाचे वर्गीकरण Break-up of allottees: अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटक्या जाती, नवबौद्ध यापैकी Persons belonging SC/ST/VJ/NT/ Neo-Budhist — संख्या Number | क्षेत्र Area | सैनिक व माजी सैनिक Servicemen and Ex-servicemen — संख्या Number | क्षेत्र Area | इतर Others — संख्या Number | क्षेत्र Area | बिनशेती उपयोगाकरिता वाटलेली जमीन Disposal of area for purposes other than cultivation: सार्वजनिक हितासाठी अभिहस्तांतर केलेली Area assigned for public purposes | वन विभागाकडे वर्ग केलेली Area transferred to Forest Dept. | वर्षाच्या शेवटी म्हणजे ३१ मार्च रोजी वाटपास उपलब्ध असलेली जमीन Balance area available for distribution at the end of the year *i.e.* 31st March |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | मुंबई उपनगर | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Mumbai S. . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ठाणे | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Thane . . | 2019-2020 | 2560.12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.10.80 | 30.10.80 | 0 | 2530.01.13 |
| | | 2020-2021 | 2229.38.98 | 2.50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50.0 | 2.50.0 | 0 | 2176.88.98 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रायगड | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Raigad . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रत्नागिरी | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ratnagiri . . | 2019-2020 | 1850.02.22 | 1.67.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.25.33 | 1.42.12 | 0 | 1848.34.77 |
| | | 2020-2021 | 1848.34.77 | 2.82.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.32.46 | 2.50.27 | 0 | 1845.52.04 |
| | | 2021-2022 | 1845.52.04 | 12.20.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.71.70 | 03.48.30 | 6 | 1833.32.04 |

**तक्ता-१६**- चालू

TABLE 16-*contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | पालघर<br>Palghar . . | 2019-2020 | 103.23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79.00 | 0 | 101.44.25 |
| | | 2020-2021 | 101.44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96.52 | 0 | 87.47.73 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | सिंधुदुर्ग<br>Sindhudurg . . | 2019-2020 | 894.51.28 | 0.23.00 | 31 | 30 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0.05.00 | 0.23.00 | 0 | 894.51.28 |
| | | 2020-2021 | 894.28.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.28.28 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | नाशिक<br>Nashik . . | 2019-2020 | 381.59 | 116.40 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 116.40 | 0 | 0 | 245.19 |
| | | 2020-2021 | 245.19 | 25.27 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 25.27 | 0 | 0 | 219.92 |
| | | 2021-2022 | 219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | धुळे<br>Dhule . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | नंदुरबार<br>Nandurbar . . | 2019-2020 | 19284.84 | 0.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 8.85 | 0 | 19275.08 |
| | | 2020-2021 | 19275.98 | 6.51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जळगाव<br>Jalgaon . . | 2019-2020 | 130.03 | 130.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.03 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 3.74 | 3.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.74 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | अहमदनगर<br>Ahmednagar . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | पुणे<br>Pune . . | 2019-2020 | 6325.45 | 57.88 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 57.88 | 0 | 0 | 6267.57 |
| | | 2020-2021 | 6257.57 | 27.50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 27.50 | 0 | 0 | 6240.07 |
| | | 2021-2022 | 6240.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240.07 |
| 13. | सोलापूर<br>Solapur . . | 2019-2020 | 4174.09 | 10.97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.97 | 0 | 4163.12 |
| | | 2020-2021 | 4163.12 | 47.89 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47.89 | 0 | 4115.22 |
| | | 2021-2022 | 4115.22 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4065.22 |
| 14. | सातारा<br>Satara . . | 2019-2020 | 2661.60 | 10.72 | 153 | 84 | 0.36 | 2 | 2.03 | 67 | 0.52 | 7.88 | 0 | 2650.88 |
| | | 2020-2021 | 2650.88 | 3.145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 2647.74 |
| | | 2021-2022 | 2647.74 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.74 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सांगली | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Sangli . . | 2019-2020 | 7463.03 | 13.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.40 | 0 | 7454.63 |
| | | 2020-2021 | 7454.831 | 27.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0 | 7427.42 |
| | | 2021-2022 | 7427.42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7427.42 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Kolhapur . . | 2019-2020 | 13484.53 | 48.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.67 |
| | | 2020-2021 | 13435.67 | 189.91 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0.42 | 187.49 | 0 | 13242.76 |
| | | 2021-2022 | 13242.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13242.76 |
| | नागपूर | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Nagpur . . | 2019-2020 | 70.453 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.34 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 65.11 |
| | | 2020-2021 | 65.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.11 |
| | | 2021-2022 | 65.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.11 |
| | वर्धा | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Wardha . . | 2019-2020 | 3473.91 | 12.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 3461.08 |
| | | 2020-2021 | 3461.08 | 10.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3451.08 |
| | | 2021-2022 | 3451.08 | 22.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3429.08 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Chandrapur . . | 2019-2020 | 8331.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8331.36 |
| | | 2020-2021 | 8331.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 8329.74 |
| | | 2021-2022 | 8329.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 0 | 8264.74 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Gadchiroli . . | 2019-2020 | 1740.51 | 3.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.51 | 0 | 0 | 1737.00 |
| | | 2020-2021 | 1737.00 | 26.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26.21 | 0 | 0 | 1710.79 |
| | | 2021-2022 | 1710.79 | 26.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26.21 | 0 | 0 | 1684.58 |
| | भंडारा | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Bhandara . . | 2019-2020 | 25186.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 25136.75 |
| | | 2020-2021 | 25136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 25126.70 |
| | | 2021-2022 | 25126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Gondia . . | 2019-2020 | 2.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 2 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Amravati . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Akola . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Yavatmal . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Buldhana . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता-१६**—चालू

TABLE 16—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वाशिम | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Washim . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Aurangabad . . | 2019-2020 | 1593.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 112.66 | 80.03 | 1399.03 |
| | | 2020-2021 | 1399.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 1357.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Beed . . | 2019-2020 | 39264 | 35.06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39228 |
| | | 2020-2021 | 39228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39228.2 |
| | | 2021-2022 | 39228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39228.2 |
| | नांदेड | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Nanded . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Osmanabad . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Parbhani . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.23 | 5 | 6.91 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Hingoli . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Jalna . . | 2019-2020 | 11162.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160.19 |
| | | 2020-2021 | 11162.44 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160.19 |
| | | 2021-2022 | 11160.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Latur . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## गावठाण विस्तार योजना

या विषयाबाबतची माहिती समग्र कार्यक्रमामध्ये देण्यात आली आहे.

खाली दर्शविलेल्या योजनांमध्ये समाविष्ट असलेली खेड्यांची लोकसंख्या, कुटुंबे इत्यादीबाबत माहिती दर्शविणारा तक्ता :—

The following table indicates the village population and families covered under the scheme :—

(अ) वाढीव लोकसंख्येमुळे गावठाण विस्तार योजना आणि

(A) Extension of village *gaothan* due to population pressure and

(ब) भटक्या जमाती, भूतपूर्व गुन्हेगार जमाती आणि मागासवर्ग जमातीच्या पुनर्वसनाची योजना

(B) Settlement of Nomadic Tribes, Ex-Criminal Tribes and B. C. Communities.

**तक्ता क्रमांक १७**

TABLE No. 17

| अ.क्र. Sr. No. (1) | जिल्हा District (2) | वर्ष Year (3) | एकूण समाविष्ट करावयाच्या खेड्यांची संख्या Total No. of village to be covered (4) | समाविष्ट करावयाच्या कुटुंबांची संख्या Families to be involved (5) | एकूण समाविष्ट झालेल्या खेड्यांची संख्या No. of Villages covered (6) | समाविष्ट झालेली कुटुंबे Families involved (7) | शिल्लक खेडी Balance Villages (8) | शिल्लक कुटुंबे Balance Families (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ठाणे Thane | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | रायगड Raigad | 2019-2020 | 5 | 199 | 0 | 0 | 5 | 199 |
| | | 2020-2021 | 7 | 410 | 0 | 0 | 7 | 410 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | रत्नागिरी Ratnagiri | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | सिंधुदुर्ग Sindhudurg | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | नाशिक Nashik | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता १७—चालू**

TABLE 17—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | धुळे Dhule . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | नंदुरबार Nandurbar . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | जळगाव Jalgaon . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | अहमदनगर Ahmednagar . . | 2019-2020 | 9 | 180 | 0 | 0 | 9 | 180 |
| | | 2020-2021 | 9 | 180 | 0 | 0 | 9 | 180 |
| | | 2021-2022 | 9 | 180 | 0 | 0 | 9 | 180 |
| 10. | पुणे Pune . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | सोलापूर Solapur . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | सातारा Satara . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | सांगली Sangli . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | कोल्हापूर Kolhapur . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | अमरावती Amravati . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | अकोला Akola . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | यवतमाळ | | | | | | | | |
| 17. | Yavatmal | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | |
| 18. | Buldhana | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | |
| 19. | Washim | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | |
| 20. | Nagpur | . . | 2019-2020 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| | | | 2020-2021 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | |
| 21. | Wardha | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | |
| 22. | Chandrapur | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | |
| 23. | Gadchiroli | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | |
| 24. | Bhandara | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | | |
| 25. | Gondia | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | |
| 26. | Aurangabad | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | |
| 27. | Beed | . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता १७**—चालू

TABLE 17—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नांदेड | | | | | | | |
| 28. | Nanded . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | |
| 29. | Osmanabad . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | |
| 30. | Parbhani . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | |
| 31. | Hingoli . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | |
| 32. | Jalna . . | 2019-2020 | 11 | 462 | 0 | 0 | 11 | 462 |
| | | 2020-2021 | 11 | 462 | 0 | 0 | 11 | 462 |
| | | 2021-2022 | 11 | 462 | 0 | 0 | 11 | 462 |
| | लातूर | | | | | | | |
| 33. | Latur . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## नझूल जमिनींचे व्यवस्थापन

माजी मध्यप्रदेश जमीन महसूल संहिता व त्याखालील नियमांप्रमाणे बांधकामास व सार्वजनिक कामास (रस्ते इत्यादी) उपयुक्त ठरतील अशा रिकाम्या शासकीय जमिनी नागरी विभागात तसेच काही निवडक इतर भागांमध्येही नझूल क्षेत्र म्हणून जाहीर केल्या जात असत. अशा जमिनींच्या व्यवस्थापनामध्ये खालील कामांचा अंतर्भाव होतो. जमिनींच्या तपशीलाची व त्यावरील अधिकार-अभिलेखांची माहिती ठेवणे, जमिनीचे प्रदान करणे, जमीन महसुलाची म्हणजे जमिनींच्या विक्रीच्या किंमती, भाडेपट्ट्यांचे भाडे, दंड इ. वसूल करणे व नोंदी ठेवणे, भाडे पट्ट्यांचे नुतनीकरण करणे, शर्तभंग शोधून काढणे व त्यावर इलाज करणे, अतिक्रमणे न होऊ देणे, झालेली शोधून काढणे व त्यावर कार्यवाही करणे इ. शासनाला या जमिनींच्या बाबतीत जमिनींची किंमत, भाडेपट्ट्यांचे भाडे, दंड इ. विविध प्रकारे मिळकत होते. शासकीय निर्णयाप्रमाणे या मिळकतीमधून त्यासाठी नेमलेल्या कर्मचा-यांवरील खर्च वजा करून उरलेल्या रकमांच्या ३/४ इतकी रक्कम संबंधित स्थानिक संस्थांना अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. नझूल जमिनींच्या व्यवस्थापनातील जिल्हाधिकारी, नझूल अधिकारी, नझूल तहसिलदार व त्यांचा कर्मचारीवर्ग यांच्यावरील कार्यभारासंबंधीची माहिती खालील विवरणपत्रात दिली आहे.

## नझूल जमिनीवरील अतिक्रमणे

## Encroachment on Nazul Lands

नझूल जमिनींवरील अतिक्रमणाची नोंदलेली व निर्गत प्रकरणे व दंडाच्या वसुलीची रक्कम यांची माहिती दर्शविणारा तक्ता

The following table shows the number of encroachment cases registered and disposed of and the amount of fine realised

**तक्ता—१८**

TABLE — 18

| अ.क्र. Sr. No. | जिल्हा District | वर्ष Year | वर्षाच्या आरंभी शिल्लक असलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases pending at the beginning of the year | | चालू वर्षात नोंदलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases registered during the year | | एकूण प्रकरणांची संख्या Total No. of cases | | चालू वर्षात निर्गमित झालेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases disposed of during the year | | वसुलीची रक्कम (रुपयात) Amount realised (in Rs.) | | शिल्लकी प्रकरणे Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अतिक्रमणे Encroach-ment | शर्तीचा भंग Breach of conditions | अतिक्रमणे Encroach-ment | शर्तीचा भंग Breach of conditions | अतिक्रमणे Encroach-ment | शर्तीचा भंग Breach of conditions | अतिक्रमणे Encroach-ment | शर्तीचा भंग Breach of conditions | दंड Fine | शिक्षा Penalty | अतिक्रमणे Encroach-ment | शर्तीचा भंग Breach of conditions |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1. | नागपूर Nagpur .. | 2019-2020 | 312 | 0 | 20 | 0 | 332 | 0 | 50 | 0 | 167400 | 0 | 282 | 0 |
| | | 2020-2021 | 282 | 0 | 217 | 0 | 499 | 0 | 137 | 0 | 59260 | 0 | 362 | 0 |
| | | 2021-2022 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | .. | .. | .. | .. | .. | 362 | .. |
| 2. | वर्धा Wardha .. | 2019-2020 | 9 | 65 | 0 | 0 | 9 | 65 | 4 | 45 | 2548865 | 200000 | 5 | 20 |
| | | 2020-2021 | 5 | 20 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0 | 10 | 714955 | 0 | 5 | 20 |
| | | 2021-2022 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 3. | चंद्रपूर Chandrapur .. | 2019-2020 | 154 | 0 | 3 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| | | 2020-2021 | 157 | 0 | 5 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| | | 2021-2022 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | .. | .. | .. | .. | 162 | 0 |

**तक्ता १८**—चालू

TABLE 18—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गडचिरोली | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Gadchiroli . . | 2019-2020 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| | | 2020-2021 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| | | 2021-2022 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Bhandara . . | 2019-2020 | 74 | 102 | 5 | 120 | 79 | 222 | 9 | 102 | 1600000 | 0 | 70 | 120 |
| | | 2020-2021 | 70 | 120 | 8 | 0 | 78 | 120 | 5 | 10 | 120000 | 0 | 73 | 110 |
| | | 2021-2022 | 73 | 110 | 3 | 1 | 76 | 111 | 2 | 8 | 121000 | 0 | 74 | 103 |
| | गोंदिया | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Gondia . . | 2019-2020 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| | | 2020-2021 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| | | 2021-2022 | 35 | . . | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Amravati . . | 2019-2020 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| | | 2020-2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| | | 2021-2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Akola . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Yavatmal . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Buldhana . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Washim . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पुणे | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Pune . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रायगड | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Raigad . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

नियमाप्रमाणे संस्थांना/व्यक्तींना नझूल जमिनी मंजूर केल्या जातात. जिल्हाधिका-यांच्या जमीन वाटपाच्या कार्यभाराची माहिती आणि अशा मंजुरीपासून झालेली प्राप्ती दर्शविणारा तक्ता :

The Nazul lands are granted to Institutions/Individuals as per Rules, Following table indicates the work-load of the Collector regarding the area granted/allotted and the income derived from such grants :

**तक्ता—१९**

TABLE —19

(रुपये हजारात)

(Rs. in thousands)

| अ. क्र. | जिल्हा | वर्ष | वर्षारंभी शिल्लक असलेल्या प्रकरणांची संख्या | चालू वर्षी नोंदलेल्या प्रकरणांची संख्या | एकूण | निर्गमीत झालेल्या प्रकरणांची संख्या | शिल्लक | समाविष्ट झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | मूळ किंमतीवर आधारीत | कायम भाडेपट्टीने दिलेले | तात्पुरत्या भाडेपट्टीने | कायम भाडेपट्टीची | लिलावाने भाडे |
| Sr. No. | District | Year | No. of cases pending at the beginning of the year | No. of. cases registered during the year | Total | No. of cases disposed of | Balance | Area of the land involved | | | | |
| | | | | | | | | Settled occupancy price | Permanent lease | Temporary lease | Permanent lease renewed | Lease granted by auction |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | नागपूर | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nagpur .. .. | 2019-2020 | 369 | 10 | 379 | 4 | 375 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 2020-2021 | 375 | 24 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 399 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wardha .. .. | 2019-2020 | 35 | 3 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 38 | 2 | 40 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | | | |
| 3. | Chandrapur .. .. | 2019-2020 | 159 | 1 | 160 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | | | |
| 4. | Gadchiroli .. .. | 2019-2020 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | | | | |
| 5. | Bhandara .. .. | 2019-2020 | 14 | 5 | 19 | 6 | 13 | 112 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | 2020-2021 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | | | | | |
| 6. | Gondia .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता १९**—चालू

TABLE 19—*contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अमरावती | | | | | | | | | | | |
| 7. | Amravati . . . . | 2019-2020 | 5879 | 1 | 5880 | 3295 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 367644 | 5032 |
| | | 2020-2021 | 2585 | 3020 | 5605 | 3015 | 2590 | 429717 | 0 | 0 | 387835 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | |
| 8. | Akola . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | |
| 9. | Yavatmal . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | | | | |
| 10. | Buldana . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | | |
| 11. | Washim . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मुंबई उपनगर | | | | | | | | | | | |
| 12. | Mumbai Suburban . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पुणे | | | | | | | | | | | |
| 13. | Pune . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रायगड | | | | | | | | | | | |
| 14. | Raigad . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता १९—चालू**

TABLE 19—*Contd.*

(रुपये हजारात)

(Rs. in thousands)

| अ. क्र. Sr. No. (1) | जिल्हा District (2) | वर्ष Year (3) | (क्षेत्र चौ. मिटरमध्ये) एकूण स्तंभ (९) ते (१३) (Area in Sq. M.) Total of Cols. (9) to (13) (14) | व्यक्तींना भाडेपट्ट्याने मंजूर केलेले No. of. cases in which lease granted to individuals (15) | संस्थांना/सोसायटींना भाडेपट्ट्याने मंजूर केलेले No. of cases in which lease granted to Institution/Societies (16) | मिळालेले नझूल उत्पन्न Nazul income received by way of — मूळ किंमत Occupancy price (17) | भुई भाडे Ground Rent (18) | भाडेपट्टी Lease Rent (19) | एकूण Total (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नागपूर | | | | | | | | |
| 1. | Nagpur .. .. | 2019-2020 | 167.69 | 1 | 0 | 7334122 | 231945 | 0 | 7566067 |
| | | 2020-2021 | 217.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | |
| 2. | Wardha .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | |
| 3. | Chandrapur .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | |
| 4. | Gadchiroli .. .. | 2019-2020 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 50.00 | 50.02 |
| | | 2020-2021 | 1000.0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 40.00 | 40.02 |
| | | 2021-2022 | 800.0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 36.00 | 36.02 |
| | भंडारा | | | | | | | | |
| 5. | Bhandara .. .. | 2019-2020 | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | | |
| 6. | Gondia .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | |
| 7. | Amravati .. .. | 2019-2020 | 5032 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 130013.422 | 130013.422 |
| | | 2020-2021 | 0 | 3015 | 0 | 2992.872 | 0 | 5126.883 | 8113.755 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | |
| 8. | Akola .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता १९**—चालू

TABLE 19—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | यवतमाळ | | | | | | | | |
| 9. | Yavatmal . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | |
| 10. | Buldana . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | |
| 11. | Washim . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मुंबई उपनगर | | | | | | | | |
| 12. | Mumbai Suburban . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पुणे | | | | | | | | |
| 13. | Pune . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रायगड | | | | | | | | |
| 14. | Raigad . . . . | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### दिवाणी विधान संहिता (सिव्हील प्रोसीजर कोड), कलम ५४ अन्वये न्यायालयात आलेल्या आज्ञाप्तीची (डिग्री) अंमलबजावणी

जिल्हाधिकारी यांना दिवाणी न्यायालयाकडून आलेल्या आज्ञाप्ती प्रकरणात भूमि अभिलेख यांचेकडून जमिनीची विभागणी करून घेऊन कलम ५४ खाली आज्ञाप्तीची अंमलबजावणी करावी लागते. जिल्हाधिका-यांनी सन २०२०-२०२१ साली हाताळलेल्या प्रकरणांची माहिती पुढे दर्शविण्यात आली आहे :—

| वि. आयुक्त | | कोंकण विभाग | नाशिक विभाग | पुणे विभाग | अमरावती विभाग | नागपूर विभाग | औरंगाबाद विभाग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) एकंदर प्रकरणांची संख्या | . . | ७३२ | ११९ | ३५०२ | २३७ | १९० | ६८२ |
| (२) निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या | . . | २५७ | २५ | १०३० | ७७ | ८९ | १२३ |
| (३) शिल्लक राहीलेल्या प्रकरणांची संख्या | . . | ४७५ | ९४ | २४७२ | १६० | १०१ | ५५९ |

### निर्वासित मालमत्ता अधिनियम, १९५० खालील प्रशासन

निर्वासित मालमत्ता प्रशासन अधिनियम, १९५० प्रमाणे जिल्हाधिकारी यांना उप-अभिरक्षक म्हणून या अधिनियमाचे निरनिराळ्या कलमांखाली दिलेल्या अधिकारांचा वापर करावा लागतो. ज्या मालमत्ता अंतिमरित्या निकालात काढता आल्या नाहीत, अशा मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणे एवढेच मर्यादित काम सध्या या कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात येत असते. २०१८-२०१९ या वर्षामध्ये व्यवस्थापनाखाली असलेल्या मालमत्तेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.—

नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, नागपूर, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार, पुणे.

३४३४ ० ० १२ १४ ० ० ५ ३११ ० . . ४५९९

## तक्ता २०
## कर्मचारी विषयक गोषवारा

| अ.क्र. | पदनाम | वेतनस्तर | एकूण पदे | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आयुक्त, कोंकण | | आयुक्त, नाशिक | | आयुक्त, पुणे | | आयुक्त, अमरावती | | आयुक्त, नागपूर | | आयुक्त, औरंगाबाद | | एकूण | |
| | | | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ |
| (१) | (२) | (३) | (४) | | (५) | | (६) | | (७) | | (८) | | (९) | | (१०) | |
| | **राजपत्रित (वर्ग-१)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | जिल्हाधिकारी .. | संवर्ग पद .. | ७ | ७ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ६ | ६ | ८ | ८ | ३६ | ३६ |
| २ | अप्पर जिल्हाधिकारी/निवासी जिल्हाधिकारी | एस-२७ (११८५००-२१४१००) .. | ७ | ७ | ६ | ६ | ५ | ५ | ५ | ५ | ७ | ७ | ९ | ९ | ३९ | ३९ |
| ३ | सहाय्यक जिल्हाधिकारी .. | एस-२५ (७८८००-२०९२००) .. | ३ | ३ | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | ० | ० | ८ | ८ |
| ४ | उप-जिल्हाधिकारी .. | एस-२० (५६१००-१७७५००) .. | ५८ | ५८ | ४७ | ४७ | ६६ | ६६ | ५८ | ५८ | ५२ | ५२ | ६४ | ६४ | ३४५ | ३४५ |
| ५ | विशेष भूमी संपादन अधिकारी .. | एस-२० (५६१००-१७७५००) .. | १३ | १३ | १० | १० | २६ | २६ | ११ | ११ | १७ | १७ | १४ | १४ | ९१ | ९१ |
| ६ | नगर रचनाकार .. | एस-२० (५६१००-१७७५००) .. | २ | २ | ० | ० | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | ७ | ७ |
| ७ | तहसिलदार/अप्पर .. | एस-१९ (५५१००-१७५१००) .. | ९४ | ९४ | ७८ | ७८ | ११३ | ११३ | ८० | ८० | ८३ | ८३ | १०२ | १०३ | ५५० | ५५१ |
| | तहसिलदार/प्रमुख लिपिक/चिटणीस .. | .. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ८ | जिल्हा करमणूक कर अधीक्षक .. | एस-२० (५६१००-१७७५००) .. | २ | २ | २ | २ | ३ | ३ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ८ | ८ |
| ९ | लेखाधिकारी .. | एस-१६ (४४९००-१४२४००) .. | ३ | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ |
| १० | अधीक्षक (भूमी अभिलेख) .. | .. | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | २ | २ |
| | | एकूण .. .. | १९० | १९० | १५० | १५० | २२० | २२० | १५९ | १५९ | १७० | १७० | २०० | २०१ | १०८९ | १०९० |
| | **राजपत्रित (वर्ग-२)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **१** | **लघुलेखक उच्च श्रेणी** .. | एस-१५ (४१८००-१३२३००) .. | ४ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ४ |
| २ | स्वीय सहाय्यक .. | एस-१५ (४१८००-१३२३००) .. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ |
| ३ | लेखाधिकारी .. | एस-१६ (४४९००-१४२४००) .. | १३ | १३ | १० | १० | ११ | ११ | १० | १० | १२ | १२ | १६ | १६ | ७२ | ७२ |
| ४ | सहाय्यक लेखाधिकारी .. | एस-१५ (४१८००-१३२३००) .. | ६ | ६ | ४ | ४ | ११ | ११ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २१ | २१ |
| ५ | अधीक्षक .. | एस-१९ (५५१००-१७५१००) .. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ० | ० | २ | २ |
| ६ | नायब तहसिलदार (वर्ग-२) .. | एस-१४ (३८६००-१२२८००) .. | २२४ | २३५ | २२३ | २२३ | ३२६ | ३२६ | २६२ | २५२ | २५० | २५० | २८१ | २८१ | १५६६ | १५६७ |
| ७ | सहा. नगर रचनाकार .. | एस-१४ (३८६००-१२२८००) .. | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | ४ | ४ |
| ८ | सहा. करमणूक कर अधिकारी .. | एस-१४ (३८६००-१२२८००) .. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७ | ५ | ७ | ५ |
| | | एकूण .. .. | २४८ | २५९ | २३७ | २३७ | ३४८ | ३४८ | २७२ | २६२ | २६५ | २६५ | ३०७ | ३०५ | १६७७ | १६७६ |

**अराजपत्रित (वर्ग-३)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सहाय्यक लेखाधिकारी | . . | एस-१५ (४१८००-१३२३००) | . . | ८ | ८ | ० | ० | ० | ० | ९ | ९ | ७ | ७ | ७ | ७ | ३१ | ३१ |
| | सहाय्यक अधीक्षक/ प्रमुख लेखापाल/ | . . | | . . | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | सहाय्यक करमणूक कर अधिकारी | | | . . | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | . . | एस-१५ (४१८००-१३२३००) | . . | ३ | ३ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ६ | ६ | १० | १० | ३४ | ३४ |
| ३ | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) | . . | एस-१४ (३८६००-१२२८००) | . . | ३९ | ३९ | ३६ | ३६ | ४४ | ४४ | ३८ | ३८ | ४५ | ४५ | ५४ | ५४ | २५६ | २५६ |
| ४ | उपलेखापाल | . . | एस-१३ (३५४००-११२४००) | . . | ३० | ३० | ५ | ५ | १६ | १६ | १२ | १२ | ६ | ६ | १२ | १२ | ८१ | ८१ |
| ५ | अव्वल कारकून/ वरिष्ठ लिपिक/ वरिष्ठ लेखा लिपिक/शिरस्तेदार प्रथम श्रेणी लिपिक/ (सहा. चिटणीस/उपचिटणीस) | . . | एस-१२ (३२०००-१०१६००) | . . | ७०९ | ७१३ | ५६० | ५६० | ८७२ | ८७२ | ७१९ | ७१९ | ५७९ | ५७९ | ६६० | ६६० | ४०९९ | ४१०३ |
| ६ | करमणूक कर निरीक्षक | . . | एस-१२ (३२०००-१०१६००) | . . | ३९ | ३९ | ३८ | ३८ | ४२ | ४२ | २४ | २४ | २२ | २२ | ३२ | ३२ | १९७ | १९७ |
| ७ | सहा. अधीक्षक/भूमि अभिलेख/निमतानदार/परीक्षण सर्व्हेअर | . . | एस-१२ (३२०००-१०१६००) | . . | १९ | १९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | २० | २० |
| ८ | मंडळाधिकारी | . . | एस-१२ (३२०००-१०१६००) | . . | २६६ | २७२ | ३२८ | ३२८ | ४९२ | ४९२ | ४०२ | ४०२ | २९६ | २९६ | ४८१ | ४८१ | २२६५ | २२७१ |
| ९ | लघुटंकलेखक/सहा. आरेखक | . . | एस-८ (२५५००-८११००) | . . | १२ | १२ | ७ | ७ | १४ | १४ | ७ | ७ | १० | १० | १४ | १४ | ६४ | ६४ |
| १० | तलाठी/पटवारी | . . | एस-८ (२५५००-८११००) | . . | १४५० | १४५० | १८९५ | १८९५ | २७६३ | २७६३ | २३३३ | २३३३ | १६७८ | १६७८ | २७६६ | २७६१ | १२८८५ | १२८८० |
| ११ | लिपिक/टंकलेखक/भूमापक | . . | एस-६ (१९९००-६३२००) | . . | ११५२ | ११५२ | ९८७ | ९८७ | १४५३ | १४५३ | १२३९ | १२३९ | १०१४ | १०१४ | १२२७ | १२२७ | ७०७२ | ७०७२ |
| १२ | वाहन चालक | . . | एस-६ (१९९००-६३२००) | . . | ११० | ११० | १०५ | १०५ | १४० | १४० | १०८ | १०८ | १२४ | १२४ | १३९ | १३९ | ७२६ | ७२६ |
| १३ | स्टँप व्हेंडर | . . | एस-६ (१९९००-६३२००) | . . | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | भाडेवसुलीकर | . . | एस-६ (१९९००-६३२००) | . . | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | एकूण | . . | ३८३७ | ३८४७ | ३९६६ | ३९६६ | ५८४१ | ५८४१ | ४८९६ | ४८९६ | ३७८८ | ३७८८ | ५४०२ | ५३९७ | २७७३० | २७७३५ |

**तक्ता २०**—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | | (५) | | (६) | | (७) | | (८) | | (९) | | (१०) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **अराजपत्रित (वर्ग-४)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | दप्तरी/हवालदार/ . . | एस-३ (१६६००-५२४००) . . | ११७ | ११७ | ० | ० | ३८ | ३८ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १५६ | १५६ |
| | नाईक/जमादार . . | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | शिपाई/स्वीपर . . | एस-१ (१५०००-४७६००) . . | ६५० | ६१५ | ५७३ | ५७३ | ८१९ | ८१९ | ७०० | ६०१ | ७१२ | ७१२ | ७५२ | ७५२ | ४२०६ | ४०७२ |
| | चेनमन/चौकीदार/ . . | . . | ० | ० | ६१ | ६१ | ६४ | ६४ | २१ | २१ | ० | ० | ० | ० | १४६ | १४६ |
| | स्वच्छक/वॉचमन . . | . . | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३ | कोतवाल . . | ७५००-१५००० . . | १३५५ | १३५५ | १८४४ | १८४४ | ३०९४ | ३०९४ | २२८६ | २२८६ | २०८१ | २०८१ | २४८४ | २४८४ | १३१४४ | १३१४४ |
| | | मानधन प्रति महिना | | | | | | | | | | | | | | |
| | | एकूण . . . . | २१२२ | २०८७ | २४७८ | २४७८ | ४०१५ | ४०१५ | ३००७ | २९०८ | २७९३ | २७९३ | ३२३७ | ३२३७ | १७६५२ | १७५१८ |
| | | एकूण बेरीज . . . . | ६३९९ | ६३८३ | ६८३१ | ६८३१ | १०४२४ | १०४२४ | ८३३४ | ८२२५ | ७०१६ | ७०१६ | ९१४६ | ९१४० | ४८१४८ | ४८०१९ |

## कार्यक्रम क्रमांक ३
## आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण

राज्य शासनाने आपत्ती प्रतिसाद व आपदग्रस्तांना मदत या बाबींवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केलेला आहे. नैसर्गिक वा मानवनिर्मित आपत्तीमुळे होणा-या जीवीत व वित्तहानीच्या अनुषंगाने राज्यातील जनतेला तातडीने मदत पुरविणे व यथावकाश त्यांचे पुनर्वसन करणे ही कामे फार पूर्वीपासून केली जात आहेत. परंतु आपत्ती येण्यापूर्वी सुसज्जता प्रशिक्षण आणि योग्य दक्षतेसह करावयाच्या उपाययोजना यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

२. केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अनुसार राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये राज्य स्तर व जिल्हा स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.

३. आपत्ती संदर्भात प्रतिबंध, निवारण, सज्जता व पूर्वतयारी प्रतिसाद, मदत व पुनर्वसन, आपत्तीपूर्व सज्जतेसाठी तयारी व प्रशिक्षण राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावर देणे, आवश्यक ती साधनसामुग्री या स्तरावर उपलब्ध करून देणे, दळणवळण यंत्रणा, धोक्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा इ. प्रस्थापित करणे, आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना व आपत्ती निवारण निधीची स्थापना राज्य व जिल्हा स्तरावर करणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रभागाची निर्मिती केली आहे. या प्रभागात एकूण ४० पदे असतील व त्यामध्ये महसूल व वन विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असणा-या मदत व पुनर्वसन उपविभागातील म-३, म-७, म-११ आणि भूकंप पुनर्वसन कक्षाच्या कार्यासनातील कार्यरत असणा-या पदांचा समावेश असेल. तसेच मंत्रालय नियंत्रण कक्षासाठी कायमस्वरुपी व योग्य प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग असण्याची आवश्यकता लक्षात घेवून शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२००९/प्र.क्र. २२/आव्यप्र-१, दि. ४ ऑक्टोबर, २०१० अन्वये एक उपसचिव, दोन अवर सचिव, चार कक्ष अधिकारी अशी एकूण सात पदे कायमस्वरुपी निर्माण करण्यात आली. महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) शासन निर्णय क्रमांक मंनिक-२०११/प्र.क्र. २१ आव्यप्र-१, दिनांक १६-४-२०१४ अन्वये राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षासाठी कायमस्वरूपी गट-क व गट-ड ची एकूण ६ पदे निर्माण / मंजूर करण्यात आली आहेत.

४. आपत्कालीन व्यवस्थापन योजनेचा भाग म्हणून राज्य स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना दिनांक २५-५-२००६ रोजी करण्यात आली आहे.

**मंत्रालय नियंत्रण कक्ष :** मंत्रालय नियंत्रण कक्षाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी मंत्रालय नियंत्रण कक्षाचे विषय वाटप दोन कार्यासनात करण्यात आले असून मंनिक-१ व मंनिक-२ अशी कार्यासने निर्माण करण्यात आली आहेत. या कार्यासनातून आपत्ती हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे, मानवनिर्मित आपत्ती धोरण तयार करणे, मार्गदर्शक सूचना तयार करून त्यांची अंमलबजावणी, प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे, धोरणे आखणे, क्षमता बांधणी, स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय, जिल्ह्याचे SOP (Standard Operating Procedure) अद्ययावत ठेवणे, अग्निशमन, रुग्णवाहिका, पोलीस, मोबाईल ऑपरेटर, हॅम रेडिओ ऑपरेटर यांच्याशी समन्वय व दूरध्वनी क्रमांकाचे अद्ययावतीकरण, हवामान, धरणपातळी तसेच इतर दुर्घटना घडामोडींची माहिती संबंधीतांना नियमितरित्या सादर करणे, राष्ट्रीय/केंद्राबरोबर समन्वय ठेवणे, दळणवळण संपर्क सुविधा (उदा. Revamping of very High Frequency Network) इत्यादी विषय दोन्ही कार्यासनातून हाताळले जातात.

**राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प :**

चक्रीवादळ, पूर इत्यादी स्वरुपाच्या आपत्तीमुळे होणारी प्राणहानी व वित्तहानी टाळण्यासाठी जागतिक बँक अर्थसहाय्यित केंद्र शासनाकडून समुद्रकिना-यावरील १३ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशाकरिता " राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प " राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. राज्यातील किनारी जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण रू. ३९८ कोटी एवढ्या खर्चाचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. सदर प्रकल्पात ७५ टक्के केंद्र शासनाचा व २५ टक्के राज्य शासनाचा वाटा राहील.

सदर प्रकल्प महाराष्ट्राच्या किनारी जिल्ह्यांमध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई येथे राबविण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पाचा पूर्णत्व कालावधी ४ वर्षांचा आहे.

प्रकल्प अहवालास मंजुरी प्रदान करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत होईल व यात नियोजन व वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिवांचा समावेश राहील. याशिवाय प्रकल्पातील विषयांच्या संबंधित असलेल्या विभागांचे प्रधान सचिव व सचिवांचा समावेश राहील. अपर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन) हे सदस्य राहतील.

प्रकल्प संचालक म्हणून सचिव (मदत व पुनर्वसन) हे राज्य चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाचे प्रमुख राहतील. प्रकल्प व्यवस्थापन व अंमलबजावणी गट स्थापन राहतील. गटात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपसचिव, विशेष कार्य अधिकारी व सहसचिव, वित्तीय सल्लागार व सहसचिव, करार पध्दतीवर घेण्यात येणारे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता तसेच अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश असेल. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समन्वय गट कार्यरत राहील.

**चक्रीवादळ निवारण प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे :**

(अ) चक्रीवादळाचा मागोवा तसेच पूर्वसूचना घेणे व धोक्याची पूर्वसूचना संबंधीतांना त्वरेने कळविणे (केंद्र शासनामार्फत)

(ब) आपत्ती निवारण आराखडा विविध स्तरावर तयार करणे : बहूउद्देशिय निवारे बांधणे, खारप्रतिबंधक बंधारे बांधणे, जमिनीखालून विद्युतवाहिनी टाकणे.

(क) कांदळवन झाडांचे संवर्धन व पुनरुज्जीवन करणे तसेच सुरुची व तिवरांची लागवड करणे.

(ड) चक्रीवादळ बाधित ठिकाणाचे अभियंते तसेच गवंडी यांना चक्रीवादळ नियंत्रित घरे बांधण्याचे प्रशिक्षण देणे व यासाठी प्रशिक्षण देणा-या संस्थेचे मनुष्यबळ बळकटीकरण करणे.

राष्ट्रीय चक्रीवादळ निवारण प्रकल्पाकरिता नवीन उपशीर्ष उघडण्यात आले आहे. दूरसंदेशवहन व दळणवळण सूचना तंत्रज्ञानाशी निगडीत बाबीकरिता बाह्यतर सल्लागाराचा सेवा प्रकल्प परिस्थितीनुरूप घेण्यात येतील. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडे नवीन उपशीर्ष उघडण्याची कार्यवाही चालू आहे. केंद्र शासनाकडे रु. २५३.०६ कोटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

अतिवृष्टी व पुरामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी विशेष कार्यकारी गटाची निर्मिती करण्यात आली. पुराने बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-११.०५/प्र. क्र. २३९/म-३, दिनांक ९-१-२००६ अन्वये धोरण निश्चित करण्यात आले. पुराने बाधित झालेल्या १४ जिल्ह्यातील ७० गावांतील सुमारे १०,००० घरांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार यवतमाळ, सोलापूर,

सातारा व सांगली, नांदेड, भंडारा, गोंदिया, परभणी व पुणे या ९ जिल्ह्यातील २५ गावांमधील ४९९२ घराचे बांधकाम करण्यात येत आहे. या कामासाठी १० पदांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. सद्यःस्थितीत २ पदे कार्यरत आहेत.

**कर्मचारी विषयक गोषवारा**

**मंत्रालय स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग**

| अनुक्रमांक (१) | पदनाम (२) | पदांची संख्या (३) | वेतन श्रेणी (४) | ग्रेड वेतन (५) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (रुपये) |
| १ | वित्तीय सल्लागार व सह सचिव | १ | S-२९ | १३११००-२१६६०० |
| २ | संचालक (पदसिध्द उप सचिव) | १ | S-२५ | ७८८००-२०९२०० |
| ३ | अवर सचिव/विशेष कार्य अधिकारी | २ | S-२३ | ६७७००-२०८७०० |
| ४ | लेखा अधिकारी, वर्ग-२ | १ | S-१६ | ४९९००-१४२४०० |
| ५ | कार्यासन अधिकारी | ३ | S-१७ | ४७६००-१५११०० |
| ६ | लघुलेखक (मराठी) | १ | S-१५ | ४१८००-१३२३०० |
| ७ | सहाय्यक | ९ | S-१४ | ३८६००-१२२८०० |
| ८ | सहाय्यक लेखा अधिकारी | १ | S-१५ | ४१८००-१३२३०० |
| ९ | उप लेखापाल | १ | S-१३ | ३५४००-११२४०० |
| १० | लघुटंकलेखक (इंग्रजी) | ४ | S-८ | २५५००-८११०० |
| ११ | रोखपाल | १ | S-६ | १९९००-६३२०० |
| १२ | लिपिक टंकलेखक | ९ | S-६ | १९९००-६३२०० |
| १३ | वाहन चालक | ३ | S-६ | १९९००-६३२०० |
| १४ | शिपाई | ३ | S-१ | १५०००-४७६०० |
| | एकूण | ४० | | |

वर नमूद ४० पदांव्यतिरिक्त मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकरिता खालील ७ पदे कायमस्वरूपी निर्माण करण्यात आलीत.

| अनुक्रमांक (१) | पदनाम (२) | पदांची संख्या (३) | वेतन श्रेणी (४) | ग्रेड पे (५) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (रुपये) |
| १ | उपसचिव | १ | S-२५ | ७८८००-२०९२०० |
| २ | अवर सचिव | २ | S-२३ | ६७७००-२०८७०० |
| ३ | कक्ष अधिकारी | ४ | S-१७ | ४७६००-१५११०० |
| | एकूण | ७ | | |

अशी एकूण ७ पदे कायमस्वरुपी निर्माण करण्यात आलीत.

अतिवृष्टी व पूर यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पदांपैकी कार्यरत असलेली विशेष कार्यकारी गटातील सद्यःस्थितीत कार्यरत पदे.

| अनुक्रमांक (१) | पदनाम (२) | पदांची संख्या (३) | वेतन श्रेणी (४) | ग्रेड वेतन (५) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (रूपये) |
| १ | अवर सचिव (वित्त व लेखावर्ग) वर्ग-१ | १ | S-२३ | ६७७००-२०८७०० |
| २ | वाहन चालक | १ | S-६ | १९९००-६३२०० |
| | एकूण | २ | | |

**शासन निर्णय क्र. मंनिक/२०११/प्र.क्र.-२१/आव्यप्र, दिनांक १६-०४-२०१४**

**अन्वये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील**

| अनुक्रमांक (१) | पदनाम (२) | पदांची संख्या (३) | वेतन श्रेणी (४) | ग्रेड वेतन (५) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (रुपये) |
| १ | सहायक | २ | S-१४ | ३८६००-१२२८०० |
| २ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | १ | S-१५ | ४१८००-१३२३०० |
| ३ | लिपिक टंकलेखक | २ | S-६ | १९९००-६३२०० |
| ४ | शिपाई | १ | S-१ | १५०००-४७६०० |
| | एकूण | ६ | . . | . . |

## नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना सहाय्य करण्याची योजना

**(क) प्रास्ताविक–**

### (एक) सानुग्रह अनुदान, मदत व सानुग्रह सहाय्य

देशामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणा-या जीवीत व वित्तहानी मध्ये मदत देण्याकरिता आपत्ती सहायता निधीची (Calamity Relief Fund) ची स्थापना करण्यात आली आहे. आपत्ती सहायता निधीमध्ये केंद्र शासनाचा ७५% व राज्य शासनाचा २५ % सहभाग असतो. सद्यस्थितीत सदर निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (State Disaster Response Fund) म्हणून ओळखला जातो. सदर निधीमधून नैसर्गिक आपद्ग्रस्तांना मदत देण्यात येते. केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये येणा-या बाबींमध्ये चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी, किटकांचा प्रादुर्भाव (टोळधाड), कडाक्याची थंडी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या व्यतिरिक्त राज्य शासनामार्फत अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी (शेती पिकांच्या नुकसानीसह सर्व नुकसान), समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे या बाबी अंतर्गत मदत देण्यात येते. उपरोक्त नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या जीवीत व वित्त हानीसाठी केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषानुसार विहित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार यापुढे प्रचलित पद्धतीनुसार दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून पुढीलप्रमाणे मदत मंजूर करण्यात येत आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या आपदग्रस्तांना केंद्र शासनाच्या दरानुसार खालीलप्रमाणे मदत देण्यात येते.-

**तक्ता**

| Sr. No. / अ.क्र. (१) | ITEM / बाब (२) | NORMS OF ASSISTANCE / मदतीचे दर (३) |
|---|---|---|
| **१.** | **सानुग्रह अनुदान :** | |
| | (अ) आपद्ग्रस्त मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना देय आर्थिक सहाय्य | योग्य त्या प्राधिका-याने मृत्यूचे कारण प्रमाणित करण्याच्या अधीन राहून मृत व्यक्तीच्या वारसांना रु. ४.०० लाख इतकी मदत अनुज्ञेय राहील. आपत्तीमधे मदत कार्यात तसेच पूर्वतयारीमध्ये सहभागी व्यक्तीचा देखील यामध्ये समावेश राहील. |
| | (ब) अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास देय आर्थिक सहाय्य | • ४० टक्के ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास रु. ५९,१००/-<br>• ६० टक्क्याहून अधिक अपंगत्व असल्यास रु. २ लाख इतकी मदत याबाबत अपंगत्वाचे प्रमाण व त्याच्या कारणाबाबत शासकीय दवाखाना/इस्पितळातील वैद्यकीय अधिका-याने प्रमाणित करणे आवश्यक राहील. |
| | (क) जखमी व्यक्ती इस्पितळात दाखल झाला असल्यास | • एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता इस्पितळात दाखल झाल्यास रु.१२,७००/-.<br>• एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीकरिता इस्पितळात दाखल झाला रु. ४,३००/-. |
| | (ड) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास/ घरे पूर्णतः वाहून गेली असल्यास/पूर्णतः क्षतीग्रस्त झाली असल्यास/कपडे/भांडी/घरगुती वस्तुंकरिता अर्थसहाय्य. | • रु. १,८००/- कपड्याचे प्रतिकुटुंब झालेल्या नुकसानीकरीता.<br>• प्रतिकुटुंब रु. २,००० घरगुती भांडी/वस्तु नुकसानीकरिता. |
| | (इ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये गंभीरपणे प्रभावित झालेल्या कुटुंबीयांना दैनंदिन मदत. | मदत छावणीमध्ये आश्रय न घेतलेल्या प्रति प्रौढ व्यक्तीस रु. ६०/- व प्रति बालकास रु. ४५ मदत अनुज्ञेय राहील. राज्य शासनाने ज्या आपद्ग्रस्तास मदत करावयाची आहे, त्याने मदत छावणीमध्ये आश्रय घेतला नसल्याचे प्रमाणित करावे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने आपद्ग्रस्तांना कोणत्या पद्धतीने व कशाप्रकारे मदत देण्यात येईल याबाबतची जिल्हानिहाय कार्यपद्धती निश्चित करावी.<br>सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा कालावधी राज्य कार्यकारी समिती आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीप्रकरणी) केंद्रीय पथक यांनी मूल्यांकित केल्यानुसार निर्धारित करेल. तथापि, सदर कालावधीत सहाय्य हे (by default) ३० दिवसांचे असेल. तद्नंतर आवश्यकतेनुसार सदर |

**तक्ता**—चालू

| Sr. No. / अ.क्र. (१) | ITEM / बाब (२) | NORMS OF ASSISTANCE / मदतीचे दर (३) |
|---|---|---|
| | | कालावधी प्रथमतः ६० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल आणि त्यानंतर दुष्काळ, टोळधाड या कारणास्तव आवश्यकतेनुसार ९० दिवसांपर्यंत सदर कालावधी वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल, तथापि, या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये. |
| २. | **शोध व बचाव मोहीम :** | राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेला व (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतीत) केंद्रिय पथकाने शिफारस केलेला प्रत्यक्ष खर्च. |
| | (अ) शोध व बचाव उपाययोजना बाधित व्यक्ति/बाधित होणा-या व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठीचा खर्च. | केंद्रीय पथकाने आपद्ग्रस्त क्षेत्रास भेट देण्यापूर्वी वरील कार्यवाही पूर्ण झालेली असेल, त्यावेळी राज्य स्तरीय समिती आणि केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष झालेला खर्च अथवा जवळपास येणारा खर्च याबाबत शिफारस करेल. |
| | (ब) प्राण वाचविण्याकरिता तातडीचे मदत कार्य करण्या-करिता बोटी भाड्याने घेतल्या असल्यास. | राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेला व (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतीत) केंद्रीय पथकाने शिफारस केलेला प्रत्यक्ष खर्च.<br>विहित नैसर्गिक आपत्तीमध्ये प्राण वाचविण्याकरिता तसेच आपत्ती-मध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करण्याकरिता बोटी भाड्याने घेणे आणि आवश्यक साधनांचा वापर करण्याकरिता येणारा प्रत्यक्ष खर्च अनुज्ञेय असेल. |
| ३. | **मदत कार्य :** | |
| | (अ) आपत्तीमध्ये मदत छावणीमध्ये आश्रय घेतलेल्या व्यक्तींकरिता तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था, अन्नधान्य, कपडे, औषधोपचार इत्यादी करिता. | राज्य कार्यकारी समितीने आवश्यकतेनुसार निश्चित केल्याप्रमाणे आणि केंद्रीय पथकाने शिफारस केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत अनुज्ञेय असल्यास) ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल. राज्य कार्यकारी समिती मदत छावण्यांची संख्या, कालावधी तसेच छावण्यांतील बाधितांची संख्या या माहितीच्या आधारे कालावधी व छावण्यांची संख्या निश्चित करेल. भूकंप, पूर, दुष्काळ इ. तीव्र स्वरुपाच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सदर कालावधी ६० दिवसांकरिता वाढविता येईल व तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमध्ये तो ९० दिवसांकरिता वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल. तथापि, या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.<br>वैद्यकीय मदत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन (NRHM) मधून देण्यात यावी. |
| | (ब) हवाई मार्गे आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे. | राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्याबाबतीत) आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल.<br>केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयामार्फत सादर केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या देयकाच्या मर्यादित राहील तसेच हवाई मार्गाने आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे व बचाव कार्य करणे या प्रयोजनाकरिताच सदर मदत अनुज्ञेय राहील. |
| | (क) ग्रामीण व नागरी भागाकरिता पिण्याचा पाण्याचा आकस्मिक पुरवठा. | राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल. हा कालावधी ३० दिवसांसाठी असेल व दुष्काळजन्य परिस्थितीत सदर मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल. |

**तक्ता**—चालू

| Sr. No. / अ.क्र. (१) | ITEM / बाब (२) | NORMS OF ASSISTANCE / मदतीचे दर (३) |
|---|---|---|
| | | प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल. तथापि, या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये. |
| ४. | **क्षतिग्रस्त बाधित क्षेत्र पूर्ववत करणे :** | |
| | (अ) सार्वजनिक क्षेत्रातील जमा झालेला कचरा व ढिगारे. | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून रक्कम उपलब्ध करून द्यावयाची झाल्यास उचलणे. राज्य कार्यकारी समितीकडून आवश्यकतेप्रमाणे मूल्यांकनानुसार काम सुरू झाल्याच्या दिवसापासून कामावर ३० दिवसांच्या आंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून रक्कम देय असल्यास आणि केंद्रीय पथकाने मुल्यांकित केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीप्रकरणी) मदत उपलब्ध करुन देता येईल. |
| | (ब) पूरग्रस्त बाधित क्षेत्रातून पाण्याचा निचरा करण्याबाबत. | राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केल्यानुसार, काम सुरु झाल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आंत कामावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून आणि केंद्रीय पथकाने मूल्यांकित केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीप्रकरणी) मदत उपलब्ध करून देता येईल. |
| | (क) मृत देहांची विल्हेवाट लावणे. | राज्य कार्यकारी समितीने केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्याबाबतीत) आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल. |
| ५. | **कृषी विषयक :** | |
| | (i) २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करण्या-या शेतक-यांना मदत | |
| | (A) शेत जमिनी व इतर नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | |
| | (अ) शेत जमिनीवरील वाळूचा/गाळाचा/मातीचा थर ३ इंचापेक्षा अधिक जमा झाल्याचे, राज्य शासनाच्या प्राधिकृत अधिका-याने प्रमाणित करणे आवश्यक. | प्रत्येक बाबीकरिता रु. १२,२००/- प्रति हेक्टर (मात्र लाभार्थ्याने अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेखाली मदत अथवा अर्थसहाय्य/अनुदान घेतलेले नसावे.) |
| | (ब) डोंगराळ शेत जमिनीवरील मातीचा ढिगारा (मलबा) काढणे. | |
| | (क) मत्स्यशेती दुरुस्ती करणे/मातीचा थर काढणे/पूर्ववत करणे. | |
| | (ड) दरड कोसळणे, जमीन खरडणे, खचणे व नदी पात्र/प्रवाह बदलल्यामुळे शेत जमीन वाहून जाणे. | महसूल अभिलेखानुसार शेत जमिनीचे मालक असलेल्या फक्त अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना रु. ३७,५००/- प्रति हेक्टर या दराने मदत अनुज्ञेय राहील. |
| | (B) निविष्ठा स्वरुपात मदत (शेती पिकांचे ३३% व त्यापेक्षा अधिक झालेल्या शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी). | |
| | (अ) शेती पिके, फळ पिके आणि वार्षिक लागवडीची पिके | कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु. ६,८००/- प्रती हेक्टर आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत. आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता रू. १३,५००/- प्रति हेक्टर, कमीतकमी अनुज्ञेय मदत रू. १०००/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील. |
| | (ब) बहुवार्षिक पिके | बहुवार्षिक पिकांकरिता प्रति हेक्टरी रु. १८,०००/- सदर मदत पेरणी केलेल्या क्षेत्राकरिताच अनुज्ञेय असून कमीत कमी रु. २,०००/- पेक्षा कमी नसावी. |

**तक्ता**—चालू

| Sr. No. / अ.क्र. (१) | ITEM / बाब (२) | NORMS OF ASSISTANCE / मदतीचे दर (३) |
| --- | --- | --- |
| | (क) रेशीम उत्पादन | • एरी, मलबेरी, टसर रेशमासाठी रु. ४,८०० प्रती हेक्टर<br>• मुगा रेशमासाठी रु. ६,००० प्रती हेक्टर |
| | (ii) २ हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्त भूधारण करणा-या शेतक-यांना निविष्ठा अनुदान | • कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु. ६,८००/- प्रती हेक्टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत<br>• आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता रु. १३,०००/- प्रती हेक्टर पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत.<br>• सर्व प्रकारच्या बहुवार्षिक पिकांकरिता रु. १८,०००/- प्रती हेक्टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत.<br>• ३३% अथवा त्यापेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास व २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मदत अनुज्ञेय असेल. |
| ६. | **पशुसंवर्धनाच्या नुकसानीकरिता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना सहाय्य :** | |
| | (i) दुधाळ जनावरे, ओढकाम करणारी जनावरे किंवा माल वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी जनावरे दगावल्यास त्याबदल्यात जनावरे घेण्यासाठी मदत. | • दुधाळ जनावरे :—<br>रु. ३०,००० म्हैस/गाय/उंट/याक/मिथुन, इत्यादी<br>रु. ३,००० मेंढी/बकरी/डुक्कर<br>• ओढकाम करणारी जनावरे :—<br>रु. २५,००० उंट /घोडा/बैल, इत्यादी<br>रु. १६,००० वासरु/गाढव/शिंगरु/खेचर<br>जरी एखाद्या घरातील जनावरे मोठ्या संख्येने मृत झाली असतील तरी आर्थिकदृष्ट्या मदत ही फक्त उत्पादनक्षम जनावरांपुरती मर्यादित ठेवावी. ३ मोठी दुधाळ जनावरे किंवा ३० छोटी दुधाळ जनावरे किंवा ३ ओढकाम करणारी मोठी जनावरे किंवा ६ ओढकाम करणारी लहान जनावरे प्रतिकुटुंब या मर्यादेत मदत अनुज्ञेय असावी. (राज्य शासनाच्या प्राधिकृत अधिका-याने नुकसानीबाबत प्रमाणित करणे आवश्यक)<br><br>कुक्कुटपालन :—मदत रु. ५० प्रती कोंबडी, रु. ५,००० प्रती कुटुंब मर्यादेत. कोंबड्यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला असणे आवश्यक.<br>**टीप :**–अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेखाली मदत उपलब्ध करण्यात येत असेल तर या योजनेंतर्गत मदत अनुज्ञेय असणार नाही. उदा. पक्षांमधील हिवताप किंवा तत्सम रोग यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या स्वतंत्र योजनेखाली कुक्कुटपालन मालकांना मदत देण्यात येते. |
| | (ii) जनावरांच्या छावण्यासाठी चारा/ पाणी, पशुखाद्य आणि औषधे उपलब्ध करून देणे. | मोठी जनावरे रु. ७० प्रतिदिन<br>छोटी जनावरे रु. ३५ प्रतिदिन<br>राज्य कार्यकारी समिती (SEC) मदतीचा कालावधी निश्चित करेल आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबत) केंद्रीय पथक कालावधी निश्चित करेल. मात्र याबाबतचा ठरवून दिलेला मूळ कालावधी ३० दिवसांपर्यंत राहील. सदर कालावधी प्रथमतः ६० दिवसांकरीता व तीव्र दुष्काळ परिस्थितीमध्ये ९० दिवसांकरीता वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल. तथापि, या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती |

| Sr. No. / अ.क्र. (१) | ITEM / बाब (२) | NORMS OF ASSISTANCE / मदतीचे दर (३) |
|---|---|---|
| | | प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक वाटपाच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.<br>याबाबत राज्य कार्यकारी समितीने (SEC) गरजेनुसार निश्चित केलेले आणि केंद्रीय पथकाने (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) शिफारस केलेले अंदाज हे पशुगणनेशी सुसंगत आणि सक्षम प्राधिका-याने औषधी, लसीचा पुरवठा नैसर्गिक आपत्तीशी निगडीत असल्याचे प्रमाणित करण्याच्या अधीन राहून मदत अनुज्ञेय राहील. |
| | (iii) छावणीतील जनावरांव्यतिरिक्त इतर बाहेरील जनावरांसाठी चारा वाहतूक. | राज्य कार्यकारी समितीने (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी प्रकरणी) केंद्रीय पथकाने शिफारस केल्याप्रमाणे वाहतुकीवरील प्रत्यक्ष खर्चाचे मूल्यांकन पशुधन गणनेच्या संख्येशी सुसंगत असावे. |
| ७. | **मत्स्यव्यवसाय :** | |
| | (i) मत्स्यव्यावसायिकांना बोटीची दुरुस्ती, जाळी यासाठी मदत — | |
| | बोट | • रु. ४,१०० बोटीच्या अंशतः दुरुस्तीसाठी. |
| | होडी | • रु. २,१०० अंशतः बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी. |
| | यांत्रिकी बोट | • रु. ९,६०० पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींकरिता. |
| | जाळी | • रु. २,६०० पूर्णतः नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी. |
| | (आपत्तीप्रसंगी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली अनुदान मदत घेतली असल्यास, सदर मदत अनुज्ञेय असणार नाही.) | |
| | (ii) मत्स्यबीज शेतीसाठी निविष्ठा मदत. | रु. ८,२०० प्रती हेक्टर<br>(पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्योत्पादन विभाग, कृषी मंत्रालय यांच्या योजनेनुसार एकदा दिलेल्या अनुदानाव्यतिरिक्त, आपत्तीप्रसंगी दुस-या कोणत्याही शासनाच्या कोणत्याही योजनेखाली अनुदान/मदत घेतली असल्यास, मदत अनुज्ञेय नाही.) |
| ८. | **हस्तकला/हातमाग कारागीरांना मदत :** | |
| | (i) खराब झालेल्या संयंत्राच्या दुरुस्ती किंवा नूतनीकरणासाठी. | रु. ४,१०० प्रती कारागीर संयंत्रासाठी.<br>• राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या सक्षम प्राधिका-याने संयंत्राचे नादुरुस्ती व नूतनीकरण प्रमाणित केल्यावर. |
| | (ii) कच्चा माल/उत्पादनाच्या प्रक्रियेत माल व तयार असलेल्या मालाच्या नुकसानीसाठी. | रु. ४,१०० प्रती कारागीर कच्च्या मालासाठी.<br>• राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या सक्षम प्राधिका-याने नुकसानीमुळे तो (खराब झालेला कच्चा माल) बदलणे आवश्यक असल्याचे प्रमाणित करावे. |
| ९. | **गृहनिर्माण :** | |
| | (अ) पूर्णतः नष्ट/पडझड झालेली घरे.<br>(i) पक्की घरे | सखल भागासाठी बाधित घरांसाठी रु. ९५,१०० प्रतीघर,<br>दुर्गम भागातील [Integrated Action (IAP) जिल्ह्यांसह] बाधित घरांसाठी रु. १,०१,९०० प्रती घर. |
| | (ii) कच्ची घरे | रु. १७,६०० प्रती घर. |

**तक्ता**—चालू

| Sr. No. / अ.क्र. (१) | ITEM / बाब (२) | NORMS OF ASSISTANCE / मदतीचे दर (३) |
|---|---|---|
| | (ब) मोठ्या प्रमाणावर पडझड झालेली घरे —<br>(i) पक्की घरे<br>(ii) कच्ची घरे | |
| | (क) अंशतः पडझड झालेली घरे— | |
| | (i) पक्की घरे (झोपडी वगळून) जेथे किमान १५ टक्के पडझड झाली असल्यास | रु. ५,२०० प्रती घर |
| | (ii) कच्ची घरे (झोपडी वगळून) जेथे किमान १५ टक्के पडझड झाली असल्यास | रु. ३,२०० प्रती घर |
| | (ड) पडझड/नष्ट झालेल्या झोपड्या— | रु. ४,१०० प्रती झोपडी.<br>(झोपडी म्हणजे तात्पुरते काम चलावू झोपडे, कच्च्या घरापेक्षा तकलादू झावळ्या, माती, प्लास्टिक इत्यादींपासून तयार केलेले राज्य व जिल्हा स्तरीय अधिका-यांनी झोपडे म्हणून प्रमाणित केलेले)<br>**टीप** : राज्य शासनाच्या संबंधित प्राधिका-याने बाधित झालेले घर हे अधिकृत असल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. |
| | (इ) घराला जोडून असलेला गोठा— | रु. २,१०० प्रती गोठा. |
| १० | **पायाभूत सुविधा :** | |
| | पायाभूत सुविधा :— | |
| | बाधित झालेल्या मूलभूत सुविधांची (तातडीच्या स्वरूपाची) दुरुस्ती/पुनर्स्थापना—<br>(१) रस्ते व पूल, (२) पाणीपुरवठा कामे/योजना, (३) सिंचन व्यवस्था, (४) वीजपुरवठा (बाधित क्षेत्रात तातडीने वीज-पुरवठा पुनर्स्थापित करण्यापुरते मर्यादित), (५) शाळा, (६) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, (७) पंचायतीच्या मालकीची सामाजिक मालमत्ता.<br>दूरसंचार व्यवस्था व ऊर्जा (तातडीने वीजपुरवठा पुनर्स्थापित करणे वगळून निर्माण करणा-या व त्यापासून महसूल मिळविणा-या व स्वतःच्या निधीतून तातडीची दुरुस्ती व पुनर्स्थापनेची कामे करणारे क्षेत्र वगळून. | तातडीच्या स्वरूपाची कामे :–<br>सोबतच्या परिशिष्टात कोणती कामे तातडीच्या स्वरूपात समजावी याची नमुना यादी दिली आहे.<br>मूल्यांकनाच्या अंदाजाबाबत :—<br>राज्य कार्यकारी समितीने निकडीनुसार राज्यातील दुरुस्तीचे दर/ किंमत/दुरुस्तीचा कालावधी निर्धारित करावे. तसेच (राष्ट्रीय आपत्ती निधीच्या अनुषंगाने) केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार मदत अनुज्ञेय राहील. अतिवृष्टी/पूर/चक्री वादळ/भूस्खलन/वाळूचा ढिगारा इत्यादींमुळे बाधित झालेल्या रस्त्यांचे दळणवळण पुनर्स्थापित करण्यासाठी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी, भारतातील रस्ते दुरुस्ती २००१ च्या मानकानुसार विहित केलेल्या व वेळोवेळी दुरुस्ती करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती विचारात घ्याव्यात. संदर्भासाठी हे निकष खालीलप्रमाणे आहेत :–<br>● सर्वसाधारण व नागरी भागांसाठी :–सर्वसाधारण दुरुस्तीच्या व नियतकालिक दुरुस्तीच्या एकूण रकमेच्या १५%. |

| Sr. No. / अ.क्र. (१) | ITEM / बाब (२) | NORMS OF ASSISTANCE / मदतीचे दर (३) |
|---|---|---|
| | | • **टेकड्या** : सर्वसाधारण दुरुस्तीच्या व नियतकालिक दुरुस्तीच्या एकूण रकमेच्या २०%.<br>रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या सर्वसाधारण दुरुस्ती व नियतकालिक दुरुस्तीवर आधारित अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. जर सर्वसाधारण दुरुस्ती व नियतकालिक दुरुस्तीचे दर उपलब्ध नसतील तर राज्य महामार्ग व प्रमुख जिल्हे रस्त्यांकरिता रु. १ लाख प्रती कि.मी. आणि ग्रामीण रस्त्यांकरिता रु. ०.६० लाख प्रती कि.मी. प्रमाणे अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. मात्र " राज्य शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पात नियमित देखभाल व दुरुस्ती करिता केलेली तरतूद प्रथमतः वापरण्यात यावी " ही अट अस्तित्वात राहणार नाही, कारण याबाबतच्या अटीचे संनियंत्रण करणे अवघड होते. तरीदेखील याबाबतची प्रथम जबाबदारी सर्व राज्यांची आहे. जलसिंचन व्यवस्था व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या दरानुसार मदत अनुज्ञेय राहील. लघु सिंचन व्यवस्थांकरिता क्षतिग्रस्त योजनेसाठी रु. १.५० लाख प्रमाणे अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. क्षतिग्रस्त झालेले मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेसाठी बंधा-याच्या क्षतिग्रस्त भागाकरिता ग्रामीण रस्त्यांसाठी निर्धारित केलेल्या दराच्या धर्तीवर अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. मात्र अस्तित्वात असलेल्या योजनेमधून त्यासाठी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असता कामा नये.<br>क्षतिग्रस्त झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेबाबत पात्र असलेल्या क्षतिग्रस्त पिण्याच्या पाण्याच्या संरचनेच्या दुरुस्तीकरिता रु. १.५० लाख प्रमाणे मदत अनुज्ञेय राहील.<br>क्षतिग्रस्त झालेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडी आणि पंचायतीच्या मालकीच्या सामुदायिक मालमत्तेच्या दुरुस्तीकरिता रु. २ लाख प्रती संरचना याप्रमाणे अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील.<br>क्षतिग्रस्त झालेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील बाधित झालेल्या ११ केव्ही पर्यंतचे ट्रान्सफॉर्मर, खांब आणि कन्डक्टरसाठी मदत अनुज्ञेय असेल. प्रतिखांब रु. ४०००, बाधित कन्डक्टरकरिता रु. ०.५० लाख प्रती कि. मी. आणि बाधित झालेल्या ट्रान्सफॉर्मरकरिता रु. १ लाख प्रमाणे मदतीचे दर राहतील. |
| **११.** | **पुरवठा :** | |
| अ. | आपत्तीला प्रतिसाद देण्यासाठी तसेच शोध कार्य, बचाव कार्य, स्थलांतरण इत्यादींसाठी लागणारी उपकरणे व दळणवळणाची साधने. | • राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केल्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधूनच खर्च करावा. (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून नाही.)<br>• राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या एकूण वार्षिक तरतुदीच्या १०% पेक्षा अधिकची रक्कम या बाबींवर खर्च करू नये. |
| ब. | क्षमता बांधणी. | राज्य कार्यकारी समितीच्या मूल्यांकनानुसार याकरिता फक्त राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधूनच खर्च अनुज्ञेय असेल. (केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून नाही.) |

**तक्ता**—चालू

| Sr. No. / अ.क्र. (१) | ITEM / बाब (२) | NORMS OF ASSISTANCE / मदतीचे दर (३) |
|---|---|---|
| | | याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या ५% हून अधिक खर्च अनुज्ञेय नाही. |
| क. | राज्य शासनाने त्यांच्या स्थानिक आपत्तीकरिता जे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार अनुज्ञेय नसतील अशा आपत्तींसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या १०% मर्यादेपर्यंत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून खर्च अनुज्ञेय राहील. | राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेला मात्र केवळ राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून खर्च अनुज्ञेय नसतील (केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून नाही.)<br>अन्य अधिसूचित नैसर्गिक आपत्तींकरिता वर नमूद केलेल्या मानकानुसार विविध बाबींकरीता मदत सारख्या प्रमाणात राहील किंवा,<br>अशा प्रकरणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार ठरविलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने स्थानिक आपत्तींकरिता मदत अनुज्ञेय असणार नाही.<br>यासंदर्भात राज्य शासनाने स्थानिक आपत्तींची सूची निर्धारित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वर नमूद निकष व दरानुसार स्थानिक आपत्तींकरिता मदत देण्यामध्ये पारदर्शकता राहील. त्याकरिता एक प्रक्रिया निश्चित करून स्थानिक आपत्तीमध्ये बाधित लाभार्थी यांना राज्य कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने मदत देणे शक्य होईल. |

### (दोन) अपघातात सापडणा-या व्यक्तींना अर्थसहाय्य

नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या व्यक्तींना मदत देण्याची योजना महसूल व वन विभागामार्फत राबविली जाते. तथापि, या योजनेखाली अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना किंवा अपघातात कायमचे अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींना व अवयव तुटल्यामुळे पंगु बनलेल्या व्यक्तींना त्वरीत अर्थसहाय्य देण्याची श्रमजीवी कुटुंब कल्याण योजना अंमलात आणली आहे. दिनांक १ एप्रिल, १९९५ पासून आपदग्रस्तांना देय असलेल्या आर्थिक मदतीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे.–

या योजनेनुसार ज्या कामगार कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ६,००० पेक्षा जास्त नाही आणि ज्या व्यक्ती १६ ते ६५ वर्षे वयोगटातील आहे व ज्यांचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य १५ वर्षापेक्षा कमी नाही अशा व्यक्तींना लाभ घेता येईल.

| अ. क्र. (१) | बाब (२) | रक्कम (३) |
|---|---|---|
| १ | अपघातामुळे झालेला मृत्यू .. .. .. .. .. .. .. .. | रु. ३,००० |
| २ | अपघातामुळे २ अवयव, २ डोळे किंवा १ अवयव किंवा १ डोळा नष्ट होऊन येणारे कायमचे अपंगत्व .. | रु. ३,००० |
| ३ | अपघातामुळे १ अवयव किंवा १ डोळा नष्ट झाल्यामुळे आलेले अपंगत्व .. .. .. .. | रु. १,००० |

अपघात घडून व्यक्ती मृत्यू पावल्यास अगर जखमी झाल्यास, ग्रामपातळीवरील अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस-पाटील किंवा सरपंच तसेच नगरपालिका/नगरपरिषद अधिकारी यांनी त्याबाबत चौकशी करून तहसीलदार यांस २ दिवसात अहवाल पाठवावयाचा आहे. तो अहवाल अंतिम मानून तहसिलदार घटनेपासून २ आठवड्याच्या आत अर्थसहाय्य देण्याची कारवाई करतील.

### (तीन) मानव निर्मित आपत्तीग्रस्तांना सहाय्य करण्याची योजना

दहशतवादी कृत्ये व जातीय दंगलीमध्ये बाधित झालेल्या जिवित व मालमत्ता हानीबाबत विभागाच्या दिनांक २४-८-२००४ च्या स्थायी आदेशानुसार मदत दिली जाते. सदर स्थायी धोरणात अंशतः बदल करण्यात आला असून, सर्व दहशतवादी घटना व जातीय दंगली यामध्ये होणा-या मृत व्यक्तीच्या वारसांना प्रत्येकी १ लक्ष याऐवजी प्रत्येकी रु. ५ लक्ष एवढी आर्थिक मदत दिनांक १-१२-२००८ च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दहशतवाद, दंगल, बॉम्बस्फोट इत्यादी मानव निर्मित आपत्तीमध्ये झालेल्या मालमत्ता नुकसानीबाबत यापूर्वीचे निकष व दर शासन निर्णय दि. ५-१-२०१६ अन्वये पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात आले आहेत. सदर निकष व दर नक्षलवादी कारवाईमुळे झालेल्या मालमत्ता नुकसानीबाबत देखील लागू करण्यात आले आहे.

दहशतवाद, दंगल, बॉम्बस्फोट व नक्षलवादी कारवाई इत्यादी मानव निर्मित आपत्तीमध्ये झालेल्या मालमत्ता नुकसानीबाबत खालीलप्रमाणे मदत देण्यात येते.

| अ.क्र. | बाब | अनुज्ञेय मदत |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| १ | झोपडी पुनर्बांधणी | रु. १५००० पर्यंत |
| २ | घरांची दुरुस्ती | (१) पक्की व कच्ची घरे<br>रु. ३५००० पर्यंत (पूर्ण नुकसान झालेल्या मोठ्या घरांसाठी) |
| ३ | स्टॉल्स व दुकाने | रु. २०००० पर्यंत |
| ४ | टप-या | रु. १०००० पर्यंत |
| ५ | हातगाड्या | रु. १०००० पर्यंत |
| ६ | पूर्ण जळालेली किंवा संपूर्ण निकामी टॅक्सी सायकल | रु. ५०००० पर्यंत |
| ७ | सायकल | रु. २००० पर्यंत |
| ८ | मोटार सायकल यंत्रचलित दुचाकी/वाहने | रु. १०००० पर्यंत |
| ९ | चारचाकी यंत्रचलित वाहने व इतर विशिष्ट वाहने, उदा. जेसीबी, सेलर इत्यादी. | रु. ५०००० पर्यंत |
| १० | अंशतः जळालेली/नुकसान झालेली चार चाकी वाहने व इतर विशिष्ट वाहने, उदा. जेसीबी, सेलर इत्यादी. | रु. १०००० पर्यंत |
| ११ | अंशतः जळालेली / नुकसान झालेली रिक्शा. | रु. ५००० पर्यंत |

**तक्ता-एक**
**TABLE– I**

**(दोन) वित्तीय आवश्यकता :**
**(II) Financial requirements :**

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousand)

| वर्गीकरण<br>Classification | | प्रत्यक्ष खर्च, २०१९-२०२०<br>Actual Expenditure, 2019-2020 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२०-२०२१<br>Budget Estimates, 2020-2021 | सुधारलेले अंदाज, २०२०-२०२१<br>Revised Estimates, 2020-2021 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२<br>Budget Estimates, 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **(अ) कार्यवार आणि उद्दिष्टवार वर्गीकरण–**<br>*A—Activity and objectwise Classification* | भारीत<br>Charged | . . | 4 | 4 | 4 |
| (अ) नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दिलेली मदत स्थूल/निव्वळ<br>(a) Relief to sufferers of natural calamities. (2245) Gross/Net | दत्तमत<br>Voted | 109584757 | 64483834 | 83338271 | 66865041 |
| (१) अवर्षण<br>(1) Drought | भारीत<br>Charged | . . | 2 | . . | . . |
| | दत्तमत<br>Voted | 24329448 | 44284388 | 9217068 | 44177082 |
| (२) पूर, चक्रीवादळे इ.<br>(2) Floods, Cyclones *etc.* | भारीत<br>Charged | . . | 2 | . . | . . |
| | दत्तमत<br>Voted | 84112233 | 16559777 | 66445491 | 16629779 |
| (ब) समाजकल्याण—<br>अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत—<br>(b) Social Welfare | भारीत<br>Charged | . . | . . | . . | . . |
| Financial Assistance to persons who met with accident. (22350311) | दत्तमत<br>Voted | 3207 | 100 | 7200 | 4000 |

(क) इतर कार्यक्रम—

(c) Other Programmes

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (१) दंगलग्रस्त भागातील झळ पोहचलेल्या व्यक्तिंना सहाय्य | भारीत Charged | . . | 1 | 18097 | 1 |
| (1) Relief to sufferers in riot affected areas. (22352931) (2235 0347) | दत्तमत voted | 677 | 1584 | 1584 | 1584 |
| (२) व्ही. एच. एफ. वायरलेस सेट खरेदी व देखभाल (२२३५ १८२६) | भारीत Charged | . . | . . | . . | . . |
| (2) Wireless sets purchase and Maintenance. | दत्तमत voted | . . | 1 | 1 | 1 |
| | भारीत Charged | . . | 1 | 18097 | 1 |
| एकूण—(क) स्थूल/निव्वळ— Total----(C) Gross/net— | दत्तमत Voted | 677 | 1585 | 1585 | 1585 |

**(तीन) कार्यक्रमांचा कार्यभाराचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण :**

**(III) Workload summary and Explanation of financial requirements :**

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात आलेली मदत व घरासाठी देण्यात आलेली कर्जे याबद्दलची माहिती दर्शविणारा तक्ता.

The following table shows the relief granted and loans advanced for houses on occurrence of natural calamities.

**तक्ता २**

**TABLE - II**

(रुपये हजारात)

(Rs. in thousand)

| अनुक्रमांक | जिल्हा | वर्ष | घटलेल्या घटनांची संख्या | आर्थिक सहाय्य दिलेल्या घटनांची संख्या No. of incidents in which gratutious relief paid | | | कर्ज देण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases in which loans granted | | सूट मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases in which Subsidy granted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | घटनांची संख्या | व्यक्तींची संख्या | दिलेली रक्कम | प्रकरणांची संख्या | दिलेले कर्ज | प्रकरणांची संख्या | रक्कम |
| Serial No. (1) | District (2) | Year (3) | No. of incidents occurred (4) | No. of incident (5) | No. of persons involved (6) | Amount paid (7) | No. of cases (8) | Loans advanced (9) | No. of cases (10) | Amount involved (11) |
| 1 | मुंबई Mumbai .. .. .. | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | मुंबई उपनगर जिल्हा M. S. D. .. .. .. | 2019-2020 | 19 | 19 | 74 | 2353.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ठाणे Thane .. .. .. | 2019-2020 | 36447 | 36447 | 36297 | 334735000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 680 | 680 | 628 | 4174000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | पालघर Palghar .. .. .. | 2019-2020 | 9431 | 6762 | 6768 | 117660.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 10374 | 7438 | 7438 | 129426.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | रायगड Raigad .. .. .. | 2019-2020 | 4622 | 3468 | 3468 | 14112.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 229686 | 219683 | 219683 | 2485386.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रत्नागिरी | | | | | | | | | |
| 6 | Ratnagiri | 2019-2020 | 2943 | 2206 | 64143 | 210452.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1856 | 1800 | 125973 | 160000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सिंधुदुर्ग | | | | | | | | | |
| 7 | Sindhudurg | 2019-2020 | 78606 | 2268 | 105726 | 263954.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 588 | 588 | 588 | 10736.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नाशिक | | | | | | | | | |
| 8 | Nashik | 2019-2020 | 13169 | 13169 | 7032 | 94358.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 2321 | 2321 | 1160 | 13153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | धुळे | | | | | | | | | |
| 9 | Dhule | 2019-2020 | 16125 | 3569 | 3569 | 15719830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 459 | 287 | 287 | 4213000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नंदुरबार | | | | | | | | | |
| 10 | Nandurbar | 2019-2020 | 11 | 11 | 11 | 44.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 5 | 5 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जळगाव | | | | | | | | | |
| 11 | Jalgaon | 2019-2020 | 20 | 20 | 20 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 8 | 8 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अहमदनगर | | | | | | | | | |
| 12 | Ahmednagar | 2019-2020 | 3476 | 2900 | 4182 | 23425760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1888 | 1706 | 1995 | 11453200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पुणे | | | | | | | | | |
| 13 | Pune | 2019-2020 | 50 | 50 | 40 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 75 | 75 | 61 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सोलापूर | | | | | | | | | |
| 14 | Solapur | 2019-2020 | 127 | 127 | 7509 | 54228000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 10048 | 10048 | 38420 | 70512000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता २–** चालू

**TABLE - II–***Contd.*

(रुपये हजारात)

(Rs. in thousand)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सातारा | | | | | | | | | |
| 15 | Satara .. .. .. | 2019-2020 | 125 | 125 | 150 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 131 | 131 | 127 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | |
| | सांगली | | | | | | | | | |
| 16 | Sangli .. .. .. | 2018-2019 | 240 | 240 | 215 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 109 | 109 | 6501 | 195246229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | | |
| 17 | Kolhapur .. .. .. | 2019-2020 | 1633 | 253 | 198 | 3286000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 942 | 485 | 462 | 5029000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | | |
| 18 | Nagpur .. .. .. | 2019-2020 | 7496 | 3096 | 3096 | 185.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 21911 | 7072 | 7072 | 687.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | | |
| 19 | Wardha .. .. .. | 2019-2020 | 14 | 14 | 962 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 75 | 75 | 329 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | |
| 20 | Chandrapur .. .. .. | 2019-2020 | 2278 | 2278 | 1825 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 2836 | 2836 | 6238 | 1393.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | |
| 21 | Gadchiroli .. .. .. | 2019-2020 | 4562 | 4504 | 3751 | 236.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1890 | 1845 | 1920 | 102.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | | |
| 22 | Bhandara .. .. .. | 2019-2020 | 6 | 6 | 6 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 7 | 7 | 7 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गोंदिया | | | | | | | | | |
| 23 | Gondia .. .. .. | 2019-2020 | 2714 | 2714 | 2714 | 54.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 8029 | 8029 | 8029 | 319.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | | |
| 24 | Amravati .. .. .. | 2019-2020 | 15 | 15 | 15 | 6000 | 54194 | 59915.02 | 169453 | 7693000 |
| | | 2020-2021 | 23 | 23 | 23 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | |
| 25 | Akola .. .. .. | 2019-2020 | 190 | 190 | 190 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 324 | 324 | 324 | 7441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | |
| 26 | Yavatmal .. .. .. | 2019-2020 | 398 | 398 | 373 | 149.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 411 | 411 | 384 | 161.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | | |
| 27 | Buldhana .. .. .. | 2019-2020 | 687 | 263 | 283 | 6382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1254 | 79 | 79 | 4917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | |
| 28 | Washim .. .. .. | 2019-2020 | 68 | 68 | 68 | 3224.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 107 | 107 | 19 | 1566.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad .. .. .. | 2019-2020 | 1533 | 142 | 13 | 6315 | 0 | 0 | 155 | 6315 |
| | | 2020-2021 | 347 | 331 | 5 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | | | | | | | | | |
| 30 | Beed .. .. .. | 2019-2020 | 12 | 12 | 12 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 13 | 13 | 13 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | | | |
| 31 | Nanded .. .. .. | 2019-2020 | 28387 | 28387 | 85165 | 564227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 34065 | 34065 | 102198 | 677072 | 0 | 0 | 0 | |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | | |
| 32 | Osmanabad .. .. .. | 2019-2020 | 124 | 124 | 4 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 4444 | 4444 | 6 | 30488 | 0 | 0 | 0 | |

**तक्ता २**—चालू

**TABLE II**—*Contd.*

(रुपये हजारात)

(Rs. in thousand)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परभणी | | | | | | | | | |
| 33 | Parbhani .. .. .. | 2019-2020 | 4 | 4 | 4 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | | | |
| 34 | Hingoli .. .. .. | 2019-2020 | 5 | 5 | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 6 | 6 | 6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | | |
| 35 | Jalna .. .. .. | 2019-2020 | 149 | 149 | 149 | 2894000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 241 | 139 | 139 | 2804150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | | |
| 36 | Latur .. .. .. | 2019-2020 | 58 | 58 | 58 | 199.00 | 0 | 0 | 58 | 199.00 |
| | | 2020-2021 | 65 | 65 | 65 | 69.96 | 0 | 0 | 65 | 69.96 |

## टंचाई

पावसाच्या अभावी अथवा अवेळी झालेला पाऊस, अतिवृष्टी वा इतर नैसर्गिक आपत्ती अथवा रोगकारक किडींच्या प्रादुर्भावामुळे होणारे पिकांचे नुकसान, यामुळे शेतीच्या हंगामावर विपरीत परिणाम होऊन टंचाईची स्थिती निर्माण होते. टंचाईची परिस्थिती वाढत जाते त्याचप्रमाणात शेतीवर अथवा इतरत्र रोजगाराची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे शेतकरी व शेतमजुरांत असंतोष निर्माण होतो. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, चा-याची टंचाई, चा-याच्या व अन्नधान्याच्या वाढणा-या किंमती, लोकांचे स्थलांतर, धान्याच्या चो-यासारख्या गुन्ह्यात वाढ व मुलांच्या संगोपनाची आबाळ, इत्यादींमुळे लोकांतील अस्वस्थतेची जाणीव स्पष्ट होते. या परिस्थितीची त्वरित दखल घेणे आवश्यक असते. अशा वेळी जिल्हाधिकारी त्यांचे जिल्ह्यातील शेतीचे परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असतात. त्याचप्रमाणे कृषी विभागाचे व इतर अधिकारी याबाबत जिल्हाधिका-यांना वेळोवेळी अहवाल सादर करून विशेष परिस्थितीची जाणीव करून देतात व संभाव्य टंचाईग्रस्तांना मदतीची आवश्यकता आहे काय; याचाही अभिप्राय कळवितात. तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास, जिल्हाधिकारी, मुंबई टंचाई संहिता (मसुदा) च्या परिच्छेद ४२ अन्वये विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत शासनास अहवाल सादर करतात. या अहवालाच्या आधारे शासन संबंधित भागात टंचाईची परिस्थिती असल्याचे घोषित करते. टंचाईची परिस्थिती घोषित करताना मुख्यत्वेकरून पुढील गोष्टींचा विचार केला जातो.—(१) पिकांची पैसेवारी (२) नित्याच्या कामावर रोजगाराची उपलब्धता (३) पिण्याचे पाणी व चा-याच्या उपलब्धतेचा अभाव, गुन्ह्याचे व भुरट्या चो-यांचे प्रमाणात वाढ (४) मुलांचे संगोपनाची आबाळ, इत्यादी.

टंचाईची परिस्थिती घोषित केल्यानंतर बाधित शेतक-यांना पुढील सवलती देण्यात येतात.—

(१) जमीन महसुलाची माफी (२) शेताशी निगडीत शासकीय कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (३) सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचे दीर्घ मुदतीच्या कर्जात रूपांतर.

टंचाईग्रस्त गावातील लोकांना मदत करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तेथे शासनाचे आदेश शिथिल करून पुढीलप्रमाणे उपाययोजना घेण्यात येतात.—

(१) रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे काढणे (२) पिण्याच्या पाण्यासाठी उपाययोजना करणे (३) गुरांच्या चा-याकरिता उपाययोजना करणे, वन विभागाची कुरणे, जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार जनावरांच्या चा-यासाठी राखून ठेवली जातात. मनुष्याला खाण्यास अयोग्य असलेले धान्य जनावरांकरिता योग्य नाही असे जिल्हाधिका-यांकडून प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय विल्हेवाट लावता येत नाही. टंचाई परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन मा. महसूल मंत्री, मा. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाईसंबंधी उद्‌भवणा-या प्रश्नावर विविध विभागामध्ये समन्वय साधण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात येतात.

## राज्यातील टंचाई परिस्थिती

राज्यात खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी दिनांक १५ जानेवारीपूर्वी आणि रब्बी पिकांची अंतिम पैसेवारी दिनांक १५ मार्चपूर्वी निश्चित करण्यात येते. जिल्हाधिका-यांनी अंतिम पीक पैसेवारी जाहीर केल्यानंतर ज्या ठिकाणी पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी असेल तेथे टंचाई परिस्थिती शासन जाहीर करते. टंचाई परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावातील बाधित लोकांना शासनाच्या स्थायी आदेशाप्रमाणे खालील सवलती देण्यात येतात :—

(१) जमीन महसुलांची माफी.

(२) शासकीय कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.

(३) सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जाचे दीर्घ मुदतीच्या कर्जात रूपांतर.

(४) टंचाईग्रस्त भागात विद्यार्थ्यांची परीक्षा-फी माफ करण्यात येते.

(५) विद्युत बिलात ३३.३३% सूट देण्यात येते.

(६) आवश्यक तेथे शासनाचे नेहमीचे आदेश शिथिल केले जातात.

(७) पाणीपुरवठ्यासाठी टँकरचा वापर या सवलती देण्यात येतात.

राज्यातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने व मा. पंतप्रधान महोदयांनी विदर्भ विभागातील सहा जिल्ह्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यानुसार शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी वारसदारांना मदत देण्यासाठी "२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण" या लेखाशीर्षाखाली नवीन उपलेखाशीर्ष उघडण्यात आले असून त्याखाली आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, या पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा आढावा वेळोवेळी राज्य शासनाकडून घेण्यात येत आहे. महसूल व वन विभाग या प्रकरणी फक्त समन्वयाचे काम करतो.

पूरग्रस्त किंवा पुराची भिती असलेली गावे व त्यातील गावक-यांच्या पुनर्वसनासाठी केलेल्या कार्याचा तपशील दर्शविणारा तक्ता :—

The Following table gives information regarding the villages affected or threatened by floods and the action taken for resettlement villagers in these villages :---

**तक्ता–३**

**TABLE —III**

| अनु-क्रमांक Serial No. | जिल्हा District | स्थलांतरित करण्यायोग्य गावांची संख्या No. of villages where shifting is necessary | मार्च, २०२० पर्यंत भूखंड दिलेल्या गावांची संख्या No. of villages where plots allotted upto March, 2020 | मार्च,२०२० पर्यंत दिलेल्या भूखंडांची संख्या No. of plots allotted upto March, 2020 | प्रत्यक्षात स्थलांतरित झालेल्या गावांची संख्या No. of villages actually shifted | भूखंड दिलेला परंतु स्थलांतर न झालेल्या गावांची संख्या No. of villages in which plots are allotted but villages not shifted | मार्च, २०१९ पर्यंत भूखंडांचे वाटप न झालेल्या गावांची संख्या No. of villages where plots are yet to be allotted as on March, 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | रत्नागिरी Ratnagiri . . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | रायगड Raigad . . | 8 | 5 | 341 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ठाणे Thane . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | पालघर Palghar . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | पुणे Pune . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | सांगली Sangli . . | 2 | 1 | 236 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | सातारा Satara . . | 13 | 11 | 2663 | 10 | 1 | 2 |
| 9 | कोल्हापूर Kolhapur . . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | सोलापूर Solapur | 1 | 1 | 338 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | अमरावती Amravati . . | 43 | 38 | 2999 | 38 | 0 | 5 |
| 12 | अकोला Akola . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | यवतमाळ Yavatmal . . | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 14 | बुलढाणा . . Buldana . . | 28 | 2 | 126 | 1 | 0 | 26 |
| 15 | वाशिम Washim . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | नागपूर Nagpur . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | वर्धा Wardha . . | 13 | 244 | 1055 | 5 | 8 | 0 |
| 18 | चंद्रपूर Chandrapur. . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | गडचिरोली Gadchiroli. . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता ३**—चालू

**TABLE III**—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | भंडारा<br>Bhandara. . . . . . | 8 | 27 | 5166 | 27 | 8 | 3 |
| 21 | गोंदिया<br>Gondia . . . . . . | 2 | 219 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | औरंगाबाद<br>Aurangabad . . . . | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | बीड<br>Beed . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | नांदेड<br>Nanded . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | उस्मानाबाद<br>Osmanabad . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | परभणी<br>Parbhani . . . . . . | 4 | 4 | 1257 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | हिंगोली<br>Hingoli . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | जालना<br>Jalna . . . . | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | लातूर<br>Latur . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | नाशिक<br>Nashik . . . . . . | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | धुळे<br>Dhule . . . . . . | 29 | 9 | 1338 | 5 | 4 | 20 |
| 32 | नंदूरबार<br>Nandurbar . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | जळगांव<br>Jalgaon . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | अहमदनगर<br>Ahmednagar . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## तक्ता–४
## TABLE —IV

खालील तक्त्यात राज्यातील टंचाई परिस्थितीची माहिती दिली आहे—

The following table gives information regarding the extent of Scarcity situation of the State.—

(क्षेत्र हेक्टरमध्ये)
(Area in Hectares)

| अनुक्रमांक Serial No. | जिल्हा District | वर्ष Year | पीडित तालुक्यांची संख्या Number of Talukas affected | टंचाईग्रस्त गावांची संख्या Number of Villages affected by Scarcity condition | टंचाईग्रस्त गावातील एकूण लागवडीलायक क्षेत्र Total cultivable area in the affected village | | प्रत्यक्ष लागवड केलेले क्षेत्र Actual area sown | | पेरणी न झालेले शिल्लक क्षेत्र Area remaining unsown | | कमी पावसामुळे/अतिवृष्टीमुळे पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी हानी झालेले क्षेत्र Area sown but affected due to inadequate rainfall/ excessive rainfall | एकूण हानी झालेले क्षेत्र Total affected area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | खरीप Kharip | रब्बी Rabi | खरीप Kharip | रब्बी Rabi | खरीप Kharip | रब्बी Rabi | | खरीप Kharip | रब्बी Rabi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | सिंधुदुर्ग | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sindhudurg .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40627.02 | 40627.02 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21777.8 | 21777.8 | 0 |
| | पालघर | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Palghar .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 106364.50 | 4938.78 | 105981.48 | 2684.32 | 0 | 0 | 57400.05 | 67400.05 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 103253.72 | 5218.33 | 107413 | 1909.66 | 0 | 0 | 25580.66 | 25580.66 | 0 |
| | रायगड | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Raigad .. .. | 2019-2020 .. | 13 | 449 | 102159.5 | 21775.07 | 87912.60 | 19456.30 | 14246.00 | 2319.00 | 11789 | 11789 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नाशिक | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nasik .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | धुळे | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dhule .. .. .. | 2019-2020 .. | 4 | 0 | 0 | 0 | 427305 | 115200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 4 | 0 | 0 | 0 | 408763 | 95587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जळगाव | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jalgaon .. .. .. | 2019-2020 .. | 15 | 379 | 214596 | 104614 | 196766 | 83200 | 17830 | 21414 | 122058 | 121130 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 15 | 379 | 178236 | 54395 | 164249 | 34620 | 13987 | 19775 | 7555 | 7390 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नंदुरबार | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Nandurbar | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अहमदनगर | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ahmednagar | 2019-2020 | 14 | 1420 | 422081 | 0 | 520235 | 0 | 0 | 0 | 463153.91 | 463153.91 | 0 |
| | | 2020-2021 | 10 | 105 | 0 | 0 | 664000 | 0 | 0 | 0 | 146315.64 | 146315.64 | 0 |
| | पुणे | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pune | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35505 | 18652 | 16853 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41335 | 20340 | 20995 |
| | सातारा | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Satara | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28724 | 28724 | 41838 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24057 | 24057 | 0 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kolhapur | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15775.35 | 15775.35 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6391.23 | 6391.23 | 0 |
| | सांगली | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sangli | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161080 | 52086 | 108994 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161080 | 52086 | 108995 |
| | सोलापूर | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Solapur | 2019-2020 | 11 | 1144 | 79017 | 721877 | 233523 | 220903 | 0 | 500974 | 216504 | 116504 | 100000 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अमरावती | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Amravati | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 728112 | 169470 | 46863 | 24898 | 314869.89 | 314869.89 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Akola | 2019-2020 | 7 | 992 | 385711 | 0 | 385711 | 0 | 0 | 0 | 323662 | 323662 | 0 |
| | | 2020-2021 | 7 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Yavatmal | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता ४–चालू**

**TABLE IV**—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बुलढाणा | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Buldhana .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 600486 | 0 | 356241.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 736382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Washim .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Nagpur .. .. .. | 2019-2020 .. | 2 | 343 | 107737 | 24732 | 101455 | 23414 | 6282 | 1318 | 126829 | 92954 | 33875 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139824 | 37537 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Wardha .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Chandrapur .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Gadchiroli .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | भंडारा | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Bhandara .. .. .. | 2019-2020 .. | 7 | 279 | 66848.55 | 1742370 | 61548.7 | 0 | 5300 | 0 | 8806.08 | 8806.08 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 7 | 279 | 66848.55 | 1742370 | 61548.7 | 0 | 5301.9 | 0 | 8806.08 | 8806.08 | 0 |
| | गोंदिया | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Gondia .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 2 | 16 | 35755.75 | 0 | 35755.8 | 0 | 0 | 0 | 5007.3 | 5007.3 | 0 |
| | औरंगाबाद | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Aurangabad .. .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 777358.13 | 0 | 697071.53 | 0 | 87241.05 | 0 | 605338.7 | 619549.23 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 777357.94 | 0 | 700276.1 | 0 | 77081.74 | 0 | 265580.59 | 619549.23 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बीड | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Beed | 2019-2020 | 1 | 106 | 76614 | 25421 | 71708 | 1062.8 | 71708 | 1062.8 | 756927 | 828635 | 0 |
| | | 2020-2021 | 3 | 356 | 339561 | 0 | 307850 | 0 | 307850 | 0 | 118326 | 118326 | 0 |
| | नांदेड | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Nanded | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648316 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564519.46 | 0 | 0 |
| | उस्मानाबाद | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Osmanabad | 2019-2020 | 1 | 96 | 78975.81 | 27684 | 27684 | 45692 | 14390 | 0 | 8139.26 | 8139.26 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262785.8 | 262785.8 | 0 |
| | परभणी | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Parbhani | 2019-2020 | 9 | 300 | 184933 | 98010 | 198005 | 32870 | 0 | 65139 | 166065 | 166065 | 0 |
| | | 2020-2021 | 9 | 86 | 53014 | 28096 | 56762 | 9423 | 0 | 18673 | 47605 | 47605 | 0 |
| | हिंगोली | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Hingoli | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676.83 | 0 | 0 | 0 | 2762.67 | 2762.57 | 0 |
| | | 2020-2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 406733 | 0 | 0 | 0 | 2296.81 | 2296.81 | 0 |
| | जालना | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Jalana | 2019-2020 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Latur | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

खालील तक्ता दुष्काळी परिस्थितीमुळे आपद्ग्रस्तांना मदत देण्यासाठी केलेली उपाययोजना दाखवितो :—

The Following table indicates the measures taken for relief for discrossed by scarcity condition :---

**तक्ता—**

**Table---**

| अनुक्रमांक Serial No. | जिल्हा District | वर्ष Year | | टंचाईग्रस्त गावांची संख्या No. of Villages affected due to scarcity | पिण्याचे पाणी व चारा यासंबंधी टंचाईग्रस्त गावांची संख्या No. of villages facing scarcity of: पिण्याचे पाणी Drinking water | चारा Fodder | टंचाईग्रस्त गावांना पिण्याचे पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी केलेली उपाययोजना Measures taken up for relieving shortages of drinking water in affected villages: खोदलेल्या कुपनलिकांची संख्या No. of borewells dug | पुर्नजिवित केलेल्या कुपनलिकांची संख्या No. of wells revitalised | गाळ काढलेल्या विहिरींची संख्या No. of wells desilted | सुरूंग लावून खोल केलेल्या विहिरींची संख्या No. of wells blasted and depened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | ठाणे Thane | 2019-20 | . . | 232 | 232 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | पालघर Palghar | 2019-20 | . . | 169 | 169 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 160 | 160 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | रायगड Raigad | 2019-20 | . . | 449 | 449 | 0 | 117 | 0 | 44 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg | 2019-20 | . . | 220 | 220 | 0 | 25 | 69 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | रत्नागिरी Ratnagiri | 2019-20 | . . | 83 | 83 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | नाशिक Nashik | 2019-20 | . . | 1278 | 1278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 8 | 149 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | धुळे Dhule | 2019-20 | . . | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | नंदूरबार Nandurbar | 2019-20 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | जळगांव Jalgaon | 2019-20 | . . | 379 | 379 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | अहमदनगर Ahmednagar | 2019-20 | . . | 300 | 300 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | पुणे Pune | 2019-20 | . . | 239 | 239 | 0 | 241 | 0 | 52 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 495 | 495 | 0 | 168 | 0 | 86 | 0 |
| 12 | सोलापूर Solapur | 2019-20 | . . | 1122 | 343 | 138 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | सातारा Satara | 2019-20 | . . | 267 | 267 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 342 | 342 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | सांगली Sangli | 2019-20 | . . | 120 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 76 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | कोल्हापूर Kolhapur | 2019-20 | . . | 64 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | नागपूर Nagpur | 2019-20 | . . | 1185 | 1185 | 0 | 208 | 0 | 124 | 0 |
| | | 2020-21 | . . | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

५

5

| पाणीपुरवठा केलेल्या गावांची संख्या / No. of Villages where water is supplied by | | नळाने पाणीपुरविणेची योजना पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या / No. of Villages where piped Water-Supply scheme Completed distributed | | जमा केलेला व वाटप केलेला चारा (मेट्रीक टन मध्ये) / Fodder procured and distributed (in M. tonnes) | वाटलेली चारा तगाई / Fodder tagai up in scarcity | | टंचाईग्रस्त भागात सुरू केलेल्या मदत कामांची संख्या / No. of relief works taken works area | सुरू केलेल्या कामांची मजूर सामावून घेण्याची क्षमता / Labour potential Labourers taken up | मजुरांची प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त उपस्थितीची संख्या / Maximum actual attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टँकरद्वारा / Tankers | बैलगाडीने / Bullockcarts | कायम स्वरूपाची / Permt. | तात्पुरत्या स्वरूपाची / Temp. persons | | व्यक्तींची संख्या / No. of (in thousands) | रक्कम (हजारात) / Amount | | | |
| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454857 | 10675 |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408011 | 6780 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 16488 | 15802 |
| 1415 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481 | 13317 | 11682 |
| 43 | 0 | 87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 0 | 272 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 0 | 0 | 122 | 1481098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5971 | 880160 | 14669 |
| 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3769 | 64177 | 10696 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता—५**
**Table—5**

| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्धा | 2019-20 | . . | 581 | 0 | 45 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wardha | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | भंडारा | 2019-20 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bhandara | 2020-21 | . . | 679 | 679 | 0 | 518 | 285 | 0 | 0 |
| | गडचिरोली | 2019-20 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gadchiroli | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चंद्रपूर | 2019-20 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chandrapur | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गोंदिया | 2019-20 | . . | 186 | 186 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gondia | 2020-21 | . . | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अमरावती | 2019-20 | . . | 939 | 27 | 0 | 346 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | Amravati | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | 2019-20 | . . | 539 | 539 | 0 | 162 | 0 | 0 | 56 |
| 23 | Akola | 2020-21 | . . | 491 | 491 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | 2019-20 | . . | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yavatmal | 2020-21 | . . | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | 2019-20 | . . | 1123 | 1123 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Buldhana | 2020-21 | . . | 439 | 439 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | वाशिम | 2019-20 | . . | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Washim | 2020-21 | . . | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | औरंगाबाद | 2019-20 | . . | 207 | 207 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aurangabad | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बीड | 2019-20 | . . | 72 | 385 | 0 | 0 | 385 | 541 | 0 |
| 28 | Beed | 2020-21 | . . | 415 | 107 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
| | नांदेड | 2019-20 | . . | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 29 | Nanded | 2020-21 | . . | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| | उस्मानाबाद | 2019-20 | . . | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Osmanabad | 2020-21 | . . | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | परभणी | 2019-20 | . . | 300 | 230 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Parbhani | 2020-21 | . . | 86 | 86 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | हिंगोली | 2019-20 | . . | 407 | 407 | 0 | 0 | 47 | 0 | 247 |
| 32 | Hingoli | 2020-21 | . . | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 38 | 77 |
| | जालना | 2019-20 | . . | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jalna | 2020-21 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | लातूर | 2019-20 | . . | 943 | 943 | 943 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 34 | Latur | 2020-21 | . . | 242 | 242 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

—चालू
*—Contd.*

| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 148 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186 |
| 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9356 | 596948 | 586726 |
| 19 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 87 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1174 | 0 | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 3108 | 3108 |
| 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2100 | 350 |
| 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 0 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## ४. जिल्हाधिकारी, मुंबई

**प्रास्ताविक.**—दिनांक २९ जुलै १९८१ पासून मुंबई शहराला जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात आला, तेव्हा प्रस्तुत कार्यक्रमांत मुंबई शहर जिल्ह्यापुरते विशेष बाबी लागू आहेत अशांचा निर्देश खाली केला आहे व जमीन महसुलांची वसुली, करमणूक कर वसुली, इत्यादींची माहिती इतर जिल्ह्याच्या कार्यक्रमांत म्हणजेच "जिल्हाधिकारी" या कार्यक्रम क्रमांक-२ मध्ये समावेश करण्यात आली आहे.

मुंबई जिल्ह्याची दक्षिणेकडील कक्षा शीव सेतुमार्ग (कॉजवे) आणि माहिमची खाडी येथपर्यंत आहे. पूर्व, पश्चिम व उत्तरेकडील कक्षा दाखविलेल्या नाहीत; परंतु त्या भरतीच्या खुणेपर्यंत मर्यादित आहेत.

एप्रिल १९७४ पासून जिल्हाधिकारी, हे जिल्हादंडाधिकारी आहेत. कायदा व सुव्यवस्था संबंधीची अंमलबजावणी पोलीस आयुक्तांच्या कक्षात असली तरी काही विधिविषयक कामे त्यांचेकडून पाहिली जातात.

जिल्हाधिकारी, त्यांच्या अखत्यारीत जिल्हा निबंधक या नात्याने उप-निबंधक, मुंबई यांचे कार्यावर देखरेख करतात. ते मुद्रांक कायद्याखाली प्रमुख महसूल नियंत्रक अधिकारी आहेत. त्यांचेकडे असलेल्या विविध प्रकारच्या कामकाजाचे खालीलप्रमाणे थोडक्यात वर्गीकरण करता येईल.

(१) महसूल कार्यविषयक (अ) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, अन्वये प्रमुख महसूल जिल्हा प्राधिकारी.

(ब) शासकीय जमीन व तिचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९९६, जमिनी निकालात काढणे व भूमि अभिलेख तपासणे.

## तक्ता–एक
## TABLE—I

(दोन) वित्तीय आवश्यकता : (रुपये हजारात)

Financial Requirements : (Rs. in thousands)

| वर्गीकरण<br>Classification | | प्रत्यक्ष खर्च, २०१९-२०२०<br>Actual Expenditure, 2019-2020 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२०-२०२१<br>Budget Estimates,2020-2021 | सुधारलेले अंदाज, २०२०-२०२१<br>Revised Estimates, 2020-2021 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२<br>Budget Estimates, 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **(अ) कार्यवार आणि उद्दिष्टवार वर्गीकरण–(२०२९ ०७५२)**<br>*(A) Activitywise and objectwise Classification—* | | | | | |
| जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर<br>Collector, Bombay City | | | | | |
| (१) मुंबई शहर भूमापन आणि भूमि अभिलेख<br>(1) Bombay City Survey and Land Records. | | | | | |
| वेतन<br>Salary | दत्तमत<br>Voted | 21152 | 39473 | 30473 | 42236 |
| वेतनेत्तर<br>Non-Salary items | दत्तमत<br>Voted | 455 | 683 | 326 | 1074 |
| . . | | | | | |
| एकूण (१)<br>Total (1) | दत्तमत<br>Voted | 21607 | 40156 | 30799 | 43310 |
| (२) शासकीय जमिनीच्या भूखंडाचे संरक्षण करण्यासाठी कुंपणे घालणे व सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करणे (२०२९ ०७७२)<br>(2) Expenditure on account of fencing and appointment of security Guards for protection of Govt. plots. | | | | | |
| मजूरी<br>Wages | दत्तमत<br>Voted | . . | 1 | 1 | 1 |
| एकूण (२)<br>Total (2) | दत्तमत<br>Voted | . . | 1 | 1 | 1 |

**तक्ता–एक**–चालू

**TABLE— I**-*contd.*

| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| (३) जुगार कर—(२०४५ ०१६२) | | | | | |
| (3) Betting Tax | | | | | |
| वेतन | दत्तमत | | | | |
| Salary | Voted | 320 | 2378 | 1200 | 2544 |
| वेतनेत्तर बाबी | दत्तमत | | | | |
| Non-Salary items | Voted | 82 | 152 | 76 | 152 |
| एकूण (३) | दत्तमत | | | | |
| Total (3) | Voted | 402 | 2530 | 1276 | 2696 |
| एकूण (अ) स्थूल/निव्वळ | दत्तमत | | | | |
| Total (A) Gross/Net | Voted | 22009 | 42687 | 32076 | 46007 |

वित्तीय व्यवस्थेची साधने–सी-१-२०२९/२०४५

Sources of Finance—C-1,2029/2045

(तीन) **कार्यक्रमाचा कार्यभार**

**बॅक-बे पुनःप्रापण महसुलाची वसुली**

ग्राऊंड रेंट शिवाय बॅक-बे च्या परिसरात असलेल्या प्लॉटस्वर भाडेपट्टाही वसूल केला जातो. रेंट रोलमध्ये सुमारे २९६ नोंदी असून त्यांच्यावर तिमाही सारा वसूल केला जातो. खालील तक्त्यात प्रकरणांची संख्या/जमीन महसूल/भाडेपट्टा वसुली यांची माहिती दर्शविली आहे.

**तक्ता - २**

**TABLE- 2**

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousands)

| अनुक्रमांक Sr. No. | प्रकरणाचा प्रकार Nature of Cases | वर्ष Year | २०१९-२०२० प्रारंभीची शिल्लक Opening Balance | | आवक Receipts | | एकूण Total | | निकालात काढलेली Disposal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रकरणे Cases | रक्कम Amount | प्रकरणे Cases | रक्कम Amount | प्रकरणे Cases | रक्कम Amount | प्रकरणे Cases | रक्कम Amount |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| १. 1. | बॅक-बे रेक्लेमेशन . . Back-Bay Reclamation | 2019-2020 | 221 | 375 | 214 | 301 | 435 | 676 | 230 | 410 |
| | | 2020-2021 | 205 | 266 | 231 | 310 | 436 | 576 | 226 | 325 |

## शहर भूमि अभिलेख

शहर भूमि अभिलेख, मुंबई शहराच्या जमीन महसुलाच्या सर्व प्रकरणी जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या प्रकरण १४ अन्वये मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी आहेत. पूर्वी मुंबई शहराला, मुंबई शहर जमीन महसूल अधिनियम, १८७६ व मुंबई शहर भूमापन अधिनियम, १९१५ लागू होते. त्यातील तरतुदी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये समाविष्ट करून वरील दोन अधिनियम रद्द करण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी, मुंबई यांना प्रशासकीय जमीन विषयाबाबतीत मदत करण्यासाठी शासकीय आदेश, वित्त विभाग, क्रमांक ५४४, दिनांक ४ सप्टेंबर, १९१९ अन्वये अधीक्षक, मुंबई शहर जमीन भू-मापन व भू-अभिलेख, हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी, मुंबई, यांनी कार्यकारी आदेश दिनांक २६ सप्टेंबर, १९१९ अन्वये, मुंबई शहर जमीन महसूल अधिनिमय, १८७६ मधील भाग ५ व ८ मधील अधिकार अधीक्षकांवर सोपवलेले हे सक्तीचे प्रत्यायोजन व्यावृत्ती खंडाखाली केले. मात्र या संबंधीची अपीले चालविण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी, मुंबई यांचेकडे ठेवण्यात आला. ही तरतूद नवीन लागू केलेल्या अधिनियमामध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे.

अधीक्षक, मुंबई शहर भू-मापन, भू-अभिलेख यांच्या कार्याचे मुख्यतः तीन भागात वर्गीकरण करता येईल :—

(१) शासकीय जमिनीची देखभाल व विल्हेवाट;

(२) संपूर्ण मुंबई शहर भूमि-अभिलेख ठेवणे आणि

(३) संकीर्ण प्रकाराची कामे.

पहिल्या भागात शासकीय जमिनी मालकी तत्वाने किंवा अल्प/दिर्घ मुदतीच्या तत्वावर मंजुरी करणे यांचा समावेश होतो. असे असले तरी सर्वसाधारणतः मैदानी व भरणी घातलेले भूखंड सोडले तर खुले भूखंड नाहीत. अशा परिस्थितीत भू-मापन शाखा पूर्वी ज्या धारकांना मंजुरी दिली आहे ते शर्तीचे पालन करतात किंवा नाही हे पाहणे नेहमीच्या प्रकरणी ज्या जमिनीचा भाडेपट्टी कालावधी संपला आहे अशा प्रकरणी मूल्य निर्धारण यांचे पुनर्निरीक्षण करणे, इत्यादी कामे पाहते. अतिक्रमण होऊ नये म्हणून समुद्र किना-या लगतची रिकामी जमीन तसेच नवीन भर घातलेली जमीन यावरही शाखा लक्ष ठेवते.

दुसरा मुख्य भागांचा संबंध सीमा चिन्हे तयार करणे व ठेवणे, भूखंडाचा आढावा घेणे, फेरफार, भू-मापन तक्ते व आरेख शिवाय संपादन करणे व पीछेहाटीची प्रकरणे, इत्यादी यांचेशी असतो. शिवाय, भूमापन शाखा निरनिराळ्या कारणासाठी पतदारी प्रमाणपत्रे मंजूर करणे, भूमि-अभिलेखाची तपासणीसाठी परवानगी देणे, प्रमाणित नकाशाप्रमाणे उतारे आणि विविध भूमि अभिलेख पुरविणे, जमिनीचे भाडे न दिल्यामुळे तसेच भाडेपट्ट्याच्या शर्तीचे पालन न केल्यामुळे निर्माण झालेली न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे इत्यादी संकीर्ण कामे करते.

शासनाने विविध अर्जदारांना बॅक-बे पुनःप्रापण जमिनीचे वाटप केले. बॅक-बे पुनःप्रापण व इतर जमिनी प्रकरणी केलेल्या कामाची माहिती खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे.

A number of plots from Back-Bay Reclamation were allotted by Government to various applicants. The following table gives an outline of work done in respect of Back-Bay reclamation and other lands.

**तक्ता - ३**
TABLE - 3

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousands)

| अनु-क्रमांक Serial No. | जमिनीचा प्रकार Nature of land | वर्ष Year | वर्षाच्या प्रारंभी प्रलंबित असलेले अर्ज No. of applications pending at the beginning of the year | वर्षाच्या काला-वधीत मिळालेले अर्ज No. of applications received during the year | एकूण Total | निकाली काढलेले अर्ज No. of applications disposed of | | वार्षिक भाडे पट्ट्याचे भाडे (स्तंभ ८ चे संदर्भात) Annual lease rent (with reference to Col. No. 8) | शिल्लक Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अर्ज Applications | क्षेत्र (चौ. मि.) Area (in Sq. meters) | | अर्ज Applications | क्षेत्र (चौ. मिटर-मध्ये) Area (in Sq. meters) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | बॅक-बे रेक्लेमेशन Back-bay Reclamation | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | इतर जमिनी Other Lands | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण Total | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

प्रत्येक वाटपधारकांस शासनाने विहित केलेल्या वाटप आदेशातील शर्ती व अटी पाळाव्या लागतात. वाटप धारकांकडून अटी व शर्तीचा भंग होत नाही, हे पाहण्याच्या दृष्टीने सतत लक्ष ठेवणे जरूर आहे. या प्रकरणी केलेल्या कामाची माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.—

Every allottee has to observe terms and conditions prescribed in the allotment order of Government. In order to ensure that the allottees do not commit breach of conditions, constant watch is required to be kept. The following table gives information in this respect.—

**तक्ता - ४**

TABLE - 4

| अनुक्रमांक Serial No | जमिनीचा प्रकार Nature of land | वर्ष Year | पुनर्विलोकन करावयाच्या भूखंडाची संख्या No. of Plots required to be reviewed | पुनर्विलोकन केलेल्या भूखंडाची संख्या No. of Plots reviewed | शर्तीचा भंग केलेल्या भूखंडाची संख्या No. of Plots in which breach of conditions detected | आकारलेला दंड Penalty Imposed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | भूखंडाची संख्या No. of plots | रक्कम रुपये Amount (in Rs.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | बॅक-बे-रिक्लेमेशन (मुंबई शहर) | | | | | | |
| 1 | Back-Bay Reclamation .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 35 | 15 | 4 | 10 | 0 |
| | पालघर | | | | | | |
| 2 | Palghar .. | 2019-2020 .. | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रत्नागिरी | | | | | | |
| 3 | Ratnagiri .. | 2019-2020 .. | 473 | 473 | 18 | 1 | 1639381 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | इतर जमिनी | | | | | | |
| 4 | Other Lands .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 479 | 479 | 10 | 8 | 25000.00 |
| | एकूण Total .. | 2019-2020 .. | 1065 | 473 | 18 | 1 | 1639381.00 |
| | | 2020-2021 .. | 1106 | 494 | 14 | 18 | 25500.00 |

काही वेळा शासकीय जमिनी किंवा भूखंड खाजगी व्यक्तींना/संस्थांना प्रदर्शन भरविणे, लग्न समारंभ इत्यादी तात्पुरत्या कारणासाठी देण्यात येतात. अशा तात्पुरत्या वापरासाठी फी आकारण्यात येते. काही वेळा अल्पावधीसाठी भाडेपट्ट्यानेही जमीन देण्यात येते. खालील तक्ता अशा प्रकरणांची माहिती दर्शवितो.—

Sometimes Government land of the plots are allowed to be used for holding exhibition, marriage functions *etc*., to private persons/ institutions and a fee is levied such temporary use. Sometimes short term lease is also given. The following table gives information regarding such cases.—

**तक्ता - ५**

TABLE - 5

| अनु-क्रमांक Serial No. | जमिनीचा प्रकार Nature of land | वर्ष Year | आलेल्या अर्जाची संख्या No. of applications received | परवानगी दिलेल्या अर्जाची संख्या No. of applications in which permission granted | वसूल केलेली रक्कम (रुपये) Rent realised (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | बॅक-बे-रिक्लेमेशन (मुंबई शहर) | | | | |
| 1 | Back-bay Reclamation .. .. | 2019-2020 .. | 16 | 16 | 475.00 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 |
| | मुंबई उपनगर | | | | |
| 2 | Mumbai Suburban .. .. | 2019-2020 .. | 46 | 46 | 144207.00 |
| | | 2020-2021 .. | 13 | 13 | 5234.00 |
| | इतर जमिनी | | | | |
| 3 | Other Lands .. .. | 2019-2020 .. | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-2021 .. | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण Total .. | 2019-2020 .. | 62 | 62 | 144682 |
| | | 2020-2021 .. | 13 | 13 | 5234 |

अधिकाराभिलेख शहर मापन नोंदवहीत नोंदतात. पक्षकाराने कळविल्यानंतर प्रत्येक प्रकार, अधिकार, हस्तांतरण हक्क इत्यादींची नोंद घेतली जाते. खालील तक्ता फेरफाराची माहिती दर्शवितो.—

Record-of-Rights is maintained in the form of City Survey Register. Every transfer of right, title *etc*., is noted and change are effected in the record on intimation from parties. The following table gives information regarding mutations.—

**तक्ता -६**

TABLE - 6

| वर्ष Year | आलेल्या अर्जाची संख्या कालमर्यादेत कालमर्यादेनंतर Number of application received | | फेरफार संख्या कालमर्यादेनंतर बसविलेला Number of mutation | | उशिरा अर्ज पाठविल्याबद्दल दंड कालमर्यादेत वसूल केलेला Penalty for late submission | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Within | After | Within time limit | After time limit | Imposed time limit | Recovered time limit |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2020-2021 . . . . | 416 | 0 | 416 | 0 | 124800 | 124800 |
| 2021-2022 . . . . | 300 | 0 | 298 | 0 | 89400 | 89400 |

भूमापन शाखेस निर्मूलन केलेल्या भूधृतीबाबत सुधारित सारांचे आदेश भूलेखात नोंद करण्यासाठी आले आहेत. त्याविषयीची माहिती खालील तक्ता दर्शवितो.—

Orders in respect of revised assessments for the abolished tenures are received in the Survey Branch for being noted in the Land Records. The following table gives informantion in this respect.—

**तक्ता - ७**

TABLE - 7

| वर्ष Year | वर्षाच्या सुरुवातीस शिल्लक असलेली संख्या Arrears at the begining of the year | मिळालेल्या आदेशांची संख्या No. of orders received | एकूण Total | नोंद घेतलेल्या आदेशांची संख्या Number of orders noted | शिल्लक Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2019-2020 . . . . | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 |
| 2020-2021 . . . . | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 |
| 2021-2022 . . . . | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 |

खालील तक्ता भूमापन तक्त्याच्या प्रमाणित उता-याचे अर्ज भूकर, भूमापन नोंदवही आणि गिरगाव-चौपाटीच्या रेती उता-याची परवानगी इत्यादीबाबतची माहिती दर्शवितो.—

The following table indicates the work regarding applications for certified extracts of survey sheets, C. S. Register and Permission to extracts sand from Girgaon-*Chowpatty*.—

**तक्ता - ८ अप्राप्त**

TABLE - 8

| अनु-क्रमांक Serial No. | कामाचा प्रकार Nature of work | वर्ष Year | आलेले अर्ज Applications received | निकाली काढलेले अर्ज Applications disposed of | मिळालेली रक्कम (रुपये) Charges realised (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | भूमापन शीट रचना यांचा प्रमाणित उतारा Certified extracts of survey sheet plans | 2020-2021 . . | 6572 | 6282 | 1643000 |
| | | 2021-2022 . . | 2150 | 2100 | 537500 |
| 2 | भूकर सर्व्हेच्या नोंदीचा प्रमाणित उतारा Certified extract from C.S. Register | 2020-2021 . . | 12270 | 12270 | 920250 |
| | | 2021-2022 . . | 4230 | 4230 | 317250 |
| | एकूण . . | 2020-2021 . . | 18842 | 18552 | 2563250 |
| | Total . . | 2021-2022 . . | 6680 | 6330 | 854750 |

खाजगी पक्षकार जिल्हाधिका-यांना त्यांचे मालकी हक्काबद्दल, ताबा, वाटे-हिस्से, इत्यादींसाठी त्यांचे जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करतात. हे काम कामाच्या स्वरुपात फी नक्की करून घेतले जाते. भूमापक हे काम कामाचे दिवस सोडून करतात व त्यासाठी ते मिळालेल्या फीतील हिश्यास पात्र ठरतात. खालील तक्ता आलेले अर्ज व मिळालेली फी दर्शवितो.—

Private parties apply to the Collector for getting their plots measured either on change of ownership, possession or partition, *etc.* As per Government orders this work is undertaken on payment of fees. The fees is calculated as per work involved. The Survey Staff carries out this work other than working days and they are entitled to claim part of the fees. The following table gives information in this respect.–

**तक्ता - ९**

TABLE - 9

(रक्कम रुपयांत)
(Amount in Rs.)

| कामाचा प्रकार<br>Nature of Work | वर्ष<br>Year | आलेले अर्ज<br>Application received | निकाली काढलेले अर्ज<br>Application disposed of | मिळालेली रक्कम<br>Charges realised to | सरकार जमा केलेली रक्कम<br>Charges credited to Govt. | भूमापकांना दिलेली रक्कम<br>Charges paid to Surveyors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| जमिनीची मोजणी<br>Measurement of Plots . . | 2020-2021 | 218 | 210 | 10488750 | 10488750 | 0 |
| | 2021-2022 | 170 | 167 | 8034500 | 8034500 | |

विक्री, भाडेपट्टी, पिछेहाट, नवे रस्ते, इमारती इत्यादी कारणाने झालेल्या फरकामुळे भूमापन तक्ते अद्ययावत करणे जरुर आहे. सर्व तक्ते दहा वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने पुरे करावयाचे आहेत. खालील तक्ता त्याबाबतची माहिती दर्शवितो.—

The Survey sheets are to be brought up-to-date by incorporating changes due to sales, set-back, new roads, building, *etc.*, All the sheets are to be completed within 10 years by rotation. Following table gives information in this respect.–

**तक्ता - १०**

TABLE - 10

| वर्ष<br>Year | एकूण भूमापन तक्ते<br>Total Number of Survey sheets | आढावा घेण्याचे एकूण तक्ते<br>Number of sheets due for review | आढावा घेणे आवश्यक असलेले एकूण तक्ते<br>Number of sheets required to be reviewed | प्रत्यक्षात आढावा घेतलेल्या तक्त्यांची संख्या<br>Number of sheets actually reviewed | शिल्लक<br>Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2018-2019 . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 . . . . | 790 | 108 | 37 | 60 | 11 |
| 2020-2021 . . . . | 790 | 121 | 42 | 72 | 7 |
| 2021-2022 . . . . | 790 | 70 | 27 | 35 | 8 |

*Note* : *The work of Review of C.S. sheets are pending since 1980.

## मुंबई

## इनामे व विशेष निर्मूलन आणि

मुंबई शहरात नऊ प्रकारच्या भूधारणा पध्दती होत्या. खालील भू-धारक राज्य शासनाच्या दर प्रमाणित करण्याच्या हक्काचा फायदा मुंबई शहर (इनामे आणि विशेष अवधी) निर्मूलन अधिनियमानुसार वरील भूधृती निर्मूलन करून आणि त्या सर्वसाधारण जमीन महसुलाखाली १९ महसुली विभागात येते. अधिनियमातील तरतुदी नियमानुसार जिल्हाधिकारी यांना शासकीय मंजुरीनंतर महसुली विभागाच्या भागासाठी असेल. तातडीने आकारणीमुळे किंवा निर्मुलनामुळे होणा-या परिणामामुळे खालील दराने आकारणी करण्याचे सुचविण्यात आले आहे.—

(१) पहिल्या १० वर्षांला पूर्ण आकारणीच्या १० टक्के.

(२) पुढील १० वर्षांला पूर्ण आकारणीच्या २५ टक्के.

(३) पुढील १० वर्षांला पूर्ण आकारणीच्या ५० टक्के.

(४) पुढील १० वर्षांला पूर्ण आकारणीच्या ७५ टक्के.

(५) पुढील १० वर्षांला पूर्ण आकारणीच्या १०० टक्के.

वैयक्तिक जमिनीच्या पट्ट्याची आकारणी प्रमाणित दराच्या आकारणीलायक क्षेत्राच्या पटीत आहे.

भूधृती निर्मुलनापूर्वी वार्षिक आकारणी ४७,००० रुपये होती. निर्मूलन झाल्यानंतर पहिल्या १० वर्षांनी आकारणी २८,३२,००० रुपये कार्यासाठी होतो. अशा जमिनींना सूट देण्याची तरतूद अधिनियमात आहे.

मुंबई शहर ( इनामे आणि विशेष अवधी ) निर्मूलन अधिनियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारित) अधिनियम, १९६९ अन्वये

The statement shows the information about the work done and proposed to be done under Bombay City (Inami and Special Tenure

### तक्ता

Table

| वर्ष Year | महसूल विभागांची संख्या Number of Revenue Divisions | शासनाकडून प्रमाणभूत ठरविण्यात आलेल्या महसूल विभागांची संख्या No. of Revenue Divisions in respect of which standard rate is sanctioned by Government | प्रमाणभूत दर ठरविण्यासाठी शासनाकडे शिफारस केलेल्या प्रलंबित महसूल विभागांची संख्या No. of Revenue Divisions in respect of which the proposals for sanctioning Std. rate are pending with Government | अधिनियमातील तरतुदीमुळे परिणाम झालेल्या मालमत्तेची संख्या No. of Properties affected by the provisions of Act | मालमत्तेचे क्षेत्र Area of the Properties | धर्मादाय संस्थांची मालमत्ता म्हणून अधि-नियमातील तरतुदीनुसार सूट मिळू शकणा-या मालमत्तेचे क्षेत्र Area of the Properties likely to be exempted from the provisions of Act being Public Trust Properties | अधिनियमाची पूर्ण अंमल-बजावणी झाल्यानंतर अंदाजे महसुलात होणारी वाढ The probable yearly increase in the revenue after full implementation of the Act | महसूल विभागात प्रमाणभूत दर शासनाचे वतीने ठरविण्यात आलेल्या मालमत्तेची संख्या No. of Proportion situated in Revenue Division of which Std. rate is sanctioned by Government |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2020-2021 | 19 | 19 | 0 | 16698 | 170176781033 | 1365190.76 | 50000000 | 35240 |
| 2021-2022 | 19 | 19 | 0 | 17298 | 170276781.00 | 1365190.76 | 50000000 | 35240 |

**शहर**

**जमीन महसूल संहिता सुधारणा अधिनियम, १९६९ (अधिनियमाची अंमलबजावणी)**

घेत आहेत. त्यात पेन्शन आणि टॅक्स, क्विट आणि ग्राऊंड, फोरास, सनदी आणि इनामी, इत्यादींचा समावेश होतो.
आणण्यात येतील. इनामे आणि विशेष अवधीखाली ८० टक्के भूधृती जमीन आकारणी करण्यालायक मुंबई शहरात आहेत. ही जमीन मुंबई शहरात
प्रत्येक चौ. मीटरला प्रमाणित दर निर्धारित करण्याचे अधिकार आहेत. प्रमाणित दर हा इमारत नसलेल्या जागेवर बाहेरील किंमतीच्या ५ टक्के
येईल. अधिनियमात सार्वजनिक विश्वस्त, जे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तांच्या अधिनियमाखाली येतात आणि ज्यांचा उपयोग विश्वस्तांच्या
आलेल्या कामाची आणि करावयाच्या / ठरविलेल्या कामाची माहिती खालील तक्त्यात दर्शविली आहे.—

Abolition Act) and Maharashtra Land Revenue Code (Amendment) Act, 1969.–

**११** (क्षेत्र चौ. मीटरमध्ये)

11 (Area in sq. meters)

| स्तंभ (८) मध्ये अंतर्भूत असलेल्या संपत्तीचे क्षेत्र<br>The area of properties falling under column (8) | सूट देण्यास पात्र आणि सूट दिलेले क्षेत्र<br>The area likely to be exempted and already exempted | आकारणी करण्या-लायक संपत्ती-वरील अंदाजे महसूल<br>The Approximate revenue per year of the properties liable for assessment | स्तंभ (८) मधील संपत्तीधारकांपैकी प्रपत्र आणि त्याचे क्षेत्र सादर केलेले संपत्ती धारक<br>No. of property holders out of column (8) who have submitted returns and its area | सूट मिळत असलेल्या संपत्तीची संख्या आणि त्याचे क्षेत्र<br>No. of properties enjoying exemption and their area | आकारणी केलेली संपत्तीची संख्या आणि त्याचे क्षेत्र<br>No. of properties assessed and their area | स्तंभ (१४) मधील एकूण वार्षिक आकारणी<br>The total yearly assessment of properties in column (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 35000000 | 1365190.76 | 50000000 | 16303 | 334/1365190.76 | 16603/166462255.3 | 0 |
| 35000000 | 1365190.76 | 50000000 | 16626 | 334/1365190.7 | 16626/186462255.3 | 0 |

## कार्यक्रम क्रमांक ५

## महसूल व वन विभाग

**(एक) प्रास्ताविक :**

राज्य शासनव्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्थेचा समावेश होतो. राज्य कायदेमंडळाचे प्रमुख कार्य राज्यात कल्याणकारी लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कायदे करणे हे आहे. राज्य कायदेमंडळाने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख कार्य आहे. कार्यकारी मंडळाला आपली कार्ये सुरळीतपणे पार पाडता यावीत, यादृष्टीने कार्यकारी मंडळाला सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यासाठी " मंत्रालय " हे सर्वोच्च स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून कार्य करते. प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने मंत्रालयाचे विविध विभागात विभाजन करण्यात आले असून " महसूल व वन विभाग " हा मंत्रालयाचा एक प्रशासकीय विभाग आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कार्य नियमावलीनुसार जे विषय या विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत त्या सर्व विषयांसंबंधीचे नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण तसेच समन्वय याबाबतची जबाबदारी ह्या विभागावर आहे. या विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या विषयाचे संदर्भात, शासनाच्या धोरणानुसार क्षेत्रिय अधिका-यांकडून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पहाण्याची जबाबदारीही या विभागाची आहे.

**(दोन)** हा विभाग मुख्यतः पुढील चार उप-विभागात विभागला आहे :—

(अ) महसूल,

(ब) वन,

(क) मदत व पुनर्वसन कार्ये,

(ड) आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग.

(अ) **महसूल उप-विभाग.–**या उप-विभागाचे काम एकूण ४५ कक्ष यामध्ये विभागले आहे. या कक्षामध्ये मुख्यतः जमीन महसूल, गौण खनिज वसुली, शासकीय जमिनीचे शैक्षणिक/औद्योगिक/वाणिज्यिक इ. प्रयोजनाकरिता वाटप, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणे, खातेपुस्तिका, कुळकायदा, कमाल शेत जमीन धारणा, भू-संपादन, भूमी अभिलेख, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी, तसेच टंचाई व अन्य नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने मदत कार्ये क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल, मुदांक शुल्क व नोंदणी व भूमी अभिलेख यांची आस्थापना आदि प्रमुख विषय हाताळले जातात.

(ब) **वन उप-विभाग.**— या उप-विभागात १८ कक्ष असून त्या कक्षांमध्ये मुख्यतः वन संशोधन, वन संरक्षण, वृक्षरोपण योजना, वनोत्पादन, निसर्ग संरक्षण, वन्य प्राण्यांचे संरक्षण, उपवने क्षेत्र वनीकरण, वन विभागाची क्षेत्रीय आस्थापना आदी विषय हाताळले जातात. तसेच कार्यक्रमांचे नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय देखील वन उप-विभागाद्वारे केले जाते.

(क) **पुनर्वसन व मदतकार्ये उप-विभाग.**— या उप-विभागात एकूण ७ कक्ष आहेत. या कक्षामध्ये मुख्यतः पूर्वीच्या पश्चिम व पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन, पुनर्वसन उत्पादन केंद्र, मुक्त वेठबिगारांचे पुनर्वसन, प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन आदी विषय हाताळले जातात.

(ड) **आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग.**— या उप-विभागात एकूण ८ कक्ष असून त्यामध्ये मुख्यतः नैसर्गिक आपत्ती, चारा टंचाई, भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन, जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळविणे आदी विषय हाताळले जातात.

अप्पर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी), प्रधान सचिव (वने), सचिव (मदत व पुनर्वसन), प्रधान सचिव तथा विशेष कार्य अधिकारी (अपिल्स) या व्यतिरिक्त विभागात राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत असून त्यासंबंधीचा अधिकारी/कर्मचारी वर्गविषयक गोषवारा विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार आहे. (तक्ता २).

**तक्ता–एक**

TABLE—I

**(दोन) वित्तीय आवश्यकता :** (रुपये हजारात)

(II) Financial Requirements : (Rs. in thousands)

| वर्गीकरण<br>Classification | | प्रत्यक्ष खर्च, २०१९-२०२०<br>Actual Expenditure, 2019-2020 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२०-२०२१<br>Budget Estimates, 2020-2021 | सुधारलेले अंदाज, २०२०-२०२१<br>Revised Estimates, 2020-2021 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२<br>Budget Estimates, 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **(अ) कार्यवार आणि उद्दिष्टवार वर्गीकरण–(२०५२ ०२१२)**<br>(A) *Activitywise and objectwise Classification—* | | | | | |
| महसूल व वन विभाग (मंत्रालय)<br>Revenue and Forest Department—<br>(Proper Mantralaya) | | | | | |
| निर्देशन व प्रशासन–<br>Direction and Administration— | | | | | |
| सचिव, महसूल व वन विभाग<br>Secretary, Revenue and Forest Department | | | | | |
| वेतन<br>Salaries . . | दत्तमत | 330555 | 458160 | 333392 | 480000 |
| वेतनेत्तर बाबी<br>Non-Salary items | Voted | 12735 | 20496 | 16102 | 23699 |
| एकूण (अ)—निव्वळ<br>Total (A)—Net | . . | 343290 | 478656 | 349494 | 503699 |

## तक्ता २
TABLE 2
## कर्मचारीवर्ग विषयक गोषवारा

| अनुक्रमांक | पदनाम | वेतनस्तर | सुधारित वेतन मॅट्रीक्स | No. of Posts 2019-2020 | No. of Posts 2020-2021 | Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | | (5) |
| | **राजपत्रित** | | | | | **Gazetted—** |
| १ | अपर मुख्य सचिव . . | . . | संवर्ग पद | 1 | 1 | Addl. Chief Secretary |
| २ | प्रधान सचिव . . | . . | संवर्ग पद | 3 | 3 | Principal Secy. |
| ३ | सचिव . . | . . | संवर्ग पद | 1 | 1 | Secretary |
| ४ | मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय) . . | . . | | 1 | 1 | Chief Conservator of Forest |
| ५ | सहसचिव . . | . . | S-27 118500-214100 | 4 | 4 | Joint Secy. |
| ६ | वित्तीय सल्लागार व सहसचिव | . . | S-29 131100-216600 | 1 | 1 | Financial Adv. and Joint. Secy. |
| ६-अ | संचालक (उपसचिव) | . . | S-25 78800-209200 | 1 | 1 | |
| ७ | उपसचिव . . | . . | S-25 78800-209200 | 12 | 10 | Deputy Secy. |
| ८ | विशेष कार्य अधिकारी . . | . . | S-25 78800-209200 | 4 | 4 | Officer on Special Duty |
| ९ | अवर सचिव . . | . . | S-23 67700-208700 | 19 | 19 | Under Secy. |
| | अवर सचिव वित्त व लेखा . . | . . | | | | |
| १० | वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक . . | . . | S-23 67700-208700 | 1 | 1 | Senior P. A. |
| ११ | सहाय्यक संचालक, नगर रचना | . . | S-23 67700-208700 | 1 | 1 | Asstt. Dir., Town Planning |
| १२ | नगर रचनाकार . . | . . | S-20 56100-177500 | 1 | 1 | Town Planner |
| १३ | सहाय्यक संचालक (लेखा) . . | . . | S-20 56100-177500 | 3 | 3 | Asst. Dir. Class I (Jr. Scale) |
| १४ | कक्ष अधिकारी . . | . . | S-17 47600-151100 | 62 | 62 | Section Officer |
| १५ | निवड श्रेणी लघुलेखक . . | . . | S-16 44900-142400 | 4 | 4 | Selection Grade Steno. |
| १६ | लेखाधिकारी . . | . . | S-15 41800-132300 | 1 | 1 | Account Officer |
| | | | एकूण Total . . | 119 | 117 | |
| | **अराजपत्रित (वर्ग-३)–** | | | | | *Non-Gazetted (Class III)—* |
| १ | सहाय्यक लेखाधिकारी . . | . . | S-14 38600-122800 | 4 | 4 | Head Acctts. |
| २ | उपलेखापाल . . | . . | S-13 35400-112400 | 1 | 1 | Head Acctts. |
| ३ | लघुलेखक (उच्च-श्रेणी) . . | . . | S-15 41800-132300 | 13 | 13 | Steno (Higher Grade) |
| ४ | निम्न श्रेणी लघु लेखक . . | . . | S-14 38600-122800 | 20 | 20 | Steno (Lower Grade) |
| ५ | सहाय्यक नगर रचनाकार . . | . . | S-14 38600-122800 | 2 | 2 | Asstt. Town Planner |
| ६ | सहाय्यक कक्ष अधिकारी . . | . . | S-14 38600-122800 | 141 | 141 | Asstt. |

**तक्ता २—**चालू

TABLE 2—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| ७ | लघु टंकलेखक . . . . | S-8 25500-81100 | 23 | 23 | Steno Typist. |
| ८ | टंकलेखक . . . . | | | | Typist |
| ९ | लिपिक टंकलेखक . . . . | S-6 19900-63200 | 173 | 173 | Typist-Clerk |
| १० | लिपिक . . . . | | | | Clerk |
| ११ | रोखपाल . . . . | S-6 19900-63200 | 1 | 1 | Cashier |
| १२ | वाहन चालक . . . . | S-6 19900-63200 | 14 | 14 | Driver |
| | | एकूण Total . . | 392 | 392 | |
| | **अराजपत्रित (वर्ग-४)–** | | | | *Non-Gazetted (Class IV)—* |
| १ | हवालदार . . . . | S-3 16600-52400 . . | 1 | 1 | Havaldar/Binder |
| २ | चक्रमुद्रक . . . . | S-3 16600-52400 | 3 | 3 | |
| ३ | नाईक . . . . | S-3 16600-52400 | 6 | 6 | |
| ४ | झेरॉक्स मशिन चालक . . . . | S-3 16600-52400 | 2 | 2 | |
| ५ | बांधणीकार . . . . | S-3 16600-52400 | 1 | 1 | |
| ६ | शिपाई . . . . | S-1 15000-47600 . . | 47 | 47 | Peon |
| | | एकूण Total . . | 60 | 60 | |
| | | एकूण बेरीज . . | 571 | 569 | |

**कार्यक्रम क्रमांक ६**

## पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन

१९४७ मध्ये झालेल्या भारताच्या फाळणीनंतर पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या अनेक स्थलांतरितांचे पुनर्वसन पूर्वीच्या मुंबई राज्यातील निरनिराळ्या भागामध्ये करावे लागले. निर्वासितांच्या छावणी व्यवस्था ठेवण्याचे उद्देशाने अस्थायी पदे निर्माण केली होती. निर्वासितांचे छावणीत असलेल्या शासकीय इमारतीची विल्हेवाट करण्याचे राहिलेले काम तसेच याखालील नुकसान भरपाईसाठी ठेवलेली एकत्रित मालमत्ता शासनाने बांधलेल्या इमारती, संपादन केलेल्या व सोडून दिलेल्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाचे काम भारत सरकारने १ ऑगस्ट, १९७१ पासून महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग केले आहे.

निर्वासित वसाहतीकडे शिल्लक जमिनी/मालमत्ता/महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदीनुसार विल्हेवाट लावल्या जाव्यात असा निर्णय शासनाने नगर विकास विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक एचएस-१७७२-६४०६७७-आयसी, दिनांक २७ एप्रिल १९७३ अन्वये यापूर्वीच घेतला आहे. तसेच शासन निर्णय क्रमांक एस-११/१०८२/प्र. क्र. १८/र-९, दिनांक ९-३-१९८३ अन्वये पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वसाहतीमधील जमिनी/अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेतला होता. तथापि, आता केंद्र शासनाने द डिसप्लेस्ड पर्सन्स क्लेम्स अँड अदर लॉज रिपिल ॲक्ट, २००५ पारित केला असून दिनांक ६ सप्टेंबर, २००५ च्या राजपत्रात त्याबाबतची अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्वासित इसम (नुकसान भरपाई व पुनर्वसन) कायदा, १९५४ व पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासित इसमासंबंधात असणारे इतर सर्व अधिनियम निरसित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी इंटरनॅशनल सिंधी पंचायत फेडरेशन व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्र. ५२/२००६ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले आहेत की, प्रलंबित प्रकरणे विस्थापित व्यक्तीचे पुनर्वसन (नुकसान भरपाई व पुनर्वसन) अधिनियम, १९५४ व संबंधित इतर अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार निकाली काढावीत. मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशाविरुद्ध केंद्र शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले स्पेशल लिव्ह पिटीशन क्र. ६७०३/२००८ मधील I.A.4 मध्ये न्यायालयाने अंतरीम आदेश दिले होते. आता, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ६७०९-२००८ (विशेष अनुज्ञा), याचिका क्र. ६७०३/२००८ (विशेष अनुज्ञा), याचिका क्र. ६७०३/२००८, दिनांक २८-०४-२०१४ रोजी निकाली काढली आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक २८-०४-२०१४ च्या निर्णयानुसार General Clauses Act च्या कलम ६ मधील तरतूद “The Displaced Persons Claims and other Laws Repeal Act, 2005” ला लागू आहे. त्यामुळे संबंधित प्राधिकारी Displaced Persons (C & R) Act, 1954 निरसित झाल्याच्या दिनांकास सदर अधिनियमाखाली प्रलंबित असलेल्या प्रकरणी निर्णय घेऊ शकतात. तसेच सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकतात.

**तक्ता १**

TABLE– I

**(दोन) वित्तीय आवश्यकता :**
**(II) Financial requirements :**

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousand)

| | | प्रत्यक्ष खर्च, २०१९-२०२० Actual Expenditure, 2019-2020 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२०-२०२१ Budget Estimates, 2020-2021 | सुधारलेले अंदाज, २०२०-२०२१ Revised Estimates, 2020-2021 | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२ Budget Estimates, 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (अ) कार्यवार वर्गीकरण— (२२३५०१४२) *A—Activity Classification* (22350151) | | | | | |
| (अ) भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापित व्यक्ती (a) Displaced persons from former West Pakistan | भारित Charged | . . | 10 | 10 | 10 |
| | दत्तमत Voted | 3101 | 4513 | 4057 | 4852 |
| (ब) पुनर्वसन उत्पादन केन्द्रे (b) Rehabilitation Production Centres | दत्तमत Voted | . . | . . | . . | . . |
| (क) पाकिस्तानातून आलेल्या लोकांच्या मालमत्ता व निर्वासित वसाहतीत शासनाने बांधलेल्या मालमत्ता यांची व्यवस्था व विल्हेवाट. (c) Management and disposal of Evacuated properties and Government built Properties in displaced persons colonies. | दत्तमत Voted | . . | . . | . . | . . |
| एकूण-अ स्थूल/निव्वळ Total A—Gross/Net 10 | भारित Charged | . . | 10 | 10 | 10 |
| | दत्तमत Voted | 3101 | 4513 | 4057 | 4842 |

(ब)—उद्दिष्टवार वर्गीकरण—

(B) *Objectwise Classification*

(अ) पूर्व पाकिस्तानातील स्थानांतरीत झालेल्या व्यक्ती /
पूर्व पाकिस्तानातील स्थलांतरीत झालेल्या व्यक्ती

(a) Migrates from former East Pakistan (22350202)

(१) संचालन व प्रशासन—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Direction and Administration— | | . . | . . | . . | . . |
| वेतन<br>Salaries | | 519 | 1500 | 1200 | 1605 |
| वेतनेत्तर<br>Non-Salaries | दत्तमत<br>Voted | . . | . . | . . | . . |
| प्रवास खर्च<br>Travel Expenses | दत्तमत<br>Voted | . . | . . | . . | . . |
| कार्यालयीन खर्च<br>Office Expenses | दत्तमत<br>Voted | . . | 5 | 3 | 5 |
| भाडे, पट्टी व कर<br>Rents, Rates and Taxes | दत्तमत<br>Voted | . . | . . | . . | . . |
| एकूण—(अ) स्थूल/निव्वळ—<br>Total----(A) Gross/Net— | भारीत<br>Charged | . . | . . | . . | . . |
| | दत्तमत<br>Voted | 519 | 1505 | 1203 | 1610 |

**पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापितांचे पुनर्वसनासाठी बांधलेल्या शासकीय मालमत्तेच्या थकबाकी वसुलीबाबत.**

विस्थापित लोकांचे निरनिराळ्या छावण्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले होते. मूलतः हे गाळे भाड्याने देण्यात आले होते, परंतु यानंतर शासनाच्या धोरणानुसार हे गाळे त्यांना विकत देण्यात आले. अशाप्रकारे गाळा धारण करणा-या लोकांचे दोन प्रकार आहेत—

(१) हक्कदार, (२) बिगर हक्कदार, हक्कदारांना त्यांनी हक्काचा प्रकार दर्शविल्यापर्यंतच्या मुदतीचे भाडे आकारण्यात आले होते व ज्या बिगर हक्कदारांनी गाळ्यांच्या किंमतीच्या १/५ इतकी रक्कम ३१ ऑक्टोबर १९५९ पूर्वी भरली, त्यांचेकडून ३१ ऑक्टोबर १९९५ पर्यंत भाडे आकारणे आवश्यक होते. याखेरीज शासनाने वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा इ. सुखसोयी त्यांना उपलब्ध केल्या होत्या. यासाठी त्यांनी सुखसोयी मोबदला म्हणून रक्कम देणे आवश्यक होते. शासनाने यासाठी प्रत्यक्ष केलेला खर्च विचारात घेऊन व "ना नफा ना तोटा" ह्या तत्वावर अशाप्रकारे मोबदला आकारणी करण्यात आली होती. सन २०१९-२०२० या वर्षातील प्रत्यक्ष वसुलीची माहिती तक्यात दर्शविली आहे.—

**तक्ता-२**

TABLE-2

(रु. हजारात)
(Rs. in thousand)

| अनु-क्रमांक Serial No. | जिल्हा District | वर्ष Year | वर्षाच्या सुरुवातीस बाकी असलेली रक्कम Amount in arrears at the beginning of the year | वर्षात येणे झालेली रक्कम Amount accrued during the year | एकूण Total | वसूल केलेली रक्कम Recovery effected: रोख Cash | वजावटीने Adjust-ment | सुट Remi-ssion | माफी Write-off | एकूण Total | वर्षाअखेर येणे बाकी Amount in arrears at the end of the year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | मुंबई उपनगर जिल्हा M.S.D. | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | | व्याज Interest | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | मुंबई शहर Mumbai City | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | | व्याज Interest | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 2 | ठाणे (उल्हासनगर शहर भाग कोपरी छावणीसह) Thane (Ulhasnagar Township Includes Kopri Colony). | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 136.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.490 |
| | | व्याज Interest | 6.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.140 |
| 3 | नाशिक Nashik | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | धुळे Dhule | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**तक्ता-२—चालू**

TABLE-2—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | नंदुरबार Nandurbar | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | जळगाव Jalgaon | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | अहमदनगर Ahmednagar | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | पुणे Pune | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | सोलापूर Solapur | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | सातारा Satara | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | सांगली Sangli | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | कोल्हापूर Kolhapur | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| | | व्याज Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | नागपूर Nagpur | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल Principal | 2.60 | 0 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
| | | व्याज Interest | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |

**तक्ता-२**—चालू

TABLE-2—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | वर्धा<br>Wardha | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | चंद्रपूर<br>Chandrapur | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | गडचिरोली<br>Gadchiroli | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | भंडारा<br>Bhandara | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 4910.00 | 0 | 4910.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.00 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | गोंदिया<br>Gondia | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 115.50 | 0 | 115.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.50 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | अमरावती<br>Amravati | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | अकोला<br>Akola | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | यवतमाळ<br>Yavatmal | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | बुलढाणा<br>Buldana | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | वाशिम<br>Washim | | | | | | | | | | |
| | | मुद्दल<br>Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | व्याज<br>Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**उल्हासनगर वसाहत (कोपरी कॉलनी, ठाणेसहित येथील सर्व्हे कामाची माहिती)**

**भूमापक पथकातील सर्व्हेअर्सना खाली नमूद केल्याप्रमाणे जागेचे नकाशे तयार करावे लागतात**

१. शासकीय जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे प्रकरणात .. .. .. .. .. २ नकला

२. शासनाने बांधलेल्या खोल्यांना (बॅरेक्स) ज्यामध्ये सनदा देण्यात येतात अशी प्रकरणे .. .. .. २ नकला

३. शासनाने बांधलेल्या खोल्यांना लागून अतिरिक्त जागेसाठी देण्यात येणा-या सनदांची प्रकरणे .. .. ५ नकला

४. छाननी समितीने निर्णय घेतलेली प्रकरणे—

(अ) पूर्णतः नियमित केलेली प्रकरणे .. .. .. .. ..

(ब) अंशतः नियमित केलेली प्रकरणे .. .. .. .. .. २ नकला

(क) पर्यायी जागा देण्याची प्रकरणे .. .. .. .. ..

५. गृहनिर्माण संस्था, माजी सैनिक संस्था, औद्योगिक व वैयक्तिक यांचेसाठी खुली जमीन देण्यात येत आलेली .. ५ नकला

६. पूर्वी छाननी समितीने नियमित केलेल्या "यू" नंबरला लागून अतिरिक्त जागा देऊन त्यासाठी सनदा देण्यात येतात अशी प्रकरणे.

७. जी वैयक्तिक प्रकरणे ज्यामध्ये अनधिकृत बांधकामांना "यू" नंबर दिलेला नसतो परंतु जी बांधकामे ११-५-६५ पूर्वीपासून अस्तित्वात असल्यासंबंधी ॲडिशनल तहसीलदार व सहाय्यक प्रशासक यांनी निर्णय दिलेले असतात अशी प्रकरणे स्वतंत्ररीत्या छाननी समितीसमोर नियमितपणाच्या निर्णयासाठी ठेवण्यात येतात अशी प्रकरणे.

८. सिव्हील दावे अतिक्रमण जागेवर दाखल करताना अशा प्रकरणांत .. .. .. ..

९. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे नियम लागू असेल त्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत चौकशी करून निर्णय देण्याची प्रकरणे.

**तक्ता-३**

TABLE-3

| वर्ष<br>Year<br>(1) | वर्षाचे सुरुवातीस शिल्लक असलेली प्रकरणांची संख्या<br>No. of cases pending at the beginning of the year<br>(2) | वर्षात आलेली प्रकरणे<br>No. of cases received during the year<br>(3) | एकूण<br>Total<br>(4) | मुख्य भूमापकासह भूमापकांची संख्या<br>No. of Surveyors including Head Surveyor<br>(5) | वर्षात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या / No. of cases disposal during the year: जागा पहाणी प्रकरणांची संख्या<br>No. of sites inspected<br>(6) | वर्षात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या / No. of cases disposal during the year: तयार केलेल्या नकाशांची संख्या (५ प्रती)<br>No. of plans (5 copies of plans) prepared<br>(7) | वर्ष अखेर शिल्लक प्रकरणे<br>Pending at the end of the year<br>(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 4829 | 0 | 4829 | 0 | 240 | 240 | 4589 |
| 2020-2021 | 4589 | 0 | 4589 | 0 | 240 | 240 | 4349 |

## कर्मचारी वर्गविषयक गोषवारा

### तक्ता क्रमांक ४

### उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर उपविभाग, उल्हासनगर–३

| अनुक्रमांक (१) | पदाचे नाव (२) | पद संख्या (३) | वेतन श्रेणी (४) |
|---|---|---|---|
| १ | रोखपाल . . . . . .<br>(वरिष्ठ वेतन श्रेणी) | १ | एस-८ २५५००-८११००<br>(दि. ४-९-२०१४ रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्ती). |
| २ | लघु लेखक . . . . . .<br>(नि. श्रे.) | १ | एस-१४ ३८६००-१२२८००<br>(दि.३१-८-२०१३ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती). |
| ३ | वरिष्ठ वेतन श्रेणी लिपिक . . . . | ५ | एस-१० २९२००-९२३००<br>(सध्या २ कार्यरत आहेत. १ दि. २८-०२-२०१९ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती १ दि. १८-०४-२०१९ रोजी मयत, १ दि. ३०-०४-२०१९ नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती).<br>१ दि. ३१-०५-२०२० रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती |
| ४ | भाडे वसुलीकार . . . . . . | १ | एस-६ १९९००-६३२००<br>(दि. ३०-६-२०१५ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती.) |
| ५ | शिपाई . . . . . . | २ | एस-१ १५०००-४७६००<br>(दि.३१-१२-२०१४ व दि. ३०-०६-२०१५ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती). |
| ६ | सफाई कामगार . . . . . .<br>(वरिष्ठ वेतन श्रेणी) | १ | एस-१ १५०००-४७६००<br>(सध्या कार्यरत आहे). |
| ७ | मजूर . . . . . . | २ | एस-२ १५३००-४८७००<br>(२ नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त). |
| | एकूण . . | १३ | |
| | **कोपरी वसाहत, ठाणे यांचे कार्यालय** | | |
| ८ | वरिष्ठ वेतन श्रेणी लिपिक . . . . | १ | एस-६ १९९००-६३२००<br>(दि. १-११-२०११ रोजी मयत). |
| ९ | चौकीदार (शिपाई) . . . . | १ | एस-१ १५०००-४७६००<br>(रिक्त पद). |
| | एकूण . . | २ | |
| १० | जमाबंदी आयुक्त, संचित मालमत्ता, नुकसान भरपाई व निर्वासित मालमत्तेचे परिरक्षक यांचे कार्यालय आस्थापनेवरील नायब तहसीलदार | १ | एस-१४ ३८६००-१२२८०० |
| ११ | जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर सर करिमभाई इब्राहिम ट्रस्ट या निर्वासित मालमत्तेच्या व्यवस्थापनेसाठी नेमलेले वसुली कारकुन | १ | एस-६ १९९००-६३२०० |
| | एकूण . . | १७ | |

## कार्यक्रम क्रमांक ७

# प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन

**(एक) प्रस्तावना :**

जेव्हा पाटबंधारे, जलविद्युत किंवा सार्वजनिक उपयोगाचे अन्य प्रकल्प हाती घेतले जातात, तेव्हा त्या प्रकल्पामुळे फार मोठे क्षेत्र बाधित होण्याची शक्यता असते. अशा बाधित क्षेत्रात राहणा-या लोकांना त्यांचे घरदार, शेती किंवा ते पुर्वापार करीत असलेले व्यवसाय सोडून अन्यत्र नवीन जीवनक्रम सुरू करावा लागतो आणि त्या अनुषंगाने अनेक अडचणींना व हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागते. अशा व्यक्तींचे योग्य त-हेने पुनर्वसन करणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी ठरते. ही जबाबदारी पार पाडण्याच्या दृष्टीने प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाबाबत विशिष्ट असा कार्यक्रम १९६५ सालापासून हाती घेण्यात येत आहे. या कार्यक्रमात प्रामुख्याने खालील तीन घटक अंतर्भूत आहेत :—

(अ) पाटबंधारे प्रकल्पांना निश्चित लाभक्षेत्र असते. या लाभक्षेत्रातील भूधारकांकडून प्रकल्पबाधितांना वाटप करण्यासाठी विशिष्ट मर्यादेच्या वर असलेली शेतीयोग्य जमीन संपादन करून त्याचे वाटप प्रकल्पबाधितांना करणे.

(ब) घर बांधणीसाठी विविध नागरी सुविधायुक्त असे विकसित गावठाणात भूखंड देणे.

(क) घरबांधणीसाठी रुपये १०,००० अनुदान देणे.

**(दोन) पुनर्वसन :**

पुनर्वसनाचे काम अधिक व्यवस्थित व विहित कालावधीत व्हावे या दृष्टिकोनातून शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कार्यवाहीचे नियमन करण्यासाठी सन १९७६ मध्ये " महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापितांचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६ " हा कायदा करून तो दिनांक ११ मार्च, १९७७ पासून अंमलात आणला. सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी आल्या होत्या. त्यामुळे प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनाच्या कामी काही अंशी अडथळे निर्माण होत असत. या अडचणी दूर करून प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन जास्त सुलभतेने आणि कार्यक्षमतेने व्हावे म्हणून " महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ " हा नवीन कायदा, १९७६ चा कायदा निरसित करून दिनांक १ जानेवारी, १९९० पासून राज्यात अंमलात आला. त्यानंतर पुनर्वसनाचे कार्य करण्याचा राज्याचा अनुभव विचारात घेऊन " महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ " हा सुधारित कायदा तयार करण्यात आला व सदरहू कायदा दिनांक १ एप्रिल, २००२ पासून राज्यामध्ये अंमलात आणण्यात आला. सदरहू कायदा पाटबंधारे प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्यान, वीज प्रकल्प. . . . आदी प्रकल्पास लागू करता येतो. तथापि, या कायद्यानुसार एखाद्या प्रकल्पास पुनर्वसन अधिनियम लागू करणे व प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे याची संपूर्ण जबाबदारी प्रकल्प हाती घेणा-या संबंधित प्रशासकीय विभागाची असेल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर अधिनियम लागू झालेल्या प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील व्यक्तींचे पुनर्वसन १८ नागरी सुविधा देऊन नवीन गावठाणात करण्यात येते. नवीन गावठाणात या प्रकल्प बाधितांना नियमानुसार देय भूखंड घरबांधणीसाठी रुपये १०,००० विशेष अनुदान तसेच प्रकल्प सदरातून ५% प्राथम्यक्रमाने शासन सेवेत वर्ग-३, वर्ग-४ च्या पदावर नोकरी मिळण्यासाठी " प्रकल्पग्रस्त दाखला " देण्यात येतो. " तथापि, सन १९७६ पूर्वी पुनर्वसन कायदा अस्तित्वात नसल्याने सन १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याची योजना उपविभागीय अंतर्गत कार्यासन र-८ यांचेकडून राबविली जाते."

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण, २००३ नुसार राज्य शासनाने वरील सुविधांव्यतिरिक्त प्रकल्पग्रस्तांना पुढील सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विनामूल्य भूखंड, प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांसाठी पर्यायी जमीन, गोठे बांधण्यासाठी रुपये ३,००० अर्थसहाय्य, दुकाने किंवा शेड बांधण्यासाठी रुपये १०,००० अर्थसहाय्य, सामान हलविण्यासाठी अर्थसहाय्य, स्वयंरोजगार योजनेस पात्र, अरुंद पट्ट्यात जमीन गेल्यास १०,००० रुपये जादा अनुदान, अनुसूचित जमातीच्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी २५% रक्कम अतिरिक्त देय, तसेच पाटबंधारे प्रकल्पाव्यतिरिक्त लाभक्षेत्र नसलेल्या प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना एका वेळेस अर्थसहाय्य :- " संपूर्ण जमीन बाधित झाली असल्यास ७५० दिवसांची किमान कृषि मजुरी, पर्यायी जमीन बाधित झाली असल्यास ५०० दिवसांएवढी कृषि मजुरी, अल्पभूधारक झाले असल्यास ३७५ दिवसांएवढी कृषि मजुरी, शेतमजूर तसेच इतर क्षेत्रातील मजूर यांना ६२५ दिवसांएवढी कृषि मजुरी आणि प्रकल्पग्रस्त कुटुंबास पुनर्वसन झाल्याच्या पहिल्या वर्षी प्रत्येक महिन्याला उदरनिर्वाह भत्ता म्हणून २० दिवसांएवढी कृषि मजुरी तसेच आधी पुनर्वसन मग धरण/प्रकल्प असे शासनाचे धोरण आहे. "

**(तीन) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना प्राधिकरण :**

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ५१ नुसार भूसंपादन, मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनःर्स्थापना यामधील वादांचे त्वरित निरसन (speedy disposal) होण्यासाठी नागपूर व अमरावती महसूली विभागांकरिता नागपूर येथे आणि पुणे, नाशिक, कोकण व औरंगाबाद महसूली विभागांकरिता औरंगाबाद येथे भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

# तक्ता एक

TABLE - I

तक्ता–एक

**TABLE—I**

**(दोन) वित्तीय आवश्यकता :** (रुपये हजारात)

(II) Financial Requirements : (Rs. in thousands)

| तपशील (1) | प्रत्यक्ष खर्च, २०१९-२०२० Actual Expenditure, 2019-2020 (2) | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२०-२०२१ Budget Estimates, 2020-2021 (3) | सुधारलेले अंदाज, २०२०-२०२१ Revised Estimates, 2020-2021 (4) | अर्थसंकल्पीय अंदाज, २०२१-२०२२ Budget Estimates, 2021-2022 (5) |
|---|---|---|---|---|
| **(अ) कार्यवार वर्गीकरण–** *(A) Activity Classification—* | | | | |
| (22351871ते 22353141) | | | | |
| (१) प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुर्नवसाहत— भारित Charged (1) Resettlement of Project Affected Persons | . . | . . | . . | . . |
| दत्तमत Voted | 60034 | 86325 | 70494 | 85560 |
| **(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण–** *(B) Objectwise Classification—* (22351871) | | | | |
| (१) प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुर्नवसन– (1) Resettlement of Project Affected Persons | . . | . . | . . | . . |
| (एक) आयुक्त, कोंकण— (1) Commissioners, Konkan— | . . | . . | . . | . . |
| वेतन Salaries | 3887 | 5360 | 4119 | 5735 |
| वेतनेत्तर बाबी Non Salary items | 179 | 354 | 150 | 356 |
| एकूण (एक) Total (I) | 4066 | 5714 | 4269 | 6091 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (दोन) आयुक्त, पुणे— (22351882) | | | | |
| (II) Commissioner, Pune— | . . | . . | . . | . . |
| वेतन | | | | |
| Salaries | 5881 | 7152 | 7152 | 7554 |
| वेतनेतर बाबी | | | | |
| Non Salary items | 242 | 600 | 198 | 611 |
| एकूण (दोन) | | | | |
| Total (II) | 6123 | 7752 | 7350 | 8165 |
| (तीन) आयुक्त, नाशिक—(22351891) | | | | |
| (III) Commissioner, Nasik— | . . | . . | . . | . . |
| वेतन | | | | |
| Salaries | 4075 | 4981 | 4483 | 5026 |
| वेतनेतर बाबी | | | | |
| Non Salary items | 310 | 515 | 191 | 523 |
| एकूण (तीन) | | | | |
| Total (III) | 4385 | 5496 | 4674 | 5549 |
| (चार) आयुक्त, नागपूर—(22351906) | | | | |
| (IV) Commissioner, Nagpur— | . . | . . | . . | . . |
| वेतन | | | | |
| Salaries | 4176 | 7657 | 6891 | 8193 |
| वेतनेतर बाबी | | | | |
| Non Salary items | 204 | 494 | 225 | 501 |
| एकूण (चार) | | | | |
| Total (IV) | 4380 | 8151 | 7116 | 8694 |
| (पाच) आयुक्त, अमरावती— (22351915) | | | | |
| (V) Commissioner, Amravati— | . . | . . | . . | . . |
| वेतन | | | | |
| Salaries | 3386 | 4638 | 4638 | 4963 |
| वेतनेतर बाबी | | | | |
| Non Salary items | 165 | 244 | 123 | 240 |
| एकूण (पाच) | | | | |
| Total (V) | 3551 | 4882 | 4761 | 5203 |

**तक्ता एक**—चालू

**TABLE I**—*Contd*.

(रुपये हजारात)
(Rs. in thousands)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| (सहा) आयुक्त, औरंगाबाद— (22351924) | | | | |
| (VI) Commissioner, Aurangabad— | . . | . . | . . | . . |
| वेतन<br>Salaries | 3274 | 5453 | 5453 | 5453 |
| वेतनेतर बाबी<br>Non Salary items | 240 | 554 | 278 | 505 |
| एकूण (सहा)<br>Total (VI) | 3514 | 6007 | 5731 | 5958 |
| (सात) अप्पर जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार—(22353132) | | | | |
| (VII) Adl. Collector, Sardar Sarover Project, Nandurbar— | . . | . . | . . | . . |
| वेतन<br>Salaries | 22678 | 30000 | 23140 | 26657 |
| वेतनेत्तर बाबी<br>Non Salary Items | 949 | 1837 | 623 | 1671 |
| एकूण (सात)<br>Total (VII) | 23627 | 31837 | 23763 | 28328 |
| (आठ) सरदार सरोवर प्रकल्प- (22353141) ग्रस्तांच्या संदर्भातील गा-हाणे निराकरण प्राधीकरण नंदूरबार कार्यालय | | | | |
| (VIII) Grievances Redressal Authority regarding Sardar Sarover Project affected persons Nandurbar office— | | | | |
| वेतन<br>Salaries | 9515 | 15828 | 12487 | 16936 |
| वेतनेत्तर बाबी<br>Non Salary Items | 873 | 658 | 343 | 636 |
| एकूण (आठ)<br>Total (VIII) | 10388 | 16486 | 12830 | 17572 |

प्रकल्पग्रस्तांना नवीन गावठाणात वाटप केलेल्या भूखंडाची माहिती खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे :—

The Following table gives information regarding grant of plots to the Project Affected Persons in new gaothans :—

**तक्ता–२**

**TABLE —II**

| अनुक्रमांक Serial No. (1) | जिल्ह्यांचे नाव Name of District (2) | बाधित कुटुंबांची संख्या No. of families affected (3) | दिलेले भूखंड No. of Plots granted (4) | अद्याप द्यावयाचे भूखंड No. of Plots to be granted (5) | स्थलांतर केलेल्या कुटुंबांची संख्या No. of families shifted (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ठाणे Thane | 2086 | 613 | 12 | 516 |
| 2. | पालघर Palghar | 5502 | 2994 | 3 | 1250 |
| 3. | रायगड Raigad | 5845 | 0 | 1857 | 0 |
| 4. | रत्नागिरी Ratnagiri | 3206 | 1575 | 139 | 1491 |
| 5. | सिंधुदुर्ग Sindhudurg | 6273 | 3300 | 1943 | 3101 |
| 6. | सातारा Satara | 24913 | 24478 | 3489 | 24913 |
| 7. | पुणे Pune | 23369 | 12070 | 3881 | 0 |
| 8. | सांगली Sangali | 4861 | 4519 | 342 | 4519 |
| 9. | सोलापूर Solapur | 13357 | 7997 | 4351 | 2198 |
| 10. | कोल्हापूर Kolhapur | 10840 | 4416 | 955 | 0 |
| 11. | नाशिक Nasik | 4259 | 4259 | 0 | 4219 |
| 12. | धुळे Dhule | 2652` | 2652 | 0 | 2204 |
| 13. | नंदूरबार Nandurbar | 3355 | 2160 | 1198 | 2105 |
| | (अ) सरदार सरोवर प्रकल्प, धुळे (A) Sardar Sarover Prakalpa, Dhule | .. | .. | .. | .. |
| 14. | जळगाव Jalgaon | 15220 | 12543 | 253 | 0 |
| 15. | अहमदनगर Ahmednagar | 10934 | 11172 | 0 | 10934 |
| 16. | नागपूर Nagpur | 11643 | 11047 | 596 | 10315 |
| 17. | वर्धा Wardha | 7960 | 7960 | 0 | 7677 |
| 18. | भंडारा Bhandara | 6945 | 5475 | 63 | 4952 |
| 19. | चंद्रपूर Chandrapur | 2551 | 128 | 73 | 143 |

**तक्ता २**–चालू

**TABLE II—***Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | गडचिरोली | | | | |
| 20. | Gadchiroli .. .. .. .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गोंदिया | | | | |
| 21. | Gondia .. .. .. .. .. | 516 | 487 | 92 | 372 |
| | अमरावती | | | | |
| 22. | Amravati .. .. .. .. .. | 7306 | 6700 | 606 | 3422 |
| | बुलढाणा | | | | |
| 23. | Buldana .. .. .. .. .. | 13237 | 5102 | 8135 | 4261 |
| | अकोला | | | | |
| 24. | Akola .. .. .. .. .. | 1458 | 136 | 1263 | 59 |
| | यवतमाळ | | | | |
| 25. | Yeotmal .. .. .. .. .. | 4675 | 5419 | 790 | 4528 |
| | वाशिम | | | | |
| 26. | Washim .. .. .. .. .. | 450 | 450 | 0 | 285 |
| | औरंगाबाद | | | | |
| 27. | Aurangabad .. .. .. .. .. | 14737 | 15775 | 588 | 14737 |
| | बीड | | | | |
| 28. | Beed .. .. .. .. .. | 2900 | 1289 | 1215 | 0 |
| | जालना | | | | |
| 29. | Jalna .. .. .. .. .. | 6633 | 4848 | 648 | 0 |
| | लातूर | | | | |
| 30. | Latur .. .. .. .. .. | 1349 | 1264 | 85 | 0 |
| | नांदेड | | | | |
| 31. | Nanded .. .. .. .. .. | 5731 | 1669 | 1801 | 100 |
| | उस्मानाबाद | | | | |
| 32. | Osmanabad .. .. .. .. .. | 11667 | 3254 | 404 | 3254 |
| | परभणी | | | | |
| 33. | Parbhani .. .. .. .. .. | 946 | 859 | 87 | 0 |
| | हिंगोली | | | | |
| 34. | Hingoli .. .. .. .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 |

## तक्ता–३

## TABLE—III

खालील तक्ता प्रकल्पग्रस्तांना वाटण्यात आलेली शेतजमीन याबाबतची माहिती दर्शविते.—

The following table gives information about grant of Agricultural Lands to the Project Affected Persons :—

| अनु-क्रमांक Serial No. | जिल्ह्याचे नाव Name of District | बाधित खातेदार No. of affected Khatedars | बिगर बाधित खातेदार No. of Non-affected Khatedars | एकूण Total | लाभक्षेत्राची वाटप झालेली जमीन Area of land in benefited zone granted — एकूण व्यक्ती Total No. of persons | क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) Area (in hect.) | वाटप केलेली इतर शासकीय जमीन No. of other Govt. land granted — व्यक्ती persons | क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) Area (in hect.) | एकूण जमीन वाटप केलेल्या व्यक्ती Total No. of persons who have been granted land | एकूण वाटप केलेले क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) Total area granted (in hectares) | अद्यापि शेत-जमीन वाटप करावयाच्या व्यक्तींची संख्या No. of persons who are yet to be granted land | स्तंभ (१०) मधील व्यक्तींना वाटपास लागणारे जमिनीचे क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) Area of land required for grant to the persons of Col. (10) (in hect.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6-a) | (6-b) | (7-a) | (7-b) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | ठाणे Thane .. .. .. | 2507 | 179 | 2686 | 0 | 0 | 406 | 1154.20.9 | 406 | 1154.20.9 | 166 | 175.92.0 |
| 2. | पालघर Palghar .. .. .. | 8406 | 2056 | 5462 | 0 | 0 | 1424 | 1428.31.2 | 1424 | 1428.31.2 | 276 | 19.18.1 |
| 3. | रायगड Raigad .. .. .. | 7745 | 111 | 7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20.00.00 |
| 4. | रत्नागिरी Ratnagiri .. .. .. | 3206 | 0 | 3206 | 33 | 22.20.40 | 0 | 0 | 33 | 22.20.40 | 71 | 3973.00 |
| 5. | सिंधुदुर्ग Sindhudurg .. .. .. | 6207 | 66 | 6273 | 166 | 126.60.40 | 0 | 0 | 166 | 126.60.40 | 506 | 254.00.00 |
| 6. | नाशिक Nashik .. .. .. | 3892 | 367 | 4259 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 1 | 2.42 | 0 | 0 |
| 7. | धुळे Dhule .. .. .. | 1744 | 908 | 2652 | 118 | 347 | 0 | 0 | 118 | 347 | 3 | 16.6 |
| 8. | नंदुरबार Nandurbar .. .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## तक्ता- ३ –चालू

## TABLE—III—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6-a) | (6-b) | (7-a) | (7-b) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरदार सरोवर प्रकल्प | | | | | | | | | | | |
| | जळगाव | | | | | | | | | | | |
| 9. | Jalgaon .. .. .. | 15220 | 2754 | 17974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अहमदनगर | | | | | | | | | | | |
| 10. | Ahmednagar .. .. .. | 7586 | 0 | 7586 | 6308 | 6485.46 | 157 | 259.69 | 6308 | 6485.46 | 1748 | 406.85 |
| | पुणे | | | | | | | | | | | |
| 11. | Pune .. .. .. | 22777 | 1012 | 23789 | 12024 | 17814 | 0 | 663 | 12024 | 17814 | 2762 | 2888.53 |
| | सातारा | | | | | | | | | | | |
| 12. | Satara .. .. .. | 20350 | 0 | 20350 | 16 | 13.89 | 0 | 0 | 17993 | 19463.12 | 2673 | 4063.89 |
| | सांगली | | | | | | | | | | | |
| 13. | Sangli .. .. .. | 4861 | 0 | 4861 | 2916 | 2766.36 | 0 | 0 | 2916 | 2766.36 | 1945 | 1196.16 |
| | सोलापूर | | | | | | | | | | | |
| 14. | Solapur .. .. .. | 7346 | 2025 | 9371 | 7058 | 7139.4 | 0 | 0 | 7915 | 10028 | 5304 | 11594 |
| | कोल्हापूर | | | | | | | | | | | |
| 15. | Kolhapur .. .. .. | 11101 | 0 | 11101 | 4030 | 4187.94 | 260 | 132.24 | 3829 | 4320.18 | 1769 | 1603.46 |
| | अमरावती | | | | | | | | | | | |
| 16. | Amravati .. .. .. | 2851 | 318 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अकोला | | | | | | | | | | | |
| 17. | Akola .. .. .. | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | यवतमाळ | | | | | | | | | | | |
| 18. | Yavatmal .. .. .. | 6143 | 1894 | 8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वाशिम | | | | | | | | | | | |
| 19. | Washim .. .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बुलढाणा | | | | | | | | | | | |
| 20. | Buldhana .. .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागपूर | | | | | | | | | | | |
| 21. | Nagpur .. .. ... | 14646 | 2122 | 16768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्धा | | | | | | | | | | | |
| 22. | Wardha .. .. .. | 4674 | 3286 | 7960 | 363 | 477.23 | 0 | 0 | 363 | 477.23 | 83 | 129.85 |
| | भंडारा | | | | | | | | | | | |
| 23. | Bhandara .. .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | चंद्रपूर<br>Chandrapur | 2551 | 0 | 2551 | 0 | 0 | 619 | 681.89 | 619 | 681.89 | 187 | 304.11 |
| 25. | गडचिरोली<br>Gadchiroli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | गोंदिया<br>Gondia | 390 | 126 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | औरंगाबाद<br>Aurangabad | 11203 | 0 | 11203 | 0 | 937.41 | . . | . . | 0 | 937.41 | . . | . . |
| 28. | बीड<br>Beed | 2443 | 50 | 2493 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 29. | जालना<br>Jalna | 557 | . . | 557 | 557 | 1336.42 | . . | . . | 557 | 1336.42 | . . | . . |
| 30. | लातूर<br>Latur | 13 | . . | 13 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 13 | 12.4 |
| 31. | नांदेड<br>Nanded | या जिल्ह्यात ४ प्रकल्पांअतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमिनीचे वाटप करण्यात आलेले नाही. | | | | | | | | | | |
| 32. | उस्मानाबाद<br>Osmanabad | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 33. | परभणी<br>Parbhani | 1257 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | हिंगोली<br>Hingoli | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |

## तक्ता–४

## TABLE —IV

खालील तक्त्यात लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या संपादनाबाबतची माहिती दिलेली आहे :—

The Following Table indicates the position about Acquisition of land in Benefited zone :—

| अनुक्रमांक<br>Serial No.<br>(1) | जिल्ह्यांचे नाव<br>Name of District<br>(2) | लाभक्षेत्रातील एकूण क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)<br>Area available in Benefited Zone (in Hectares)<br>(3) | प्रमाणपद्धती-प्रमाणे (स्लॅबप्रमाणे उपलब्ध होणारी जमीन) (हेक्टरमध्ये)<br>Area available as per Slab System (in Hectares)<br>(4) | प्रकल्पग्रस्तांना नियमाप्रमाणे देय असलेले एकूण क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)<br>Area to be granted to the P.A. Ps. as per rules (in Hectares)<br>(5) | आतापर्यंत प्रत्यक्ष संपादन करण्यात आलेले एकूण क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)<br>Area actually acquired (in Hectares)<br>(6) | संपादनाखाली असलेले क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)<br>Area under Acquisition (in Hectares)<br>(7) | शेरा<br>Remarks<br>(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ठाणे<br>Thane .. .. | 1595.28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| 2. | पालघर<br>Palghar .. .. | 18468.00.0 | 0 | 1256.404 | 0 | 0 | .. |
| 3. | रायगड<br>Raigad .. .. | 3023.00.00 | 32.00.00 | 20.00.00 | 1132.20.0 | 149.36.80 | .. |
| 4. | रत्नागिरी<br>Ratnagiri .. .. | 22766.01.79 | 91.00.00 | 49.33.00 | 40.68.40 | 33.48.00 | .. |
| 5. | सिंधुदुर्ग<br>Sindhudurg .. .. | 55673.05.00 | 1557.84.74 | 1486.33.00 | 187.57.80 | 0 | .. |
| 6. | नाशिक<br>Nashik .. .. | 96517.97 | 2470.40 | 1029.60 | 5.68 | 0 | .. |
| 7. | धुळे<br>Dhule .. .. | 347 | 350 | 350 | 347 | 350 | .. |
| 8. | नंदुरबार<br>Nandurbar .. .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
| 9. | जळगाव<br>Jalgaon .. .. | 112287 | 8535 | 10850 | 0 | 0 | .. |
| - 10. | अहमदनगर<br>Ahmednagar .. .. | 7276.59 | 7276.59 | 7276.59 | 7276.59 | .. | .. |
| 11. | पुणे<br>Pune .. .. | 380164.56 | 31827.86 | 16513 | 9083.62 | 15381.25 | .. |
| 12. | सातारा<br>Satara .. .. | 45143.86 | 17218.36 | 28404.32 | 10204.05 | 1515.23 | .. |
| 13. | सांगली<br>Sangali .. .. | 180357.62 | 3986.88 | 3581.12 | 3358.43 | 3358.43 | .. |
| 14. | सोलापूर<br>Solapur .. .. | 192626 | 19830.48 | 7996.39 | 15479.02 | 17477.1 | .. |

**तक्ता ४**–चालू

**TABLE IV**—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | कोल्हापूर<br>Kolhapur . . . . | 229575.35 | 11175.59 | 5320.71 | 4823.95 | 360.16 | 0 |
| 16. | अमरावती<br>Amravati . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | अकोला<br>Akola . . . . | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | वाशिम<br>Washim . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | यवतमाळ<br>Yavatmal . . . . | 4900 | 4600 | 765 | 765 | 0 | 0 |
| 20. | बुलढाणा<br>Buldana . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | नागपूर<br>Nagpur . . . . | 46660.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | वर्धा<br>Wardha . . . . | 137174.00 | 8503.00 | 617.08 | 584.53 | 0 | 0 |
| 23. | भंडारा<br>Bhandara . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | चंद्रपूर<br>Chandrapur . . . . | 11869.46 | 27768.04 | 268.04 | 128.05 | 501.29 | 0 |
| 25. | गडचिरोली<br>Gadchiroli . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | गोंदिया<br>Gondia . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | औरंगाबाद<br>Aurangabad . . . . | 19582 | 0 | 937.41 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | बीड<br>Beed . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | जालना<br>Jalna . . . . | 3497.15 | 0 | 1336.42 | 3497.15 | 0 | 0 |
| 30. | लातूर<br>Latur . . . . | 12.16 | 59.73 | 12.4 | 8.8 | 8.6 | 0 |
| 31. | नांदेड<br>Nanded . . . . | 11621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | उस्मानाबाद<br>Osmanabad . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | परभणी<br>Parbhani . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | हिंगोली<br>Hingoli . . . . | 15771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## तक्ता–५

## TABLE —V

प्रकल्पग्रस्तांना नवीन गावठाणात पुरविण्यात आलेल्या नागरी सुविधा याबाबतची माहिती खालील तक्त्यात दिलेली आहे :—

The Following Table indicates Civil Amenities provided to the P. A. Ps. in the new gaothans :—

| अनु-क्रमांक Serial No. (1) | जिल्ह्याचे नाव Name of the District (2) | खुल्या विहिरी Open Wells Schemes (3) | नळ योजना Pipe Water Supply (4) | कुपनलिका Bore Wells (5) | प्राथमिक शाळा Primary Schools (6) | समाज मंदिर/ चावडी Samaj Mandir/ Chawadis (7) | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते कि.मी. Internal/ approach roads km. (8) | विद्युतीकरण गावापर्यंत वीज आणून देणे No. of gaothans electrified (9) | दहन-दफन भूमि Burning/ burial ground (10) | उघडी गटारे नाली बांधकाम (11) | शौच-कुपे (12) | गुरांच्या तळासाठी जमीन प्रत्यक्ष (13) | बस माळा शेड (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ठाणे Thane . . | 24 | 13 | 19 | 14 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| 2. | पालघर Palghar . . | 24 | 5 | 22 | 7 | 17 | 29 | 17 | 21 | 28.7 | 40 | 17 | 4 |
| 3. | रायगड Raigad . . | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24.49 | 0 | 4 | 14.29 | 8 | 0 | 2 |
| 4. | रत्नागिरी Ratnagiri . . | 10 | 17 | 9 | 18 | 16 | 19 | 18 | 11 | 18 | 23 | 1 | 16 |
| 5. | सिंधुदुर्ग Sindhudurg . . | 26 | 10 | 4 | 10 | 12 | 33.04 | 17 | 12 | 57.01 | 25 | 6 | 11 |
| 6. | नाशिक Nasik . . | 26 | 26 | 19 | 26 | 23 | 22 | 26 | 20 | 18 | 19 | 0 | 19 |
| 7. | धुळे Dhule . . | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8. | नंदुरबार Nandurbar . . | 10 | 11 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 9. | जळगाव Jalgaon . . | 51 | 48 | 53 | 40 | 43 | 50 | 51 | 40 | 39 | 8 | 44 | 37 |
| 10. | अहमदनगर Ahmednagar. . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | पुणे Pune . . | 137 | 159 | 95 | 86 | 173 | 135 | 887 | 71 | 152 | 126 | 46 | 33 |
| 12. | सातारा Satara . . | 409 | 477 | 347 | 4.99 | 488 | 512 | 502 | 436 | 546 | 388 | 274 | 0 |
| 13. | सांगली Sangali . . | 18 | 48 | 48 | 46 | 47 | 78 | 50 | 37 | 47 | 46 | 13 | 34 |
| 14. | सोलापूर Solapur . . | 221 | 278 | 386 | 872 | 185 | 1454 | 163 | 138 | 293 | 15 | 0 | 0 |
| 15. | कोल्हापूर Kolhapur . . | 139 | 368 | 68 | 523 | 108 | 209 | 123 | 69 | 828 | 112 | 89 | 0 |
| 16. | नागपूर Nagpur . . | 163 | 27 | 0 | 58 | 63 | 254.69 | 47 | 44 | 392.122 | 20 | 0 | 0 |
| 17. | वर्धा Wardha . . | 58 | 33 | 54 | 46 | 44 | 702.54 | 47 | 17 | 254.76 | 0 | 378.00 | 0 |
| 18. | भंडारा Bhandara . . | 48 | 8 | 54 | 26 | 25 | 99 | 25 | 2 | 200 | 30 | 0 | 0 |
| 19. | चंद्रपूर Chandrapur . . | 18 | 475 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1.60 | 0 |

**तक्ता ५-चालू**

**TABLE V—*Contd.***

| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | गडचिरोली Gadchiroli . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | गोंदिया Gondia . . | 17 | 3 | 8 | 7 | 6 | 89.54 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 22. | अमरावती Amravati . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | अकोला Akola . . | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24. | वाशिम Washim . . | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 25. | यवतमाळ Yeotmal . . | 38 | 21 | 113 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | बुलढाणा Buldana . . | 8 | 17 | 5 | 20 | 36 | 61 | 16 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 |
| 27. | औरंगाबाद Aurangabad . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 28. | बीड Beed . . | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 29. | जालना Jalna . . | 22 | 24 | 25 | 21 | 26 | 26 | 23 | 20 | 25 | 23 | 13 | 15 |
| 30. | लातूर Latur . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | नांदेड १ Nanded 1 . .. . | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | नांदेड २ Nanded 2 . . | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 32. | उस्मानाबाद Osmanabad . . | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | 7.92 | पूर्ण | पूर्ण |
| 33. | परभणी Parbhani . . | नाही | १ | नाही | होय | होय | होय | होय | नाही | होय | नाही | नाही | नाही |
| 34. | हिंगोली Hingoli . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**टीप** :— कंसातील आकडे आवश्यक असलेल्या सुविधांची संख्या व त्याखालील आकडे पुरविण्यात आलेल्या सुविधांची संख्या दर्शवितात.

*Note* :— Figures in brackets indicate the number of amenities required to be provided. The figures below item indicate the number of amenities actually provided.

**तक्ता-६**

TABLE—VI

कर्मचारी वर्ग विषयक गोषवारा :
Personnel Summary :

| अनुक्रमांक Sr. No. | पदनाम Designation | वेतनस्तर Pay Level | पदे No. of Posts | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2020-2021 | 2021-2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | | Rs. | | |
| **राजपत्रित— Gazetted —** | | | | |
| 1. | अतिरिक्त जिल्हाधिकारी/उप-आयुक्त<br>Additional Collector/Dy. Commissioner | S-25 (78800-209200) | 5 | 4 |
| 2. | उप-जिल्हाधिकारी<br>Deputy Collector . . | S-20 (56100-177500) | 10 | 13 |
| 3. | विशेष भूअर्जन अधिकारी<br>Special Land Acquisition Officer | S-20 (56100-177500) | 3 | 3 |
| 4. | जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी<br>District Resettlement Officer . . | S-20 (56100-177500) | 20 | 15 |
| 5. | पुनर्वसन अधिकारी<br>Resettlement Officer . . | S-20 (56100-177500) | 13 | 12 |
| 6. | लेखा अधिकारी<br>Accounts Officer . . | S-16 (44900-142400) | 0 | 0 |
| 7. | अधीक्षक<br>Superintendent . . | S-16 (44900-142400) | 1 | 2 |
| | | एकूण . . | 52 | 49 |
| **अराजपत्रित वर्ग ३— Non-Gazetted Class III —** | | | | |
| 1. | लघुलेखक (निम्न श्रेणी)<br>Stenographer (Lower grade) . . | S-13 (35400-112400) | 1 | 0 |
| 2. | उप-लेखापाल<br>Deputy Accountant . . | S-14 (38600-122800) | 6 | 5 |
| 3. | प्रथम श्रेणी लिपिक/अव्वल कारकून/ वरिष्ठ लिपिक/मंडळ निरीक्षक<br>First Grade Clerk/Awwal Karkun/ Sr. Clerk/Circle Inspector | S-12 (32000-101600) | 34 | 31 |

**तक्ता क्र. ६**–चालू
**TABLE No. 6**—*Contd.*

| (1) | (2) | | (3) | (4) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | मंडल अधिकारी<br>Circle Officer | . . | S-12 (32000-101600) | 37 | 39 |
| 5. | भूकर सर्वेक्षक<br>Land Surveyor | . . | S-6 (19900-63200) | 15 | 15 |
| 6. | महसूल सहाय्यक<br>Revenue Assistant | | . . | 0 | 9 |
| 7. | कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक<br>Jr. Clerk/Typist | . . | S-6 (19900-63200) | 42 | 31 |
| 8. | तलाठी<br>Talathi | . . | S-8 (25500-81100) | 26 | 28 |
| 9. | वाहन चालक<br>Driver | . . | S-6 (19900-63200) | 18 | 16 |
| 10. | लघु टंकलेखक<br>Steno Typist | . . | S-8 (25500-81100) | 3 | 2 |
| | | | एकूण . . | 182 | 176 |

**अराजपत्रित वर्ग ४—**
**Non-Gazetted Class IV —**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हवालदार<br>Hawaldar | . . | S-3 (16600-52400) | . . | . . |
| 2. | शिपाई / चेनमन<br>Peon/Chainman | . . | S-1 (15000-47600) | 46 | 45 |
| | | | एकूण . . | 46 | 45 |
| | | | एकूण बेरीज . . | 280 | 270 |

**तक्ता-७**

TABLE—VII

कर्मचारी वर्ग विषयक गोषवारा : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर व औरंगाबाद.

Personnel Summary : Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Nagpur and Aurangabad.

| अनुक्रमांक Sr. No. (1) | पदनाम Designation (2) | | वेतनमान Pay Scale (3) | पदे No. of Posts (4) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पिठासीन अधिकारी (जिल्हा न्यायाधिश) Presiding Officer (District Judge) | | 51500-1230-58930-1380-63070 | 2 |
| 2. | निबंधक (तहसिलदार) Registrar (Tahsildar) | . . | 56100-175100 | 2 |
| 3. | अव्वल कारकून Avval Karkun | | 29200-92300 | 4 |
| 4. | लघुलेखक Steno | . . | 38600-122800 | 2 |
| 5. | लिपिक Clerk | . . | 19900-63200 | 8 |
| 6. | वाहन चालक Driver | . . | 15000 | 2 |
| 7. | शिपाई Peon | . . | 12000 | 6 |

## कार्यक्रम क्रमांक ८

## महालेखापालांचा लेखापरीक्षा अहवाल

### महालेखापालांचा लेखापरीक्षा अहवाल/लोकलेखा समिती अहवाल/उपक्रम समिती अहवाल

महसूल व वन विभाग हा मंत्रालयाचा एक प्रशासकीय विभाग आहे. या विभागाचे महसूल, वने आणि पुनर्वसन व मदतकार्य असे तीन उपविभाग आहेत. त्यापैकी "महसूल" उपविभागाचे अधिनस्त (१) विभागीय आयुक्त, (२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, (३) जमाबंदी आयुक्त, भूमि अभिलेख, इत्यादी विभाग प्रमुखांची कार्यालये आहेत.

उपरोक्त विभाग प्रमुख कार्यालये व त्यांचे अधिनस्त सर्व कार्यालयांचे महसुली जमा/खर्च विषयक, करमणूक कर विषयक तसेच शिक्षण कर व रोजगार हमी कर या विषयांतर्गत निरीक्षण महालेखापाल-१, मुंबई व महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडून करण्यात येते. संबंधित कार्यालयास त्यांचेकडील अनियमितता/उणिवा, कमी आकारणी, कमी वसुली कर व शुल्काबाबतची चुकीची सवलत इत्यादी स्वतंत्र निरीक्षण अहवाल परिच्छेदाद्वारे कळविले जातात आणि त्यांचा अनुपालन अहवाल त्यांचेकडून मागविला जातो.

महालेखापालांकडून दरवर्षी अशा सर्व कार्यालयांकडील प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/परिच्छेद यांची संख्या शासनास कळविली जाते. अशा प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/परिच्छेद मधील आवश्यक त्या बाबतीत करांची वसुली शासकीय आदेश प्राप्त करून तसा अनुपालन अहवाल पाठवून जास्तीत जास्त परिच्छेदांचा निपटारा करवून घेण्याबाबत शासन स्तरावरून परिपत्रके, अ. शा. पत्रे, स्मरणपत्रे इत्यादी द्वारा सतत पाठपुरावा करण्यात येतो.

प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/परिच्छेदांचा जलद निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आणि त्यातील फार पूर्वीपासून प्रलंबित असलेल्या परिच्छेदांचा निपटारा प्रथम प्राधान्याने व्हावा यासाठी या विभागात सह/उप सचिवांचे अध्यक्षतेखाली लेखापरीक्षा समिती स्थापन केलेली आहे. या समितीच्या बैठका विभागीय स्तरावर घेण्यात येतात. बैठकीचे वेळी वरिष्ठ उप महालेखापाल उपस्थित राहतात. त्यांचेसमोर संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडून त्यांचेकडील प्रलंबित परिच्छेदांचे अनुपालन सादरीकरण विचारात घेऊन परिच्छेद वगळण्यात येतो. अशा पाहणीमुळे परिच्छेदांचा निपटारा जलदगतीने होण्यास फार मदत होते. प्रलंबित परिच्छेदांचा निपटारा या कामी संबंधित कार्यालयांना मासिक उद्दिष्ट ठरवून देण्यासंबंधी व त्याचा मासिक बैठकीत आढावा घेण्याच्या सूचना शासन स्तरावरून सर्व विभाग प्रमुखांना दिलेल्या आहेत व त्यांना त्यांचे विभागाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनास वेळीच पाठवून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.

या विभागात विशेष निरीक्षण पथक कार्यरत असून त्यात सहाय्यक संचालक वर्ग-१ व सहाय्यक लेखा अधिकारी अशी प्रत्येकी दोन पदांची नेमणूक केलेली आहे. हे पथक प्रत्येक जिल्ह्यातील अंतर्गत लेखापरीक्षा पथकाचे कामाचे पुनर्विलोकनासाठी जिल्हा दौरा आयोजित करतात. त्यावेळी जिल्ह्यातील महालेखापालांकडील प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/परिच्छेदांच्या निपटा-याबाबत प्रगतीचा आढावा घेतात. तसेच दौ-याचे वेळी विभागीय आयुक्तांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी/निवासी उप-जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली महसूल अधिकारी यांच्या बैठका घेवून त्यात प्रलंबित परिच्छेदांचा आढावा घेतला जातो. तसेच निपटा-यांसंबंधी आवश्यक त्या सूचना व मार्गदर्शन करण्यात येते.

महालेखापाल-१, मुंबई आणि महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडून दिनांक ३१-१२-२०१९ रोजी निर्गमित केलेले परंतु, दिनांक ३०-६-२०२० रोजी प्रलंबित असलेले महसूल जमाविषयक निरीक्षक अहवाल/परिच्छेद यांचे विभाग प्रमुखनिहाय तक्ता सोबत जोडला आहे.

## महालेखापालांकडील परिच्छेदाबाबत दिनांक १-७-२०१९ ते ३०-६-२०२० या कालावधीतील कामगिरी दर्शविणारा तक्ता

### “ड”

### (महसूल व वन विभाग)

| अ. क्र. | बाब/ कार्यालयाचे नाव | दि. १-७-२०१९ ची प्रलंबित स्थिती | | सन २०१९-२० या वर्षभरातील भर | | सन २०१९-२० वर्षातील निपटारा | | दि. ३०-६-२०२० ची प्रलंबित स्थिती | | निपटारा टक्केवारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परि. | रक्कम रु. लाखात | परि. | रक्कम रु. लाखात | परि. | रक्कम रु. लाखात | परि. | रक्कम रु. लाखात | परि. | रक्कम रु. लाखात |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | **जमीन महसूल** | | | | | | | | | | |
| | (i) वि. आ., कोकण . . | 145 | 56099.35 | 67 | 71449.19 | 14 | 880.25 | 198 | 126668.29 | 6.60 | 0 69 |
| | (ii) वि. आ., पुणे . . | 113 | 40573.86 | 27 | 555.99 | 14 | 494.47 | 126 | 40635.38 | 10.00 | 1.20 |
| | (iii) वि. आ., नाशिक . . | 114 | 10719.08 | 27 | 14970.96 | 39 | 481.26 | 102 | 25208.78 | 27.66 | 1.87 |
| | (iv) वि. आ., अमरावती . . | 70 | 6923.54 | 30 | 2134.34 | 15 | 902.34 | 85 | 8155.54 | 15.00 | 9 96 |
| | (v) वि. आ., नागपूर . . | 97 | 13626.88 | 33 | 12772.07 | 8 | 163.94 | 122 | 26235.01 | 6 15 | 0.62 |
| | (vi) वि. आ., औरंगाबाद . . | 116 | 2695.33 | 12 | 19.18 | 6 | 118.51 | 122 | 2596.00 | 4.69 | 4 37 |
| | एकूण . . | 655 | 130638.04 | 196 | 101901.73 | 96 | 3040.77 | 755 | 229499 | 11.28 | 1.31 |
| २ | **करमणूक कर** | | | | | | | | | | |
| | (i) वि. आ., कोकण . . | 230 | 1426.60 | 0 | 0.00 | 139 | 383.71 | 91 | 1042.89 | 60.43 | 26.90 |
| | (ii) वि. आ., पुणे . . | 18 | 38.20 | 0 | 0.00 | 3 | 7.87 | 15 | 30.33 | 16.67 | 20.60 |
| | (iii) वि. आ., नाशिक . . | 10 | 10.32 | 0 | 0.00 | 3 | 3 36 | 7 | 6.96 | 30.00 | 32.56 |
| | (iv) वि. आ., अमरावती . . | 10 | 24.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 24.33 | 0.00 | 0.00 |
| | (v) वि. आ., नागपूर . . | 62 | 416.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.56 | 62 | 415.45 | 0.00 | 0.13 |
| | (vi) वि. आ., औरंगाबाद . . | 41 | 68.50 | 3 | 0.00 | 5 | 3.59 | 39 | 64.91 | 11.36 | 5 24 |
| | एकूण . . | 371 | 1983.96 | 3 | 0.00 | 150 | 399.09 | 224 | 1584.87 | 40.11 | 20.12 |
| ३ | करेतर महसुली जमा कार्यालय संकीर्ण . . | 14 | 70.87 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 70.87 | 0.00 | 0.00 |
| ४ | भूमी अभिलेख महसुली जमा जमाबंदी आयुक्त, सं.भू.अ., पुणे | 10 | 63.24 | 21 | 852.95 | 3 | 16.57 | 28 | 899.62 | 9.68 | 1.81 |
| ५ | मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी/ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक जमाबंदी आयुक्त, सं.भू.अ., पुणे | 2300 | 9480.60 | 367 | 14718.20 | 658 | 19035.80 | 2009 | 90492 | 24.67 | 17.38 |
| ६ | वन जमा/प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर . . | 244 | 6064.21 | 34 | 853.32 | 33 | 0.00 | 245 | 6917.53 | 11.87 | 0.00 |
| ७ | शिक्षण कर व रोजगार हमी योजना, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | एकूण . . | 2568 | 101007.92 | 424 | 16424.47 | 694 | 19052.37 | 2298 | 98380.02 | 23.20 | 16.22 |

शामुना-टीबी-२०१८-उसमववविमंमुं—०३-२०२१-४१० प्रती-पीए४*.